पंचम माला, खंड 41, अंक 1, सोमवार, 22 जुलाई, 1974/31 आषाढ़, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XLI, No. 1, Monday, July 22, 1974/Asadha 31, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

Preservation Unit
Parliament Library

[खंड 41 में अंक 1 से 10 तक है / Vol. XLI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

: दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1743(ai) LS

विषय सूची / CONTENTS

अंक 1, सोमवार, 22 जुलाई, 1974/31 आषाढ़, 1896 (शक)

No. 1, Monday, July 22, 1974/Asadha 31, 1896 (Saka)

विषय	Subject	PAGE
सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	Alphabetical List of Members .	क—ज
सभा के अधिकारी	Officers of the House .	झ
मंत्रि मंडल के सदस्यों, तथा राज्य मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों की सूची	List of Members of the Cabinet, Ministers of State and Deputy Ministers . .	ट—ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	Members Sworn .	1
निधन संबंधी लेख	Obituary Reference . .	1—3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**Oral Answers to Questions** .	4—15
ता० प्र० संख्या S.Q. No.		
1. आवास मंत्रियों का मद्रास में सम्मेलन	Conference of Housing Ministers at Madras	4-5
2. उर्वरकों की कमी दूर करने हेतु भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की नई फार्म प्रौद्योगिकी	New Farm technology by ICAR to Beat Fertiliser Shortage	6—10
3. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश स्थित सर्किलों के कार्य-प्रभारित कर्मचारी	Work charged Staff of Arunachal Pradesh Circles of C.P.W.D.	10
4. भारतीय भाषाओं के विकास के लिए सहायता	Assistance for Promotion of Indian Languages	11—14
5. 1974 में गेहूं तथा अन्य खाद्यान्न का आयात	Import of wheat and other Foodgrains during 1974.	14-15

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a member indicated that the Question was acutally asked on the floor of the House by him.

ता०प्र०संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
6.	खाद्यान्न के उत्पादन में कमी	Shortfall in Grain Output . .	15--16
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions**	15—129
7.	गेहूं के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही	Steps taken to control prices of wheat .	16
8.	बीकानेर, राजस्थान में टिड्डियों का आक्रमण	Locust Invasion in Bikaner Rajasthan .	17
9.	जनवरी—जून, 1974 के दौरान राज्यों को आवंटित खाद्यान्न की मात्रा तथा उसका मापदंड	Criteria for and quantity of Food grains allotted to States during January, June, 1974	17
10.	स्कूलों के प्रबन्धकों द्वारा दिल्ली स्कूल अधिनियम का कथित उल्लंघन	Alleged Violation of Delhi Schools Act by Managements of Schools '	18-19
11.	महानगरों की दुग्ध चूर्ण की आवश्यकता	Requirement of Milk Powder by Metropolitan Cities	19-20
12.	उत्तर प्रदेश में सब मौसमों में प्रयोग हो सकने वाले सड़क पुल का निर्माण	Construction of an all weather road bridge in U.P.	21
13.	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग औद्योगिक कर्मचारी सहकारी बचत तथा ऋण समिति लिमिटेड की बैठक	Meeting of C.P.W.D. Industrial Workers' Cooperative Thrift and Credit Society Limited	21
14.	इंगलैंड में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा किये गये अनुचित कार्य	Improper action on the part of Indian Cricketers in England	22
15.	अतंर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था के विकास एवं सुधार के लिए अनेक कार्यक्रम	Series of Programmes for development and improvement of Inland Water Transport System	22-23
16.	जाली बीज फर्मों के विरुद्ध जांच	Enquiry into Bogus Seeds Firms . . .	23-24
17.	उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि का आधार और उर्वरकों में आत्म-निर्भरता	Basis for increase in price of and self sufficiency in fertiliser	24-25
18.	कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति का प्रतिवेदन	Report of committee set up by UGC on Calcutta University	25

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
19.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 (वेस्ट कोस्ट रोड)	National Highway No. 17 (West Coast Road)	25-26
20.	श्यामलाल कालेज, शाहदरा दिल्ली, को बन्द करने की धमकी	Threatened Closure of Shyamlal College Shahadara, Delhi	26

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. No.

1.	शक्ति नगर नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन को हथियाने के बारे में शिकायतें	Complaints regarding grabbing of DDA land in Shakti Nagar, New Delhi . . .	26-27
2.	हरदयाल को गया भारत–न्यूजीलैंड महिला पर्वतारोही दल	Indo-Newzealand women's expedition to Hardeol	27
3	धमारा, उडिसा में मत्स्य ग्रहण बन्दरगाह	Fishing harbour at Dhamara, Orissa	28
4.	शिप एण्ड बिल्डिग यार्डों के बारे में प्रतिवेदन	Report on Shipbuilding Yards.	28
5.	आन्ध्र प्रदेश के लिये केन्द्रीय विश्वविद्यालय	Central University for Andhra Pradesh	28-29
6.	खरीफ फसल के लिये कर्नाटक के किसानों के उर्वरक और बीज सप्लाई करने के लिये प्रबन्ध	Arrangement for supply of Fertiliser and Seeds to farmers of Karnatak for Kharif Crop	29
7.	मई, 1974 तक वसूल किया गया गेहूं	Wheat procured upto May, 1974	29-30
8.	नेशनल बिल्डिग आरगेनाइजेशन का पुर्नसंगठन और विस्तार	Restructuring and expansion of National Building Organisation	30
9.	भारतीय खाद्य निगम के उपरिव्यय को कम करने संबंधी समिति की सिफारिशें	Recommendations of Committee appointed to reduce Overhead Charges of FCI .	30
10.	मूल्यों में वृद्वि के बावजूद दिल्ली में डबल रोटी की कमी	Shortage of Bread in Delhi despite increase in prices	31

अता०प्र०संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
11.	दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पुरानी चयन समिति का विघटन	Scraping of old selection committee by University of Delhi	31
12.	भारतीय बनस्पति निर्यात संघ द्वारा वनस्पति तेल की कीमतों में वृद्धि करने की मांग	Demand for increase in price of Vegetable Oil by Vanaspati Manufacturers Association of India	31-32
13.	सरकारी कर्मचारियों को ऋण दिया जाना पुनः आरम्भ करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण का अनुरोध	D.D.A.'s request for Resumption of Loans to Government employees	32
14.	खाद्य नीति का पुनर्विलोकन	Review of Fod Policy	32
15.	बन्दरगाहों पर उर्वरक जमा हो जाना	Accumulation of Fertilisers at ports .	32-33
16.	उर्वरकों का मूल्य, आवश्यकता और सप्लाई	Price, Requirement and Supply of Fertiliser	33-34
17.	स्वीडन की सहायता से जहाज निर्माण उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Shipbuilding Industry with Swedish Assistance	34
18.	जून, 1974 तक और गत वर्ष की इसी अवधि में गेहूं की वसूली	Procurement of wheat till June, 1974 and Corresponding period last year . .	34-35
19.	बड़े पैमाने पर गृह-निर्माण कार्यक्रम आरम्भ करने के लिये दिल्ली प्रशासन को जीवन बीमा निगम का आश्वासन	L.I.C. Assurance to Delhi Administration for massive house construction programme	35
20.	दिल्ली विश्वविद्यालय में सेलेक्शन ग्रेड का समाप्त किया जाना	Abolition of selection grade in Delhi University.	35
21.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये अन्न की सप्लाई में कमी करने का प्रस्ताव	P ιposal for Reduction in Commitment of Foodgrains for Public Distribution System	36

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
22.	दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड दिल्ली के सदस्यों से शपथ-पत्र मांगा जाना	Call for Affidavits from Members of Delhi School Teachers Cooperative House Building Society Ltd., Delhi.	36-37
23.	दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के सदस्यों द्वारा शपथपत्र दिये जाने के संबंध में शिकायतें	Complaints regarding filling of Affidavits by Members of Delhi School Teachers Co-operative House Building Society Ltd.	37
24.	चालू वित्तीय वर्षों में बिहार को खाद्यान्न का आवंटन	Allotment of Foodgrains to Bihar during Current Financial Year	37-38
25.	निश्चित मुल्य से अधिक मूल्य पर गेहूं बेचने के कारण गिरफ्तार व्यक्ति	Persons Arrested for Sale of Wheat beyond Fixed price	38
26.	सांस्कृतिक आदान-प्रदान संबंधी भारत-अर्जनटाइना करार	Indo-Argentina Agreement on Cultural Exchange	38
27.	चम्बल पुल के गिर जाने के कारण	Causes of Collapse of Chambal Bridge	38-39
28.	कपास, दालों, तम्बाकु, चावल और गेहूं की खेती के अधीन भूमि	Land Under Cultivation of Cotton, Pulses, Tobacco Rice and Wheat	39
29.	वर्ष 1973 और 1974 के दौरान खाद्य तेल के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Price of Edible oil during 1973 and 1974	39-40
30.	नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा स्वास्थ्य प्रद लंच पैकेट की व्यवस्था	Provision of wholesome lunch packet by New Delhi Municipal Committee	41
31.	दिल्ली में उचित दर की दुकानों के माध्यम से आयकर अदा न करने वाले व्यक्तियों को खाद्यान्न का वितरण	Distribution of foodgrains to Non-Income Tax Payers through Fair price Shops in Delhi.	41
32.	खाद्यान्नों की वसूली और वितरण	Procurement and distribution of Foodgrains	41-42

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	PAGE

33. गेहूं का न्यूनतम मूल्य निर्धारित न किया जाना	Non-Fixation of floor price of wheat .	42
34. वनस्पति के लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने के लिए प्रस्ताव	Proposal for Removal of Restrictions on Movement of Vanaspati	42 43
35. दिल्ली विकास प्राधिकरण की विवेकानन्द पुरी बस्ती में जनता के लिए निर्धारित भूमि का दुरुपयोग	Misuse of land Earmarked for public in Vivekanandpuri, a DDA Colony. . .	43
36. वर्ष 1978 में आयोजित की जाने वाली एशिया खेलों के लिए धनराशि दिये जाने हेतु इंडियन ओलम्पिक एसोशियेशन का अनुरोध	Indian Olympic Association request for Grants for Asian Games to be held in 1978.	43-44
37. टाउन एण्ड कंट्रीप्लानिंग आर्गेनाइज़ेशन द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाएं	Projects taken up by the Town and Country Planning Organisation..	44-45
38. टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइज़ेशन के कर्मचारियों को मानदेय	Honorarium to Employees of the Town & Country Planning Organisation. . .	45
39. विशाखापत्तनम से गेहूं ला रहे माल-डिब्बों से पटना में गेहूं उतार लिया जाना	Wagons carrying Wheat from Visakhapatnam unloaded at Patna.	45-46
40. बिड़ला इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नालाजी एण्ड साइंस पिलानी के नियमों में संशोधन के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति	Central Government Approval to Amendment of Rules of Birla Institute of Technology and Science, Pilani.	46
41. दिल्ली परिवहन निगम की "ग्रीन लाइन सर्विस"	"Green Line Service" of DTC	46-47
42. दिल्ली में निजी बेकरी द्वारा डबल रोटी का उत्पादन बन्द कर देने की धमकी	Threat by Private Bakery in Delhi to stop production of Bread	47
43. भारत में वनस्पति कारखानों का बन्द होना	Closure of Vanaspati Factories in India. .	47
44. अतिरिक्त राशन के लिए केरल का अनुरोध	Request from Kerala for Additional Ration .	48

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
45.	दिल्ली विश्वविद्यालय की 'ट्यूटोरियल' तथा 'प्रेसप्टोरियल' शिक्षण योजनाओं को वापिस लेना	Withdrawal of Tutorial and Preceptorial Teaching Schemes in Delhi University .	48
46.	जनवरी से मई, 1974 तक वनस्पति का उत्पादन तथा मांग	Demand and Production of Vanaspati from January to May, 1974	48-49
47.	वनस्पति बनाने वाले कारखानों को आयातित तेल की सप्लाई बन्द करना	Stoppage of Supply of Imported Oil to Vanaspati Manufacture Units. . . .	49
48.	नई दिल्ली की मोतीनगर के 'बी' ब्लाक में पानी की सप्लाई	Water Supply in 'B' Block of Moti Nagar New Delhi.	49-50
49.	वायुयानों द्वारा दवाइयों का छिड़काव करने वाली कम्पनियों के साथ छिड़काव की दरों के बारे में विवाद	Disputes with Aerial Spraying Companies on Spraying Charges	50
50.	सेनेगाल तथा भारत के बीच सांस्कृतिक करार	Cultural Pact between Senegal and India .	50-51
51.	ग्रामीण आवास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for Rural Housing	51-52
52.	पंजाब और हरियाणा में अनाज का वायदा बाजार	Forward Trading in Foodgrains in Punjab and Haryana	52
53.	राजस्थान में नये विश्वविद्यालय खोलने की मांग	Demand for opening of New University in Rajasthan.	52-53
54.	अदरक की खेती में सुधार	Improvement in Cultivation of Ginger .	53
55.	महानगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वालों की संख्या	Number of slum Dwellers in Metropolitan Cities.	53
56.	गलत हलफनामों द्वारा दिल्ली में भूमि हड़पना	Land Grab in Delhi through false Affidavits .	54
57.	मई, 1974 के दौरान रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in price of Chemical Fertiliser during May, 1974	54-55
58.	जनसंघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा सारे देश को एक खाद्य क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव	Proposal from Central Executive Committee of Jan Sangh for one Food Zone for entire country	55

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
59.	आफसेट "छपाई में प्रशिक्षण सुविधाएं"	Training facilities in Offset Printing . .	55-56
60.	त्रिपुरा में वन संसाधनों का विकास	Development of Forest Resources in Tripura .	56
61.	त्रिपुरा में बम्पिग सेटों के क्रय के लिए नियत धनराशि का दुरुपयोग	Misuse of funds meant for purchase of pumping sets in Tripura	56-57
62.	अप्रैल–जून, 1974 के दौरान गुजरात की खाद्यान्न की मांग और उसकी पूर्ति	Demand and supply of foodgrains to Gujarat during April-June, 1974 . . .	57
63.	गुजरात में बनाए गए कर्मचारियों के क्वार्टर	Staff quarters constructed in Gujarat . .	57-58
64.	गुजरात में 'पोल्ट्री' उत्पादन एवं–विपणन केन्द्र	Intensive poultry production cum-Marketing Centre in Gujarat	58
65.	दिल्ली में मई, 1974 के दौरान गेहूं के व्यापार का ठप्प होना और गेहूं के मूल्य में वृद्धि	Wheat trade standstill in Delhi during May, 1974 and rise in its price . . .	59
66.	दिल्ली में वनस्पति की कमी	Shortage of Vanaspati in Delhi . . .	59
67.	पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थित	Food position in West Bengal . . .	60
68.	पश्चिम बंगाल को बहुल्य वाले राज्य से चावल खरीदने की अनुमति	Permission to West Bengal to pruchase rice from Surplus States	60-61
69.	वनस्पति के संशोधित मूल्य	Revised rates of Vanaspati . . .	61-62
70.	खाद्यन्नों के अंतर्राज्यीज आवागमन पर से प्रतिबन्ध हटाने का उनके मूल्यों और उपलब्धता पर प्रभाव	Impact on prices and availability of food[illegible]ins after removal of restrictions on inter Stat[illegible] [illegible]ts	62
71.	कलकत्ता में कूड़े–कचरे से कम्पोस्ट खाद बनाना	Manufacture of compost from garbage in Calcutta	62-63
72.	मध्य प्रदेश के नये जिलों को सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लेना	Inclusion of new Districts of Madhya Pradesh under Drought prone area programme .	63
73.	राज्यों में वनरोपण	Afforestations in States	63

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. No.	SUBJECT	PAGE
74. दिल्ली विश्वविद्यालय और गैर–अध्यापन कर्मचारियों के बीच विवाद	Dispute between Delhi University and its non-teaching Staff	63-64
75. बिहार में ग्रामीण आवास कार्यक्रम हेतु बिहार सरकार को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for rural housing in Bihar	64-65
76. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज अध्यापक एसोशियेशन महासंघ की मांगें	Demands made by Federation of Regional Engineering College Teacher's Association	65
77. सुपर बाजार, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में गबन	Defalcation in Super Bazar Connaught Place, New Delhi.	65-69
78. दिल्ली में विभिन्न गृह निर्माण, समितियों के भूमि हथियाने वाले शपथ पत्रों के विरूद्ध जांच के लिए समिति	Committee to examine land grab affidavits against various Housing Societies in Delhi .	66
79. राष्ट्रीय आवास नीति	National Housing Policy	66-67
80. प्रत्येक राज्य में गेहुं, आटा, धान, और चावल का मूल्य	Price of Wheat, Atta, Paddy and Rice in each State	67
81. खाद्यन्नों, खाद्य तेलों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने की कार्यवाही	Steps to check price rise in Foodgrains, Edible oil and Essential Commodities . .	67-68
82. फसल के रोगों के कारण गन्ने की फसल को हानि	Loss to Sugarcane due to crop disease .	68
83. गेहुं और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए बिहार का अनुरोध	Request from Bihar for wheat and other Essential Commodities	69
84. भूमि उपयोग बोर्ड	Land use Boards	69
85. श्री लंका में ढोर और भेड़ पालन विकास केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up Cattle and Sheep Breeding Development Centres in Sri Lanka .	69-70
86. संसदीय सौध के निर्माण पर व्यय	Expenditure on construction of Sansdiya Soudha	70
87. बाजार में गेहुं के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of wheat in the Market .	71
88. किसानों और व्यापारियों से वसूल की गई गेहुं	Wheat procured from Farmers and Traders .	71

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. No.	SUBJECT	PAGE
89. मूंगफली का उत्पादन	Groundnut production	72
90. गुजरात में सूखा–राहतकार्य	Drought relief work in Gujarat . . .	72-73
91. वनस्पति घी के टीन के डिब्बों के लिए अतिरिक्त वसूली	Extra charges for tin container of Vanaspati .	73
92. मई, 1974 के दौरान दिल्ली में खाद्य मंत्रियों की बैठक	Meeting of Food Ministers in Delhi during May, 1974	73
93. दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डे के लिए ठेके	Contracts for Inter State Bus Terminal, Delhi.	74
94. गन्ने की पिराई के मौसम के दौरान चीनी मिलों द्वारा गन्ने के बकाया की अदायगी	Payment of Sugarcane arrears by Sugar Mills during current crushing season . .	74-75
95. केन्द्रीय क्षेत्र में सड़क विकास कार्यक्रम में रुकावट	Set back in Road Development programme in the Central Sector	75
96. दिल्ली वृहद योजना का प्रस्तावित पुनरीक्षण	Proposed revision of Master Plan for Delhi .	75
97. दिल्ली में उचित दर की दुकानों के मालिक द्वारा कमीशन में वृद्धि की मांग	Demand for increase in commission by Fair Price Shop owners in Delhi . . .	76
98. 'वराह लक्ष्मी' बिनौला का प्रोत्साहन	Encouragement to Varalakshmi Cotton Seed	76-77
99. राज्यों को रासायनिक उर्वरकों की सप्लाई में विषमता	Imbalance in supply of Chemicals Fertiliser to States	77
100. स्टेपल काटन की 'सुजाता' 'एक्सट्रा लोंग किस्म की बुवाई के अन्तर्गत भूमि और उसका उत्पादन	Acreage and production of Sujata extra long variety of staple cotton	77-78
101. पशु पालन और दुग्ध आयुक्तों का सम्मेलन	Conference of Animal Husbandry and Milk commissioners	78
102. दिल्ली में ड्राइंग अध्यापकों के संवर्ग में परिवर्तन	Change in cadre of Drawing Teachers in Delhi	79
103. तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किये गये दिल्ली के अध्यापकों के वेतन मान	Delhi Teacher's Pay Scales as Recommended by Third Pay Commission	79

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
104.	वनस्पति की कमी को दूर करने के लिये इस पर मूल्य नियंत्रण समाप्त करना	Lifting of price control on Vanaspati to ease scarcity	79-80
105.	बम्बई में वेश्यावृत्ति	Prostitution in Bombay	80
106.	15 जून, 1973 और 15 जून, 1974 को गेहूं का विक्रय मूल्य	Issue of price of wheat as on 15th June, 1973 and 1974	80-82
107.	15 जून, 1973 और 15 जून, 1974 तक गेहूं की वसूली कमी का पूरा किया जाना	Procurement of wheat as on 15th June, 1973 and 1974 make up of shortfall	82-83
108.	वनस्पति निर्माता उद्योग द्वारा वनस्पति के मूल्य में वृद्धि की मांग	Demand for increase in price of Vanaspati by Vanaspati Manufacturing Industry	83-84
109.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित गेहूं का ऊपरी खर्च	Handling charges of wheat fixed by FCI	84
110.	भारतीय खाद्य निगम के चेयरमन के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Chairman of FCI	84
111.	दिल्ली में सरकार द्वारा नियंत्रित वनस्पति मिलों के डिब्बों में वनस्पति की मात्रा का कम होना	Less quantity of Vanaspati in Tins of Government Controlled Mills of Vanaspati in Delhi	85
112.	दिल्ली में डबल रोटी की कमी को दूर करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था	Alternative arrangements to meet shortage of Bread in Delhi	85
113.	पंजाब में उर्वरक अपमिश्रण संबंधी जांच प्रतिवेदन	Enquiry Report on Adulteration of Fertiliser in Punjab	85-86
114.	दिल्ली में सरकारी स्कूलों में तदर्थ आधार पर काम कर रहे अध्यापक	Teachers working on ad hoc basis in Government Schools in Delhi	86
115.	इन्द्रप्रस्थ में दिल्ली विकास प्राधिकरण के नये भवन का निर्माण	Construction of New DDA building in Indraprastha	87
116.	दिल्ली परिवहन निगम की सुगम सेवा तथा मुद्रिका सेवा के अन्तर्गत बसों का रख-रखाव	Maintenance of Buses under 'Sugam Seva' and "Mudrika Seva" of DTC	87

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
117.	कर्नाटक को गेहूं, चीनी और वनस्पति की सप्लाई	Supply of Wheat, Sugar and Vanaspati to Karnatka	87-89
118.	पत्तन निदेशक, अहमदाबाद के अधीन आयात और निर्यात किए गए माल का टन भार	Tonnage of Import and export Cargo handled by the director of ports, Ahmedabad .	89
119.	गुजरात में अभाव की स्थिति दूर करने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Rural Development programme to check Scarcity in Gujarat	89-90
120.	न्यू फ्रेन्ड्स हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी नई दिल्ली की जांच (विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा भूमि हथियाए जाने का मामला)	Enquiry into VIP land Grab of New Friends Housing Cooperative Society, New Delhi	90
121.	कम उत्पादन वाले राज्यों में गेहूं के मूल्य निर्धारित करना	Fixation of wheat prices in deficit states	90-91
122.	गुजरात में मुख्य लोक निर्माण कार्यों के लिए निर्माण निगम स्थापित करना	Setting up of construction corporation for Major public works in Gujarat . .	91-92
123.	वनस्पति से नियंत्रण हटाना	Decontrolling of Vanaspati . .	92 93
124.	केरल में नौवहन निगम स्थापित करने हेतु केन्द्र से वित्तीय सहायता	Central Financial Assistance for Setting up of a Shipping corporation in Kerala .	93
125.	देश में दूध की प्रति व्यक्ति औसत खपत	Per Capita Average Consumption of Milk in the country	93-94
126.	नेपाल से खाद्यान्न का आयात	Import of Foodgrains from Nepal .	94
127.	गैर-सरकारी क्षेत्र में वनस्पति का उत्पादन करने वाले एककों के बन्द रहने के कारण उन पर कार्यवाही	Action taken against Vanaspati Manufacturing Units in Private Sector for their closure	94
128.	वनस्पति के मूल्यों बढ़ाने के लिए दबाव डालने हेतु, वनस्पति के कारखानों का बन्द किया जाना	Closure of Vanaspati Manufacturing Units to pressurise increase in Vanaspati products price	95

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
129.	वर्ष 1974–75 में केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना	Opening of Central Schools in 1974-75 .	95—97
130.	स्नातकोत्तर अध्ययन अनुसंधान के लिए वृत्तिकाओं/छात्रवृत्तियों में वृद्धि के लिए अभ्यावेदन	Representation for increase in value of Scholarships/Stipends to students for Post Graduate Study Research .	97
131.	पंजाब विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जाना	Handing over of Punjab University to Central Government	97
132.	राज्यों में त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन	Implementation of Three Language Formula in States	98
133.	केरल में नये राष्ट्रीय राजपथ	New National Highways in Kerala . .	98
134.	बहराइच, उत्तर प्रदेश में छोटें किसानों के लिए परियोजना	Project for marginal farmers in Baharaich, U. P.	98-99
135.	उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भूमिगत जल	Underground water in District Baharaich Uttar Pradesh	99
136.	उड़ीसा के किसानों को खरीफ की फसल के लिए उर्वरकों एवं बीजों की सप्लाई की व्यवस्था	Arrangement for supply of fertilisers and seeds to Farmers of Orissa for Kharif Crop .	99
137.	अधिक उपज वाले राज्यों द्वारा अनाज की मांग की पूर्ति के लिए सहयोग	Co-operation by Surplus States to meet Food-grains Demand	100
138.	सफदरजंग पुल के टूट जाने के बारे में रिपोर्ट	Reports on Collapse of Safdarjung Flyover .	100-101
139.	दिल्ली में साक्षरता में वृद्धि करने के लिए की गई कार्यवाही	Steps to boost Literacy in Delhi	101
140.	जनवरी, 1973 से जुन, 1974 तक गेहूं की वसूलीं और लेवी	Procurement and levy of wheat from January, 1973 to June, 1974	101-102
141.	युगोस्लाविया से जहाजों की खरीद	Purchase of ships from Yugoslavia .	103-104
142.	केरल में सड़क योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	Central assistance for road schemes in Kerala	104

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	PAGE
143.	केरल में शारीरिक शिक्षा संस्थान	Physical Education Institutions, Kerala	105
144.	केरल को कृषि और लघु सिंचाई के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Aid to Kerala for Agriculture and Minor Irrigation	105
145.	उत्तर प्रदेश को चीनी उद्योग के विकास के लिए केन्द्र द्वारा सहायता	Help by Centre to U. P. to Develop Sugar Industry	105
146.	राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक कर्मचारी आवास योजना के अन्तर्गत आवासों के आवंटन के नियमों में संशोधन	Revised rules for allotment of Houses under the subsidised Industrial Workers Housing	105-106
147.	बिहार के किसानों को खरीफ की फसल के लिये उर्वरकों एवं बीजों की सप्लाई की व्यवस्था	Arrangement for supply of Fertiliser and Seeds to Farmers to Bihar for Kharif Crop	106
148.	दिल्ली में कृषि संग्रहालय की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन	Allotment of land for setting up of an Agricultural Museum in Delhi . . .	106-107
150.	सहकारी आवास के लिए किराये के रूप में भुगतान की जा रही उपलब्धियों की प्रतिशतता	Percentage of Emoluments paid as Rent for Government Accommodation , .	107
151.	शिक्षा नीति में मूलभूत परिवर्तन	Structural Changes in Education Policy .	107-108
152.	उत्पादन और वसूली की वैकल्पिक योजनाए	Alternative plans for production and procurement	108
153.	हरदयोल को गए भारत-न्यूजीलैण्ड महिला पर्वतारोही दल को दी गई सहायता	Assistance given to Indo-Newzealand Women's Expedition to Hardeol	108-109
154.	प्रौढ़ निरक्षता	Adult Illiteracy . .	109
155.	विभिन्न विश्वविद्यालयों में रोजगार-प्रधान पाठ्यक्रम आरम्भ करना	Opening of job-oriented courses in various Universities	109-110
156.	जनवरी--अप्रैल, 1974 के दौरान बिहार को खाद्यान्नों का आवंटन	Allocation of Foodgrains to Bihar during January—April, 1974 . . .	110-111

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
157.	ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्नों में वितरण	Distribution of Foodgrains in Rural Areas	111
158.	फूलपुर, उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्र की लागत तथा क्षमता	Cost and Capacity of Fertiliser plant at Phulpur, U. P.	111
159.	तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड का कार्यकरण	Functioning of Taraqqi-e-Urdu Board .	112
160.	"कल्याण सोन" गेहूं के बीजों का निर्यात	Export of Kalyan Sona Wheat Seed .	112-113
161.	तिलहन और तेल निगमों की स्थापना	Setting up of Oil Seeds and Oil Corporations .	113
162.	छोटे किसानों के लिए दुग्ध उत्पादन हेतु गाय तथा भैंसों के पालन की योजना	Scheme of small farmers for Rearing of Cows and Buffaloes for Milk Production .	113
163.	बिहार में नदी के कटाव से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 को उत्पन्न हुआ खतरा	Danger to National Highway 31 due to River Erosion in Bihar	114
164.	बिहार को मई–अगस्त, 1974 में खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Bihar during May--August, 1974	114
165.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खड्गपुर में कार्मिक सलाहकार के रूप में डा० ए० एम० शर्मा की नियुक्ति	Appointment of Dr. A. M. Sharma as Personnel Adviser in IIT Kharagpur . .	114-115
166.	हल्दिया पत्तन में शिपयार्ड की स्थापना	Setting up of Shipyard at Haldia port .	115
167.	जिमखाना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड्गपुर के लेखों में वित्तीय अनियमिततायें	Financial irregularities in Accounts of Gymkhana IIT Kharagpur . .	115-116
168.	कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित समिति	U. G. C.'s Committee on Calcutta University	116
169.	दिल्ली में पी० जी० टी० ग्रेड में कार्य कर रहे टी० जी० टी० अध्यापकों को सलेक्शन ग्रेड से वंचित रखना	Denial of Selection Grade to TGT's officiating in PGT Grade in Delhi . .	117
170.	उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से चावल का गायब होना	Rice missing from FCI Godowns, Orissa	117

1743(ai) LS

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
171.	पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों द्वारा दिल्ली में कब्जा की गई भूमि/अहातों का आवंटन।	Allotment of Land/Premises Occupied by Refugees in Delhi from West Pakistan . .	117-118
172.	कमी वाले राज्यों पर गेहूं सम्बन्धी नई नीति का प्रभाव	Effect of new Wheat Policy on Deficit States	118
173.	फालतू गेहूं वाले राज्यों को राज्य स्तर पर अपने आरक्षित भंडार बनाने की अनुमति	Permission by Wheat Sunplus States to Build up their provincial Reserves . . .	118
174.	रबी की फालतू पैदावार वाले राज्यों को कमी वाले राज्यों के लिए शीघ्र खाद्यान्न भेजने का निदेश	Direction to Surplus Rabi States to Accelerate Movement of Foodgrains to Deficit States	119
175.	अधिक अन्न उपजाओ अभियान के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री का सुझाव	Suggestion of U. P. Chief Minister on Grow More Food Campaign . . .	119
176.	इंडिया आफिस लायब्रेरी का अधिग्रहण	Acquisition of India Office Library . .	119-120
177,	रोजगार प्रधान शिक्षा	Job Oriented Education	120
178.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जम्मू तथा कश्मीर मंडल का उत्तर–पश्चिम मंडल के साथ विलय	Merger of J & K Circle of Archaeological Survey of India with North Western Circle	120-121
179.	वनस्पति तेलों की मांग पूरी करने के लिए की गई कार्यवाही	Steps taken to meet the Demand of Vegetable Oils	121
180.	राष्ट्रमंडलीय तथा राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों के लिए चयन	Selection for Commonwealth and National Scholarships	121-122
181.	नई दिल्ली में पंजीकृत अथवा अपंजीकृत एसोशियेशनों को सरकारी क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Government Quarters to Registered or Unregistered Associations in New Delhi	122-123
182.	भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि दिलाने के लिए प्रत्येक राज्य को अनुदान	Grant to each State for Acquisition of Sites for people who do not own sites . . .	123-124
183.	कोचीन शिपयार्ड	Cochin Shipyard	124-125
184.	थोक व्यापारियों द्वारा वनस्पति घी की जमाखोरी	Hoarding of Vanaspati by wholesalers	125

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
186.	छोटे किसानों को रियायती दर पर उर्वरक की सप्लाई	Supply of Fertiliser to small Farmers at Subsidised Rate	125-126
187.	आयातित उर्वरकों के लिए भंडार स्थान	Storage points for imported fertilisers . .	126
188.	पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलना	Conversion of patna University into Cantral University	127
189.	मद्यशाला के लिए कीटयुक्त आस्ट्रेलियाई पौधों के मंगाये जाने के बारे में जांच	Enquiry into Australian Worms Imported for Brewer	127
190.	मैदा उपलब्ध न होने के कारण ब्रिटेनिया ब्रैड की कमी	Shortage of Britannia Bread to Non Availability of Maida	128
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Adjournment Motion . . .	128-129
	सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	129-138
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of Urgent public Importance	138-147
	देश में चेचक के प्रकोप का समाचार	Reported Small pox Epidemic in the conutry	138-143
	भूमि गत आणविक विस्फोट परीक्षण के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Underground Nuclear Explosion Experiment	
	श्रीमती इदिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	143-146
	भूमि के सीमांकन के बारे में भारत और बंगलादेश के बीच हुए समझौते के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Agreement on Boundary Demarcation between India and Bangladesh	
	श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	147
	विशेषाधिकार समिति—	Committee of Privileges—	
	प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report .	147-148
	मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव	Motion of No Confidence in the council of Ministers	148-150
	मुख्य पत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Major port Trusts (Amendment) Bill—*Introduced* . .	150

तेल उद्योग (विकास) विधेयक–पुरः स्थापित	Oil Industry (Development) Bill—*Introduced*	151-156
नियम 377 के अधीन मामला	Matter Under Rule 377	157
कम्पनी (लाभांश पर अस्थायी प्रतिबंध) अध्यादेश, 1974 का भेद खुल जाने का समाचार	Reported leakage of Companies (Temporary Restrictions on Dividends) Ordinance, 1974	157-158
कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) विधेयक—	Coal Mines (Conservation and Development) Bill—	158
खंड 5 से 19 और खंड 1	Clauses 5 to 19 and Clause 1	158-161
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	158-161
श्री के० जी० मालवीय	Shri K. D. Malaviya	161
श्री हुक्म चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai . . .	161
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena	162
अनुदानों की मांगें (गुजरात), 1974–75	Demands for Grants (Gujarat) 1974-75 .	162-173
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya . . .	167
डा० महिपतराय मेहता	Dr. Mahipatray Mehta . . .	168
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan . . .	169
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K. S. Chavda	169
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	169-170
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	170-171
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	172
श्री झारखंडे राय	Shri Jharkhande Rai	172
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	172-173
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	173
सभा का कार्य–	Business of the House—	174
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah . . .	174
सभा पटल पर रखे गये पत्र–जारी	Papers Laid on the Table-Contd. .	174

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री कृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडाला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहाड़गा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनम्बी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेन् (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्णीसिंह, डॉ० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरूचिरापल्ली)
कलिंगारायर, श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एम० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)
कांबले, श्री टी० डी० (लातूर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री बी० आर० (नाशिक)
काहनडोल, श्री जैड० एम० (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)

केवीचुसा, श्री ए० (नागालैण्ड)
कोन्नाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन्, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन्, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णान्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार) द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नन्दुरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरौना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरूण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालकाट)
गोमांगो, श्री गिरीधर (कोरापुट)
गोयेन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गौहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा बीरबासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चावला, श्री अमरनाथ (दिल्ली सदर)
चिक्कलिंगय्या, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (निरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमरनाथ सिंह (मांडली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बराहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भरत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलूर्रमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री बरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहानपुर)
जूल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एम० (पीरमाडे)
जोअारदार, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चोक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जायनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुंझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (अन्तिरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बासबाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री बी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री दी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम्)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणी, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सरसा)
दलीप सिंह (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री रेणुपद (कृषनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैराम्बलूर)
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमति रोजा (बम्बई मध्य)

देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नगेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मराज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनंत प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जाम्बूमूबंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पजनौर, श्री अरबिन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली, (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम (ढंढका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभूदास (डाभोई)
पटेल, श्री रामूभाई (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पलोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाडिया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडे, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई होओकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० बी० विख (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एम० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धुलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण (चन्द हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल, (सुरेन्द्र नगर)
पार्थसारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्णन् (मावलिकारा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधान, श्री के० (नौसरंग पुर)
प्रबोध चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मुकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हमेन्द्र सिंह, (भीलवाड़ी)
बड़े, श्री आर० पी० (खारगोन)
बरूआ, श्री बेदब्रद (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बालूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमातारी, श्री डी० (कोकराझार)
वाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन श्री के० (अम्बलपुझा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अलमोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकारलाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द, जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतन लाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबद)
भट्टाचर्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भाट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीनराव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री मानसिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोंडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री कमल मिश्र (केसरिया)
मनोहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महाता, श्री देवेन्द्र नाथ (पुरूलिया)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चिदाम्बरन)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री एल० एन० (दरभंगा)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाडा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मरुगनतम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुर्मु, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेनन, श्री वी० के० कृष्ण (त्रिवेन्द्रम)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्री किशन (सीकर)
मोहन स्वरूप श्री (पीलीभीत)

मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदाबक्श श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ, श्री (सिवान्)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदांयू)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिंधी)
रवि, श्री, बायलार (चिरयिकील)
राउत श्री, भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह. श्री (जौनपुर)
राजू श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उमद सिंह (रायगढ़)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाकृष्णन्, श्री एस० (कुडलूर)
रामकंवर, श्री (टोंक)
रामजी राम. श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (राम टेक)
रामेशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (रार्बटसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राम, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० वी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकानाडा)
रिछारिया, डा० गोविंददास (झांसी)
रुद्र प्रतापसिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई, ईश्वर० (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोडा रानी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी श्री पी० नरसिन्हा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० बी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायलगूड़ा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लोर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)

लक्ष्मीनारायणन् श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर, बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी भाई, श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफल हक श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नबादा)
वर्मा श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा श्री बाल गोविन्द (खेरी)
बाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकर श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुछुकोर्टे)
वैंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वैंकटासुबय्या, श्री पी० (नन्दयाल)
वैकारिया, श्री (जूनागगढ़)

श

शंकर देव, श्री (वीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शंकर दयाल सिंह (चतरा)
शफरत जग श्री (कराना)
शफी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगज)
शास्त्री, श्री राजाराम (बाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुंझनू)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर (बहराइच)
शुक्ल श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एम० (तिरुचेंडर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्कादीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सेक्सैना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द (ढेकानाल)
सत्यानारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम्)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलिभाना श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालसौर)
साठे, श्री बसन्त (अकोला)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन श्री पी० ए० (गोबीच टिट्पलयम)
साल्व, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्रि श्याम, श्रीमति (आवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णूपूर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सज० एम० (मयूरभंज)

सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री नवल किशोर (मुज्फरपुर)
सिन्हा, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्यन्द नारायण (औरगांबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री शिवनाथ प्रताप (फूलपूर)
सिद्धय्या श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नलान्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव(गुना)
सिंधिया, श्रीमति बी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम्, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम्, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावेल, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल, सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकारा, श्री इराज्मूद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेठ, श्री इब्राहीम, सुलेमान (ककौजीकांड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सैन, श्री रोबिन(आसरसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, श्री स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दर, श्री एस० डी० (थंजाबूर)
सोलंकी, श्री सोम चंद (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (क़रोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एस० (मुक्तुपुज़ा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंदर)
स्वामीनाथ, श्री आर० बी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पाल)
स्वैल, श्री जी० के० (स्वायत्तशासी जिला)

ह

हसदा, श्री सुबोध (मिदानापुर)
हनुमन्तया, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुजौ)
हाजरा, श्री मनोरजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुमर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द, (औसग्राम)
हाशिम श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हूडा, श्री नरूल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एस० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० सी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री वसंत साठे

डा० हेनरी आस्टिन

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी

श्री नवल किशोर सिंह

मौलाना इसहाक सम्भली

श्री जगन्नाथ राव जोशी

महासचिव

श्री श्याम लाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी

वित्त मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
रक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
विदेश मंत्री . . .	श्री स्वर्ण सिंह
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री . .	श्री देवकान्त बरुआ
योजना मंत्री	श्री डी० पी० धर
गृह मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री . .	श्री एच० आर० गोखले
इस्पात और खान मंत्री . . .	श्री के० डी० मालवीय
रेल मंत्री	श्री ललित नारायण मिश्र
भारी उद्योग मंत्री . . .	श्री टी० ए० पाई
संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री . . .	श्री राज बहादुर
संचार मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
निर्माण और आवास मंत्री . .	श्री भोला पासवान शास्त्री
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नौवहन और परिवहन मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्री नीतिराज सिंह चौधरी
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मोहन धारिया
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्री शाहनवाज खां
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री .	डा० श्रीमती सरोजनी महिषी
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मोर्य
संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री .	श्री ओम मेहता
गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री .	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री .	प्रो० एस० नुरुल हसन

सिंचाई और विद्युत मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० बी० राना
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री	प्रो० शेर सिंह
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

उप-मंत्री

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदब्रत बरुआ
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री कोंडाजी बासप्पा
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुबोध हंसदा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० किस्कु
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविंद नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वैंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बालगोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

खण्ड 41, पांचवीं लोक-सभा के ग्यारहवें सत्र का पहला दिन, अंक 1

लोक–सभा

LOK SABHA

सोमवार, 22 जुलाई, 1974/31 आषाढ़, 1896 (शक)

Monday, July 22, 1974/Asadha 31, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair.*]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

Members Sworn

श्री राम दयाल (बिजनौर)

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहबाद)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

Obituary Reference

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण आज हम दो महीने के अन्तराल उपरान्त मिल रहे हैं और इस अवसर पर मुझे सदन को बड़े खेद से सर्वश्री डा० सेठ गोविन्द दास, मौलवी अब्दुल वाजिद, ज्वाला प्रसाद शर्मा, के० वी० सहाय, ज्ञानी करतार सिंह, प्रेमजी भाई आर० आसाक, आर० वेलायुधन और गोस्वामी राजा सहदेव भारती के दुखद निधन की सूचना देनी है ।

जैसाकि आप सब जानते हैं डा० सेठ गोविन्द दास वर्तमान लोक-सभा के सदस्य थे । वह मध्य प्रदेश के जबलपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे । वह इस सदन के सबसे पुराने सदस्य थे । वर्ष 1923 में वह केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य बने, वर्ष 1925 में वह राज्य परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए तथा 1929 तक उसके सदस्य बने रहे । 1934 में पुनः

वह केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य बनाए गये तथा वर्ष 1945 तक वह इस सभा के सदस्य रहे। वह 1946 से 1952 तक संविधान सभा और अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे। तत्पश्चात 1950 में वह पहली लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और तब से लेकर अन्त तक वह सभी लोक सभाओं के सदस्य रहे। वह इस सदन के जनक के रूप में जाने जाते थे। इसलिये 1957, 1962, 1967 और 1971 के सामान्य निर्वाचनों के उपरान्त जब दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी लोक सभा (समेवत) हुई तो सेठ गोविन्द दास को चार बार सामयिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान उन्होंने सभा की अध्यक्षता की और नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य भी किया। वह पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे। 1920 में वह असहयोग आन्दोलन में शामिल हुए। उन्होंने पांच बार लगभग 8 वर्ष की अवधि के लिये कारावास का दंड भोगा। वह एक सच्चे देशभक्त और जाने माने विद्वान थे। उन्होंने उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व किया जो कि देश की स्वतंत्रता के लिये लड़ी। उनका संबंध एक सुपरिचित परिवार से था। वह अपनी विद्वत्ता तथा संस्कृत और हिन्दी के प्रसार तथा समृद्धि में योगदान देने के लिये प्रख्यात थे। सदन में केवल वह उन्हीं विषयों तथा उन्हीं बातों के हित में बोले जोकि उन्हें हृदय से प्रिय थे। उनके भाषण प्रबल तर्क, उत्साह और उद्देश्य की सत्यनिष्ठा से परिपूर्ण होते थे। लेखक होने के नीति उन्होंने हिंदी साहित्य में अद्वितीय योग-दान दिया। 1961 में उन्हें पदम भूषण पुरस्कार दिया गया। संसद्विज्ञ होने के नाते आधी शताब्दी तक उन्होंने अपनी योग्यता, सच्चरित्रता, विश्वास द्वारा देश के संसदीय प्रजातंत्र के विकास में योगदान दिया। हाल ही में हमने उन्हें केन्द्रीय कक्ष में उनको केन्द्रीय विधान सभा में अपनी सेवाओं के 50 वर्ष पूरे करने पर स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर सम्मानित किया तथा उन्हें उनकी सेवाओं की स्मृति में एक फलक भी भेंट किया।

अपने लम्बे संसदीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई समितियों और प्रतिनिधिमंडलों में भाग लिया। 1950 में उन्होंने न्यूजीलैंड में हुए राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और 1952 में उन्होंने कनाडा में हुए राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनका देहान्त बम्बई में 18 जून, 1974 को 78 वर्ष की आयु में हो गया। उनके निधन से देश ने एक पुराना संसद्विज्ञ और हिन्दी का प्रबल समर्थक जन हितैषी और स्वतंत्रता संग्राम की एक ज्योति को खो दिया है।

मौलवी अब्दुल वाजिद जिनका निधन बरेली में 15 मई, 1974 को हुआ 1938-41 के दौरान केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे। 1941 में उनको स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के लिये कारावास दिया गया। स्वतंत्रता उपरान्त वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के काफी वर्षों तक सदस्य रहे। उन्होंने समाजिक कार्यों में बड़ी रूची ली और राज्य के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा 1952-57 के दौरान पहली लोक-सभा के सदस्य थे। उन्होंने अजमेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया मजदूर नेता होने के नाते उन्होंने देश की स्वतंत्रता में सक्रिय भाग लिया। वह अजमेर के जनकल्याण और शरणार्थियों के पुनर्वास के संबंध में कार्य कर रहे कई स्थायी निकायों से संबद्ध थे। उनका देहान्त जयपुर में 22 मई, 1974 को 63 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री के० बी० सहाय वर्ष 1948-50 के दौरान संविधान सभा के सदस्य थे। उनका निधन 3 जून, 1974 को 76 वर्ष की आयु में एक सड़क दुर्घटना से हो गया। विद्यार्थी जीवन

से ही उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। नागरिक अनुशासन–हीनता और 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में भाग लेने के कारण वह कई बार जेल गये। उन्होंने बिहार राज्य की कई वर्षों तक सेवा की। पहले 1946 से 1957 तक वह राजस्व और वन मंत्री रहे और बाद में विनोदन झा मंत्रालय में योजना मंत्री के पद पर कार्य किया तत्पश्चात् कामराज योजना के अन्तर्गत विनोदन झा के त्यागपत्र देने के उपरान्त वह 1967 तक मुख्य मंत्री के पद पर आसीन रहे।

वह एक कुशल प्रशासक, एक महासंगठनकर्ता और बिहार के एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। भूमि सुधारों का उन्होंने मार्ग शासन किया। उनके राजस्व मंत्री के कार्यकाल के दौरान बिहार विधान सभा ने पहली बार देश में जमींदारी उन्मूलन विधेयक पारित हुआ। उनके निधन से बिहार राजनीति से एक ओजस्वी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति उठ गया है।

ज्ञानी करतार सिंह वर्ष 1946–47 के दौरान संविधान सभा के सदस्य थे। 50 वर्षों से अधिक तक उनका संबंध राजनीति और बिहार के इतिहास के साथ रहा। 1937 से 1967 तक वह विधायक थे और इस अवधि के दौरान उन्होंने पांच बार मंत्री पद पर कार्य किया। वह एक महान संसद्विज्ञ और कुशाल प्रशासन कर्ता थे। वह हर समस्या का हल दृढ़ता तथा शान्त हृदय से करने के लिये प्रसिद्ध थे। उनके संपर्क में जो कोई भी आया वह उनकी स्पष्टवादिता, सादगी और उनके विचारों, गम्भीरता से प्रभावित हुआ। उन्होंने पददलितों के सुधार में बहुत रुची ली। उनका देहान्त पाटियाला में 10 जून, 1974 को एक लम्बी बीमारी के उपरान्त 74 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री प्रेमजी भाई आर० आसार वर्ष 1957–62 के दौरान दूसरी लोक-सभा के सदस्य थे। उन्होंने रतनगिरि निर्वाचन क्षेत्र का जो कि पहले बम्बई राज्य का अंग था प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कुटीर उद्योग के विकास में बहुत रुची ली। वह कई कल्याणकारी संगठनों से संबद्ध थे। उनका देहान्त बम्बई में 16 जून, 1974 को 61 वर्ष की आयु में हो गया।

श्री आर० बेलायुधन वर्ष 1950–57 के दौरान अस्थायी संसद् और प्रथम लोक-सभा के सदस्य थे। उन्होंने किवलोन और मेवेलिक्कारे निर्वाचन क्षेत्र का, जो कि पहले ट्रावन-कोर-कोचिन का भाग था, प्रतिनिधित्व किया। पत्रकार और समाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने हरिजनों के कल्याण में बहुत रुचि ली। उनका निधन दिल्ली में 30 जून, 1974 को 63 वर्ष की आयु में हो गया।

श्री गोस्वामी राजा सहदेव भारती वर्ष 1952–57 में पहली लोक-सभा के लिये यवत–माल निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य चुने गये थे। वह एक कृषक और पत्रकार थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया और कारावास का दंड भोगा। वह राज्य की कई शैक्षिक और कल्याण संस्थानों से संबद्ध थे। उनका निधन नागपुर में 70 वर्ष की आयु में 30 जून, 1974 को हो गया।

हम इन मित्रों के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हैं। मुझे निश्चय है कि सदन भी शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करने में सारा साथ देगा।

सदस्यगण शोक अभिव्यक्त करने हेतु थोड़ी देर के लिये खड़े हों।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर के लिये मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आवास मंत्रियों का मद्रास में सम्मेलन

+

*1. श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :
श्री वी० मायावन :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 में मद्रास में आवास मंत्रियों का तीन दिन का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुयी थी; और

(ग) उस में क्या-क्या निर्णय लिये गये ?

निर्माण और आवास में मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री): (क) जी, हां। यह सम्मेलन 31 मई से 2 जून, 1974 तक हुआ था।

(ख) तथा (ग). एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा है जिसमें सम्मेलन की कार्य-सूची की मदें तथा इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें दी गई हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7083/74**]

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्मेलन में कृषि मजदूरों, छोटे तथा सीमान्त किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के लिए एक आवास योजना बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया था यदि नहीं, तो क्या सरकार आवास के मामले में मजदूरों की सहायतार्थ योजना बनाएगी ?

Shri Bhola Paswan Shastri: It has been said in the statement laid on the Table of the House that housing problem for the farm workers, labourers and the poor has also been taken into consideration.

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : सरकार उद्योगपतियों को औद्योगिक कर्मचारियों के लिये आवास निर्माण हेतु सहायता दे रही है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में कृषि मजदूरों के लिये आवास योजना बनाने में सहायता क्यों नहीं देती ?

Shri Bhola Paswan Shastri: The Government is also of the same view. The statement laid on the Table of the House will reveal to the hon. Member that there is a housing scheme for the rural areas also to solve the problem.

Shri Ramavatar Shastri: The Government grants loans to low and middle income groups for building houses and this matter has also been considered in the statement. I wish to know if the Government proposes to increase the amount of the loan for the house building in view of the increasing prices of building materials if so; to what extent?

Shri Bhola Paswan Shastri: A high level committee has been appointed by the Council to consider all these points. The Committee after considering this subject will submit its report to the Government.

श्री पी० वेंकट सुब्बया : विवरण अनुसार सिफारिश संख्या 12 में कहा गया है " राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जाए जो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जाने वाली राष्ट्रीय

आवास नीति पर विचार करे तथा सिफारिशें दें" मैं यह जानना चाहता हूं कि इस आयोग को स्थापित करने के लिये क्या प्रभावशाली कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फूलपुर) : विवरण में "निम्न आय वर्गों के लिय विशेषत: निम्न आय की आवास योजना के अधीन आवास की व्यवस्था तथा उसका पूर्ण उपयोग करना" के सामने का खाना खाली है उसके बारे में कोई सिफारिश नहीं दी गई। इसके क्या कारण हैं ?

Shri Bhola Paswan Shastri: This matter has been referred to the Committee and on receipt of its report due action will be taken.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि बागान कर्मचारियों, विशेषकर दक्षिण के बागान कर्मचारियों को, इस योजना के अन्तर्गत लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है। क्या इस सम्बन्ध म मद्रास में कोई चर्चा की गई थी और क्या समूचे देश में बागान मजदूरों की आवास स्थिति का कोई पुनर्विलोकन किया गया था ?

Shri Bhola Paswan Shastri: That has been thoroughly considered .... (*Interruptions*).

If you ask me, I will let you know, how we have considered the case of plantation workers.

An Hon. Member: How you have considered it?

Shri Bhola Paswan Shastri: It has been considered at length. For this purpose, we keep some funds in Ministry of Works and Housing. Last year too, funds were provided, for the same and this year too, funds are there. The grant is also provided for the purpose. Thirty-seven and a half per cent is given by the State Government and the Employer contributes twelve and a half per cent. Nothing is invested by the Plantation Worker. Five to six States such as Assam, West Bengal, Karnataka and Tamil Nadu are working on the scheme but unfortunately the State Governments or Employers are not contributing their share. This year we intend to lay more emphasis on this aspect and we have got a scheme for that.

डा० हेनरी आस्टिन : केरल सरकार द्वारा चलाई गई सफल आवास योजना का उदाहरण अपने समक्ष रखते हुए क्या सरकार का विचार राज्य के प्रत्येक जिले के बेकार श्रमिकों को खपाने के लिए, उसी प्रकार की आवास योजना आरम्भ करने का है ? मेरा विश्वास है कि भारत सरकार केरल सरकार की योजना की सफलता से भली भांति परिचित है ।

Shri Bhola Paswan Shastri: The Government is fully aware of the success of Kerala Government's housing scheme and that deserves all appreciation. That is rather an ideal for other State Governments to follow.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: It has been stated by the hon. Minister that this Scheme is being implemented in some States and he also gave the names of those States. I want to know the total number of houses constructed under this scheme during the last three years and the total amount allotted for the scheme during last year; amount allotted this year; and the amount spent so far?

Shri Bhola Paswan Shastri: I require a notice for.

Shri Hukam Chand Kachwai: It was stated by the hon. Minister that the Scheme is in operation, that is why I asked this question.

Mr. Speaker: He is not refusing to reply. He is simply asking for a notice.

उर्वरकों की कमी दूर करने हेतु भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की नई फार्म प्रौद्योगिकी

+

*2. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने उर्वरकों की कमी दूर करने के लिये हाल ही में कोई नई फार्म प्रौद्योगिकी प्रतिपादित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे:) (क) और (ख). एक वक्तव्य सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) समय-समय पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने कृषि के साधनों का, जिसमें उर्वरक भी सम्मिलित हैं, प्रभावकारी प्रयोग करने के लिए मार्गदर्शक सुझाव जारी किये हैं। भा० कृ० अ० प० द्वारा हाल ही में तैयार किया गया सुझावों का एक सेट, नयी दिल्ली में 4 जनवरी, 1974 को हुए स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं और कृषि राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में तत्कालीन केन्द्रीय कृषि मंत्री ने प्रस्तुत किया था।

(**ख**) उर्वरकों के उपलब्ध परिमाणों से ही कृषि उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए भा० कृ० अ० प० ने जो फार्म प्रौद्योगिकी सुझायी थी, उसमें निम्नलिखित संघटक थे :—

1. जिन जिलों में लागत का उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पाया गया है, उनमें साधन और उत्पादन का अनुपात 1:14 तक उपलब्ध करने के उपाय करना। उपलब्ध उर्वरकों को उपज के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के सिद्धान्त के अनुसार विस्तृत क्षेत्र में फैला कर तथा उन साधनों, जैसे बुआई का समय, पौधों की सघनता आदि, पर ज्यादा ध्यान देकर जिन पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है उक्त अनुपात प्राप्त किया जा सकता है।

2. केवल किसी फसल विशेष की आवश्यकता के अनुसार नहीं बल्कि पूरी फसल पद्धति की आवश्यकता के अनुसार तथा कृषि-कवकीय स्थितियों के अनुसार ही उर्वरकों के उपयोग को निश्चित करना चाहिए।

3. सघन बहुफसली पद्धति में उचित जीवाण्विक कल्चर (संवर्द्ध) वाली दलहनी फसल को शामिल करके तथा सभी जैविक अपशेष पदार्थों का इस प्रकार पुनर्चक्रण करके, जिससे जैविक और नाइट्रोजनधारी उर्वरकों के नाइट्रोजन का अनुपात पर्याप्त रहे, नाइट्रोजनधारी उर्वरकों की कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन इसमें

ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा करने से उर्वरक अथवा मिट्टी से फसल को मिलने वाला नाइट्रोजन अनुपयुक्त न रह जाये ।

4. किसी क्षेत्र में मिट्टी की बनावट और रोगों के प्रकोप को देखते हुए खड़ी फसल में कितनी बार उर्वरक दिया जाये, इसे नियमित करके तथा मिट्टी में स्थित उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा और फसल-विशेष की तैयार होने की अवधि एवं उसके पौधों में कल्ले फूटने की स्थिति पर ध्यान रख कर, यह निश्चित करके कि कितना उर्वरक मिट्टी में डाला जाये और कितना खड़ी फसल में दिया जाये, फसलों द्वारा नाइट्रोजन के उपयोग की कुशलता में वृद्धि लायी जाये ।

5. फास्फोरस की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए उसे ऐसे फसल-चक्र वाली फसल में देना जिस पर उर्वरक-फास्फोरस का प्रभाव अधिक पड़ता हो तथा जो मिट्टी के फास्फोरस का उतना शोषण नहीं करती हो, जैसे धान-गेहू के फसल -चक्र में गेहूं की फसल अथवा दलहन-अनाज के फसल चक्र में दलहनी फसल में, फिर इस फसल के बाद ऐसी फसल उगाना जिसकी प्रकृति ठीक इसके विपरीत हो, फसल के पौधों की जड़ फैलाने की विशेषता और उसकी कतारों के फासले, पौधों की बढ़वार की अवधि में बादल छाये रहने, तथा देश की घटिया दर्जे की फास्फेट-चट्टानों की खानों के समीप वाली अम्लीय मिट्टियों में उपलब्ध प्राकृतिक भंडारों के उपयोग की दृष्टि से फास्फोरस के प्रयोग की उपयुक्त विधि अपनाना ।

6. ठीक समय पर कृषि-क्रियाएं करना और पौधे-संरक्षण के उपाय करना तथा जस्ते की कमी वाले क्षेत्रों में ऐसी फसल उगाना, जिन पर जस्ते की कमी का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और जहां आवश्यक हो वहां सुक्ष्म-मात्रिक तत्वों की आपूर्ति करना चाहिए ।

7. अधिक उपज देने वाली किस्मों को व्यापक रूप से उगाने को प्रोत्साहन देना, जिनमें उर्वरक की मात्राओं के सभी स्तरों को सहने की बड़ी क्षमता है तथा जिनमें डंठल और अनाज का अनुपात भी अनुकूल है ।

Shri Shrikishan Modi: Mr. Speaker, Sir, the statement given by the hon. Minister is neither positive nor negative rather it contains routine information. Anyhow, I would like to know the concrete steps taken by Government to apprise the agriculturists of this information?

Specially I would like to know the steps taken to minimise the consumption of fertilisers in sandy soil and to give information to agriculturists in this regard?

Shri Sarjoo Pandey: The question No. 17 also relates to fertilisers. These could be taken together.

Mr Speaker: That is a different question.

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : प्रश्न का सम्बन्ध उर्वरकों की वर्तमान कमी के सन्दर्भ में उनका मितव्ययतापूर्वक तथा कारगर ढंग से उपयोग करने के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों से है । यह सिफारिश भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कुछ अन्य केन्द्रों द्वारा किये प्रयोगों पर आधारित हैं । ये सिफारिश राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं और

आशा है कि राज्य सरकारें अपने प्रसार विंगों, कृषि विभागों और कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से उन्हें क्रियान्वित करवायेंगी। माननीय सदस्य यदि इसके अतिरिक्त भी कोई जानकारी चाहते हैं, तो मैं वह भी देने को तैयार हूं।

Shri Shrikishan Modi: According to recommendation No. 5 of the statement, proper process for the use of phosphorus in the natural resources of rock phosphate should be adopted. Rock phosphate is available in abundance in Rajasthan as compared to any other State; hence I would like to know whether any research on this soil has been conducted, if so what are its results? May I know if any such means have been invented whereby consumption of fertiliser can be decreased?

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : राक फासफेट के बारे में और विशेषतया उत्तर-पूर्व और तटीय क्षेत्रों वाली अम्लीय मिट्टी के बारे में विशेषज्ञों का मत है कि फास्फेट-चट्टान की कुछ मात्रा देने पर अम्लीयता कम हो जाती है और जब अम्लीयता कम हो जाती है तो उत्पादन का बढ़ना स्वाभाविक ही हो जाता है। अतः हमने राज्यों की सरकारों से अम्लीय मिट्टी में राक फास्फेट का प्रयोग करने की सिफारिश की है। यदि अम्लीय मिट्टी राजस्थान में भी है, तो यह बात उस पर भी लागू होगी।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सु ाई गई प्रौद्योगिकी कृषि उत्पादन में वद्धि करने में तब तक कारगर साबित नहीं होगी जब तक उसके साथ उपयुक्त रूप से पानी सप्लाई नहीं करवाया जायेगा। बिजली की सप्लाई के बारे में राज्य में हाहाकार मचा हुआ है और किसान को सिंचाई के लिए समय पर बिजली नहीं मिलती। उसे यह मालूम नहीं होता कि जिस बिजली की लाइन पर उसका जलकूप लगा है, उससे उसे बिजली कब मिलेगी।

दूसरे क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि कीमती उर्वरकों की पत्तनों से गोदामों तक वर्षा ऋतु के दौरान जब खुले वैगनों में ढुलाई की जाती है तो काफी उर्वरक बेकार हो जाता है। अतः इन दोनों के बारे में मंत्री महोदय का क्या कार्यवाही करने का विचार है क्योंकि इन दोनों पर ही राष्ट्र को काफी खर्च करना पड़ता है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न निश्चय ही काफी महत्वपूर्ण हैं परन्तु यदि आप यह समझते हैं कि वह मूल प्रश्न से सम्बद्ध है, तो मैं उनका उत्तर देने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो सोचा था कि प्रश्न काफी आसान और सीधे हैं और सम्भवतः मंत्री महोदय इनका उत्तर दे देंगे परन्तु अब लगता है वह उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री नवल किशोर सिंह : वह कम से कम सदन को इतना आश्वासन तो दे सकते हैं कि ढुलाई में जो उर्वरक बेकार हो जाता है, उसे बचाने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : इसमें बहस की कोई बात ही नहीं है।

Shri Sarjoo Pandey: There is acute shortage of fertilisers in the country and it is being sold in black-market throughout the country. The fertilisers are being transported from one State to another and some big agencies are operating. The farmers of the country are demanding fertilisers to overcome the shortage of fertilisers, it has been suggested that manures should be provided.

But a farmer is not inclined towards it. Recently the prices have been increased and it is difficult for the poor to purchase fertilisers. In view of all this I want to know whether Government propose to find out some substitute of chemical fertilisers?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : रासायनिक खाद की कमी से सम्पूर्ण सदन भली भांति परिचित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सिफारिशें भी इसी से सम्बद्ध हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को भी इसके लिए अनेक कदम उठाने की सिफारिश की गई है। सदन में यह उल्लेख करते हुये मुझे प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकारों द्वारा कम्पोस्ट खाद बनाने आदि के माध्यम से कार्बनिक खाद आदि के प्रयोग के लिए कार्यवाही की गई है। उदाहरणार्थ कलकत्ता में नगर के सम्पूर्ण मल आदि से खाद तैयार करने की बड़ी भारी योजना बनाई गई है। अत: राज्य सरकारों द्वारा कार्बनिक खाद के प्रयोग करने के बारे में कई कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री अमृत नाहाटा : मंत्री महोदय द्वारा अभी बताया गया कि अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए राक-फास्फेट का प्रयोग करने की सिफारिश की गई है अत: मैं इस सन्दर्भ में मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें मालूम है कि राक-फास्फेट काफी दुर्लभ तथा मूल्यवान खनिज है और हमारे देश में लगभग 170 लाख हैक्टर भूमि अम्लीय भूमि है और उसे कृषि-योग्य बनाने के लिए जिप्सम का सीधा उपयोग किया जा सकता है और हमारे देश में इसके अपार तथा अथाह संसाधन उपलब्ध हैं। क्या वह सदन को बतायेंगे कि क्या जिप्सम के सीधे प्रयोग के लिए भारत सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है और जिप्सम के परिवहन के लिए कुछ राजकीय सहायता देने पर विचार किया जा रहा है ताकि देश में पड़ी लाखों एकड़ बंजर धरती को कृषि-योग्य बनाया जा सके?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य के सुझाव के लिए आभारी हूं परन्तु दुर्भाग्यवश वह अम्लीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी में भ्रान्ति उत्पन्न कर रहे हैं। मैंने लवणीय मिट्टी के लिए राक-फास्फेट का प्रयोग करने का सुझाव नहीं दिया है, उसकी सिफारिश तो अम्लीय मिट्टी के बारे में है। करनाल में हमारा लवणीय मिट्टी अनुसंधान संस्थान है और उसने सिफारिश की है कि लवणीय मिट्टी के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जा सकता है। अम्लीय मिट्टी के लिए जिप्सम का प्रयोग करने की सिफारिश नहीं की गई है। जहां अम्लीय और लवणीय मिट्टी का मिश्रण हो वहां राक-फास्फेट और जिप्सम का प्रयोग लाभकारी सिद्ध हो सकता है। परन्तु जहां तक अम्लीय भूमि के सुधार का सम्बन्ध है, उसके लिए हमने राक-फास्फेट और धातुमल की सिफारिश की है जो कि इस्पात उद्योग का ही एक उप-उत्पाद होता है तथा बेकार चला जाता है।

Shri Ram Chander Vikal: May I know if the council has recommended that the capacity of fertiliser factories should be augmented?

Mr. Speaker: The question is about farm technology.

Shri Jharkhande Rai: May I know if the hon. Minister is aware of the opinion of experts that dung worth the capacity of 15 fertiliser factories is burnt away, if so, whether any alternate fuel is being invented to avoid the use of dung as fuel? Whether any attempt has been made in this direction?

Mr. Speaker: This too does not fall within the main question.

Shri Madhu Limaye: The machinery and parts required for the Gas Plant are manufactured in Bombay only. May I know if the hon. Minister will take up the matter with Khadi and Gramudyog Commission and ask them to set up small factories for the manufacture of parts so that production could be increased?

Mr. Speaker: He too asked almost the same question which was disallowed by me.

श्री रामसहाय पाण्डेय : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कुछ सिफारिशें की गई हैं और वह सिफारिशें राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इनका कोई ऐसा सैल है जो यह पता लगाये कि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से की गई प्रौद्योगिकी सम्बन्धी इनकी सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकारें सक्षम भी हैं या इसके लिए उनके पास संसाधन भी हैं या नहीं? यदि राज्यों के पास संसाधन हों न हों तो अनुसंधान करने और अनुसंधान सम्बन्धी जानकारी राज्यों को भेजने का सम्पूर्ण कार्य ही पूर्णतया असफल हो जाता है। अतः क्या राज्य सरकारों के पास संसाधन उपलब्ध हैं, और यदि नहीं, तो क्या केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को वे उपलब्ध करवाये जायेंगे?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह बहुत कुछ विकास प्रयत्नों पर निर्भर करता है। राज्य सरकारों के साथ निरन्तर हमारी बातचीत होती रहती है और मुझे समझ नहीं आती कि प्रौद्योगिकी सम्बन्धी जानकारी के हस्तांतरण में ससाधनों का प्रश्न कैसे उठ खड़ा होता है। उदाहरणार्थ गेहूं को फास्फेट देने वाले अनुच्छेद 5 के सुझाव को ही लीजिये। इसका उपयोग लेग्यूमिनियस फसल के लिए किया जाये तो उससे अधिक लाभ हो सकता है। अतः इनमें कई ऐसी सिफारिशें हैं जिनके साथ किसी प्रकार की वित्तीय समस्या उत्पन्न नहीं होती।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश स्थित सर्किलों के कार्य-प्रभारित कर्मचारी

*3. **श्री भोला मांझी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के चैप्टर 46 (संघ राज्य-क्षेत्र) में कहा है कि विभिन्न संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों में सेवाओं एवं पदों पर भर्ती किये गये व्यक्ति वास्तविक रूप में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश स्थित सर्किलों के कार्य-प्रभारित कर्मचारी भी वास्तविक रूप से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : **(क) तथा (ख).** यह तृतीय वेतन आयोग द्वारा की गयी एक सामान्य टिप्पणी है। अरुणाचल प्रदेश के कर्मचारियों के बारे में आयोग ने केवल मात्र यह सिफारिश की है कि एक विभागीय समिति बनाई जाए जो यह विचार करे कि क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये सिफारिश किये गये एक या अन्य मानक वेतनमान, उन पर लागू किये जाएं।

Shri Bhola Majhi: What decision has been taken in this regard?

Shri Bhola Paswan Shastri: It has been recommended by the Third Pay Commission that in regard to Arunachal Pradesh staff, a Departmental Committee should be set up to examine whether they should be given the pay-scales of Local Employees or the Employees of Link State or their pay-scales should be at par with those of Central Government. A final decision will be taken by Government on receipt of Committee's recommendations.

भारतीय भाषाओं के विकास के लिये सहायता

*श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में भारतीय भाषाओं के विकास हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता के रूप में देने के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ; और

(ख) उर्दू भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए गत तीन वर्षों में, किन-किन संस्थाओं को कितनी-कितनी धनराशि दी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) 1974-75 के दौरान, हिन्दी के विकास के लिए कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं का आर्थिक सहायता देने के लिए 17 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। हिन्दी को छोड़ कर अन्य प्रादेशिक भाषाओं के विकास में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं को 9.50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है । ये विनिधान साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं।

(ख) सूची संलग्न है, जिसमें संस्थाओं के नाम तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक को दी गई राशि दिखाई गई है। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7084/74]

श्री सी०के० जाफर शरीफ : : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को ऐसी स्वैच्छिक संस्थाओं की जानकारी है जो राज्यों में उर्दू तथा अन्य भाषाओं के विकास कार्य में लगी हुई हैं ?

श्री डी० पी० यादव : जो सूची सभा पटल पर रखी गई है, उसमें अनेक राज्यों के नाम हैं परन्तु जब भी हमारे पास कोई प्रार्थना-पत्र आता है, हम उस पर सहानुभूतिपूर्वक ढंग से विचार करते हैं ।

Mr. Speaker: Both of you are talking about Urdu but through the medium of English.

Shri C. K. Taffer Shariff: I would like to know if any demand for financial assistance has been received from any State?

Shri D. P. Yadav: It is difficult to say anything about it at the movement but if the hon. Member desires, it can be furnished to him later on.

Shri M. Ram Gopal Reddy: My submission is that more special funds should be provided for the States in which it is more prevalent such as Andhra Pradesh. May I know from the hon. Minister how much assistance they are going to provide to Andhra Pradesh?

Shri D. P. Yadav: It is not possible to give any information at the moment but I can assure this much that we will consider the scheme favourably as and when received.

Shri S. M. Banerjee: Urdu language is being promoted only by certain voluntary organisations such as Anjuman Taraqqi-e-Urdu otherwise this language is dying out on due to negligence of the Government. I want to know from hon. Minister whether State Governments are being given some financial assistance for the promotion of Urdu language and whether some directions have been issued to State Governments to promote Urdu and raise it to the status of a State language? What steps are being taken for the purpose?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): The main question relates to voluntary organizations and not to the assistance to States. So far as its policy is concerned . . . . .

Shri S. M. Banerjee: I referred to Anjuman Taraqqi-e-Urdu.

Prof. S. Nurul Hasan: The assistance given to Anjuman Taraqqi-e-Urdu has been referred in the reply given to the original question.

श्री सेझियान : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मंत्री महोदय, द्वारा बताया गया है कि हिन्दी से संबंध रखने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को 17 लाख रुपये की धनराशि दी गई है तथा अन्य सभी भाषाओं के लिए 9.50 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अन्य भाषाओं से उनके पास कोई मांग ही नहीं आई है या फिर सरकार यह सोचती है कि अन्य भाषाओं को अपने विकास के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता ही नहीं है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : जजां तक हिन्दी भाषा का सम्बन्ध है, संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार इसके विकास का विशेष दायित्व केन्द्र सरकार का है और केन्द्रीय सरकार इसके प्रोत्साहन के लिए अन्य भारतीय भाषाओं सहित, उपलब्ध संसाधनों के अनुसार सहायता देना चाहती है। हम इसके लिए विज्ञापन देते है और देश के सभी भागों की स्वैच्छिक संस्थाओं से प्रार्थना पत्र मांगे जाते है और जहां सम्भव होता है, सहायता दे दी जाती है।

Shri Shanker Dayal Singh: There is lot of variation in the Government reply and the question asked. The question is which are the organisations to whom assistance was given for the promotion of Urdu. But the answer contains a list of persons who were given assistance for the promotion of Urdu. I would like to know from the Government whether assistance for the promotion of Urdu is given in Delhi and U.P. or it is given to other States also? Bihar is a State where the Urdu speaking people are in abundance. The 'Khuda Bakhsh Library' of Bihar is one of the biggest library of Urdu literature but why the grant is given only in U.P. and Delhi and that more to individuals than institutions? What is criteria for granting the aid?

Shri D. P. Yadav: It is not correct to say that aid is given to the institutions of U.P. and Delhi only. I have already stated that grant is given to the voluntary organisations who respond to our advertisement. Each application is examined on its merit?

Shri N. K. P. Salve: Besides the States of U.P. and Delhi, Urdu is equally loved by the people of Madhya Pradesh. May I know from the hon. Minister whether he agrees to the fact that for the real progress of Urdu, it should be taught through Devnagri script....

Mr. Speaker: You have gone much astray....

Shri N. K. P. Salve: Those who are really interested in the prosperity of Urdu language, are of the opinion that it must be taught through Devnagri script. What is Government's reaction to it. This should not be dealt on any political approach.

My second submission is that there does not appear to be any institution of Madhya Pradesh. May I know from hon. Minister if any such aid will be given to Madhya Pradesh also?

Shri D. P. Yadav: Regarding first question of hon. Member, while seeking your protection, it is submitted that that does not arise out of main question. As

far as second question is concerned aid is given to the institutions who respond to our advertisement and apply for the same.

Shri Janeshwar Mishra: Just now it has been stated by the hon. Minister that some amount has been allocated for the promotion of other languages. May I know if Government has ever realised the fact that this allocation is quite nominal and so long as English language is permanent in official work, the other Indian languages cannot prosper. Some states are lauching movements to make Urdu as the second language of the State. If such a movement is genuine and a good number of people of a State read and write Urdu, what is the hitch of the State or Centre Government in making Urdu as the second language of the State?

Mr. Speaker: Your question is quite broad which relates to some factual information. But as you are a new Member, I will not restrict your questions and if hon. Minister wishes he can reply the same.

Shri D. P. Yadav: It does not come within the perview of main question.

Shri Ishaque Sambhali: Mr. Speaker, Sir, I am concerned to point out that hon. Minister has not tried to understand the question properly. The question related to all Indian languages such as Punjabi, Bangla, Tamil etc. but the reply given relates only to Urdu language which is quite misleading. The other languages too should have been referred so as to avoid any misunderstanding.

A good list of aids given for the promotion of Urdu language has been given by the Government to impress that lot of help is given for its promotion. I want to know whether Government is planning to open Urdu Medium Schools on the lines of Central Schools for the real promotion of Urdu language?

Prof. S. Nurul Hasan: My hon. friend has not given proper attention towards the question. In reply, no attempt has been made to have an unnecessary credit. Regarding our policy towards Urdu language, whatever question is raised by hon. Members, that will be replied.

Shri Md. Jamilurrahman: How many applications were received from Urdu institutions State-wise during the last three years and the year-wise allocation made to them?

Shri D. P. Yadav: It has been given in the reply that how much grant was given and if hon. Member is interested to know the number of applications, that can be given to him later on.

Shri Md. Jamilurrahman: Yes, I want this information.

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन सम्बन्धी प्रस्तावों और राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि तमिलनाडु के भारी हिन्दी विरोधी आन्दोलन के बाद, हिन्दी भाषा के प्रोत्साहन और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या नये और कारगर कदम उठाये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री समर गुह : स्वैच्छिक संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान के बारे में मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय भाषायें केवल दो ही हैं, एक हिन्दी और दूसरी उर्दू । परन्तु संविधान के उपबन्धों के अनुसार 12 अन्य भारतीय भाषायें है । क्या भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन के

लिए सरकार ने अन्य भाषाओं की भी कोई सहायता की है ? यदि हां, तो इस प्रकार की स्वैच्छिक संस्थाओं से कुल कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये हैं और यथासम्भव सभी राष्ट्रीय भाषाओं के साथ एक जैसा व्यवहार करने की दृष्टि से सरकार द्वारा उन्हें कितनी धनराशि सहायतार्थ दी गई है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : हम अपेक्षित सरकारी संकायों यथा श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय और विज्ञापनों के माध्यम से अन्य स्वैच्छिक संगठनों से प्रार्थना-पत्र मंगवाते है। प्रस्तुत विज्ञापन जुलाई में दिया गया था। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि जब भी हमारे पास प्रार्थना-पत्र आयेंगे, उस समय उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

वर्ष 1974 में गेहूं तथा अन्य खाद्यान्न का आयात

***6. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अगले कुछ महीनों में 20 से 30 लाख टन गेहूं तथा काफी मात्रा में अन्य खाद्यान्न का आयात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक खाद्यान्न का अलग-अलग कितनी मात्रा में तथा कितनी कीमत पर तथा किन-किन देशों से आयात किया जाएगा ; और

(ग) क्या हमारे देश में गेहूं का उत्पादन जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपर्याप्त है ?
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारत सरकार खाद्यान्नों के आयात की आवश्यकता के बारे में स्थिति की बराबर समीक्षा करती रहती है और वर्ष 1974–75 के लिए थोड़ी मात्रा में खाद्यान्न आयात करने का कार्यक्रम है। अब तक लगभग 12.7 लाख टन गेहूं और 4 लाख टन माइलो की खरीदारी की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, अर्जनटाइना, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों आदि जैसे निर्यातक देशों से अपने सर्वाधिक हितकर मूल्यों पर खरीदारी की जाती है।

इस वर्ष गेहूं की पैदावार लक्ष्य से कम हुई है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय द्वारा मेरे प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दिया गया है। मंत्री महोदय ने बताया कि अभी तक 12.7 लाख टन गेंहू और 4 लाख टन माइलो की खरीदारी की गई है। गल्ले के पूर्ण व्यापार को अपने हाथ में लेने के इरादे से पीछे हटने के बाद और अपनी गल्ला नीति तथा गल्ला खरीदने सम्बन्धी नीति में पूर्णतया असफल होने के बाद, क्या सरकार ने देश के लोगों के लिए अपेक्षित गल्ले की देश में उपलब्ध कुल मात्रा और विदेशों से आयातित की जाने वाली मात्रा का कोई ंदाजा लगाया है ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : मैंने माननीय सदस्य के सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। विदेशों से आयातित की जाने वाली खाद्यान्नों की मात्रा मेरे द्वारा उल्लेखित खरीदारी की मात्रा से कुछ अधिक भी हो सकती है। हमें समय समय पर स्थिति का सर्वेक्षण करना पड़ता है और अभी से उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कह पाना मेरे लिए संभव नहीं है। हमारा आयात कार्यक्रम हमारे उत्पादन

और आवश्यकताओं आदि पर निर्भर करता है। गत वर्ष रबी की फसल के कम उत्पादन के फलस्वरूप हमें कुछ आयात करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य महोदय से निवेदन करता हूं कि उन्हें मेरे तथा प्रश्न पूछने वाले सदस्यों के बीच नहीं आना चाहिये। मैं यह सम्बोधन श्री ज्योतिर्मय बसु से कर रहा हूं। वह सम्भवतः मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा अपने सर्वाधिक हितकर मूल्यों पर खरीदारी की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि विदेशों से आयातित गेहूं हमारे यहां किस मूल्य पर पहुंचता है? इसका मूल्य हमारे वसूली मूल्य से कम होता है या अधिक?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक देश में पहुंचने वाले मूल्यों का सम्बन्ध है, वह एक देश से दूसरे देश के अन्तर और भाड़े आदि पर निर्भर करता है, अतः यह मूल्य हमें अलग-अलग रूप से निकालना पड़ता है। अमरीका आदि कुछ देशों से हमारा वास्तविक वसूली मूल्य, दो महीने पूर्व, हमारे देशीय वसूली मूल्य से कम था। परन्तु खरीद और भाड़े आदि का व्यय मिला कर भी वह हमारे वसूली मूल्य से कम हो, इसके बारे में मुझे संदेह है।

Dr. Laxminarain Pandeya: It has been stated by the hon. Minister that the target fixed for wheat production has not been achieved. I want to know the production target as fixed by the Government and what are the reasons for its non-achievement? Why is it that Government had to import 12.7 lakh tons of wheat and 4 lakh tons of milo? May I know if Government will have to import something more than this?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने पहले ही कहा है हम समय-समय पर स्थिति का जायजा लेते रहते हैं। आगामी आयात मात्रा निर्धारित करने के लिए, इसके अतिरिक्त हमें अपनी वर्तमान वसूली को भी दृष्टिगत रखना पड़ेगा।

Dr. Laxminarain Pandeya: My question was: What was the target and reasons for its non-achievement?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: गेहूं की वसूली का लक्ष्य लगभग 300 लाख टन था। उत्पादन का अन्तिम अनुमान अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है परन्तु फिर भी यह कहा जा सकता है कि उत्पादन लक्ष्य से कम ही होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

खाद्यान्न के उत्पादन में कमी

*5. **श्री निहार लास्कर :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि चालू वर्ष में खाद्यान्न के उत्पादन में 50 लाख टन की कमी रहेगी ;

(ख) यदि हां, तो खरीफ और रबी फसलों में चावल और गेहूं के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे;

(ग) इस कमी के क्या कारण है ; और

(घ) खाद्यान्न का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भूतपूर्व कृषि मंत्री ने 17 जून, 1974 को कहा था कि अनुमान है कि 1973–74 के लिये निर्धारित खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य में केवल 50 लाख मीटरी टन की कमी होगी और इस वर्ष लगभग 1070–1080 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का उत्पादन होगा ।

(ख) 1973–74 के दौरान चावल के उत्पादन का लक्ष्य 450 लाख मीटरी टन और गेहूं का 300 लाख मीटरी टन निश्चित किया गया था ।

(ग) 1973–74 के खरीफ मौसम के लिये निर्धारित लक्ष्य लगभग प्राप्त हो गया है । तथापि, दिसम्बर, 1973 के उत्तरार्ध में कड़ाके की सर्दी, सर्दी के मौसम में वर्षा न होने, उर्वरको, बिजली और डीजल आयल आदि की कमी की वजह से आशा है कि रबी की फसलों की उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों से कम होगा ।

(घ) खाद्य उत्पादन में वृद्धि निम्न द्वारा की जायेगी––

अधिक उत्पादनशील किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि द्वारा मुख्यत: उत्पादकता में वृद्धि द्वारा, सघन खेती में उपायों के अपनाने द्वारा बहु उद्देशीय फसल द्वारा,फसल प्रक्रिया में परिवर्तन और उर्वकों, कार्बनिक खाद सम्बन्धी स्रोतों, जल, कृमिनाशी औषधियों, ऋण आदि जैसे उपलब्ध आदानों के प्रभावी प्रयोग द्वारा ।

Steps taken to Control Price of Wheat

***7. Shri Phool Chand Verma:**
Shri B. S. Chowhan:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether wheat was sold at the rate of Rs. 2 or near-about per kilogram even in the wheat producing States during the months of March, April, May and June, 1974; and

(b) if so, the steps taken by the Government for controlling the prices of wheat and the results thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) and (b). The market prices of wheat of common varieties have been generally lower than Rs. 2/- per kg. in all the producing States during this period. However, with a view to controlling the prices of wheat, Central Government have promulgated the Wheat Price Control Order, 1974 fixing a ceiling of Rs. 150/- per quintal on the price of wheat to be exported from the surplus States. Several other administrative measures such as de-hoarding and requisitioning of wheat stocks, enforcement of producers levy in some States strict enforcement of licensing orders, regulation of the movement of levy free wheat etc., have been taken by the State Governments with good results.

बीकानेर, राजस्थान में टिड्डियों का आक्रमण

*8. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजस्थान के बीकानेर जिले में टिड्डियों के आक्रमण की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के जोधपुर तथा बीकानेर डिवीजनों में टिड्डियों तथा उनके भारी संख्या में अंडों आदि को नष्ट करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) राजस्थान में टिड्डियों के आक्रमण के फलस्वरूप अनुमानतः कितनी हानि हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). सरकार को राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर और चुरु जिलों में टिड्डी दलों के होने की जानकारी है । इनका पीछा करके इन्हें नष्ट किया जा रहा है । उन क्षेत्रों का निर्धारण कर दिया गया है, जिनमें टिड्डियों ने अंडे दिए हैं और टिड्डों पर रसायनों का छिड़काव करके काबू पाने का कार्य चल रहा है । टिड्डी दलों के हवाई सर्वेक्षण का काम भी चल रहा है ।

(ग) अब तक इनसे हुई क्षति नगण्य है, क्योंकि बड़ी टिड्डियां अधिक नहीं खातीं । टिड्डों (हापर) के प्रकट होते ही उनपर नियंत्रण किया जाता है, जिससे वे कोई गम्भीर क्षति न पहुंचाने पाए । इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में टिड्डी दल हैं, उनमें खड़ी फसले बहुत कम हैं ।

Criteria for and quantity of foodgrains allotted to States during January-June, 1974

*9. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the criteria on which foodgrains are allotted to the States by the Central Government;

(b) the quantity of foodgrains allotted and supplied to each of the States from January to June, 1974.

(c) whether the food situation of Bihar is very serious; and is likely to aggravate in the coming days;

(d) if so, whether the Bihar Government have made a special request to the Central Government for supply of foodgrains; and

(e) if so, the reaction of the Central Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Annasaheb P. Shinde): (a) to (e). A statement is laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library. See No. LT-7085/74].

स्कूलों के प्रबन्धकों द्वारा दिल्ली स्कूल अधिनियम का कथित उल्लंघन

10. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री योगेन्द्र झा :

क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अध्यापक संगठनों से ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि दिल्ली में अनेक स्कूलों के प्रबन्धक सरकारी अफसरों से मिलकर दिल्ली स्कूल अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन कर रहे ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिनियम का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) गैर-सहायता प्राप्त स्कूल अध्यापक संघ, दिल्ली से एक ज्ञापन मिला है जिसमें दिल्ली शिक्षा अधिनियम के कुछ उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत तैयार किए गये नियमों का गैर- सहायता प्राप्त प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबन्धकों द्वारा उल्लंघन किये जाने का आरोप लगाया है। किन्तु उक्त ज्ञापन में यह आरोप नहीं है कि ये उल्लंघन सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से किये गये हैं, और

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार, जो दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित है, उक्त अधिनियम तथा नियमों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु अभी तक निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) इस अधिनियम तथा नियमों के उद्घोषित करने के तुरन्त बाद, 31 दिसम्बर, 1973 को दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली के सभी सरकारी सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त मिडिल और, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रबन्धकों/प्रिंसिपलों को एक विस्तृत पत्र भेजा गया था। तदन्तर फरवरी 1974 में एक पत्र जारी किया गया जिसमें इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों की ओर उनका ध्यान दिलाया गया था जो उनपर लागू होते थे तथा ये विशेष निर्देश दिये गये थे कि उन्हें इन उप-बन्धों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। 8 मई, 1974 तक प्राइवेट मान्यताप्राप्त स्कूलों को इस संबंध में तेरह परिपत्र जारी किए गए थे जिनमें अन्य बातों के साथ साथ उनसे यह अपेक्षा की गई है कि वे प्रबन्धकों को योजनाएं प्रस्तुत करें, सहायक अनुदान के बारे में वचन दें तथा कर्मचारियों को वेतन, भत्तों का भुगतान करने और अन्य निर्धारित लाभ देने, शुल्क इत्यादि वसूल करने के बारे में किए गए उपबन्धों का दृढ़ता से पालन करें।

(ii) दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम 1973 के साथ पढ़े जाने वाले दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत, सहायताप्राप्त तथा गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट मान्यताप्राप्त स्कूलों के प्रबन्धकों को, प्रबन्धकों की योजनाएं इन नियमों के लागू होने के 90 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करनी थी। दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार, अभी तक 184 स्कूलों ने प्रबन्धकों को योजनाएं प्रस्तुत की

हैं। इन योजनाओं की दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है और इस योजना में किये जाने वाले संशोधनों / परिवर्तनों पर उनके विस्तृत विचार-विमर्शों से स्कूलों को सूचित किया जा रहा है। प्रबन्धकों की योजनाओं से संबंधित रूप-रेखाएं भी तैयार कर ली गयी हैं तथा उन्हें विभिन्न स्कूलों को भेज दिया गया है। दोषी प्रबन्धकों को कारण-बताओ नोटिस दिये गये हैं। कुछ स्कूलों ने, जिन्होंने प्रबन्ध की योजनाएं प्रस्तुत नहीं की हैं, अल्पसंख्यक स्कूल के दर्जे का दावा किया है।

(III) मान्यता-प्राप्त प्राइवेट सहायता-प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों को वेतन, भत्तों तथा अन्य निर्धारित लाभों की अदायगी से संबंधित व्यापक नियमों को महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है और सहयाता-प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों को वेतनों की सीधी अदायगी दिल्ली स्कूल शिक्षा (कठिनाई निवारण) आदेश संख्या 2 में निर्धारित समय-सीमा-नवम्बर, 1974 से लागू होने की संभावना है।

(IV) मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों की अदायगी के संबंध में दिल्ली प्रशासन ने इन स्कूलों के प्रबन्धकों को अधिनियम 10(1) के उपबन्धों को कड़ाई से पालन करने और साथ ही इस बात को सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि इन कर्मचारियों के वेतन और भत्ते उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों के तदनुरुपी स्तर के कर्मचारियों के वेतन-भत्तों से कम नहीं होने चाहिएं। इस संबंध में, प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त-मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबन्धकों से कर्मचारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित ब्यौरे—वार सूचना भेजने के लिए भी कहा गया है ताकि यह बात मालूम की जा सके कि इन स्कूलों के कर्मचारियों के वेतन-भत्ते उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों के तदनुरुपी स्तर के कर्मचारियों के वेतन-मानों से किसी भी रूप से कम तो नहीं हैं।

(V) दिल्ली स्कूल शिक्षा सलाहकार बोर्ड पाठ्यचर्या समिति तथा दिल्ली स्कूल अधिकरण स्थापित किए गए हैं।

(VI) सहायताप्राप्त तथा गैर-सहायताप्राप्त मान्यताप्राप्त स्कूलों के प्रबन्धकों को इस आशय के उपयुक्त नोटिस भी दिए गए हैं कि यदि वे अधिनियम और नियमों के उपबन्धों का पालन नहीं करेंगे तो उनको दी जानी वाली सहायता बन्द की जा सकती है अथवा स्कूल की मान्यता वापस ली जा सकती है, जैसा की मामला होगा, किया जाएगा।

महानगरों की दुग्ध चूर्ण की आवश्यकता

*11. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महानगरों की दुग्ध योजनाओं की दुग्ध चूर्ण की आवश्यकता कितनी है और इन नगरों को गत तीन वर्षों में वर्षवार कितना दुग्ध चूर्ण सप्लाई किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : इन चार महानगरों के लिये गत तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग वर्ष में मांग की गई तथा सप्लाई की गई दुग्ध चूर्ण की मात्रा का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना 618 (आपरेशन फ्लड) तथा वाणिज्यिक कोटा के अन्तर्गत बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास में स्थित चार महानगरी डेरियों को सप्लाई की गई स्कीम दुग्ध चूर्ण की मात्रा

(मात्रा मीटरी टन में)

	1971–72				1972–73				1973–74			
	आपरेशन फ्लड		वाणिज्यिक कोटा		आपरेशन फ्लड		वाणिज्यिक कोटा		आपरेशन फ्लड		वाणिज्यिक कोटा	
	मांग की गई मात्रा	सप्लाई की गई मात्रा	मांग की गई मात्रा	सप्लाई की गई मात्रा	मांग की गई मात्रा	सप्लाई की गई मात्रा	मांग की गई मात्रा	सप्लाई की गई मात्रा	मांग की गई मात्रा	सप्लाई की गई मात्रा	मांग की गई मात्रा	सप्लाई की गई मात्रा
बृहत बम्बई दुग्ध योजना	प्राप्त नहीं है	2086	2729	1609	2916	2015	3665	2100	5566	3529	3586	2100
बृहत कलकत्ता दुग्ध योजना	यथोपरि	1414	2690	1957	3600	2350	4370	2100	3500	1991	2600	1900
दिल्ली दुग्ध योजना	यथोपरि	2877	2858	2586	3373	2455	4400	1600	3681	4391	3250	3250
मद्रास दुग्ध योजना	यथोपरि	755	413	300*	1070	1155	प्राप्त नहीं हुआ	300*	1390	1486	300	300*
योग		7132	8690	8452	10959	7975	12435	6100	14137	11397	9736	7550

* मद्रास डेरी में वाणिज्यिक सप्लाई प्रयोग में लाई गई।

उत्तर प्रदेश में सब मौसमों में प्रयोग हो सकने वाले सड़क पुल का निर्माण

*12. **श्री बी० आर० शुक्ल** : : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) में घाघरा घाट में घाघरा नदी पर सब मौसमों में प्रयोग हो सकने वाले सड़क पुल का निर्माण बहुत आवश्यक है और इसका निर्माण बहुत पहले ही हो जाना चाहिये था;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या निर्माण कार्य अविलम्ब आरम्भ किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) से (ग) : बहराइच जिले में घाघरा घाट के निकट घाघरा नदी के ऊपर प्रस्तावित पुल बनने पर राज्य भार राज्य सरकार पर पड़ेगा । अतः इस परियोजना से उत्तर प्रदेश सरकार संबंधित है । अतः इस पुल की आवश्यकता का मूल्यांकन उन्हें ही करना है ।

राज्य सरकार ने पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व के राज्य सड़क/पुल के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अपने प्रस्तावों में इस पुल को शामिल किया है । अन्य बातों के साथ साथ उन्होंने पांचवीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धत्ति में नेपालगंज योजक मार्ग जो बहराइच से होकर गुजराता है जिसमें पुल भी आता है; शामिल करने का भी प्रस्ताव किया है । चूंकि उपर्युक्त दोनों कार्यक्रम अभी प्रारम्भिक चरण में हैं । अतः यह बताना समयपूर्व होगा कि प्रश्नगत पुल इनमें से किसी कार्यक्रम के अन्तर्गत आ सकेगा या नहीं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग औद्योगिक कर्मचारी सहकारी बचत तथा ऋण समिति लिमिटेड की बैठक

*13. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग औद्योगिक कर्मचारी सहकारी बचत तथा ऋण समिति लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक 22 फरवरी, 1974 को हुई थी; और

(ख) क्या दिल्ली कोपरेटिव्ज सोसाइटीज एक्ट, 1972 के अनुसार प्रत्येक सहकारी समिति की वार्षिक आम बैठक वर्ष के लिए लेखा तैयार करने के लिये निर्धारित तिथि के बाद छः महीने के अन्दर ही होनी चाहिए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां ।

इंगलैण्ड में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा किये गये अनुचित कार्य

*14. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**
श्री वसन्त साठे :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में इंगलैंड भेजे गये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा वहां किए गए कुछ अनुचित कार्यों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :

(क) और (ख) : जी, हां । 26 जून, 1974 को आयुक्त द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य 40 मिनट देर से पहुंचे थे, उक्त समारोह में इंगलैंड के खेल मंत्री सहित इंगलैंड के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद थे । उच्च आयुक्त के क्रोध व्यक्त किये जाने पर टीम के सदस्य बहिर्गमन कर गए थे, परन्तु बाद में स्वागत समारोह में पुन: शामिल हो गए थे । भारत में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष तथा टीम के प्रबन्धक, दोनों ने ही इसके लिए उच्च आयुक्त से अनेक बार क्षमा मांगी है । सरकार इस घटना को अब समाप्त समझती है ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था के विकास एवं सुधार के लिये अनेक कार्यक्रम

*15. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री तरुण गोगोई :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर अन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था के विकास एवं सुधार के लिये अनेक कार्यक्रम आरम्भ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो आरम्भ किये गये कार्यक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं और उनका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) क्या भगवती कमेटी की सिफारिशों के अनुसार कुछ जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमला पति त्रिपाठी) : (क) जी हां.

(ख) अपेक्षित सूचना वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) सरकार ने भगवती समिति की यह सिफारिश सिद्धान्त रूप से स्वीकार करली है कि कतिपय महत्वपूर्ण जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए विचार किया जाए । इस प्रश्न पर और विचार करने के लिए और उन परिस्थितियों, जहां अन्तर्देशीय जल मार्गों के लिए अधिनियम बनाया जाना चाहिए की सिफारिश करने के लिए एक समिति

नियुक्त की गई । समिति को यह भी कहा गया कि वह गंगा-भागीरथी-हुगली नदियों का अध्ययन करे और यह सिफारिश करे कि क्या उन्हें राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया जाए। हाल ही में समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और विचारों के लिए उसे सभी राज्य सरकारों और अन्य संबंधित प्राधिकारियों में परिचालित किया गया है ।

विवरण

अन्तर्देशीय जल परिवहन एक राज्य विषय है और राज्य सरकारें, इसके सुधार और विकास से मुख्यतः संबंधित हैं । परन्तु सुपरिभाषित और चुनी हुई योजनाओं के निष्पादन के लिये केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत ऋण सहायता देती है । जिन महत्वपूर्ण योजनाओं को अब तक स्वीकार किया जा चुका है, वे हैं—नौचालन नहरों का विस्तार, विभिन्न राज्यों में मौजूदा नहरों का विकास और सुधार, जलपाशों, घाटों, जेटियों का निर्माण, घरा उठाई सुविधाओं की व्यवस्था, जलमार्गों के निष्कर्षणार्थ निकर्षकों की अधिप्राप्ति, सर्वेक्षण लाचों, कर्षकों और बजरों की खरीद, नदी सेवाएं चलाने के लिए विभिन्न जलमार्गों में मार्गदर्शी परियोजनाओं को चालू करना, विभिन्न घाटों पर टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था, यात्री, माल और फेरी जहाजों की अधिप्राप्ति, जलमार्गों का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण, आदि । इनके अतिरिक्त, केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत पांडु और जोगीघोपा में अन्तर्देशीय पत्तनों का निर्माण, गंगा में नदी सेवा चलाने के लिए कर्षकों, बजरों और निकर्षकों की अधिप्राप्ति, राजाबागान डाकयार्ड और केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि० के कुल्पी वर्कशाप का विकास, कलकत्ता और आसाम के बीच नदी सेवाओं का चालू करना, कलकत्ता में उच्चतर प्रशिक्षण योजना आदि संबंधी कार्य भी चालू किया गया है । इसके परिणामस्वरूप, देश के विभिन्न पत्तनों पर जलमार्गों द्वारा यात्री और माल के परिवहन में सामान्य सुधार हुआ है । पांचवीं पंच वर्षीय योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था (26 करोड़ रुपये केन्द्रीय योजनाओं के लिए और राज्य सरकारों को ऋण सहायता के रूप में 14 करोड़ रुपये) की गई है । इस व्यवस्था में केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम आदि के बेड़े को बढ़ाना, राजाबागान डाकयार्ड का आधुनिकीकरण गंगा नदी सेवाओं का चलाना, विभिन्न राज्यों में अनुषंगी सुविधाओं सहित महत्वपूर्ण जलमार्गों का विकास और सुधार, जहाजों की अधिप्राप्ति और आधुनिकीकरण के लिए निजी ठेकेदारों को ऋण सहायता की व्यवस्था की योजना शामिल है ।

जाली बीज फर्मों के विरुद्ध जांच

*16. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री पी० गंगादेब :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान "बीज कांड से सम्बद्ध नकली फार्मों और व्यक्तियों (इम्पास्टर्स एण्ड बोगस फर्म्स इन सीड्स रैकेट) के बारे में 20 जून, 1974 के समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिंदे) : (क) जी हां ।

(ख) समाचार-पत्र में उल्लिखित चार विशिष्ट मामलों में से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की सरकारों से बीज के लिए उत्तर प्रदेश से गेहूं और धान ले जाने के बारे में विस्तृत रिपोर्टें मंगाई गई हैं ।

जहां तक श्री आर० सी० शर्मा की गतिविधियों से सम्बन्धित तीसरे मामले का प्रश्न है, तराई विकास निगम ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि यह व्यक्ति विभिन्न उप-नामों से छद्म रूप से गोविन्द बल्लभ पन्त विश्वविद्यालय तराई विकास निगम के बीजों के प्राधिकृत एजेंट के तौर पर काम कर रहा था । यह भी बताया गया है कि पुलिस ने उसे सितम्बर, 1973 को मऊ (मध्य प्रदेश) में पकड़ा था । मध्य प्रदेश सरकार से पुलिस की जांच के परिणाम पर एक रिपोर्ट मंगाई गई है ।

जहां तक ओंकार सिंह मलिक के बारे में चौथे मामले का प्रश्न है, तराई विकास निगम ने समाचार पत्र में छपे ब्यौरे की पुष्टि की है । गोबिन्द बल्लभ पन्त विश्वविद्यालय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और इस मामले से सम्बन्धित सभी कागजात पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को सौंप दिये गए हैं । उत्तर प्रदेश सरकार से पुलिस द्वारा की गई जांच-पड़ताल के निष्कर्षों के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट मंगाई गई है ।

Basis for increase in price of and self-sufficiency in Fertiliser

*17. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Sarjoo Pandey:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to **state:**

(a) the basis on which Government have increased the price of fertilizers.

(b) the rates at which fertilizers have been imported from other countries;

(c) the prices at which the fertilizers were sold to the farmers; and

(d) the time by which the country is likely to become self-sufficient in fertilizers?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) The recent increases in the prices of fertilizers have been worked out taking into consideration the increased cost of imported fertilizers and the increases in the cost of production of indigeneous production.

(b) The rates at which the following major fertilizers are being imported from other countries during the current year, are as follows:—

Name of Fertilizer	*C & F Cost Rs. per tonne*
Urea	2233 to 2708
Ammonium Sulphate	974 to 1467
Calcium Ammonium Nitrate (26% N)	1850 to 1985
Muriate of Potash	741, 937
Ammonium Nitro-Phosphate	1664
Di-Ammonium Phasphate	2120

These are cost plus freight prices only and do not include import duties, landing charges, handling charges, storage charges, inland freight etc.

(c) Retail prices of the following major imported fertilizers from 1st June, 1974, are as follows:—

Name of Fertilizer	*Rs. per tonne*
Urea	2000
Ammonium Sulphate	935
Calcium Ammonium Nitrate (26% N)	1145
Muriate of Potash	1220
Ammonium Nitro-Phosphate	1855
Di-Ammonium Phosphate	3005

(d) Projections of consumption and production of fertilizers have so far been made only upto the end of the Fifth Five Year Plan. According to these estimates, against a requirement of 52 lakh tonnes of Nitrogen and 18 lakh tonnes of P_2O_5 in 1978-79, the domestic production is estimated to be 40 lakh tonnes of Nitrogen and 12 lakh tonnes of P_2O_5. Potassic fertilizers are not being produced in the country.

कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति का प्रतिवेदन

*18. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय के पुनर्गठन तथा विकास से सम्बद्ध समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित की गई समिति ने अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया है ; तथा इसकी एक मुख्य सिफारिश यह है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाये और इसका सारा खर्च मुख्यत केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाया जाये ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन : (क) और (ख) आशा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बन्धित समिति अपनी रिपोर्ट आयोग को शीघ्र ही पेश कर देगी।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 (वैस्ट कोस्ट रोड)

*19. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 (वैस्ट कोस्ट रोड) पर चालू वित्त वर्ष में कौन से निर्माण-कार्य किये जाने का प्रस्ताव है और उन पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ख) इन निर्माण-कार्यों के कब तक प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमला पति त्रिपाठी) : (क) और (ख). सम्भवतया माननीय सदस्य शुरू किये जाने वाले नये कार्यों का, न कि उन कार्यों का जो पहले से ही प्रगति पर हैं, का उल्लेख कर रहे हैं।

धन की उपलब्धता पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 पर निम्नलिखित कार्य किये जाने हैं :—

महाराष्ट्र :

(1) रत्नगिरि जिले में खंड 9(208/2 मी० से० 222/2 मी०) में पुनर्संरखेण/पुनर्वगीकरण

(2) पनवेल से इतखंबा खंड के 174/7 से 174/8 में पुलियों को फिर से ढैक और चौड़ा करना ।

गोवा :

(3) मालपाम—पन्नदेवी खंड पर तारकोल बिछाना ।

(4) कोटालिम की ओर भाग 11 पर जुआरी पुल के पहुंचमार्गों का निर्माण । निर्माण-कार्यों के अनुमान विचाराधीन है ।

श्याम लाल कालेज, शाहदरा, दिल्ली के बन्द करने की धमकी

***20. श्री रानेन सेन :**

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्यामलाल कालेज, शाहदरा, दिल्ली के प्रबन्धकों ने कालेज बन्द करने की धमकी दी है और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के निर्णय को मानने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) क्या छात्रों तथा अन्य लोगों ने कालेज बन्द करने देने के प्रति विरोध प्रकट किया है ;

(ग) यदि हां, तो कालेज खुला रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन): (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार श्यामलाल कालज न्यास, श्यामलाल कालेज, शाहदरा की अभिभावक निकाय ने कुछ समय पहले एक संकल्प पारित किया था जिसमें कालेज की शासी निकाय को इस बात की सिफारिश की थी कि कालेज को क्रमिक रूप से बन्द कर दिया जाये। न्यास की सिफारिश पर शासी निकाय द्वारा विचार किया गया था, जिसने कालेज को बन्द न करने का निर्णय किया है ।

शक्ति नगर, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन को हथियाने के बारे में शिकायतें

***21. श्री एस० एम० मिश्र :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को शक्तिनगर, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन हथिया लिये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) क्या जमीन पर उस क्षेत्र के प्रभावशाली तथा धनवान लोगों और राजनीतिज्ञों ने जबरन कब्जा कर रखा है ; और

(ग) क्या उन्होंने निर्माण कार्य जून, 1974 के दौरान ही किया जब कि यह कहा गया है कि इस भूमि पर 1952 में कब्जा किया गया था ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) गन्दा नाला, शक्ति नगर, दिल्ली के समीप प्लाट न० 39/24 के पश्चिम में स्थित 150 गज (लगभग) के एक भूखण्ड के अनधिकृत दखल के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) भूमि पर "श्री त्रिलोकमुनि धर्मार्थ औषधालय एवम् वाचनालय" नामक एक संस्था ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है।

(ग) निर्माण-कार्य हाल ही में किया गया है परन्तु निर्माण की सही तारीख का पता नहीं है।

हरदयोल को गया भारत-न्यूजीलैण्ड महिला पर्वतारोही दल

2. श्री एस० एन० मिश्र :
श्री बनमाली पटनायक :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित हरदयोल को गये संयुक्त भारत-न्यूजीलैण्ड महिला पर्वतारोही दल के चार सदस्यों के इस वर्ष 4 जून को गुम हो जाने का समाचार मिला है ;

(ख) पर्वतारोहियों की खोज निकालने के लिए क्या कदम उठाये गये ;

(ग) क्या महिला पर्वतारोही सभी आवश्यक उपकरणों से लैस थे और भेजने वाली संस्था ने सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये थे ; और

(घ) क्या पर्वतारोही अभियान दलों के सदस्यों को तैयार करने के उपाय और तकनीक पर कोई रोक लगाने का सरकार का कोई विचार है ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं कम हो सकें ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी, हां। 30 मई, 1974 को उनके गुम होने की रिपोर्ट मिली थी।

(ख) भारतीय वायु सेना हेलीकोप्टरों के कुछ दलों तथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस दल ने 8 जून, 1974 तक गुमशुदा व्यक्तियों की खोज की।

(ग) और (घ). भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान ने बताया है कि सभी चढ़ाई करने वाले व्यक्ति सामान्य पर्वतारोहण उपस्करों से सुसज्जित थे। प्रतिष्ठान ने इसकी जांच करने के लिए एक जांच-न्यायालय की स्थापना की है जो दुर्घटना होने के कारणों की रिपोर्ट देगा, इस जांच-न्यायालय से जुलाई, 1974 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा की जाती है, तत्पश्चात् ही भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान द्वारा यथावश्यक कार्रवाई की जायेगी।

बमारा, उड़ीसा में मत्स्य ग्रहण बन्दरगाह

3. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से उड़ीसा में बालासौर जिले के बमारा स्थित मत्स्य ग्रहण बन्दरगाह के बारे में कुछ स्पष्टीकरण तथा अतिरिक्त सूचना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो पंचवर्षीय योजना के दौरान बन्दरगाह परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं, अभी नहीं।

(ख) उड़ीसा सरकार से स्पष्टीकरण और अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने के बाद इस परियोजना के आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर होने तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मात्सयकी बन्दरगाहों के लिए धनराशि की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना पर विचार किया जाएगा ।

शिप बिल्डिंग यार्डों के बारे में प्रतिवेदन

4. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिप बिल्डिंग यार्ड स्थापित करने हेतु स्थलों की सिफारिश करने के लिये बड़े पत्तनों का ब्यौरे-बार अध्ययन करने हेतु नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के विकास के लिये किन किन बड़े पत्तनों की सिफारिश की गई है ; और

(ग) क्या उड़ीसा का पारादीप पत्तन उनमें से एक है और यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) : अधिकारियों के एक कार्य दल द्वारा प्रस्तुत विभिन्न तकनीकी एवं पहलुओं पर सरकार विचार कर रही है।

आंध्र प्रदेश के लिये केन्द्रीय विश्वविद्यालय

5. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के लिए छः सूत्रीय फार्मूले में परिकल्पित केन्द्रीय विश्वविद्यालय की योजना को स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हैदराबाद में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने से सम्बन्धित विधेयक को संसद के चालू सत्र में पेश करने का प्रस्ताव है ।

खरीफ फसल के लिए कर्नाटक के किसानों के उर्वरक और बीज सप्लाई करने के लिये प्रबंध

6. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक राज्य एक और अन्न संकट का सामना करने जा रहा है क्योंकि खरीफ फसल के लिए किसानों की उर्वरक और बीज सप्लाई करने के लिए पर्याप्त प्रबंध नहीं किए गए है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जहां तक खरीफ 1974 के उत्पादन कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, इस मौसम के लिए राज्य की उर्वरकों की जरूरतो का अनुमान जनवरी, 1974 में लगाया गया । अनुमान लगाई हुई इन जरूरतों के लिए सप्लाई, आयात तथा देश में बने उर्वरकों द्वारा की जा रही है । तथापि , देश में उर्वरक की सामान्य कमी की वजह से राज्यों की उर्वरकों की सप्लाई में कुछ कमी हो सकती है । जहां तक बीजों का सम्बन्ध है, उनकी मांग का अनुमान लगाना और राज्य में इनके उत्पादन या बाहरी एजेंसियों से उनके क्रय का प्रबन्ध करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । खरीफ 1974 के लिए बीज के सम्बन्ध में अग्रिम योजना जनवरी, 1974 में हुए क्षेत्रीय सम्मेलन में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद बनाई गई थी । राज्य सरकार द्वारा खरीफ 1974 के कार्यक्रमों के लिए काफी मात्रा में बीजों की व्यवस्था की गई है ।

मई, 1974 तक वसूल किया गया गेहूं

7. **श्री नरेन्द्र सिंह** :
श्री रामकंवर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1974 के अन्त तक सरकारी संस्थाओं द्वारा देश भर में कुल कितना गेहूं वसूल किया गया ;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य इस योजना के लिए निर्धारित रूप से पीछे है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चालू रबी विपणन मौसम, 1974-75 के दौरान मई, 1974 के अन्त तक 7.85 लाख मीटरी टन गेहूं अधिप्राप्ति किया गया है।

(ख) और (ग) चालू रबी विपणन मौसम, (1974-75) के दौरान विभिन्न राज्यों में गेहूं की अधिप्राप्ति के लिए कोई निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने की दृष्टि से गेहूं के विभिन्न अधिशेष राज्यों में कई, पग उठाए गए हैं जैसे कि स्टाक अधिग्रहण करना, काश्तकारों से सीधे खरीदारी, उर्वरकों और सीमेंट के वितरण से अधिप्राप्ति जोड़ना, उत्पादकों पर लेवी आदि।

नेशनल बिल्डिंग आरगेनाइजेशन का पुनर्गठन और विस्तार

8. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बिल्डिंग आरगेनाइजेशन का पुनर्गठन और विस्तार सम्बन्धी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) : राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु संगठन की कार्य समिति की एक उपसमिति इस बात पर विचार कर रही है कि क्या ऐसे पुनर्गठन की कोई आवश्यकता है।

भारतीय खाद्य निगम के उपरिव्यय को कम करने सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

9. **श्री नरेन्द्र सिंह**
श्री महेन्द्र सिंह गिल
श्री एच० एन० मुखर्जी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के संचालन-व्यय में कमी करने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए संगठित समिति ने अपनी स्थिति सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) : जी हां,

(ख) समिति ने परिचालन सम्बन्धी लागत और प्रशासनिक ऊपरी खर्चों आदि को कम करने के लिए कई सिफारिशें की है और रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का तन्त्र तैयार कर रहा है।

मूल्यों में वृद्धि के बावजूद दिल्ली में डबल रोटी की कमी

10. **श्री राम कंवर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य वृद्धि के बावजूद गत छः महीनों के दौरान दिल्ली में डबल रोटी की अत्याधिक कमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली में डबल रोटी की अत्याधिक कमी कभी नहीं थी।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पुरानी चयन समिति का विघटन

11. **श्री देवेन्द्र सिंह गारचा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक नई समिति का गठन किए बिना अध्यापकों के लिए पुरानी चयन समिति का विघटन कर दिया है और कालेजों को वर्तमान रिक्त स्थानों को तदर्थ नियुक्तियों द्वारा भरने की सलाह दी है ; और

(ख) क्या इस नीति के कारण लगभग 200 विश्वविद्यालय अध्यापकों का भविष्य अनिश्चित हो गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख). जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, विश्वविद्यालय के कोलेजों के सम्बन्धित अध्यापक-छात्र अनुपात टयुटोरियल तथा प्रिसेप्टोरियल योजना आदि के कार्यकरण के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। आयोग की पहल पर विश्वविद्यालय ने कालेजों से उक्त समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा निर्णय लेने तक लेक्चरारों के रिक्त पदों को अस्थायी तौर पर भरने के लिए कहा है।

भारतीय वनस्पति निर्माता संघ द्वारा वनस्पति तेल की कीमतों में वृद्धि करने की मांग

12. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वनस्पति निर्माता संघ ने सरकार से वनस्पति तेल के पश्चात् मूल्य में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). वनस्पति निर्माता एसोसियेशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि या तो वनस्पति के मूल्यों में नियंत्रण उठाया जाए या

पाक्षिक समीक्षा के आधार पर खाद्य तेल के मूल्य के उतार चढ़ाव के साथ वनस्पति के मूल्य में तदनुसार वृद्धि या कमी करने की अनुमति दी जाए ; ताकि उत्पादन के स्तर में सुधार और इनकी उपलब्धता बढ़ाई जा सके।

सरकारी कर्मचारियों को ऋण दिया जाना पुनः आरम्भ करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण का अनुरोध

13. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उनके मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि ऐसे व्यक्तियों को जो, उन्हें आबंटित फ्लैटों के लिए किस्तों का भुगतान नहीं कर सकते, आवास अनुदान ऋण दिया जाना पुनः आरम्भ किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी, हां।

(ख) निधियों की कमी के कारण, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सरकारी कर्मचारियों को आबंटित किए गए फ्लैटों की पूरी लागत अदा करने के लिए, गृह निर्माण अग्रिम हेतु नये आवेदन स्वीकार करना सम्भव नहीं है। तथापि, प्राधिकरण से यह अनुरोध किया गया है कि वह इन आबंटनों को, "नकद" से "किराया खरीद" आधार में बदलने के बारे में विचार करे।

खाद्य नीति का पुनर्विलोकन

14. **श्री पी० गंगादेव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई खाद्य नीति का पुनर्विलोकन करने जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें कोई परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :

(क) से (ग). प्रभावी कार्यान्वियन के लिए खाद्य नीति की समय समय पर समीक्षा करनी होती है ताकि नीति विषयक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समय समय पर उपयुक्त पग उठाए जा सकें।

बन्दरगाहों पर उर्वरक जमा हो जाना

15. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 60 करोड़ रुपये मूल्य के उर्वरक बन्दरगाहों पर जमा हो गये हे ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) : जी, नहीं, मई, 1974 में रेलों की हड़ताल और बाद में उसके प्रभाव के कारण कुछ उर्वरक इकट्ठे हो गए थे, लेकिन रेलों और सड़क परिवहन से अधिकतम उर्वरक भेजने की व्यवस्था की गई और उर्वरकों का स्टाक ही घट कर सामान्य स्तर पर आ गया था।

उर्वरकों का मूल्य, आवश्यकता और सप्लाई

16. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री रघु नन्दन लाल भाटिया :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रासायनिक उर्वरकों की कच्ची सामग्री के मूल्य में बहुत अधिक वद्धि होने के कारण उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि हो जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में उर्वरकों की आवश्यकता और सप्लाई में अन्तर अगामी वर्ष में और बढ़ जायेगा;

(ग) यदि हां, तो इसके उत्पादन में वृद्धि करने तथा उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ; और

(घ) कारबनिक और गैर-कारबनिक उर्वरकों के मिश्रित प्रयोग के तरीके निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) आयातित और देश में उत्पादित यूरिया, अमोनियम सल्फेट तथा कल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के सांविधिक तौर पर अधिकतम खुदरा मूल्य और केन्द्रीय उर्वरक पूल के जरिए आयातित और वितरित किये जाने वाले अन्य उर्वरकों के खुदरा मूल्य 1 जून, 1974 से बढ़ा दिये गये थे। इस समय उर्वरकों के मूल्यों में और वद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यदि कच्चे माल के मूल्य बढ़ जायें तो निर्माता देश में उत्पादित उर्वरकों के जिन पर कोई नियंत्रण नहीं है, मूल्य बढ़ा सकते हैं। विश्व की मंडियों में उर्वरकों के मूल्य में और वद्धि भी हो सकती है।

(ख) आगामी वर्षों में देश में उर्वरकों की मांग और सप्लाई में कुछ अन्तर होने की सम्भावना है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं कि यह अन्तर देशी उत्पादन बढ़ाकर यथासम्भव कम किया जाये।

(ग) वतमान उर्वरक कारखानों की क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करने की ओर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उर्वरक कारखानों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने, क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने में बाधा डालने वाले पहलुओं का पता लगाने और बाधा उत्पन्न करने वाले पहलुओं को दूर करने के उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञ के एक दल का गठन करने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा, 1978–79 तक कुल 70 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन (जिसमें 10 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन के लिए अग्रिम कार्यवाही भी शामिल है) और 17 लाख मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ का उत्पादन करने की क्षमता का विकास करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।

1743(ai) LSD—3

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् कम्पोस्ट में फास्फेट का तत्व बढ़ाने के लिए सुपर-फास्फेट से उसे और पुष्ट करने के प्रश्न पर कार्य कर रही है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे पोषक तत्वों के आधार पर अकार्बनिक उर्वरकों के साथ-साथ 1 : 1 के अनुपात में कार्बनिक खाद का प्रयोग करें ।

स्वीडन की सहायता से जहाज निर्माण उद्योग का आधुनिकीकरण

17. श्री पी० गंगादेव :
श्री अनादि चरण दास :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन की सहायता से अपने जहाज निर्माण उद्योग को आधुनिक बनाने में भारत रुचि रखता है;

(ख) यदि, तो क्या भारत स्वीडन से पंडुबियां प्राप्त करने जा रहा है ;

(ग) क्या स्वीडन के साथ इस सौदे में भारत के तीन शिपयार्डों का पुनर्गठन और पंडुबियों की प्राप्ति भी शामिल है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में तथ्य क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :(क) भारत मित्र देशों की सहायता से अपने पोत निर्माण उद्योग का आधुनिकीकरण करना चाहता है।

(ख) से (घ) : इस सम्बन्ध में कोई जानकारी देना लोक हित नहीं होगा ।

जन, 1974 तक और गत वर्ष की इसी अवधि में गेहूं की वसूली

18. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 11 जून, 1974 को यह दावा किया कि आज तक कुल 10 लाख टन गेहूं वसूल कर लिया गया है ;

(ख) क्या गत वर्ष की इसी अवधि में गेहूं की कुल वसूली 30,50,000 टन थी; और

(ग) यदि हां, तो इस बार इतनी थोडी मात्रा में गेहूं वसूल करने का क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : 11 जून, 1974 की रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष (रबी 1974–75) में 10.08 लाख मीटरी टन गेहूं अधि-प्राप्त किया गया है, जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में 35.74 लाख मीटरी टन अधिप्राप्ति हुई थी। ये दोनों अधिप्राप्ति के आंकडे वस्तुतः तुलनात्मक नहीं है क्योंकि पिछले वर्ष वस्तुयः जितना अनाज मंडियों में आया था वे सरकारी एजेंसियों द्वारा अधिप्राप्त कर लिया गया था लेकिन इस वर्ष व्यापारियों द्वारा मण्डियों की खरीदारी का केवल 50 प्रतिशत अधिप्राप्त करना है ।

(ग) चालू रबी विपणन मौसम 1974–75 के दौरान गेहूं की थोड़ी मात्रा के अधिप्राप्त होने के कारण इस प्रकार हैं :–

(1) पंजाब और हरियाणा में देर से कटाई

(2) उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में फसल को भारी क्षति

(3) विशेषतया कम आमद की अवधि में उससे भी अच्छी कीमत पाने की आशा में उत्पादकों द्वारा स्टाक रोक लेना और इसके फलस्वरूप थोड़ी आमद होना।

(4) उत्पादकों तथा बेइमान व्यापारियों द्वारा लेवी से बचने के लिए मंडी के बाहर सौदे करना।

बड़े पैमाने पर गृह निर्माण कार्यक्रम आरम्भ करने के लिये दिल्ली प्रशासन को जीवन बीमा निगम का आश्वासन

19. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने बड़े पैमाने पर गृह-निर्माण कार्यक्रम आरम्भ करने के लिये दिल्ली प्रशासन को आश्वासन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) : भारतीय जीवन बीमा निगम ने ग्रुप हाउसिंग के लिये भूमि के आबंटन हेतु आवेदन किया है। उनके अनुसार, उनकी ग्रुप हाउसिंग कालोनियों में मध्यम आय-वर्ग तथा निम्न आय-वर्ग के लिए बहुमंजिले वाक-अप फ्लैट एक उपयुक्त योजना के अनुसार बनाये जायेंगे तथा उनका निपटान किया जायेगा। जिस व्यक्ति के पास दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली छावनी में अपना एक प्लाट अथवा टेनामेंट है वह फ्लैट के आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा। जिन व्यक्तियों के नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीबद्ध हैं उन्हें आबटन में साधारणतया प्राथमिकता दी जायेगी। फ्लैटों का विक्रय मूल्य जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारित किया जाएगा जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये इसी प्रकार के फ्लैटों के मूल्य के तुल्य होगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय में सेलेक्शन ग्रेड का समाप्त किया जाना

20. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में सेलेक्शन ग्रेड को समाप्त करने की घोषणा का अध्यापक संघ ने विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख): हाल ही में घोषित संशोधित वेतनमानों में दिल्ली के कालेजों में सेलेक्शन ग्रेड यदि कोई हो, तो इसे देने के प्रश्न पर, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये अन्न की सप्लाई में कमी करने का प्रस्ताव

21. **श्री पी० ए० सामिनाथन् :**
श्री वी० मायावन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये खाद्यान्न की सप्लाई में काफी कमी करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). कृषि मूल्य आयोग ने ऐसी कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है। विशेषकर कमी वाले राज्यों के खुले बाजार में गेहूं और मोटे अनाज की उपलब्धता में सुधार होने से ऐसी आशा है कि केन्द्रीय भण्डार से किये जाने वाले आवंटन में कमी हो जायेगी। सरकार समय-समय पर सरकारी वितरण प्रणाली के क्षेत्र और उसकी गुंजाइश की समीक्षा करती रहती है।

दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली सदस्यों से शपथ-पत्र मांगा जाना

22. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने पूरे रिकार्ड न होने के कारण वास्तविक सदस्यों की सूची अंतिम रूप देने के लिये दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली के सदस्यों से शपथ पत्र मांगे थे;

(ख) यदि हां, तो जिन सदस्यों ने शपथ पत्र दायर कर दिये हैं उनके नाम और पते क्या हैं, और उनमें से प्रत्येक ने कितनी राशि जमा कराई है और वे किस वर्ष में सोसाइटी के सदस्य बने;

(ग) क्या वास्तविक सदस्यों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। दिल्ली प्रशासन ने मार्च, 1974 में नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले हिन्दी, उर्दू तथा अंग्रेजी के बहुत से समाचारपत्रों में इस प्रयोजन के लिए नोटिस जारी किये थे जिनमें दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के सदस्य होने का दावा रखने वाले सभी व्यक्तियों से यह कहा गया था कि वे 16 अप्रैल, 1974 तक सहायक पंजीयक, सहकारी सोसायटियां, दिल्ली के पास शपथ-पत्र भेज दें। नोटिसों की 500 प्रतियां शिक्षा निदेशक, दिल्ली प्रशासन के पास भी इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे इन्हें दिल्ली के स्कूलों में परिचालित करें और इस मामले का अधिक से अधिक प्रचार करें।

(ख) और (ग). 31–5–74 तक दिल्ली प्रशासन को 1405 शपथ-पत्र प्राप्त हुए थ। जिन व्यक्तियों से शपथ-पत्र प्राप्त हुए हैं उनके ब्योरों से संबंधित जानकारी की उस जांच अधिकारी, जिसे यह मामला भेजा गया है, द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। जांच अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना की जांच-पड़ताल पूरी करने के बाद ही वास्तविक सदस्यों की सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

(घ) चूंकि इस मामले में कोई अनावश्यक देरी नहीं हुई है, इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के सदस्यों द्वारा शपथ-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायत

23. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली के उन सदस्यों द्वारा शपथ–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है जिनके पास दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पहले से ही मकान/प्लाट हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ग) क्या ये शिकायतें सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा दायर किये गये शपथ–पत्रों की जांच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त समिति को भेज दी गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)

(क) जी हां।

(ख) एक।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चालू वित्तीय वर्ष में बिहार को खाद्यान्न का आवंटन

24. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार का बिहार राज्य को कुल कितना खाद्यान्न आवंटित करने का विचार है और इससे राज्य सरकार की कितनी आवश्यकता पूरी होगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार को अब तक निम्नलिखित आवंटन किया गया है :—

(हजार मी० टन म)

महीना	आवंटन	
	गेहु	माइलो
अप्रैल	35.0	5.0
मई	35.0	5.0
जून	35.0	5.0
जुलाई	35.0	5.0

केन्द्रीय पूल से प्रत्येक मास खाद्यान्नों का आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता कमी वाले राज्यो की आवश्यकताओं राज्य सरकारों के पास स्टाक की उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रख कर किया जाता है ।

निश्चित् मूल्य से अधिक मूल्य पर गेहूं बेचने के कारण गिरफ्तार व्यक्ति

25. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान निश्चित मूल्य से अधिक दाम पर गेहूं बेचने सम्बन्धी आदेश का उल्लघन करने के कारण कोई गिरफ्तारियां की गई ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी गिरफ्तारियां की गयीं और सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान सम्बन्धी भारत—अर्जनटाइना करार

26. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अर्जनटाइना में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान के सम्बन्ध में करार पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां। अर्जनटाइना गणराज्य की सरकार के साथ 28–5–1974 को ब्यूनस आयर्स में एक सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। तथापि, यह करार अनुसमर्थन लिखितों के विनिमय की तारीख से 30 दिन के बाद लागू होगा, जो कि अभी किया जाना है ।

(ख) इस करार के अन्तर्गत दोनों देशों के बीच कला और संस्कृति, शिक्षा, सूचना के जन साधनों खेलकूद तथा पत्रकारिता के क्षेत्रों में संघकों को विकसित और प्रोन्नत करने की व्यवस्था है । करार में, शिक्षाविदों, प्रोफेसरों, कलाकारों, लेखकों और नृत्य तथा संगीत मण्डलियों, चल चित्रण के क्षेत्र में विशेषज्ञों, पुरातत्वविदों, प्रकाशनों, कला–प्रदर्शनियों, दोनों देशों द्वारा छात्रवृत्तियों प्रदान करने, फिल्मों, वृत्त–चित्रों और रिकार्ड किए गए रेडियो कार्यक्रमों आदि के विनिमय द्वारा इन उदेश्यों की प्राप्ति के लिए व्यवस्था की गई है। करार के अन्तर्गत दोनों देशों की शिक्षा संस्थाओ द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों और डिप्लोमाओं की समकक्षता के लिए कदम उठाने की भी व्यवस्था है ।

करार की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

चम्बल पुल के गिर जाने के कारण

27. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बल पुल का निर्माण किस कम्पनी ने किया था,

(ख) चार मेहराब वाले खम्बों के गिर जाने के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट क्या है; और

(ग) पुल की लागत क्या थी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) इस पुल के निर्माण के लिये मैसर्स जेसी० गेमन लिमिटेड ठेकेदार थे।

(ख) समिति की रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है और उसकी जांच की जा रही है। समिति के निष्कर्ष के अनुसार चार मेहराबी पार्टों के गिर जाने का कारण पाया स० 17 की नींव का धंस जाना है।

(ग) स्वीकृत निविदा के अनुसार पुलकी लागत केवल 38.88 लाख रुपये थी।

कपास, दालों तम्बाकू, चावल और गेहूं की खेती के अधीन भूमि

28. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 और 1973–74 में और जुलाई, 1974 तक प्रत्येक राज्य में कपास, दालो और तम्बाकू की खेती के लिये कुल कितनी भूमि उपलब्ध थी; और

(ख) प्रत्येक राज्य में वर्ष 1971–72 और 1973–74 के दौरान तथा जुलाई, 1974 तक कुल कितनी भूमि में गेहूं और चावल की खेती की गयी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) आंकड़े विभिन्न फसलों की वास्तविक बुवाई के क्षेत्र के आधार पर इकट्ठे किए जाते हैं न कि विभिन्न फसलों की खेती के लिये उपलब्ध क्षेत्र के आधार पर। 1971–72 और 1972–73 के दौरान विभिन्न राज्यों में कपास, दालों, तम्बाकू, चावल और गेहुं की बुवाई के क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 7086/74]** वर्ष 1973–74 के लिये समस्त राज्यों से इस प्रकार के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। वर्ष 1974–75 की फसलों के लिये प्रारम्भ की गई बुवाई के बारे में भी अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 1973 और 1974 के दौरान खाद्य तेल के मूल्य में वृद्धि

29. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :**
श्री सी० जनार्दनन :
श्री विजय पाल सिंह :
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल से जुलाई, 1974 के दौरान खाद्य तेल के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1973 से जुलाई, 1974 के बीच खाद्य तेल के मूल्यो में कितनी बार वृद्धि हुई है और प्रत्येक बार कितनी-कितनी वृद्धि करने दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) निम्नलिखित सारणी में मार्च, 1974 के अंतिम सप्ताह से महत्वपूर्ण खाद्य तेलों के थोक मूल्यों के अखिल भारतीय सूचकांक दिये गये हैं :—

(आधार वर्ष 1961–62=100)

सप्ताह अन्त	खाद्य तेलें	मूंगफली का तेल	सरसों का तेल	तिल का तेल तेल	नारियल का तेल
30 मार्च, 1974	379.3	385.9	418.6	337.7	478.3
27 अप्रैल, 1974	390.5	401.3	422.0	341.4	509.4
25 मई, 1974	399.5	413.2	437.6	361.3	502.4
1 जून, 1974	398.2	409.1	440.5	364.5	501.8
8 जून, 1974	400.5	415.7	442.5	360.2	493.2
15 जून, 1974	419.9	428.4	442.6	361.5	502.9
22 जून, 1974	420.0	428.1	445.4	361.1	499.7
29 जून, 1974	418.9	426.2	447.9	361.4	493.3

अप्रैल तथा जून, 1974 के दूसरे/तीसरे सप्ताह के दौरान खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। जून, के अनुवर्ती सप्ताहों में मूंगफली, तिल तथा नारियल के तेलों के मूल्यों में कुछ गिरावट आई, परन्तु सरसों के तेल के मूल्यों में वृद्धि होती रही। नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट से पता चलता है कि जुलाई के प्रथम दो सप्ताहों में कुछ रिपोर्ट भेजने वाले केन्द्रों में मूंगफली के तेल के मूल्यों में और गिरावट आई है। (ख) पिछले वर्ष कम फसल होने से कम स्टाक बेचने, व्यापारियों तथा बड़े किसानों द्वारा सट्टे की दृष्टि से स्टाक की जमाखोरी करने, सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होने और विश्व को महत्वपूर्ण मण्डियों में तिलहनों तथा तेलों के मूल्यों में वृद्धि होने आदि के फलस्वरूप चालू वर्ष के दौरान खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। (ग) खाद्य तेलों के मूल्य को सरकार निर्धारित नहीं करती। परन्तु, सरकार ने वर्ष 1973 में तीन बार और 1974 में दो बार वनस्पति के मूल्य बढ़ाये हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है :—

(पैसे प्रति किलोग्राम)

	उत्तरी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र
2–1–1973	(+) 9.40	(+) 5.40	(+) 5.40	(+) 6.40
1–6–1973	(+) 0.75	(+) .75	(+) 9.75	(+) 6.75
16–7–1973	(+) 6.75	(+) 6.75	(+) 6.75	(+) 6.75
1–2–1974	(+) 8.55	(+) .60	(+) .60	(+) 6.60
				पश्चिम (ग)**
15–6–1974	(+) 1.85	(+) 1.95	(+) 2.20	(+) 1.95
				पश्चिम (घ)*
				(+) 1.80
				(+) 6.54
				पश्चिम (गु)ने*
				पश्चिम (गु)**

यह भी उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि सब क्षेत्रों में 16–11–1973 तथा 1–12–1973 को वनस्पति के मूल्यो 20 पैसे प्रति किलोग्राम कम कर दिए गये थे।

*महाराष्ट्र **गुजरात

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा स्वास्थ्यप्रद लंच पैकेट की व्यवस्था

30. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने पार्लियामेंट स्ट्रीट और कनाट प्लेस क्षत्रों में दफ्तर जाने वालों को उचित दरों पर स्वास्थ्यप्रद लंच पैकेट देने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किये जाने की आशा है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). नई दिल्ली नगर पालिका ने मामले पर अभी तक औपचारिक रूप से निर्णय नहीं लिया है ।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों के माध्यम से आय कर अदा न करने वाले व्यक्तियों को खाद्यान्न का वितरण

31. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में उचित दर की दुकान के माध्यम से खाद्य। के वितरण में कटौती करने की योजना बना रही है ;

(ख) क्या खाद्यान्न का वितरण केवल आयकर अदा न करने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो अपनाई जाने वाली नई प्रणाली किस प्रकार की है और आयकर अदा करने वाले व्यक्तियों को अलग करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि केवल गैर-आयकर दाताओं को खाद्यान्न वितरण करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

खाद्यान्नों की वसूली और वितरण

32. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :
श्री बसन्त साठे :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में खाद्यान्नों की वसूली बहुत ही असन्तोषजनक रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये राज्यवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और उसमें से कितना लक्ष्य प्राप्त किया जा सका है ;

(ग) क्या वसूल किया गया खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगा और इसमें कितनी सम्भावित कमी होगी ; और

(घ) यह कमी किस प्रकार दूर की जायेगी और रक्षित भण्डार की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). 1973-74 के खरीफ मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों में चावल और खरीफ के मोटे अनाजों के अधिप्राप्ति

लक्ष्य और वास्तविक अभिप्राप्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण (परिशिष्ट–1) में दिया जाता है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7087/74]**

1974–75 मौसम के दौरान गेहूं की अधिप्राप्ति का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । तथापि, रबी मौसम 1974–75 के दौरान विभिन्न राज्यों में गेहूं की अधिप्राप्ति मात्रा का ब्यौरा भी संलग्न विवरण (परिशिष्ट–2) में दिया जाता है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7087/74]** 1973–74 की खरीफ फसल और 1974–75 की रबी फसल से अधिप्राप्ति चल रही है और इस व्यवस्था में अधिप्राप्ति में होने वाली कमी बताना सम्भव नहीं है ।

(ग) और (घ). गेहूं की अधिप्राप्ति अभी चल रही है और सरकारी वितरण प्रणाली की जरूरतें पूरी करने के लिये इस व्यस्था में अधिप्राप्त खाद्यान्नों की पर्याप्तता का हिसाब लगाना सम्भव नहीं है । विदेशों से सरकारी वितरण प्रणाली की जरूरतें पूरी करने के लिये यथाआवश्यक मात्रा में खाद्यान्नों के आयात के प्रबन्ध भी किये गये हैं ।

केन्द्रीय पूल और राज्य सरकारों के पास पहली जून, 1974 को 38 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक था ।

गेहूं का न्यूनतम मूल्य निर्धारित न किया जाना

33. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि सरकार ने गर-लेवी के गेहूं के 150 रुपये प्रति क्विंटल के अधिकतम मूल्य की घोषणा की है और उसे लागू नहीं किया गया है तथापि गेहूं के उस न्यूनतम मूल्य की घोषणा नहीं की गई है जिस पर व्यापारी उसे किसानों से खरीदेंगे ;

(ख) क्या इस कमी से एक ओर बड़े किसानों और व्यापारियों तथा दूसरी ओर व्यापारियों और सरकारी ऐजेंटों के बीच सांठ-गांठ हो सकती है ; और

(ग) क्या इससे उपभोक्ता पूर्णतया व्यापारियों और बढ़ते हुये मूल्यों पर निर्भर रहेगा और यदि हां, तो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). गेहूं का अधिप्राप्ति मूल्य 105 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित किया गया है और यह न्यूनतम मूल्य के रूप में कार्य करता है । सहकारी समितियों और अन्य विशिष्ट सरकारी ऐजेंसियों समेत थोक व्यापारियों पर 105 रुपये प्रति क्विटल से अधिक मूल्य पर बाजार में गेहूं खरीदने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है लेकिन यह न्यूनतम मूल्य है जिस पर इन ऐजेंसियों को गेहूं खरीदना होता है ।

वनस्पति के लाने-ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने के लिये प्रस्ताव

34. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ओर तो दिल्ली में बनस्पति की भारी कमी है और दूसरी ओर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा में वह मिल रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने इस स्थिति में सुधार करने और उत्पादन कारखानों में बार-बार हड़ताल के कारण परेशानी से उपभोक्ताओं को बचाने के लिये बनस्पति लाने-ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) देश में सभी राज्य विभिन्न परिमाण में बनस्पति की कमी महसूस कर रहे हैं।

(ख) और (ग). नीति यह है कि बनस्पति के संचलन के सामान्य प्रतिमान को चलने की इजाजत दी जाये लेकिन बनस्पति की मौजूदा समूची कमी में प्रत्येक राज्य सरकार ने राज्य में उत्पादन से अपनी न्यूनतम जरूरतें पूरी करने में अपनी असमर्थता के संकेत दिये हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की विवेकानन्द पुरी बस्ती में जनता के लिये निर्धारित भूमि का दुरुपयोग

35. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लोग दिल्ली विकास प्राधिकरण की बस्ती विवेकानन्द पुरी, आजाद मार्ग, न दिल्ली में पार्क आदि के रूप में जनता के उपयोग के लिये निर्धारित भूमि पर कब्जा किये हुये हैं और गत वर्ष से वहां चाय की दुकानें चला रहे हैं ;

(ख) क्या सम्बन्धित प्राधिकरणों ने इसकी ओर ध्यान दिलाये जाने के बावजूद इस बीच उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पार्कों के लिये निर्धारित भूमि उनसे कब तक ले ली जायेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) एक चाय-विक्रेता ने विवेकानन्द पुरी में एक खाली स्थान (पार्क के लिये निर्धारित) के एक कोने में तिरपाल का एक छोटा सा शैड बनाया हुआ है। स्थानीय पूछताछ से पता चला है कि यह शैड पिछले 6 महीनों से 1 वर्ष की अवधि के भीतर बनाया गया था।

(ख) तथा (ग). मामले की जांच की जा रही है।

Indian Olympic Association request for Grant for Asian Games to be held in 1978

36. **Shri Shrikrishna Aggrawal:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the Indian Olympic Association has requested Government to grant a specified amount for organising the Asian Games in India during 1978; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): (a) Yes, Sir. The Indian Olympic Association has estimated an expenditure of Rs. 200 lakhs, exclusive of capital expenditure on creation of new physical facilities and improvement of existing ones. The Association has requested for a grant of Rs. 176 lakhs to meet the deficit on non-capital expenditure, and has requested the Government to additionally provide suitable physical facilities like stadia, swiming pools, indoor halls etc.

(b) Considering the financial constraints it would not be feasible for Government to sanction a grant for non-capital expenditure of the magnitude requested by the Association. The Indian Olympic Association would, therefore, have to explore ways and means of raising funds to a far larger extent than their current estimate of income indicates. However, the whole matter is under consideration.

टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन द्वारा आरम्भ की गई परियोजनायें

37. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन रेल परियोजना और गन्दी-बस्तियां हटाने से सम्बन्धित परियोजना जैसी कुछ परियोजनायें आरम्भ कर रहा है ; और

(ख) इन परियोजनाओं में (पदनाम और परियोजना-वार) कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, हां ।

(ख) 6–7–1974 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की पद-वार तथा परियोजना-वार संख्या निम्नलिखित है :—

क्रम संख्या	श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
रेलवे परियोजना		
1.	सहायक यातायात आयोजक	2
2.	आयोजना नक्शा नवीस	2
3.	क्षेत्र अन्वेषक	12
4.	गणनाकार	9
5.	आशुलिपिक	1
6.	टंकक लिपिक	3
7.	चपरासी	1
8.	चौकीदार	1
9.	फराश	1
10.	मेहतर	1

(1)	(2)	(3)
	गन्दी बस्ती परियोजना	
	1. वरिष्ट क्षेत्र अन्वेषक	1
	2. क्षेत्र अन्वेषक	5
	3. टंकक लिपिक	1
	4. चपरासी	1
	मनाली परियोजना	
	1. वरिष्ट आयोजना पर्यवेक्षक	1
	2. नक्शानवीस	2

टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों को मानदेय

38. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन के कुछ कर्मचारियों को आर्गेनाइजेशन द्वारा आरम्भ की गई रेल परियोजना से सम्बन्धित कार्य करने के लिये मानदेय मंजूर किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान (वर्षवार) इन कर्मचारियों को कुल कितना मानदेय मंजूर किया गया था ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विशाखापत्तनम् से गेहूं ला रहे माल डिब्बों से पटना में गेहूं उतार लिया जाना

39. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिये विभागीय जांच की गई है कि विशाखापत्तनम् से गेहूं ला रहे माल-डिब्बों से 6 मई, 1974 को राजेन्द्र नगर (पटना) में गेहूं कैसे उतारा गया ;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम और बिहार खाद्य निगम ने इस मामले में अपना उत्तरदायित्व नहीं माना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) जांच करने पर मालूम हुआ है कि विशाखापत्तनम से मकोमाह को भेजे गए 18 बाक्स वैगन भारतीय खाद्य निगम के कहने पर डीगा डिपो भेजे गए थे क्योंकि मकोमाह डिपो में मजदूर संकट था । जब स्टेशन पटना जंकशन के यार्ड में 2 मई, 1974 को पहुंची तब रेलवे ने डीगा डिपो की बजाय 6 मई, 1974 को राजेन्द्र नगर गुड्स शैड साइडिंग में उतारने के लिए खड़े कर दिए । राजेन्द्र नगर साइडिंग में रैक खड़े करने और माल के उतारने में विलम्ब सम्बन्धी मामला अभी भी ीन है ।

बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी एण्ड साइंस पिलानी के नियमों में संशोधन के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति

40. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एण्ड साइन्स, पिलानी के नियम 32 में यह निर्धारित है कि नियमों में किसी परिवर्तन या परिवर्धन के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेनी होगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि नियम 26 में सरकार की अनमति के बिना संशोधन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) मूल नयम 32 को, जिसमें यह धारा थी कि "इन नियमों में तथा इनमें किसी परिवर्तन के लिए भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी" भारत सरकार की अनुमति से 1970 में हटा दिया गया था । तथापि शासी मण्डल से, हटाई गई धारा को पुनः शामिल करने का अनुरोध किया गया है ।

(ख) और (ग) नियम 26 को सरकार की अनुमति से संशोधित किया गया था ।

दिल्ली परिवहन निगम की ग्रीन लाइन सर्विस

41. **श्री के० एम० मधुकर :**
श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में ग्रीन लाइन सर्विस संतोषजनक ढंग से चल रही है

(ख) इस सेवा में कितनी बसें चल रही हैं ;

(ग) इस सेवा को आरम्भ करने में कुल कितनी पूंजी निवेश किया गया ; **और**

(घ) इस समय लाभ और हानि की स्थिति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां। परन्तु इस सेवा का नाम अब सुगम सेवा रखा गया है।

(ख) इस समय दिल्ली परिवहन निगम 10 मार्गों पर सुगम सेवा चला रहा है जिनको 101 से 110 तक नम्बर दिये गये हैं और इन मार्गों पर 86 बसें लगाई गई हैं।

(ग) और (घ). ये सेवाएं निगम के समस्त परिचालन का एक भाग हैं और इसमें कोई अलग पूंजी नहीं लगाई गई है। फलतः इन सेवाओं का कोई अलग लेखा नहीं रखा जा रहा है। परन्तु "सुगम सेवा" मार्गों पर प्रति बस प्रति कि० मी० औसत कमाई रु० 1.65 पैसे है जब कि निगम की समस्त विवल औसत कमाई रु० 1.31 पैसे है।

दिल्ली में निजी बेकरी द्वारा डबल रोटी का उत्पादन बन्द कर देने की धमकी

42. श्री सी० जनार्दनन :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी बेकरी ने धमकी दी है कि यदि दिल्ली में 400 ग्राम की डबल रोटी का मूल्य 30 पैसे नहीं बढ़ाया गया तो वह उत्पादन बन्द कर देगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

भारत में वनस्पति कारखानों का बन्द होना

43. श्री सी० जनार्दनन : क्या कृषि यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सम्पूर्ण देश, विशेषकर उत्तर भारत में लगभग सभी वनस्पति कारखाने बन्द हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वनस्पति कारखानों के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं।

(ख) केवल वनस्पति फैक्टरी अर्थात् जयहिन्द आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड, बम्बई मजदूर संकट के कारण हाल ही में जून, 1974 में बन्द हो गयी थी।

अतिरिक्त राशन के लिये केरल का अनुरोध

44. श्री सी० जनार्दनन :
श्री वयालार रवि :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने राशन की मात्रा में वृद्धि करने के लिये केन्द्र सरकार से केन्द्रीय पूल से 10,000 टन अतिरिक्त अनाज देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : केरल सरकार के अनुरोध पर जुलाई, 1974 मास के लिए 10,000 मीटरी टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया गया है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय की 'ट्यूटोरियल' तथा 'प्रेसेपटोरियल' शिक्षण योजनाओं को वापिस लेना

45. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय की ट्युटोरियल तथा प्रेसेपटोरियल शिक्षण योजनाओं को वापस लेने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन): (क) और (ख): ऐसा कोई प्रस्ताव दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन नहीं है । तथापि आयोग के अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली विश्वविद्यालय को उसकी शैक्षकीय तथा शिक्षाप्रद योजना का पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त की है । समिति ने अभी तक अपने विचार-विमर्शों को अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

जनवरी से मई 1974 तक बनस्पति का उत्पादन और मांग

46. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से मई, 1974 तक देश में वनस्पति का कुल कितना उत्पादन हुआ और इसी अवधि में उसकी मांग कितनी थी ; और

(ख) कुल मांग को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क). 1,96,079 मी० टन जबकि अनुमानित मांग 2.50 लाख मी० टन है ।

(ख) दीर्घकालीन उपाय के रूप में सरकार तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पग उठा रही है । वनस्पति उद्योग को अधिक गैर परम्परागत तेलों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

अल्पकालीन में, विभिन्न जोनों में उत्पादक स्तर पर वनस्पति का मूल्य 1800 रुपये से बढ़ाकर 2200 रुपये प्रति मी० टन किया गया था ताकि वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त खाद्य तेलों में वृद्धि और सस्ते आयातित तेलों की अनुपलब्धता से मूल्य-वृद्धि को पूरा किया जा सके।

वनस्पति बनाने वाले कारखानों को आयातित तेल की सप्लाई बन्द करना

47. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
श्री महेन्द्र सिंह गिल :
श्री के० मालन्ना :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश में वनस्पति बनाने वाले कारखानों को वनस्पति में सम्मिश्रण के रूप में प्रयोग किये जाने वाले सस्ते आयातित तेल की सप्लाई बंद कर दी है, और

(ख) यदि हां, तो इससे वनस्पति के उत्पादन पर कहां तक प्रभाव पड़ा है और देश के वनस्पति निर्माताओं की मांग पूरी करने के लिये सरकार ने किन-किन वैकल्पिक उपायों का प्रस्ताव किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) मई, 1974 के बाद वनस्पति यूनिटों को आयातित तेल का कोई ताजा आवंटन नहीं किया जा रहा है।

(ख) वनस्पति के उत्पादन पर निस्सन्देह कुप्रभाव पड़ा है। दीर्घकालीन उपाय के रूप में देश में खाद्य तिलहनों की पैदावार बढ़ाने के लिए पग उठाए जा रहे हैं। उद्योग को गैर परम्परागत तेलों के अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। सरकार ने 15 जून, 1974 से विभिन्न जोनों में उत्पादक स्तर पर वनस्पति का नियंत्रण मूल्य 1800 रुपये से बढ़ाकर 2200 रुपये कर दिया था ताकि देशी तेलों की कीमत में हुई वृद्धि को पूरा किया जा सके।

नई दिल्ली की मोती नगर कालोनी के 'बी' ब्लाक में पानी की सप्लाई

48. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्री टी० बालकृष्णैया :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली की मोतीनगर कालोनी के 'बी' ब्लाक में पानी की सप्लाई की स्थिति बूस्टर पम्प लगाये जाने के बावजूद भी पिछले वर्षों की तुलना में और अधिक खराब हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों से 'बी' ब्लाक के निवासियों के समक्ष आ रही इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ; और

(घ) यह कठिनाई कब तक बनी रहेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) इस क्षेत्र की जलपूर्ति में कोई कमी नहीं हुई है। इस क्षेत्र में पानी के दबाव में अस्थायी कमी, ख्याला ग्राम के निकट एक नये पंपिंग स्टेशन को चालू करने हेतु मुख्य लाइनों की सफाई करने के कारण हुई थी। सफाई कार्य जुलाई के तीसरे सप्ताह के अन्त तक पूर्ण होने की आशा है।

(ग) इस क्षेत्र में लगाया गया बूस्टर-स्टेशन कार्य कर रहा है तथा इससे जलपूर्ति की स्थिति में सुधार हुग्रा है ।

(घ) पानी के दबाव में ग्रस्थायी कमी, सफाई-कार्य के समाप्त होने पर दूर हो जायेगी ।

वायुयानों द्वारा दवाइयों का छिड़काव करने वाली कम्पनियों के साथ छिड़काव की दरों के बारे में विवाद

49. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री ग्रार० वी० स्वामीनाथन् :
श्री भोला मांझी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुयानों द्वारा दवाइयों का छिड़काव करने वाली 15 पुरानी कम्पनियों तथा केन्द्रीय मंत्रालय के मध्य छिड़काव करने की ग्रधिकतम दरें निर्धारित करने के बारे में कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया है, ग्रौर

(ख) यदि हां, तो मामले को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) ग्रौर (ख) भारत सरकार ने 16 मई, 1974 को फिक्स्ड विंग वाले हवाई जहाजों ग्रौर हेलीकोप्टरों से हवाई छिड़काव करने की ग्रधिकतम दरों को 8 रुपये ग्रौर 10 रुपए से बढ़ाकर 9 रुपये ग्रौर 11 रुपए कर दिया है। प्राइवेट कृषि विमानन कम्पनियों ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि ये बढ़ी हुई दरें ग्रलाभकर ग्रौर ग्रपर्याप्त हैं । प्राईवेट चालकों द्वारा उठाई गई ग्रापत्तियों को ध्यान में रखते हुए लागत की जांच करने के लिये तकनीकी ग्रौर वित्तीय विशषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है । इस बीच ग्रधिकांश कम्पनियां खरीफ के मौसम में हवाई छिड़काव का कार्य प्रारम्भ करने के लिये सहमत हो गई हैं ।

सेनेगल तथा भारत के बीच सांस्कृतिक करार

50. **श्री बृजराज सिंह :**
श्री एम० एस० संजीवी राव :
श्री बनमाली बाबू :
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सेने गल तथा भारत के बीच एक सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां। भारत गणराज्य की सरकार और सेनेगल गणराज्य की सरकार के बीच एक सांस्कृतिक सहकारिता करार पर 21 मई, 1974 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये थे। तथापि, यह करार अनुसमर्थन लिखितों के विनिमय की तारीख से लागू होगा, जो कि अभी किया जाना है।

(ख) इस करार का उद्देश्य, साहित्य, कलाओं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा के क्षेत्रों में भारत और सेनेगल के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रोन्नत और विकसित करना है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दोनों देश, प्रोफेसरों, अध्यापकों, लेखकों, कलाकारों और अन्य विशेषज्ञों के आदान प्रदान, पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अन्य प्रकाशनों के विनिमय, एक दूसरे देश के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने, रेडियो, टेलीविजन तथा प्रेस के माध्यम से एक दूसरे की संस्कृति की जानकारी का प्रसार करने, लोकप्रिय शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में विनिमयों और दोनों देशों के बीच पर्यटकों के आदान-प्रदान के जरिए विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिक और कलात्मक संघों, अकादमियों, संग्रहालयों और पुस्तकालयों के बीच सहयोग को सुकर बनाएंगे और प्रोत्साहित करेंगे। इस करार में दोनों देशों की शैक्षणिक संस्थाओं में दी जाने वाली डिग्रियों तथा डिप्लोमाओं की समकक्षता के लिए कदम उठाने की भी व्यवस्था है।

करार की प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है।

ग्रामीण आवास के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता

51. श्री भान सिंह भौरा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में ग्रामीण आवास के लिए धन नियत करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या ग्रामीण आवास के लिए केन्द्र द्वारा भी राज्यों को सहायता की जायेगी ; और

(ग) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के लिए पंजाब को ग्रामीण आवास के लिए कितनी सहायता दी गई ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (ग). ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम, जिसमें ग्रामीण आवास की व्यवस्था है, राज्य क्षेत्र में है। राज्य सरकारों को ग्रामीण आवास सहित, राज्य क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता, वित्त मंत्रालय द्वारा समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, जिसमें ग्रामीण आवास शामिल है, उन द्वारा निर्धारित की जाने वाली आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार, निधियां नियतन करने में स्वतंत्र हैं।

तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को निःशुल्क आवास-स्थल आवंटन करने हेतु भूमि अर्जन, जहां कहीं आवश्यक हो, तथा आवास-स्थल के विकास के लिये राज्य सरकारों को शत प्रतिशत सहायता देने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की एक केन्द्रीय योजना अक्तूबर, 1971 में आरम्भ की गई थी। यह योजना भी 1 अप्रैल, 1974 से राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दी गई है।

2. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पंजाब सरकार को, 1972-73 तथा 1973-74 वर्षों के दौरान 16.56 लाख रुपये की राशि दी गई थी। 1974–75 के वर्ष में तथा इसके पश्चात् के वर्षों में इस योजना का कार्यान्वियन राज्य सरकारों को, आवास के लिए वार्षिक योजना नियतनों में से स्वयं ही करना है। 1974-75 के वर्ष के लिये पंजाब राज्य क्षेत्र की सभी आवास योजनाओं के लिये योजना परिव्यय, 300 लाख रुपये है जिसमें से इस योजना के लिये 15.00 लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं जोकि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक भाग है।

पंजाब और हरियाणा में अनाज का वायदा बाजार

52. **श्री मान सिंह भौरा :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं सम्बन्धी विद्यमान नीति के परिणामस्वरूप पंजाब और हरियाणा में एक नये प्रकार का वायदा बाजार पुनः आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त व्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Demand for Opening of New University in Rajasthan

53. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether State-wise strike and agitations were launched by students in Rajasthan in August-September, 1972 and their main demand was to open new University with a view to increasing the agricultural production in the desert of Rajasthan;

(b) whether Shrimali Committee has since been appointed by Government to consider the question of opening new University; and

(c) if so, the findings of the Committee and decision of Government and U.G.C. thereon?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) According to the Government of Rajasthan, some citizens and students of Bikaner, Ajmer and Kotah had demanded in 1972 the setting up of a University at each of these places.

(b) and (c). The State Government appointed in 1972 a Committee under the Chairmanship of Dr. K. L. Shrimali with the following terms of reference:

(1) to review the state of higher education in Rajasthan;

(2) to assess broadly the needs of educational development of universities and colleges over the next decade; and

(3) to recommend such changes in the structure and organisation of the universities including setting up of new universities so as to enable them to discharge their functions and meet their obligations effectively and adequately.

The Committee has not yet submitted its report.

अदरक की खेती में सुधार

54. श्री एम० कतामुतु :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय के अदरक की खेती और परिष्करण के पुराने तरीकों का इसकी विश्व व्यापार में हमारी प्रधान स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसकी खेती और परिष्करण में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की जायेगी।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

(क) जी नहीं।

(ख) परिष्करण उद्योग की नई तथा उन्नत टैकनोलौजी की मांग पूरी करने के लिये अदरक की खेती में सुधार के लिये लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

महानगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वालों की संख्या

55. श्री एम० कतामुतु :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में 22 लाख व्यक्ति गन्दी बस्तियों में रहते हैं;

(ख) इस तथ्य को देखते हुए सरकार की बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कोचीन, बंगलौर और बनारस जैसे महानगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिये क्या ठोस योजनायें हैं; और

(ग) क्या सरकार उपरोक्त नगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वालों की संख्या बता सकती है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ग) 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में गन्दी बस्तियों में रहने वालों की संख्या अनुमानतः लगभग 120 लाख है।

(ख) गन्दी बस्ती सफाई योजना तथा गन्दी बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार की योजना पहले से चल रही है। ये योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं।

Land Grab in Delhi through false affidavits

56. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn towards the news published in a local daily dated 8th June, 1974 that high officials of the Central Government, Ministers and Lt. Governors have acquired accommodation in spite of the fact that they have their accommodation in Delhi through cooperative societies by producing false affidavits and this was detected at the time of the examination of the records of Co-operative House Building Societies; and

(b) if so, the number and names thereof and the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) Yes, Sir.

(b) A Committee has been appointed by the Delhi Administration to scrutinise the affidavits.

Increase in price of chemical fertiliser during May, 1974

57. **Shri Hukam Chand Kachwai:**
Shri Biswanath Jhunjhunwala:
Shri P. Venkatasubbaiah:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have made substantial increase in the prices of chemical fertilisers in May, 1974;

(b) if so, the extent of the increase made in various types of fertilizers and the reasons therefor; and

(c) its likely impact on price of grains and general price rise in the country?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Prices of fertilisers were increased with effect from 1st June, 1974.

(b) A statement indicating the extent of increase effected in respect of some of the major fertilisers is appended.

The increases became necessary because of the steep rise in the cost of imported fertilizers and the increased cost of production of indigenously produced fertilisers.

(c) Market prices of foodgrains and the general price levels depend on a number of factors including the supply and demand of foodgrains, as well as general economic factors. Market psychology will also be influenced in the next few months by weather and rainfall conditions and crop prospects. It is, therefore, difficult to indicate the likely impact of the recent increase in the prices of fertilisers on prices of grains and on the general price level.

Statement

Name of Fertiliser	Previous Retail Price	(Rs. per ton) Retail Price effective. from 1.6.1974.	Increased effected
Urea (46% N)	1050	2000	950
Ammonium Sulphate (21% N)	600	935	335
Calcium Ammonium Nitrate (26% N)	645	1145	500
Ammonium Sulphate Nitrate (26% N)	775	1145	370
Di-Ammonium Phoshpate (18 N-46 P-O)	1335	3005	1670
Ammonium Nitro-Phosphate (20 N-20 P-O)	1200	1855	655
Muriate of Potash (60% K_2-0)	670	1220	550
Sulphate of Potash (50% K_2O)	800	1565	765
N. P. K. (15:15:15)	1375	1700	325

Proposal from Central Executive Committee of Jan Sangh for one Food Zone for entire country

58. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to **state:**

(a) whether the Central Executive Committee of Bhartiya Jan Sangh has asked the Government through its proposal to have one food zone for the entire country; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) and (b). Although no such specified proposal was received, the question of having one food zone for the entire country was examined, and in the interest of procurement and price stability in the surplus States, single State zones for wheat and rice have been continued. So far as coarse grains are concerned, there are no movement restrictions on inter State transactions.

"आफसेट" छपाई में प्रशिक्षण सुविधायें

59. श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सरकारें हमारे द्वारा नाम-निर्देशित व्यक्तियों को 'आफसेट' छपाई में प्रशिक्षण सुविधाएं देती हैं ;

(ख) क्या सरकार द्वारा भी उसी प्रकार की सुविधाएं अन्य देशों के नाम निर्देशित व्यक्तियों को दी जाती हैं ;

(ग) क्या अन्य देश उक्त प्रशिक्षण के लिये अपने श्रमिकों के नाम निर्देशित कर रहे हैं जबकि हमारा देश केवल अधिकारियों का ही नाम निर्देशित कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी, हां ।

(ख) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत, हम अन्य विकासशील देशों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं । इस प्रशिक्षण में न केवल आफसेट मुद्रण अपितु जिल्द-साजी, लैटर प्रैस मशीनें, प्रिंटिंग मशीनरी मैकेनिक, एस्टीमेशन आदि जैसे विशेष व्यवसाय भी शामिल हैं ।

(ग) तथा (घ) : हम अपने अधिकारियों को उन देशों में प्रशिक्षण हेतु भेजते हैं जिनकी मुद्रण उद्योग विद्या उन्नत है तथा जो भारत में उपलब्ध नहीं है । कर्मचारियों को अन्य देशों में प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजा जाता क्योंकि उन के लिये अपेक्षित प्रशिक्षण सुविधाएं भारत में मौजूद हैं ।

त्रिपुरा में वन संसाधनों का विकास

60. श्री बीरेन दत्त :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार के वन विभाग ने राज्य के वन संसाधनों के विकास के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य): (क) से (ग) त्रिपुरा सरकार के वन विभाग ने राज्य के वन संसाधनों के विकास के लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं भेजा है । तथापि इस वर्ष के दौरान त्रिपुरा में लुगदी तथा कागज सहित वन पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य में कच्चेमाल के संसाधनों का जायजा लेने की दृष्टि से वन संसाधनों के निवेशपूर्ण सर्वेक्षण संबंधी कार्य हाथ में लेने का विचार है ।

योजना आयोग के कार्यकारी दल ने राज्य क्षेत्र में त्रिपुरा को विभिन्न वन विकास की योजनाओं के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 250 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया है। ये योजनाएं जिनमें वनोद्यानों, वनों में संचार संसाधनों के विकास, प्रबन्ध व्यवस्था में तीव्रता लाने तथा वन अनुसंधान आदि वन रोपण के अन्य कार्यक्रम शामिल हैं, राज्य के वन संसाधनों का सुधार करेंगे ।

पांचवीं योजना की अवधि के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में लगभग 50 लाख रुपये के परिव्यय से झूम खेती पर नियंत्रण को एक मार्गदर्शी परियोजना हाथ में लेने का भी विचार है ।

त्रिपुरा में पम्पिंग सेटों के क्रय के लिये नियत धनराशि का दुरुपयोग

61. श्री बीरेन दत्त :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में पम्पिंग सेटों के क्रय के लिये मंजूर धनराशि का उपयोग सबसे घटिया किस्म के सामान के क्रय पर किया गया है ; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के नाम क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) (क) तथा (ख) :राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी

अप्रैल—जून, 1974 के दौरान गुजरात की खाद्यान्न की मांग और उसकी पूर्ति

62. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल—जून, 1974 के महीनों में गुजरात राज्य को प्रत्येक मास में विभिन्न खाद्यान्नों की कितनी सप्लाई की गई;

(ख) क्या सप्लाई की गई मात्रा राज्य की वास्तविक मांग थी; और

(ग) यदि कम सप्लाई की गई तो उसके क्या कारण थे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) से (ग) . अप्रैल से जून, 1974 तक की अवधि के दौरान गुजरात द्वारा मांगी गई और उनको सप्लाई की गई खाद्यान्नों की मात्रा इस प्रकार है :

(हजार मी० टन में)

माह	मांगी गई मात्रा			सप्लाई की गई मात्रा		
	गेहूं	चावल	मोटे अनाज	गेहूं	चावल	मोटे अनाज
अप्रैल, 74	100.0	25.0	50.0	30.8	2.0	20.2
मई, 74	100.0	25.0	50.0	30.2	2.0	20.0
जून, 74	100.0	25.0	50.0	30.0	2.0	24.0

केन्द्रीय भंडार में स्टाक की उपलब्धता कमी वाले सभी राज्यों की आवश्यकता, बाजार में उपलब्धता, मूल्य स्थिति और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय भंडार से आबंटन किये जाते हैं ।

गुजरात में बनाये गये कर्मचारियों के क्वार्टर

63. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1973-74 में गुजरात राज्य में कितने कर्मचारी क्वाटरों का निर्माण किया गया और उन पर कितना व्यय हुआ ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात में वर्ष 1973–74 के दौरान सामान्यपूल में कोई स्टाफ क्वार्टर नहीं बनाये गये। अतः उन पर किसी प्रकार का व्यय होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में गहन "पोल्ट्री" उत्पादन एवं विपणन केन्द्र

84. श्री डी० पी० जदेजा :
श्री एन० आर० वेकारिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पाल्ट्री' विकास कार्य की गति बढ़ाने की दृष्टि से गुजरात में कोई गहन 'पोल्ट्री' विकास ब्लाक और गहन अंडे तथा 'पोल्ट्री' उत्पादन एवं विपणन केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1972–73 और 1973–74 के दौरान विकास योजना पर कितना व्यय हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां। गुजरात में निम्नलिखित तीन खण्ड स्थापित किये गए हैं:—

1. सघन कुक्कुट विकास खण्ड और सघन अण्डा और कुक्कुट उत्पाद तथा विपणन केन्द्र, सूरत 1964–65 में स्थापित किया गया।
2. सघन कुक्कुट विकास खण्ड, जूनागढ़ 1968–69 में स्थापित किया गया।
3. सघन विकास खण्ड, अहमदाबाद (मकारवा) 1970–71 में स्थापित किया गया।

(ख) सघन कुक्कुट विकास खण्ड और सघन अंडा तथा कुक्कुट उत्पादन तथा विपणन केन्द्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

1. अच्छी किस्म के चूजों की सप्लाई
2. संतुलित कुक्कुट आहार की सप्लाई
3. अहार संयोज्य और औषधियों की सप्लाई
4. सांसर्गिक तथा संक्रामक रोगों से रक्षा
5. प्रति दिन की प्रबन्ध संबंधी समस्याओं के लिये मार्गदर्शन और विस्तार सेवाएं
6. राष्ट्रीयकृत बैंकों के जरिए ऋण सुविधाओं के लिये सहायता
7. कुक्कुट पालकों की सहकारी समितियों का संगठन करना, जिससे उन्हें वर्षभर अंडों और कुक्कुट मांस के लिये लाभकर मूल्य मिल सके।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत 1972–73 और 1973–74 के दौरान किया गया खर्च इस प्रकार है :–

1972–73	3,36,342 रु०
1973–74	3,50,096 रु०

दिल्ली में मई, 1974 के दौरान गेहूं के व्यापार का ठप्प होना और गेहूं के मूल्य में वृद्धि

85. डा० रानेन सेन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में मई, 1974 में गेहूं का व्यापार ठप्प हो गया था,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस अवधि में गेहूं के प्रति क्विंटल मूल्य में बहुत वृद्धि हुई थी,

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राजधानी की गेहूं की कुल आवश्यकता कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) पड़ोसी अधिशेष राज्यों, जिन पर दिल्ली का खुला बाजार निर्भर करता है, में गेहूं की अधिक मूल्य और रेलवे हड़ताल के कारण इन राज्यों से कम अनाज-प्रतिबन्ध होने के कारण सड़क के रास्ते से संचालन नहीं हो सका ;

(ङ) दिल्ली के लिए गेहूं की कुल मासिक आवश्यकता लगभग 45,000 मी० टन है ।

दिल्ली में वनस्पति की कमी

86. डा० रानेन सेन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई, 1973 से जुलाई, 1974 तक दिल्ली में वनस्पति की अत्यधिक कमी रही; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :

(क) दिल्ली प्रशासन को जुलाई-अक्तूबर, 1973 और फिर जनवरी, 1974 से आगे दिल्ली में वनस्पति की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ा है ।

(ख) इसका मुख्य कारण दिल्ली के क्षेत्र में स्थित फैक्ट्रियों द्वारा वनस्पति का कम उत्पादन करना है ।

पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति

67. **डा० रानेन सेन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति चिंतनीय है;

(ख) क्या मिलों ने केवल सरकार को 3,60,000 टन लेवी चावलों के स्थान पर 42,000 टन की ही सप्लाई की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का पश्चिम बंगाल के लिये क्या करने का विचार है; और

(घ) मांग की पूर्ति के लिये इस कमी वाले राज्य की किस प्रकार सहायता करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) :

(क) पश्चिमी बंगाल में खाद्य स्थिति कठिन बताई जाती है ।

(ख) मिल मालिकों ने 30 जून, 1974 तक लेवी के अधीन लगभग 58,000 मीटरी टन चावल दिया है जबकि 1973–74 के खरीफ विपणन मौसम के लिए 5 लाख मीटरी टन चावल का लक्ष्य था ।

(ग) और (घ) : पश्चिमी बंगाल सरकार से चावल की आन्तरिक अधिप्राप्ति तेज करने के लिए बार-बार कहा गया है । राज्य सरकार को केन्द्रीय पूल से नियमित रूप से प्रत्येक मास खाद्यान्नों का कोटा आवंटित किया जा रहा है । उन्हें द्विपक्षीय आधार पर अधिशेष राज्यों से लेवी मुक्त चावल की कुछ मात्राएं खरीदने की इजाजत दी गई है । गेहूं की नई नीति के अधीन राज्य को व्यापारिक खाते में अधिशेष राज्यों से लेवी मुक्त-गेहूं आयात करने की अनुमति दी गई है ।

पश्चिम बंगाल को बाहुल्य वाले राज्य से चावल खरीदने की अनुमति

68. **डा० रानेन सेन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने बाहुल्य वाले राज्यों से चावल खरीदने के लिये केन्द्र से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और पश्चिम बंगाल में चावल का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) सरकार कितनी मात्रा की वसूली कर सकी है;

(घ) पश्चिम बंगाल के लोगों के लिये कुल कितने चावल की अपेक्षा है; और

(ङ) कमी वाले इन महीनों में सरकार पश्चिम बंगाल को कितना चावल दे सकी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) :

(क) जी हां ।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार को यह अनुमति दी गई है कि वह द्विपक्षी आधार पर अधिशेष राज्यों से लेवी मुक्त चावल की निम्नलिखित मात्राएं खरीदे :—

स्रोत	जिन्स	मात्रा (मी० टन में)
उत्तर प्रदेश	लेवी मुक्त चावल	16,000
पंजाब	वही	10,000
उड़ीसा	बढ़िया चावल	5,000
हरियाणा	टोटा चावल	3,000
पंजाब	टोटा चावल	750

वर्ष 1973–74 के पश्चिमी बंगाल के चावल के उत्पादन सम्बन्धी अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं हुये हैं।

(ग) पश्चिमी बंगाल में 30 जून, 1974 तक अधिप्राप्त की गई चावल की मात्रा लगभग 1.53 लाख मी० टन थी।

(घ) चावल तथा अन्य खाद्यान्नों की आवश्यकताएं, चावल तथा अन्य वैकल्पिक खाद्यान्नों और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, उनके प्रतियोगी मूल्य, आय का स्तर, जन-संख्या में वृद्धि और शहरीकरण की रफ्तार आदि पर निर्भर करते हुये काफी हद तक लचीली होती है। अतः पश्चिमी बंगाल के लोगों के लिए चावल की आवश्यकताओं के बारे में मात्रा सम्बन्धी ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ङ) केन्द्रीय भण्डार में चावल की कुल उपलब्धता और कमी वाले अन्य राज्यों की आवश्यकताओं, स्थानीय उपलब्धता तथा अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुये पश्चिमी बंगाल को अप्रैल से जुलाई तक की अवधि के लिए 50,000 मी० टन प्रति मास के हिसाब से चावल आवंटित किया गया है।

वनस्पति के संशोधित मूल्य

69. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वनस्पति के लिये नये मूल्य नियत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो नये मूल्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि वनस्पति एककों के बहुत से मालिकों ने उत्पादन का अधिकतर भाग रोक रखा था और अब उसे नये मूल्यों पर बेच रहे हैं और अत्यधिक लाभ कमा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शी० पी० मौर्य) :

(क) जी हां।

(ख) वनस्पति के मूल्यों में विभिन्न जोनों में 15 जून, 1974 से 1.80 रुपये से 2.20 रुपये प्रति किलो की वृद्धि की गई है। विभिन्न जोनों में थोड़ी मात्रा में खुले वनस्पति घी का बिक्री मूल्य इस प्रकार है :—

(रु० प्रति किलो)

उत्तरी जोन	दक्षिणी जोन	पूर्वी जोन	पश्चिमी (म) *जोन	पश्चिमी (गु) † जोन
9.71	9.69	10.09	9.79	9.58

*म—महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश

†गु—गुजरात

(ग) और (घ) कुछ राज्य सरकारों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि कुछ निर्माताओं थोक व्यापारियों/खुदरा व्यापारियों द्वारा वनस्पति का बहुत अधिक स्टाक रोक लिया गया था ताकि पुराने स्टाक को 15 जून, 1974 से प्रभावी संशोधित दरों पर बेचा जा सके। सावधानी से इस पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने 27 जून, 1974 को दो अधिसूचनाएं जारी की थीं जिनमें यह निदेश दिया गया था कि 15 जून, 1974 से पूर्व निर्मित वनस्पति को पुरानी दरों पर बेचना होगा और 15 जून, 1974 के बाद तैयार वनस्पति को संशोधित दरों पर बेचा जा सकता है।

खाद्यान्नों के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर से प्रतिबन्ध हटाने का उनके मूल्यों और उपलब्धता पर प्रभाव

70. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा मोटे अनाजों के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर से प्रतिबन्ध हटाये जाने का मोटे एवं अन्य अनाज के मूल्यों एवं उनकी उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

यद्यपि ठीक मात्रात्मक मूल्यांकन सम्भव नहीं है, लेकिन मोटे अनाजों के अन्तर्राज्यीय संचलन पर प्रतिबन्ध हटाने से कमी वाले राज्यों में मोटे अनाजों के मूल्यों और उनकी उपलब्धता पर अनुकूल प्रभाव पड़ा था। तथापि, उत्पादक क्षेत्रों में मूल्यों में कुछ बढ़ोत्तरी देखी गई थी। मूल्यों में अन्तर्राज्यीय अन्तर को काफी हद तक कम हो गया था।

कलकत्ता में कूड़े-कचरे से कम्पोस्ट खाद बनाना

71. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में प्रति दिन 2,000 मीटरी टन कूड़ा-कचरा एकत्रित होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वहां कूड़े कचरे से कम्पोस्ट खाद बनाने के लिये कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

(क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). कलकत्ता में हर के कूड़े-कचरे से खाद बनाने के लिए कम्पोस्ट संयंत्र लगाने का प्रस्ताव पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम के विचाराधीन है । कलकत्ता में कम्पोस्ट संयंत्र लगाने के लिए गुजरात कृषि उद्योग निगम ने इसकी व्यावहारिकता के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह निगम पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम के सलाहकार के रूप में यह काम कर रहा है । यह रिपोर्ट पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम के संचालक मण्डल के समक्ष इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने के लिए रखी जायेगी ।

मध्य प्रदेश के नये जिलों को सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लेना

72. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवीं योजना में सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के तीन नये जिले भी सम्मिलित किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों में वनारोपण

73. **श्री विजय पाल सिंह :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में वनारोपण के लिए कुल कितनी भूमि रखी गई है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में वर्ष 1971–72 और 1972–73 तथा जुलाई, 1974 तक वन विभाग द्वारा कृषि हेतु कुल कितनी भूमि वापस की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख). अब तक प्राप्त की गई सूचना का विवरण संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7088/74)

दिल्ली विश्वविद्यालय और गैर-अध्यापन कर्मचारियों के बीच विवाद

74. **श्री विजय पाल सिंह :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके गैर-अध्यापन कर्मचारियों के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा है ; और

(ख) यदि, हां तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 5 अप्रैल, 1974 को विश्वविद्यालय तथा कालेज कर्मचारी संघ ने एक मांग पत्र विश्वविद्यालय को भेजा था, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वियन, कर्मचारियों के लिए आवास, गृह निर्माण के लिए ऋण की सुविधाएं, सेवा निवृत्ति के लाभ आदि शामिल थे। उनमें से कुछ मांगें विश्वविद्यालय द्वारा पहले ही मान ली गई हैं और निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा अन्य मांगों पर विचार किया जा रहा है। इस बीच संघ ने 6 जून, 1974 को विश्वविद्यालय को एक नोटिस दिया जिसमें उन्होंने प्रदर्शन करने सहित स्टाफ द्वारा काले बिल्ले लगाने और विट्ठल भाई पटेल चेस्ट संस्थान के एक उस कर्मचारी, जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किये जाने का विचार था, के निलम्बन को रद्द करने की अपनी मांग के समर्थन में 13 जून, 1974 को पूर्ण-हड़ताल करने का अपना आशय व्यक्त किया। विश्वविद्यालय ने उन कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान न करने का निर्णय किया था, जो संघ द्वारा आयोजित हड़ताल के अनुसरण में, 13 जून को ड्यूटी से अनुपस्थित रहे थे।

तत्पश्चात् संघ के प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बातचीत की थी संघ के प्रतिनिधियों द्वारा यह मान लिया गया था कि अनुशासन के व्यक्तिगत मामलों में वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अधिकारियों के साथ बातचीत करके ही वे सभी विवादों को निपटायेंगे। इसके परिणामस्वरूप अनुपस्थित रहने वाले स्टाफ के वेतन तथा भत्ते रोकने का अपना आदेश विद्यालय ने वापस ले लिया है।

बिहार में ग्रामीण आवास कार्यक्रम हेतु बिहार सरकार को केन्द्रीय सहायता

75. **श्री विजयपाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में ग्रामीण आवास कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है ; और

(ख) बिहार में वर्ष 1973 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने मकान बनाये गये और वर्ष 1974 के लिये निर्धारित लक्ष्य क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण आवास व्यवस्था राज्य क्षेत्र में है तथा राज्य क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों, जिसमें ग्रामीण आवास शामिल हैं, के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को 'समेकित ऋणों' और 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है। राज्य सरकार, विभिन्न योजनाओं, जिसमें ग्रामीण आवास शामिल है, के लिए अपनी आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं तय करके, समेकित केन्द्रीय वित्तीय सहायता के नियतन तथा उपयोग करने में स्वतंत्र हैं। अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार की राज्य क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामीण आवास के लिए, सहायता स्वीकृत करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत, जो अक्तूबर, 1971 में आरम्भ की गई थी, बिहार सरकार को मार्च, 1974 के अन्त तक 15.71 लाख रुपये के अनुदान दिये गये थे। 1 अप्रैल, 1974 से यह योजना भी राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दी गई है।

(ख) बिहार राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्लान के मसौदे के दस्तावेज़ में उल्लिखित सूचना के अनुसार, वर्ष 1973-74 में ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत, 297 मकान बनाए गए हैं। यह भी सूचना मिली है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना के अन्तर्गत बिहार में 2709 आवास-स्थल विकसित किये गये हैं। प्लान के दस्तावेज़ में, राज्य सरकार द्वारा 1974–75 के दौरान बनाए जाने वाले मकानों तथा विकसित किए जाने वाले आवास-स्थलों की संख्या सम्बन्धी सूचना नहीं है।

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज अध्यापक एसोसिएशन महासंघ की मांगें

76. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज अध्यापक के ऐसोसिएशन महासंघ ने, अपने कार्यकारी सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से शिक्षा मन्त्री को 16 अप्रैल, 1974 को अध्यापकों के वेतन-मान के पुनरीक्षण के बारे में मांगें प्रस्तुत की थीं, क्योंकि विशेषतया वर्ष 1963 से उनके वेतन मानों का पुनरीक्षण नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) जी, हां, तथापि, प्रतिनितिमंडल मुझ से 17 अप्रैल, 1974 को मिला था।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह सूचित किया है कि विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के परिशोधित वेतनमान प्रादेशिक इंजीनियरी कालेजों के उन अध्यापकों के लिए भी लागू किए जाएं जिन्हें इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन मानों पर वेतन मिल रहा है। इन परिशोधित वेतनमानों को अपनाने में उनके हिस्से का जो अतिरिक्त खर्च आएगा, उसे पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को विशेष सहायता देगी। केन्द्र की यह सहायता 1 जनवरी, 1973 को विद्यमान पदों पर पांच वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त व्यय पर राज्य सरकार के हिस्से के अ–80 की होगी।

सुपर बाजार, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में गबन

77. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1974 में कनाट प्लेस नई दिल्ली के निकट सुपर बाजार में बड़े पैमाने पर किसी गबन का पता लगा है जिसमें खजान्ची, बिक्री सहायकों; कार्यालय सहायकों और लेखाकार का सक्रिय सहयोग पाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 1 दिसम्बर, 1973 से 23 अप्रैल, 1974 तक की अवधि से संविधित जांच के आधार पर सुपर बाजार, नई दिल्ली के स्टाफ के कुछेक सदस्यों द्वारा इसके घरेलू-सामान विभाग में वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त वसूली के गबन के एक मामले का पता लगा है। सुपर बाजार के प्रबन्ध मण्डल ने सूचित

किया है कि गबन की राशि का अभी तक पूरा पता नहीं चला है, किन्तु इसके 60,000 रुपए से अधिक होने का अनुमान है। गबन का पता चलने पर तुरन्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गई थी और स्टाफ के अनेक सदस्यों, जिन पर इसमें शामिल होने का सन्देह था, को प्रबन्ध मण्डल द्वारा मुअत्तल कर दिया गया था। पुलिस प्राधिकरण आवश्यक जांच पड़ताल कर रहा है। लेखों की आंतरिक जांच को तीव्र कर दिया गया है और प्रबन्ध मण्डल द्वारा लेखा पद्धतियों को सरल तथा कारगर भी बना दिया गया है।

दिल्ली में विभिन्न गृह निर्माण, समितियों के भूमि हथियाने वाले शपथ-पत्रों के विरुद्ध जांच के लिये समिति

78. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विभिन्न गृह-निर्माण समितियों के भूमि हथियाने वाले शपथ-पत्रों की सत्यता तथा अन्य शिकायतों की जांच करने के लिए उपराज्यपाल द्वारा एक समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है

(ग) जिन समितियों और सदस्यों की जांच की जा चुकी है, उनके नाम क्या हैं; और

(घ) अपना कार्य पूरा करने में समिति को कितना समय लगेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) :

दिल्ली के उप-राज्यपाल ने सात सदस्यों की एक समिति बनायी है जिसमें दिल्ली प्रशासन, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली महानगर परिषद के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति, दिल्ली में गृह निर्माण समितियों के सदस्यों द्वारा उनके पास दिल्ली में कोई अन्य मकान अथवा भू-खण्ड न होने के सम्बन्ध में दिए गए शपथ-पत्रों की जांच करेगी कि वे ठीक भी हैं।

(ग) समिति ने निम्नलिखित सहकारी गृह निर्माण समितियों के सदस्यों द्वारा दिए गए शपथ-पत्रों की जांच आरम्भ कर दी है :--

(i) आनन्द लोक सहकारी गृह निर्माण समिति।
(ii) आनन्द निकेतन सहकारी गृह निर्माण समिति।
(iii) ईश्वर नगर सहकारी गृह निर्माण समिति।

(घ) यह इस समय बताना कठिन है।

राष्ट्रीय आवास नीति

79. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री बसन्त साठे : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास नीति के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है।

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) :

जी, हां। राष्ट्रीय आवास नीति बनाने के प्रश्न पर, राज्यों के आवास तथा नगर विकास मंत्रियों के मद्रास में 31 मई से 2 जून, 1974 तक हुए सम्मेलन में विचार किया गया था। सम्मेलन ने, इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार करने तथा भविष्य में अपनाई जाने वाली नीति के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिये, एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रत्येक राज्य में गेहूं, आटा, धान और चावल का मूल्य

80. **श्री इन्द्र जीत गुप्त :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में गत 6 महीनों में गेहूं और आटे का प्रति किलो मूल्य क्या रहा है और खुले बाजार में उनका क्या मूल्य रहा, और

(ख) प्रत्येक राज्य में गत 6 महीनों में धान और चावल के मूल्य क्या थे और खुले बाजार में क्या थे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) : मेक्सिकन, देशी साधारण सफेद और आयातित किस्मों के गेहूं का 14 अप्रैल, 1974 तक केन्द्रीय निर्गम मूल्य 90 रुपये प्रति क्विटल और बढ़िया किस्मों का 96 रुपये प्रति क्विटल था। गेहूं की ऐसी किस्मों का निर्गम मूल्य 15–4–74 से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विटल कर दिया गया था। पहली नवम्बर, 1973 से चावल का प्रति क्विटल निर्गम मूल्य 125 रुपये मोटा) 140 रुपये (मध्यम), 150 रुपये (बढ़िया) और 160 रुपये (बहुत बढ़िया) रहा है। तीन विवरण सलग्न हैं जिनमें गेहूं के खुदरा मूल्य और धान और मोटे चावल के मास के अन्त में थोक मूल्य दिए गए हैं। (विवरण 1, 2, 3)। (ग्रंथालय में रखें गये। देखिये संख्या एल० टी० 7089/74] 15-4-74 से पूर्व राज्यों में प्रति किलो होल मील आटे का मूल्य 1.01 रुपये था लेकिन महाराष्ट्र में यह मूल्य 1.05 रुपये निर्धारित किया गया था। 15-4-74 से राज्यों के लिये होल मील आटे का मूल्य 1.37 रुपये निर्धारित किया गया है लेकिन महाराष्ट्र में 1.43 रुपये रखा गया है।

खाद्यान्नों, खाद्य तेलों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने की कार्यवाही

81. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्यान्नो, खाद्य तेलों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में और आगे वृद्धि को कानून बना कर रोकेगी, और

(ख) यदि नहीं, तो मूल्य वद्धि के विरुद्ध सरकार का क्या तत्काल उपचारी उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : जमाखोरी, चोरबाजारी करने वालों और मुनाफाखोरों के लिए और अधिक कड़ी सज़ा की व्यवस्था करने के लिए अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में सशोधन करने हेतु हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया गया है। इसमें खाद्य पदार्थों, खाद्य तेलों और तिलहनों और कुछेक अन्य अत्यावश्क वस्तुओं से सम्बन्धित अपराधों के मामलों की सरसरी सुनवाई के लिए भी व्यवस्था है।

मूल्य वद्धि रोकने के लिए अन्य उपायों में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं :—

(1) अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाकर, सिंचाई उर्वरकों का प्रभावी उपयोग, ऋण की समय पर व्यवस्था और उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों में प्रोत्साहन मूल्य देकर कृषि उत्पादन कार्यक्रमों को लागू करने में तेजी लाना,

(2) यथा व्यवहार्य सीमा तक आयातों में, यदि आवश्यक हुआ, खाद्यान्नो की उपलब्धता में वृद्धि करना ।

(3) ऋण नियंत्रण और अन्य वित्तीय तथा मौद्रिक उपायों को कड़ा करना ।

फसल के रोगों के कारण गन्ने की फसल हो हानि

82. **श्री स्वण सिंह सोखी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल के रोगों और घटिया बीजों के कारण प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपए का गन्ना नष्ट हो जाता है जबकि भारत 10 प्रमुख गन्ना उत्पादक देशों में हैं :

(ख) क्या प्रति एकड़ उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान बहुत नीचे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी हानियों को रोकने के लिए तथा भारत को प्रमुख गन्ना उत्पादक दशों के समकक्ष लाने के लिये कौन से उपचारात्मक उपाय किये जायेंगे ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) अनुमान है कि कृमियों और रोगों की बजह से गन्ने की उपज का 8 से 10% भाग नष्ट हो जाता है । फसल के रोगों और घटिया किस्म के बीजों की वजह से रुपये-पैसे के रुप में होने वाली हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, क्योंकि सिंचाई की कमी, उर्वकों की अनुपलब्धि वैज्ञानिक प्रणालियों के न अपनाने आदि के कारण भी उपज में कमी होती है ।

(ख) देश में गन्ने की प्रति हैक्टेयर उपज 48.5 मीटरी टन है, जोकि संयुक्त अरब गणराज्य की 93.3 मीटरी टन, संयुक्त राज्य अमेरिका की 92.1 मीटरी टन, ताईवान की 89.0 मीटरी टन व गुयाना की 80.4 मीटरी टन की उपज की तुलना में काफी कम प्रतीत होती है ।

(ग) वनस्पति रक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय के केन्द्रीय वनस्पति रक्षण केन्द्र और निगरानी केन्द्र गन्ने पर कमियों और रोगों के आक्रमण के विषय में लगातार सतर्क रहते हैं । राज्य के वनस्पति रक्षण केन्द्र भी गन्न पर कृमियों और रोगों के आक्रमण पर निगाह रखते हैं । वनस्पति रक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ऐसे कृमियों और रोगों पर तत्काल काबू पाने के लिये, राज्यों द्वारा दवा के जमीनी या हवाई छिड़काव द्वारा नियंत्रण सम्बन्धी कार्रवाही प्रारम्भ की जाती है । वाणिज्यिक खेती के लिये वितरण हेतु स्वस्थ बीज तैयार करने पर जोर दिया जाता है । पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, सघन खेती कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कटिबन्धीय क्षेत्र में प्रत्येक चीनी के कारखाने के आस पास 2,000 हैकटार क्षेत्र और उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र में 1,000 हैक्टार क्षेत्र का विकास करने के लिये एक योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । इस योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम में निम्न बात शामिल होंगी श्रेष्ठ बीजों के उत्पादन के लिये आधार बीज केन्द्रों की स्थापना करना, रोपाई और मूढ़े गन्ने के विषय में प्रदर्शनों की व्यवस्था करना, राज्य स्तर पर गन्ना विकास कार्य-कर्ताओं को प्रशिक्षण देना तथा पर्याप्त वनस्पति रक्षण उपाय प्रारम्भ करना ।

गेहूं और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिये बिहार का अनुरोध

83. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार में विरोधी दलों के आन्दोलन को कमजोर करने के लिये इस पूरे वर्ष में हर महीने नियमित रुप से कम से कम 50,000 टन गेहूं तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने का अनुरोध किया हैं, और

(ख) यदि हां, तो बिहार को हर महीने नियमित रुप से 50 हजार टन गेहूं आदि की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या तत्काल कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे)–(क) और ख) : बिहार सरकार ने 50,000 मी० टन खाद्यान्नों का मासिक आवंटन करने के लिये अनुरोध किया था। अप्रैल, 1974 से इस प्रकार आवंटन किया गया है :–

अप्रैल, 1974	40,000
मई, 1974	40,000
जून, 1974	40,000
जुलाई, 1974	40,000

केन्द्रीय पूल से प्रत्येक मास खाद्यान्नों का आवंटन कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं, केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

भूमि उपयोग बोर्ड

84. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**
श्री बनमाली बाबू :
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे भू-संसाधनों को सुनिश्चित करने के लिये राज्य स्तर पर भूमि-उपयोग बोर्ड स्थापित करें ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : यह मामला राज्य सरकारों के विचाराधीन है।

श्री लंका में ढोर और भेड़ पालन विकास केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव

85. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**
श्री बनमाली बाबू :
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका द्वीप में ढोर और भेड़ पालन विकास केन्द्र स्थापित करने के बारे में भारत और श्रीलंका के बीच विचार विमर्श हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) मई, 1973 में हुई आर्थिक सहयोग सम्बन्धी भारत-श्रीलंका उप समिति की दूसरी बैठक में यह स्वीकार किया गया है कि भारत सरकार (i) कोलम्बों के दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में पशु-विकास की परियोजना ; और (ii) मध्यवर्ती वर्षा वाले क्षेत्र में भेड़ विकास परियोजना की स्थापना के लिये पांच वर्ष की अवधि के लिये श्री लंका सरकार को सहायता देंगी ।

अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में पशु-पालन सम्बन्धी एकदल ने सितम्बर, 1973 में श्री लंका का दौरा किया था और उसने दिसम्बर, 1973 में भारतीय हाई कमीशन के ज़रिये श्री लंका सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत: की थी ।

3 जून से 7 जून, 1974 तक भारत सरकार तथा श्रीलंका सरकार के अधिकारियों के मध्य हुई आर्थिक सहयोग सम्बन्धी भारत-श्रीलंका उप-समिति की पांचवीं बैठक के दौरान दोनों प्रतिनिधि-मंडलों ने इस बात पर बल दिया था कि जहां तक हो सके परियोजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्र किया जाए। अत: तीन सदस्यों के एक दल (पशु एवं भेड़ विकास के क्षेत्रों के दो विशेषज्ञों एवं आर्थिक कार्य विभाग के एक प्रतिनिधि) को समझौता का ज्ञापन-जिसमें कार्यकारी एवं पांच वर्षों की अवधि का क्रमबद्ध कार्यक्रम शामिल हो–तैयार करने के लिये श्रीलंका भेजने का प्रस्ताव है। यह दल सम्भवत: जुलाई, 1974 के अंतिम सप्ताह में श्रीलंका जायेगा ।

(ख) तथा (ग)

श्रीलंका में पशु तथा भेड़ विकास परियोजनाओं की स्थापना करने के कार्यक्रम सम्बन्धी करार पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं ।

Expenditure on Construction of Sansdiya Soudha

86. **Shri R. V. Bade:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) since when the construction of the Sansdiya Soudha (near Parliament House) was started and the time by which it was scheduled to be completed;

(b) the reasons for delay in its construction and the expenditure estimated to be incurred initially and the expenditure likely to be incurred thereon now; and

(c) the reasons for the difference in this regard?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) The work was started in the middle of June, 1969 and was scheduled to be completed by the 14th August, 1971.

(b) and (b). The Contractor, who was awarded the work, stopped it in January 1973. The balance work was re-tendered and was awarded to another contractor in April, 1973. Initially, the cost of the project was estimated at Rs. 1.57 crores. However, due to various factors such as, rise in the cost of materials, labour etc. and increase in the scope of work, the cost is likely to go up. It is, however, not possible to assess the final cost of the project at this stage.

Increase in price of wheat in the market

87. Shri R. V. Bade: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state whether even after the announcement of a new wheat policy, the wheat prices have increased at a faster pace as compard to those of last year and the price of wheat as fixed by Government and the prices actually prevailing in the open market this year?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): The increase over the last year's wheat price is mainly attributable to the higher procurement price fixed for the current year and also higher issue prices and to the general rise in prices. The open market prices of common varieties of wheat have generally been within the range wherever such limits have been prescribed.

Wheat procured from farmers and traders

88. Shri R. V. Bade: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) Whether Government have procured wheat directly from the farmers also;

(b) if so, the State-wise quantity of wheat procured from the traders as well as from farmers separately; and

(c) the difficulties experienced by Government in procuring wheat from the traders as well as from farmers and the expenditure incurred in this regard, separately?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached.

(c) The main difficulty in procuring wheat under traders' levy has been its evasion due to transactions outside the mandis. In case of producers' levy, the major problem is the reluctance on the part of the cultivators to part with their stocks at the procurement prices.

It is not possible to work out the expenditure incurred on procurement under either of the two systems.

STATEMENT

Statewise quantity of Wheat procured from the Traders and Farmers Separately Rabi Marketing Season 1974—75.

(Position on 19-7-1974)
(Figures in '000 tonnes)

State	Direct purchases from Farmers	Purchases from Traders as levy	Total Procurement
Gujarat	20·0	..	20·0
Haryana	16·0	218·1	234·1
Madhya Pradesh	113·3	8·7	122·0
Maharashtra	18·2	..	18·2
Punjab	3·8	866·0	869·8
Rajasthan	97·6	19·6	117·2
Uttar Pradesh	196·1	56·9	253·0
Others	5·6	1·6	7·2
TOTAL	470·6	1170·9	1683.2

**41672 tonnes of Wheat seized by U.P. Government under dehoarding scheme.

मूंगफली का उत्पादन

89. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों में गुजरात तथा अन्य राज्यों में मूगफली की खेती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में कमी हुई है जब कि इन्हीं वर्षों में मूंगफली के उत्तरोत्तर ऊंचे मूल्य मिलते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है ।

(ग) क्या राज्य सरकारों ने मूंगफली के अधिकतम उत्पादन के लिये भावनगर, जामनगर आदि जिलों में 5,32,000 हैक्टेयर भूमि में केन्द्र प्रायोजित योजना को आरम्भ किया है ; और

(घ) क्या वर्ष 1974–75 में योजना के अन्तर्गत 2.5 लाख हैक्टेयर भूमि में मूंगफली की खेती करने की सम्भावना है जिसमें प्रति हैक्टेयर । टन मूंगफली का उत्पादन हो सकेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). 1969–70 के वर्ष की तुलना में 1971–72 तक गुजरात में मूंगफली के अन्तर्गत क्षेत्र और पूरे देश में ही ऐसे क्षेत्र में वृद्धि हुई है । 1972–73 के दौरान अभूतपूर्व सूखे के कारण गुजरात सहित सभी राज्यों में मूंगफली के क्षेत्र में कमी हुई थी । 1973–74 के दौरान मूंगफली के अन्तर्गत क्षेत्र के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना गुजरात के अमरेली, साबरकांथा, भावनगर जामनगर और पंचमहल जिलों में हाथ में ली गई थी । 1973–74 के दौरान इसके अन्तर्गत 5 लाख 60 हज़ार हैक्टेयर क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इस योजना के अन्तर्गत 4,45,727 हैक्टेयर क्षेत्र लाया गया है ।

(घ) पांचवी पंचवर्षीय योजना में गुजरात के जूनागढ़ और राजकोट जिलों में सघन तिलहन विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इन दोनों जिलों में 1974–75 में 1,05,000 हैक्टेयर और 1974–75 में 5,25,000 हैक्टेयर क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखा गया था । इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप आशा है कि चुने हुए जिलों में प्रति हैक्टेयर मूंगफली की उपज में काफी सुधार होगा ।

गुजरात में सूखा-राहत कार्य

90. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के 6 जिलों अर्थात कच्छ राजकोट, बयुराटौगर, अग्रेह, बढ़ौच और भावनगर को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन जिलों में राहत कार्य का निरीक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को राहत कार्य के लिए 83,000 लोगों को नियुक्त करने की आवश्यकता है ; और

(घ) इन जिलों के लिए क्या योजनायें बनाई गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) गुजरात सरकार ने कच्छ, राजकोट, जामनगर, सुरेन्द्रनगर, अमरेली, वढ़ौच, अहमदाबाद और भावनगर जिलों के कुछ भागों में सूखे की मौजूदगी के बारे में सूचित किया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मार्च, 1974 में राहत कार्यों से 250.30 लाख मानवदिवसों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने का अनुमान लगाया गया था ।

(घ) संकट का मुकाबला करने के लिए विभिन्न राहत सम्बन्धी कदम उठाए गए है जैसा कि राहत कार्यों की शुरुआत करना, निःशुल्क राहत देना, घास की सप्लाई करना, टैंकरों और बैल गाडियों द्वारा पीने के पानी की सप्लाई करना । पिजरापोल आदि के लिए राज सहायता देना । योजना तथा बजट में शामिल कार्यों से रोजगार प्रदान करने की यथासम्भव कोशिश की जाती है ।

बनस्पति घी के टीन के डिब्बों के लिये अतिरिक्त वसूली

91. श्री झारखण्डे राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति घी के बढ़े हुए मूल्यों से दो किलो और चार किलो के टीनों का अतिरिक्त मूल्य देना होता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके वनस्पति घी के बढ़े हुए मूल्यों में सम्मिलित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) भारत सरकार द्वारा 15 जून, 1974 को अधिसूचित वनस्पति के संशोधित मूल्यों में डिब्बे की कीमत शामिल है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मई, 1974 के दौरान दिल्ली में खाद्य मंत्रियों की बैठक

92. श्री झारखण्डे राय : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 के दूसरे सप्ताह के दौरान फालतू उत्पादन करने वाले पांच राज्यों के खाद्य मंत्रियों की दिल्ली में बैठक हुई थी;

(ख) क्या मंत्री इस बात पर एकमत थे कि उन्हें व्यापारियों से 'सहयोग' नहीं मिला जिनका अपनी खरीद का 50 प्रतिशत भाग स्वेच्छा से सरकार को देना था;

(ग) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) व्यापारियों द्वारा कुल कितना गेहूं खरीदा गया और कितना गेहुं सरकार को दिया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) 19 जुलाई, 1974 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, चालू रबी मौसम के दौरान व्यापारियों द्वारा (निजी और सरकारी) 23,43,400 मीटरी टन गहूं खरीदा गया है । इस अवधि के दौरान 11,70,900 मीटरी टन की मात्रा लैवी के रूप में प्राप्त हुई है ।

दिल्ली के अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के लिये ठेके

93. **श्री झारखण्डे राय :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर कार्यालय आदि के शेडों के निर्माण के लिये ठेके दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ है ;

(घ) यदि हा, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) निर्माण-कार्य पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता):

(क) जी, हां ।

(ख) सिविल निर्माण सम्बन्धी काम का ठेका मार्च, 1969 में बम्बई को एक फर्म को दिया गया था । निर्माण कार्य के दौरान उत्पन्न हुए कतिपय झगडों के फलस्वरूप उन का ठेका दिसम्बर, 1970 में समाप्त कर दिया गया था । फर्म ने न्यायालय से रोक आदेश ले लिया था जिसे सितम्बर 1971 में समाप्त करा दिया गया । शेष कार्य को नवम्बर, 1971 में टेन्डरों के आधार पर एक अन्य ठेकेदार को दे दिया गया ।

(ग) तथा (घ') : उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित तथ्यों के कारण हुई देरी के अतिरिक्त सीमेंट और इस्पात की अत्यधिक कमी के कारण, दूसरें ठेके की अवधि में भी देरी हुई है ।

(ङ) अधिक से अधिक सीमेंट और इस्पात प्राप्त करने के प्रयन्न किये गये हैं । कार्य के पूरा होने में काफी प्रगति हो चुकी है तथा कम्पलैक्स के एक भाग का प्रयोग किया जा रहा है ।

गन्ने की पिराई के मौसम के दौरान चीनी मिलों द्वारा गन्ने के बकाया की अदायगी

94. **श्री भोला मांझी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि चीनी मिल मालिकों ने चालू पिराई मौसम के दौरान गन्ने की खरीद की 54 करोड़ रुपये की राशि गन्ना उत्पादकों से अभी अदा करनी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और मिल मालिकों को बकाया राशि की अदायगी करने को बाध्य करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) देश भर में गन्ना उत्पादकों के चालू चीनी मौसम के दौरान खरीदे गए गन्ने की कीमत की बकाया रशि 15 जून 1974 को जैसा कि चीनी फैक्ट्रियों ने सूचना दी है, लगभग 34.72 करोड़ रुपये थी। इसमें 11.80 करोड़ रुपये वह राशि भी सम्मिलित है जो कि जून 1974 के पहले पखवाड़े में खरीदे गए गन्ने की कीमत की है। गन्ने से चीनी की वसूली में गिरावट आने और भारत के रिजर्व बैंक द्वारा ऋण देने पर लगाए गए कड़े नियन्त्रण ने विशेषतया इस वर्ष स्थिति जटिल कर दी है।

(ख) राज्य सरकारों को समय-समय पर यह सलाह दी गई है कि वे कानूनी या अन्यथा सख्त और बलकारी उपाय करें और गन्ने के मूल्य की बकाया राशि को भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल करने के लिए जहां कानून नहीं है वहां कानून बनाए। गन्ने के मूल्य की बकाया राशि के शीघ्र भुगतान की आवश्यकताओं पर मेरे साथ मई 1974 में राज्य सरकारों और उद्योग के प्रतिनिधियों की बैठक में जोर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप कुछ राज्य सरकारों, अर्थात उत्तर प्रदेश बिहार ने सूचित किया है कि उन्होंने भू-राजस्व के बकायों के रूप में गन्ने की बकाया राशि की वसूली के लिए दण्डनीय अभियोग चलाया है और कानूनी कार्यवाही की है। आशा है कि इन उपायों के फलस्वरूप और पिराई मौसम के वस्तुतः समाप्त हो जाने से गन्ने के मूल्य की बकाया राशि बहुत जल्द कम हो जाएगी।

केन्द्रीय क्षेत्र में सड़क विकास कार्यक्रम में रुकावट

95. **श्री भोला मांझी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के सड़क विकास कार्यक्रम में रुकावट पैदा होने की सभावना है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और कार्यक्रम जिस पर प्रभाव पड़ेगा उसका ब्यौरा क्या है और परिव्यय में क्या कटौती की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) और (ख). देश की कठिन वित्तीय कठिनाई की दृष्टि से 1974-75 के दौरान केन्द्रीय सेक्टर सड़क योजनायें के लिये परिव्यय कम है। परिणामस्वरूप समस्त केन्द्रीय सेक्टर सड़क योजनाओं के विकास कार्यों के लिये समस्त मांगों को पूरा करने के लिये धन की व्यवस्था करना सभव नहीं हुआ है। उपलब्ध धन के अन्तर्गत 1974-75 के दौरान समस्त केन्द्रीय सेक्टर सड़क योजनाओ के चालू कार्यों पर मुख्यतः ध्यान दिया जायेगा।

दिल्ली वृहद् योजना का प्रस्तावित पुनरीक्षण

96. **श्री भोला मांझी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली वृहद योजना में कुछ परिवर्तन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या नई बस्तियों के बारे में जो इस बीच बन गई है ! विचार किया जायेगा; और

(घ) वृहद योजना में यदि पहले कोई परिवर्तन किये गये हैं तो वे क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता):

(क) तथा (ख) : दिल्ली की बृहत योजना के कतिपय पहलुओं के पुनरीक्षण के एक अंश के रूप में विस्तृत अध्ययन किये जा रहे हैं। तथापि ऐसे पुनरीक्षण द्वारा बृहत योजना की मूल विशेषताओं को बदलने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं जठता।

(घ) विकास क्षेत्रों की संख्या, बृहद योजना भूमि का उपयोग, क्षेत्र (जोन) संबंधी विनियमों आदि के बारे में पहले कुछ परिवर्तन किये गये है।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों के मालिकों द्वारा कमीशन में वृद्धि की मांग

97. **श्री पी० वेंकट सुब्बैया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उचित दर की दुकानो के मालिकों ने मांग की है कि उनकी कमीशन की दर में वृद्धि की जाय क्योंकि यह कमीशन गत सात वर्षों से 1.5 प्रतिशत पर ही स्थिर रहा है ;

(ख) क्या नियन्त्रित कपड़ा व्यापारियों, नियन्त्रित कोयला तथा ईधन व्यापारियों के मामले में लाभ का अंश क्रमश: 12, 10 और 15 प्रतिशत है, और

(ग) यदि हां, तो उचित दर की दुकानों के लिये लाभ के अंश के कम होने के क्या कारण हैं और सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) यह सच है कि दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों के दुकानदारों ने उन्हें मिलने वाली कमीशन में वृद्धि करने के लिए कहा है ।

(ख) नियन्त्रित कपड़े के० यापारियों और नियमित कोयले के व्यापारियों के मामले में लाभ इस प्रकार था :—

नियन्त्रित कपड़ा	12—1/2 प्रतिशत 31—3—74 तक 20 प्रतिशत 1—4—74 से
नियन्त्रित कोयला	9—10 प्रतिशत

(ग) उपयुक्त लाभ निर्धारित करने के प्रश्न की दिल्ली प्रशासन समीक्षा कर रहा है ।

"बराह लक्ष्मी" बिनौला का प्रोत्साहन

98. **श्री पी० वेंकट सुब्बया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वराह लक्ष्मी बिनौला की नवीनतम किस्म से देश में कपास उत्पादन की सम्भावनाओं में क्रांति ला दी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्य सरकारों को वराह लक्ष्मी कपास के आधार पर बीजों का उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन देने का है ; और

(ग) किसानों को उच्चतम मूल्यों पर कपास की इस किस्म के बीज उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वराह लक्ष्मी संकर कपास किस्म ने अपनी अधिक उपज और बढ़िया रेसे से देश में कपास के उत्पादन में सुधार किया है। यह किस्म 1970 में नियुक्त की गई थी और इससे कपास की लगभग 30-55 क्विटल प्रति हैक्टयर उपज प्राप्त होती है ।

(ख) यह किस्म तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र रायचूर—बालेरी) और मालाप्रभा परियोजना क्षेत्र (बेलागाम और धारवाड) के लिये उपयुक्त है । यह किस्म आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर और प्रकाशम जिलों के लिये भी उपयुक्त पाई गई है । बंगलौर के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय ने चालू वर्ष की अवधि

में इस किस्म के परम्परागत बीज, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, तमिल नाडु और राजस्थान राज्यों के कृषि विभागों और कृषि विश्वविद्यालयों को आधार बीज के रूप में वर्धन करने के लिये वितरित किये है। आशा है 1974–75 के दौरान इस संकर किस्म की लगभग 2.4 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुआई की जाएगी।

(ग) प्रत्येक फूल और पौधे का हाथ से पराग से संचन करना पड़ता है। अतः इस समय, इस बीज की कीमत अधिक है। प्रजनन कार्यक्रम के लिये मेल स्टराइल लाइन्स उपलब्ध होने पर ही कीमतों में कमी हो सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित सुधार परियोजना पहले ही उपर्युक्त मेल स्टराइल लाइन का विकास करने के लिये कार्य कर रही है।

राज्यों को रासायनिक उर्वरकों की सप्लाई में विषमता

99. **श्री पी० वेंकट सुब्बैया :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को रासायनिक उर्वरकों की सप्लाई में कोई विषमता है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार रासायनिक उर्वरकों को सप्लाई को केन्द्रीय पूल में राज्यों से किए गए अनाज की मात्रा से जोड़ने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्यों की मांग का अनुमान वर्ष में दो छमाही के लिए किया जाता है। उसके बाद विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा होने वाली सप्लाई की का नियतन किया जाता है, शेष कमी के सम्बन्ध में पूल को लिख दिया जाता है, जिसके लिए उपलब्धि के अनुसार आयात जाता है। जहां तक विनिर्माताओं का सम्बन्ध है उन्हें अनुदेश दिये गए हैं कि अनुमान से कम उत्पादन होने पर विभिन्न राज्यों को उर्वरकों की अनुपातिक आधार सप्लाई की जानी चाहिए। पूल से भी आवंटन करने एवं सामान्यत: पूल के पास रजिस्टर हुई कमी के अनुपात से विभिन्न राज्यों को उर्वरकों की सप्लाई करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तथापि, विभिन्न क्षेत्रों एवं बन्दगाहों में विदेश से जहाजों के पहुंचाने, विभिन्न क्षेत्रो में रेल तथा सड़क परिवहन की विभिन्न स्थितियों आदि संचाल सम्बन्धी विभिन्न परिस्थितियों के कारण, सप्लाई का वास्तविक प्रतिमान सर्वदा पूर्णतः आवंटन के अनुसार नहीं होता है। भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय एक मंत्रालय सप्लाई को स्थिति पर निगाह रखते हैं और सम्बन्धित राज्यों की सप्लाई बढ़ाने या सप्लाई कम करने के विषय में कार्यवाही की जाती है, ताकि नौपरिवहन परिवहन, आदि की संचनात्मक सीमाओं के अन्तर्गत समय-समय पर होने वाले असंतुलन में अधिक से , अधिक सुधार किया जा सके।

(ख) राज्यों के भीतर पूल के उर्वरकों के वितरण पर राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। स्थानीय परिस्थितियों पर विचार करके तथा राज्य में कृषकों को को जाने वाली उर्वरकों को सप्लाई को अनाजों की अधिप्राप्ति से जोड़ने की आवश्यकता एवं वांछनीयता पर निर्णय करना राज्य सरकारों का कार्य है।

स्टेपल काटन की 'सुजाता' 'एक्स्ट्रा लांग' किस्म की बुवाई के अन्तर्गत भूमि और उसका उत्पादन

100. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेपल काटन की 'सुजाता' 'एक्सट्रा लांग' किस्म की बुआई इस समय कितनी भूमि में हो रही है, इसका वार्षिक उत्पादन कितना है और किन किन राज्यों एवं जिलों में इसे लोकप्रिय बनाया जा रहा ह ।

(ख) पांचवीं योजना में 2000 हैक्टर भूमि इसकी ब्रुआई के अन्तर्गत लाने के कार्य- क्रमों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कपास उत्पादन करने वाले बड़े राज्यों में इसकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए कोई परीक्षण किए गए है और यदि हां, तों उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) क्षेत्र और उत्पादन सम्बन्धी सरकारी अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं । इस किस्म के अन्तर्गत 1100 हैक्टर क्षेत्र और 1500 गांठों का उत्पादन होने का अनुमान है । इस समय यह किस्म केरल तमिलनाडू के कोयम्बटूर जिले में सिंचित क्षेत्र मेंही पैदा की जाती है ।

(ख) आशा है कि 1974-75 के दौरान ही इस किस्म के अन्तर्गत लगभग 2,000 हैक्टर क्षेत्र आ जाएगा ।

(ग) जी हां, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में इस किस्म का परीक्षण किया गया है लेकिन अधिक उपज देने वाली संकर-4 कपास लोकप्रियता को दृष्टिगत रखते हुए इन दो राज्यों में सुजाता के अन्तर्गत क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विस्तार किए जाने की सम्भावना नहीं है ।

पशु पालन और दुग्ध आयुक्तों का सम्मेलन

101. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 के अन्तिम सप्ताह में पशु पालन और दुग्ध आयुक्तों और राज्य सचिवों का कोई सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किन किन विषयों पर चर्चा की गई और इस सम्बन्ध में क्या कार्य-वाई की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां । राज्यों के पशुपालन और डेरी उद्योग के इंचार्ज सचिवों, पशुपालन निदेशकों, दुग्ध आयुक्तों तथा राज्य डेरी विकास निगमों के प्रवंध निदेशकों का एक सम्मेलन पांचवी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पशुपालन और डेरी उद्योग के विकास के लिए व्यापक तथा गतिशील कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एक समन्वित और सम्मिलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में 27 से 29 मई, 1974 तक हुआ था ।

(ख) छोटे और सीमांत किसानों तथा कृषि श्रमिकों की आय बढ़ाने के लिए उनके जरिए दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट पालन, भेड और सुअर उत्पादन के कार्यक्रमों को विचार-विर्मश में विशेष महत्व दिया गया था । इसके अलावा दुध की वसूली, मूल्य-निर्धारण और वितरण, कृत्रिम गर्भाधान तकनीक जिसमें प्रशीतित वीर्य प्रौद्योगिकी भी शामिल है, दाना-चारा तथा चारागाह के साधनों का विकास, भेड़ प्रजनन और ऊन उत्पादन तथा विपणन,कुक्कुट का पालन तथा विपणन/तथा अंडा विपणन कार्यक्रमों, सुअरप्रजनन, बुच्ड़खाने तथा हड्डी पिंजर के प्रयोग के कार्यक्रमों, पशुओं को स्वस्थ रखने के कार्यक्रम, और रोग निरोधी उपाय जिसमें जीव-विज्ञान सम्बन्धी उत्पाद भी शामिल है, पशुपालन और डेरी उद्योग की सांख्यिकी को सूचित करने की प्रणाली, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम और सफल अनुसंधान निष्कर्षों का फील्ड में उपयोग तथा आगे और अनुसंधान के लिए फील्ड की समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया था । इन कार्य-क्रमों के सम्बन्ध में अनेक दूरगामी सिफारिशें की गई थी । सम्बन्धित प्राधिकारियों से विभिन्न सिफारिशों पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है ।

दिल्ली में ड्राइंग अध्यापकों के संवर्ग में परिवर्तन

102. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के गवर्नमेंट मिडल स्कूलों में कार्य करने वाले संवर्ग 3 के ऐसे ड्राइंग अध्यापकों की जो कि प्राशिक्षित स्नातक अध्यापक पद के लिए अर्हता प्राप्त है, संवर्ग परिर्वतन की अनुमति है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का विचार कब तक ऐसे अध्यापकों को संवग परिर्वतन करने की अनुमति देने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) दिल्ली प्रशासन के विद्यमान नियमों के अनुसार, केडर परिर्वतन की अनुमति नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Delhi Teachers' Pay Scales as Recommended by Third Pay Commission

103. Shri Purushottam Kakodkar: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the pay scales revised by the Third Pay Commission have been made applicable to Delhi teachers;

(b) if not, th reasons therefor; and

(c) the time by which these will be made applicable to them?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) No, Sir.

(b) The recommendations of the Commission are under examination of Government.

(c) These will be made applicable as soon as a final decision is taken.

वनस्पति की कमी को दूर करने के लिये इस पर मूल्य नियंत्रण समाप्त करना

104. श्री महेन्द्र सिंह गिल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति की वर्तमान कमी को दूर करने के लिए वनस्पति घी पर से मूल्य नियंत्रण समाप्त करने और निर्माताओं की कम उत्पादन करने बनावटी कमी पैदा कर अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के बारे में कुछ प्रस्तावो पर गम्भीरता से विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) : वनस्पति के मूल्यों से नियन्त्रण उठाने समेत विभिन्न प्रस्तावों पर सरकार द्वारा विचार किया गया था। अन्तत: विभिन्न जानों में 15 जून, 1974 से उत्पादक स्तर पर वनस्पति का मूल्य 1800 रुपए से बढ़ाकर 2200 रुपये करने का निर्णय किया गया था।

बम्बई में वेश्यावृत्ति

105. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री 4 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1743 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में वेश्यावृत्ति के अड्डे तथा लाइसेंसशुदा वेश्यावृत्ति अभी भी विद्यमान है ;

(ख) क्या देश के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की वेश्यावृत्ति विद्यमान है ;

(ग) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ; और

(घ) वेश्यावृत्ति का उन्मूलन करने तथा इस पेशे में लगी वेश्याओं का पुनर्वास करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) यह जानकारी महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) से (घ) स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक पणन दमन अधिनियम, 1956 के अधीन वेश्याओं को लाइसेंस देने की कोई व्यवस्था नहीं है तथा वेश्यालय का चलाना एक अपराध है। वेश्यालयों से छुड़ाई गई स्त्रियों को आश्रय देने तथा उनके पुनर्वास हेतु आश्रमों की स्थापना करने के लिए इस अधिनियम में उपबन्ध किया गया है। निवारक और पुनर्वास सम्बन्धी काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

15 जून, 1973 और 15 जून, 1974 को गेहूं का विक्रय मूल्य

106. **श्री मधु लिमये** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जून, 1973 को विभिन्न राजधानियों और संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में उचित मूल्य/राशन की दुकानों से गेहूं का क्रिय मूल्य क्या था ;

(ख) 15 जून, 1973 को इन स्थानों पर विक्रय मूल्य क्या था ; और

(ग) परिवहन, ऊपरि खर्च तथा प्रशासनिक व्यय में वृद्धि सहित विक्रय मूल्य में वृद्धि के क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

(ग) केन्द्रीय निर्गम मल्यों में वृद्धि मुख्यतया राज सहायता और घाटे की वित्त-व्यवस्था का भार कम करने आर उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिप्राप्ति के मूल्यों में बढ़ोतरी करने के परिणामस्वरूप हुई थी।

विवरण

15 जून, 1973 और 15 जून, 1974 को विभिन्न राजधानियों और केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में उचित मूल्य/राशन की दुकानों पर गेहूं के निर्गम मूल्य।

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	15-6-73 को गेहूं का निर्गम मूल्य	15-6-74 को गेहूं का निर्गम मूल्य
	(रु० प्रति क्विंटल)	(रु० प्रति क्विंटल)
1. आन्ध्रप्रदेश	90.00	135.00
2. गुजरात	90.00	135.00
3. हरियाणा	89.00 (आटा)	138.00 (आटा)
4. जम्मू काश्मीर	44.00	44.00*
5. केरल	85.00 से 88.00 आम 91.00 से 93.00 बढ़िया	134.00 से 136.00 सभी किस्में
6. मध्यप्रदेश	83.77	136.00
7. महाराष्ट्र	91.00 आम 97.00 बढ़िया	138.00 सभी किस्में
8. मणिपुर	107.65	157.80
9. उड़ीसा	90.00	142.00
10. पंजाब	89.00 (आटा)	138.00 (आटा)
11. राजस्थान	87.00	136.00
12. तमिलनाडु	90.00	140.00
13. पं० बंगाल	90.00	139.00

*खाद्यान्नों की बिक्री पर भारी राजसहायता दी गई थी।

केन्द्र शासित प्रदेश :

1. अण्डेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	92.00	142.00
2. अरूणाचल प्रदेश	प्रश्न नहीं उठता। जून, 1973 में राजधानी शिलांग में थी।	165.00 आटा, पिसाई तथा अन्य आकस्मिक खर्चों सहित

राज्य/केंद्र शासित			15-6-73 को गेहूं का निर्गम मूल्य	15-6-74 को गेहूं निर्गम मूल्य
3. चण्डीगढ़	.	.	89.00 आटा	138.00 आटा
4. दादरा, तथा नागर हवेली	.	.	86.00	133.00
5. दिल्ली .	.	.	81.00	128.00
6. गोआ, दमन और दीव	.	.	88.00 आम 95.00 बढ़िया	139.00
7. लक्षद्वीप	.	.	91.00	147.00@
8. पाण्डिचेरी	.	.	89.00	132.00

@परिवहन उतारने चढ़ाने आदि तथा प्रशासनिक शुल्कों में 25 प्रतिशत वृद्धि

नोटः– असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, नागालेण्ड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और मिधोराम के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

15 जून, 1973 और 15 जून, 1974 तक गेहूं की वसूली—कमी का पूरा किया जाना

107. **श्री मधु लिमये** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जहां आवश्यकता से अधिक गेहूं पैदा होता है ।

(ख) फालतू उत्पादन वाले राज्यों में 15 जून, 1973 तक 'एकाधिकार वसूली योजना' के अधीन और इस वर्ष 15 जून, तक 'थोक विक्रेताओं से उगाही योजना' के अधिन कितना गेहूं वसूल किया गया ; और

(ग) क्या वसूली में कमी को अनाज का अतिरिक्त मात्रा में आयात करके अथवा सरकारी वितरण व्यवस्था में कमी करके पूरा किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) :(क) सामान्य वर्ष में, गेहूं के उत्पादन के हिसाब से पंजबा , हरियाणा ,उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान अधिशेष राज्य है ?

(ख) एक विवरण संलग्न है । अधिप्राप्ति सम्बन्धी दो आंकडे वास्तव में तुलनीय नहीं है क्योंकि पिछले वर्ष वास्तव में जो कुछ भी मात्रा मंडी में पहुंची थी उसे सरकारी एजेंसियों में अधिप्राप्त कर लिया था जबकि इस वर्ष व्यापारियों द्वारा मंडी में की गई खरीद की केवल 50 प्रतिशत अधिप्राप्ति हुई है ।

(ग) आयात के लिए प्राधिकृत कुल मात्रा के अन्दर, देश में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता और सरकारी वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यथावश्यक मात्रा विदेशों से खरीदी जा रही है ।

विवरण

अधिशेष राज्यों में पिछले वर्ष (रबी 1973–74) की तुलना में चालू वर्ष (रबी 1974–75) में 15 जून तक गेहूं की प्रगामी अधिप्राप्ति

(हजार मी० टन में)

अधिशेष राज्य	15 जून तक गेहूं की अधिप्राप्ति 1973–74	1974–75 लेवी के माध्यम से अधि-प्राप्त	कुल अधि-प्राप्ति
पंजाब	2385	692	696
हरियाणा	495	186	202
उत्तर प्रदेश	619	50	103
राजस्थान	101	14	15
मध्य प्रदेश	182	8	107

नोट :– रबी मौसम 1974–75 की कुल अधिप्राप्ति में व्यापारियों से लेवी के माध्यम से अधि-प्राप्ति तथा किसानों से सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई सीधी खरीदारी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पकड़े गए जमाखोरों वाले स्टाक शामिल हैं ।

वनस्पति निर्माता उद्योग द्वारा वनस्पति मूल्य में वृद्धि की मांग

108. **श्री मधु लिमये :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति उद्योग ने वनस्पति घी के मूल्य में वृद्धि करने की मांग की है और इस वृद्धि की मंजूरी न मिलने की अवस्था में अपने कारखाने बन्द करने की धमकी दी है ;

(ख) यदि हां, तो मूल्य में कितनी वृद्धि की मांग की गई है ;

(ग) क्या उपभोक्ता इस वृद्धि के खिलाफ हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) विभिन्न जोनों में 15 जून, 1974 को सरकार द्वारा उत्पादक स्तर पर 1800 से 2200 रुपये प्रति मीटरी टन के बीच वनस्पति के मूल्य में वृद्धि करने से वनस्पति उद्योग संतुष्ट नहीं है क्योंकि यह वृद्धि लगभग 500 मीटरी टन की उसकी आशा से कम है । उद्योग इस बात पर जोर देता रहा है कि या तो वनस्पति के मूल्यों से नियन्त्रण उठाया जाए या वनस्पति का उत्पादन बढ़ाने और उनकी उपलब्धता बढ़ाने के हित में पाक्षिक समीक्षा पर आधारित उसके निर्माण में प्रयुक्त देशी खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि के साथ उस के मूल्य में वृद्धि करने की इजाजत दी जाए । यह बताया गया है कि अन्यथा

वनस्पति के मूल्य निर्धारण फार्मूले में दी गई विधि से तेल के मूल्यों मे वृद्धि या कमी होने के अनुसार वनस्पति के उत्पादन में वृद्धि या गिरावट आती रहेगी ।

(ग) और (घ) यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता किसी भी वृद्धि के पक्ष में नहीं होगा ।

Handling charges of wheat fixed by F.C.I.

109. **Shri R. R. Sharma:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the handling charges of wheat per quintal fixed by the Food Corporation of India during the years 1972-73 and 1973-74; and

(b) the factors taken into account while fixing the charges?

The Miister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) The handling charges of wheat incurred by the FCI for the years 1972-73 and 1973-74 (Prov.) were as under:—

	Rs. per quintal of sale
1972-73	22.76
1973-74 (Prov.)	23.09

(b) The handling charges comprise of charges on account of procurement, movement, storage and distribution. The charges include the cost of gunny, purchase tax, mandi charges, mandi labour, forwarding charges, internal movement, freight, interest, transit and storage loss, handling at godowns, storage charges, administrative overheads etc.

Complaint against Chairman of F.C.I.

110. **Shri R. R. Sharma:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the names of the Chairmen of the Food Corporation of India since its inception;

(b) whether Government have received any grave complaints against any of them;

(c) if so, the number of Chairmen against whom Government ordered an enquiry and the findings the reof; and

(d) the number and names of Chairmen who are being prosecuted in the Courts and the States to which they belongs?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology and Agriculture (Shri C. Subramaniam): (a) The names of persons who held the office of Chairman, Food Corporation of India since its inception are as under:—

1. Shri T. A. Pai
2. Shri K. T. Chandy
3. Shri Shah Nawaz Khan
4. Shri Iqbal Singh
5. Shri R. N. Chopra—Currently holding the charge.

(b) to (d). Except Shri Iqbal Singh, who was the Chairman during the period 19-7-71 to 30-11-72 no grave complaints have been received against any other Chairman. In respect of Shri Iqbal Singh, who belongs to Punjab, a criminal case for showing favours to certain parties in the purchase of mustard oil and dal, has been filed in the Court of Special Judge, Delhi on 28-11-1973 and the matter is sub-judice. In another case of sale of maize, investigation has revealed a prima facie case against Shri Iqbal Singh.

दिल्ली में सरकार द्वारा नियंत्रित वनस्पति मिलों के डिब्बों में वनस्पति की मात्रा का कम होना

111. **श्री एन० ई० होरो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में सरकार द्वारा नियंत्रित वनस्पति मिलों में वनस्पति के डिब्बों पर लिखी मात्रा से 200, 250 ग्राम तक कम होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन के माप और तोल विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार 23 मई, 1974 को एक शिकायत मिली थी कि मैसर्स गणेश फ्लौर मिल कम्पनी लिमिटेड में निर्मित वनस्पति के डिब्बों में उसके घोषित वजन से कम वनस्पति घी है । विभाग ने माप और तौल के निरीक्षक से मिल के पास स्टाक-धारियों और खुदरा व्यापारियों के पास इस फैक्ट्री द्वारा निर्मित वनस्पति के 4 किलो और 2 किलो के डिब्बों की बराबर जांच कराने की व्यवस्था की थी । यह देखा गया था कि दो मामलों को छोड़कर, इन डिब्बों का औसत निवल वजन निश्चित रूप से +2 प्रतिशत की सहन सीमा में था । मई, 1974 में कुछ अलग अलग डिब्बे 2.4 प्रतिशत और 4.55 प्रतिशत कम वजन के पाये गये थे और फैक्ट्री को भविष्य में वनस्पति की पैकिंग में सावधान रहने की चेतावनी दी गई थी । दूसरी बार 10–7–74 को जांच करने पर 13.9 प्रतिशत की औसत कमी पायी गई थी । अगामी की जानेवाली कार्यवाही दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

दिल्ली में डबल रोटी की कमी को दूर करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था

112. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में डबल रोटी की कमी को देखते हुए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन बेकरियों को समुचित रूप से चलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) :(क) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि इस समय दिल्ली में डबल रोटी की कोई कमी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब में उर्वरक का अपमिश्रण सम्बन्धी जांच प्रतिवेदन

113. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा अन्य स्थानों पर किसानों को अपमिश्रित उर्वरक सप्लाई करने के बारे में की जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति दोषी पाये गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही गई है ;

(ग) क्या जांच प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) राज्य सरकार ने हाल ही में भारत सरकार को पंजाब में की गई उर्वरकर की सप्लाई में अभिकथित अपमिश्रण सम्बन्धी दो मुख्य शिकायतें की हैं। पंजाब सरकार ने जुलाई, 1973 में एक शिकायत यह की थी कि पंजाब में कुछ गैर-सरकारी विक्रेताओं द्वारा उर्वरक के रूप में दानेदार कीचड़ बेची गयी है । पंजाब सरकार ने दिसम्बर, 1973 में दूसरी शिकायत भावनगर बन्दरगाह से भटिंडा नें प्राप्त हुए अपमिश्रित उर्वरक के सम्बन्ध में की थी ।

पहले मामले में प्रारम्भिक जांच करने पर पता चला है कि बम्बई के कुछ समाज-विरोधी तत्वों ने कीचड़ को दानेदार बनाकर पंजाब के कुछ गैर-सरकारी विक्रेताओं को आयतित डी० ए० पी० के रूप में बेचा था ।

यह मामला अगस्त, 1973 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था । केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच लगभग पूरी हो गई है । अपराधी का पता लगा कर कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो से शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त होने वाली है ।

भावनगर बन्दरगाह से भटिंडा में प्राप्त हुए अपमिश्रित उर्वरक के दूसरे मामले में औपचारिक रूप से जांच करने का कोई आदेश नहीं दिया गया था, परन्तु पंजाब सरकार से प्राप्त हुई शिकायत की जांच की गई थी । जांच से पता चला है कि इस अवधि के दौरान भावनगर बन्दरगाह से प्राप्त हुए उर्वरक के कुछ कट्टों में बुहारन का उर्वरक एवं अन्य मिलावट शामिल थी । यह जान बूझ कर अपमिश्रण करने का मामला नहीं था, बल्कि यह भारतीय खाद्य निगम के मजदूरों एवं कर्मचारियों की लापरवाही का मामला था । भारतीय खाद्य निगम को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि भविष्य में उर्वरकों को कट्टों में भर कर भेजने में लापरवाही नहीं की जानी चाहिये ।

दिल्ली में सरकारी स्कूलों में तदर्थ आधार पर काम कर रहे अध्यापक

114. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी स्कूलों में तदर्थ आधार पर काम कर रहे कितने अध्यापक है ;

(ख) उन्हें नियमित न करने के क्या कारण हैं, जब कि उनमें से कुछ ने पांच वर्ष से भी अधिक सेवा पूरी कर ली है ; और

(ग) उन्हें नियमित करने में कितना समय लगेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

इन्द्रप्रस्थ में दिल्ली विकास प्राधिकरण के नये भवन का निर्माण

115. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इन्द्रप्रस्थ में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने नये भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा ;

(ग) उस पर कुल कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के सभी विभाग कब तक इस नये भवन में प्रवेश कर जायेंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इसकी दिसम्बर, 1974 तक पूर्ण होने की आशा है ।

(ग) लगभग 149.95 लाख रुपये 31-5-1974 तक ।

(घ) इस सयम कुछ नहीं कहा जा सकता ।

दिल्ली परिवहन निगम की सुगम सेवा तथा मुद्रिका सेवा के अन्तर्गत बसों का रख रखाव

116. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सुगम सेवा और मुद्रिका सेवा के अन्तर्गत कितनी नई बसें लगाई गई हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन बसों का रखरखाव ठीक ढंग से नहीं किया जाता और उन्हें प्रतिदिन के उपयोग के लिए भेजने से पूर्व ठीक ढंग से साफ नहीं किया जाता, और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक चक्कर लगाने के बाद टर्मिनस से पुन: सफाई करवा के चलाई जाये ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 126 बसें-86 "सुगम सेवा" और 40 मुद्रिका सेवा पर—लगाई गई हैं । इनमें से 118 नई बसें हैं और शेष 8 पुरानी बसें हैं ।

(ख) और (ग) इन बसों के उचित रख रखाव और सफाई के लिए हर प्रयत्न किया जा रहा है । परन्तु इस समय दिल्ली परिवहन निगम में अपर्याप्त रख रखाव अवस्थापना के कारण इस संबंध में कुछ कमियां हो सकती हैं । मेंसों के रखजरखाव और सफाई स्तर में सुधार होने की संभावना है जब नये डिपो जो निर्माणाधीन है चालू हो जाएंगे ।

कर्नाटक को गेहूं, चीनी और बनस्पति की सप्लाई

117. **श्री के० मालन्ना :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केंद्रीय सरकार से गेहूं, चीनी और वनस्पति की सप्लाई करने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या इन वस्तुओं की अनियमित सप्लाई कर्नाटक सरकार के लिये समस्या बनी हुई है ;

(ग) यदि हां, तो राज्य को गत चार महीनों में उपर्युक्त वस्तुओं की सप्लाई कितनी-कितनी मात्रा में की गई; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का वितरण प्रणाली में संशोधन करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अणा साहिब पी० शिन्दे) :

(क) से (ग) पिछले चार महीनों के दौरान कर्नाटक को गेहूं की सप्लाई न्यूनाधिक किए गए आवंटनों के मुताबिक की गई हैं । मार्च से जून, 1974 तक कर्नाटक सरकार को गेहूं की निम्नलिखित सप्लाई की गई थी :—

	सप्लाई
मार्च	9,000 मीटरी टन
अप्रैल	9,000 ,, ,,
मई	7,700 ,, ,,
जून	9,000 ,, ,,

वनस्पति के वितरण पर कोई केन्द्रीयकृत नियंत्रण नहीं है ।

विभिन्न राज्य सरकारों के लिये लेबी चीनी का मूल मासिक कोटा 1971 की जनगणना में दर्ज जनसंख्या के आंकड़ों और खपत के पिछले प्रतिमान को ध्यान में रख कर निर्धारित किया गया है । तथापि प्रत्येक मास के लिये वास्तव में निर्मुक्त की जाने वाली चीनी की कुल मात्रा के अनुपात में वास्तविक आवंटनों में सीमान्त समायोजन किया जाता है ।

कर्नाटक सरकार को मार्च से जून, 1974 के दौरान लेबी चीनी का आवंटन इस प्रकार रहा है :—

	आवंटन
मार्च	9907 मीटरी टन
अप्रैल	9907 ,, ,,
मई	9907
जून	9396 ,, ,,

(घ) सरकारी वितरण प्रणाली तथा उसके क्षेत्र की सरकार द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है ।

पत्तन निदेशक, अहमदाबाद के अधीन आयात और निर्यात किए गए माल का टनभार

118. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री एन० आर० वेकारिया :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद पत्तन निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी पत्तनों द्वारा वर्ष 1973–74 में कुल कितने टन भार का आयात और निर्यात किया गया ;

(ख) क्या गत वर्षों की तुलना में इसमें कुल वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो कितने टनभार की वृद्धि हुई है ; और

(घ) गुजरात के पत्तनों द्वारा इसी अवधि में कुल कितना राजस्व कमाया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :

(क) 28,22,269 **टन** ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) 2,37,60,199 रुपये ।

गुजरात में अभाव की स्थिति दूर करने के लिये ग्रामीण विकास कार्यक्रम

119. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री वेकारिया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गुजरात राज्य में अभाव की स्थिति दूर करने के लिये बनसकंठा, पंचमहल, अमरोला, राजकोट, सुरेन्द्रनगर, जामनगर और जूनागढ़ जिलों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया है ; और

(ख) यदि हां, तो आरम्भ की गई विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (जिसे पहले ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम कहा जाता था) को 1970–71 में गुजरात के सात जिलों अर्थात् बन्सकान्था, पंचमहल, अमरेली, राजकोट, जामनगर, सुरेन्द्रनगर और कच्छ में आरम्भ किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि इन इलाकों में लघु/मध्य सिंचाई, भू-संरक्षण, वनरोपण, ग्रामीण सड़कों जैसे श्रम प्रधान तथा उत्पादन-उन्मुख निर्माण कार्य और कुछ अन्य विविध योजनाएं शुरू करके सूखे की बाहुल्यता को कम किया जाए। जूनागढ़ जिले को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं लाया गया था/नहीं लगाया गया है।

(ख) चौथी योजना में राज्य सरकार को इन जिलों में अनुमोदित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये 9.78 करोड़ रुपये की धनराशि बंटित की गई थी । चौथी योजना के दौरान (जनवरी, 1974 तक) उपरोक्त सात जिलों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ की गई विकास योजनाओं का स्वरूप तथा उन पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है

विकास योजनाएं	व्यय (करोड़ रुपयों में)
लघु सिंचाई	4.45
भू-संरक्षण	0.71
वनरोपण	1.41
सड़कें	3.46
अन्य विविध योजनाएं	0.64
	10.67

न्यू फ्रैण्ड्स हाऊसिंग कोआपरेटिव सोसायटी, नई दिल्ली की जांच (विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा भूमि हथियाए जाने का मामला)

120. **श्री सरजू पांडेय :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू फ्रैन्ड्स हाऊसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, नई दिल्ली की विशिष्ट व्यक्ति द्वारा भूमि हथियाये जाने के मामले के संदर्भ में कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने न्यूफ्रड्स हाऊसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, नई दिल्ली के कार्यों की जांच करने का कोई आदेश नहीं दिया है ; मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है ।

कम उत्पादन वाले राज्यों में गेहूं के मूल्य निर्धारित करना

121. **श्री सरजू पांडेय :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम उत्पादन वाले राज्यों में गेहूं के मूल्य निर्धारित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) प्रत्येक राज्य के द्वारा निर्धारित खुदरा मूल्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). कमी वाले राज्य मुख्यतया अधिशेष राज्यों से गेहूं के निर्यात और केन्द्रीय गेहूं पूल से भारत सरकार द्वारा उन्हें आवंटित गेहूं पर निर्भर करते हैं। 5 जून, 1974 से भारत सरकार ने 150 रुपये प्रति क्विंटल का अधिकतम मूल्य सांविधिक रूप से निर्धारित किया है। इस मूल्य पर गेहूं अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान अधिशेष राज्यों में बेचा जा सकता है। कमी वाले राज्यों से कहा गया है कि वे अधिशेष राज्यों से आयात के लिए इस मूल्य के आधार पर आन्तरिक सौदों के लिए गेहूं के थोक तथा खुदरा अधिकतम मूल्य निर्धारित करें ।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश	गेहूं के अधिकतम खुदरा मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल)
1	असम	180.00
2	बिहार	175.00 (6–7–74 से)
3	कर्नाटक	180.00
4	महाराष्ट्र	180.00
5	उड़ीसा	178.00
6	तमिल नाडु . . .	180.00
7	पश्चिमी बंगाल	178.00 (5–7–74 से)
8	दिल्ली	161.00 (24-6-74 से)

[**नोट** :—बिहार, पश्चिमी बंगाल और दिल्ली में अधिकतम खुदरा मूल्य बतायी गई तारीखों से लागू हैं। शेष राज्यों के बारे में उपर्युक्त मूल्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मूल्य हैं। इन मूल्यों के निर्धारण के लिए आवश्यक आदेश सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाने हैं ।]

गुजरात में मुख्य लोक निर्माण कार्यों के लिये निर्माण निगम स्थापित करना

122. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने मुख्य लोक निर्माण कार्यों के लिए निर्माण निगम स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, हां ।

(ख) मिट्टी की कटाई और भराई का कार्य तथा बांधों, पुलों, सड़कों आदि के निर्माण के आगामी व्यापक कार्यक्रम तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध साधन सम्पन्न ठेकेदारों के अभाव, निविदाओं के कम मात्रा में प्राप्त होने और प्रायः निविदा के ऊंची दरों पर प्राप्त होने को देखते हुए, गुजरात सरकार ने "दि गुजरात कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि०" नाम की एक सार्वजनिक लि० कम्पनी स्थापित करने का निर्णय किया है। यह सरकार की पूर्णरूपेण अपनी ही कम्पनी होगी जिसमें 3 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी होगी जिससे कि यह कतिपय महत्वपूर्ण एवं बड़े निर्माण कार्यों का निष्पादन कर सके जिन्हें फिलहाल राज्य लोक निर्माण विभाग विभागीय तौर पर कर रहा है। इस निगम की बातचीत द्वारा तय की गई दरों के आधार पर कुछ सरकारी निर्माण कार्य भी सौंपे जा सकते हैं तथा यह राज्य में अन्य ठेकेदारों के साथ प्रतियोगिता में निर्माण कार्य प्राप्त करने का भी प्रयत्न करेगा ।

वनस्पति से नियंत्रण हटाना

123. श्री डी० डी० देसाई : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वनस्पति से नियंत्रण हटाने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्यवाही से वनस्पति घी की उपलब्धता बढ़ने की सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो वनस्पति उद्योग की खाद्य तेलों की मांग को सरकार किस प्रकार पूरा करेगी ; और

(घ) क्या यह सच है, जैसा कि हिन्दुस्तान लीवर के अध्यक्ष ने बताया है कि वर्ष 1989 तक मूल तेलों की सप्लाई और मांग में 23 लाख टन का अन्तर होने का अनुमान है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :

(क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

(ग) निम्नलिखित उपाय करके :—

(1) परम्परागत तिलहनों और सोयाबीन तथा सूरजमुखी बीज जैसे गैर-परम्परागत तिलहनों का उत्पादन बढ़ा कर ;

(2) यथासम्भव आयात के माध्यम से सप्लाई में वृद्धि कर ;

(3) वनस्पति के बनाने में बिनौले के तेल और चावल के चोकर के तेल के अधिक प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार आर्थिक प्रोत्साहन देकर ;

(4) वृक्ष जाति के छोटे तिलहनों को इकट्ठा करने और उपयोग करने को बढ़ावा दे कर;

(घ) 1989 में खाद्य तेलों की सम्भावित सप्लाई तथा मांग क्या होगी इसके बारे में ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि उन में से दोनों ही अनेक विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करते हैं।

केरल में नौवहन निगम स्थापित करने हेतु केन्द्र से वित्तीय सहायता

124. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में एक नौवहन निगम स्थापित करने हेतु केन्द्र से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस अनुरोध का स्वरूप क्या था ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार ने नौवहन विकास निधि समिति से जहाजों की खरीद के लिये जहां तक उन्हें मिल सकता है ऋण और गारन्टी की प्रार्थना की है।

(ग) केरल सरकार को सूचित किया गया है कि वित्तीय कठिनाई के कारण नौवहन विकास निधि समिति जहां तक उन्हें मिल सकता है ऋण मंजूर न कर सकेगी लेकिन प्रत्येक मामलों में जहाजों की खरीद के लिये वे केरल सरकार के द्वारा लिये गये ऋण के लिये गारन्टियां तथा प्रति गारन्टियां जारी कर सकती है।

Per-capita average consumption of milk in the country

125. **Dr. Laxminarayan Pandeya:**
Shri Piloo Mody:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the per-capita average consumption of milk in the country during the years 1971-72, 1972-73 and 1973-74 and at present; and

(b) the steps taken by Government to increase the milk production in the country?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya): (a) The figures of per capita average consumption of milk in the country relate to those available for consumption as milk and milk products. The average per capita availability of milk is calculated on the basis of estimated production of milk and human population. In the absence of annual sample surveys in all the States simultaneously at a particular point of time, which should be the basis of working out total production in the country, milk production is estimated every five years on the basis of cattle population census. Since these are collected every five years, it is not possible to give yearwise consumption levels. In the draft Fifth Five Year Plan, the assumed base level of production for 1973-74 is 23.2 million tonnes of milk on this basis the per capita availability of milk for consumption as milk and milk products was of the order of 110.2 gms. As there is no regular system of reporting estimates of production of milk by the States to the Centre on the basis of objective annual sample surveys, it is not

possible to give estimate of the per capita average consumption of milk as at present.

(b) A number of milk production enhancement programmes have been formulated for implementation during the Fifth Plan. These include extensive cross-breeding to introduce exotic inheritance, integrated cattle-cum-dairy development programmes supported by adequate feed & fodder resources, effective health cover, dairy extension, price support and marketing facilities.

नेपाल से खाद्यान्न का आयात

126. **डा0 लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1974 के दौरान नेपाल से खाद्यान्न का आयात करने के लिये कोई समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सुदूर देशों को महत्व देने तथा पड़ौसी देशों से खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं का आयात न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) खाद्यान्नों की खरीदारी निर्यातक देश में अपेक्षित खाद्यान्नों की उपलब्धता और उनके मूल्य तथा अन्य संगत तथ्यों पर निर्भर करती है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में वनस्पति का उत्पादन करने वाले एककों के बन्द रहने के कारण उन पर कार्यवाही

127. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कुछ कारखानों को अपने प्रतिष्ठानों को बन्द करने और अभाव की स्थिति पैदा करने के लिये सरकार की मौन स्वीकृति प्राप्त है ;

(ख) यदि नहीं, तो वनस्पति का उत्पादन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) यदि कोई कार्यवाही की जाती है तो किन नियमों के अधीन ; और

(घ) उन्हें गिरफ्तार न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ). इस सुझाव का कि सरकार ने वनस्पति फैक्टरियों को अपने प्रतिष्ठान बन्द करने के लिए मौन स्वीकृति दी है, जोरदार खण्डन किया गया है। तथ्य यह है कि पांच वनस्पति फैक्टरियां ऐसी हैं जोकि वित्त के कारणों से काफी लम्बे समय से बन्द पड़ी हैं और एक फैक्टरी ऐसी है जहां मजदूर संकट के कारण हाल ही में जून, 1974 से उत्पादन स्थगित किया गया है। 5 में से 2 मिलों का प्रबन्ध लेने के लिये सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार हो रहा है। ये मिलें उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बन्द पड़ी हैं ।

वनस्पति के मूल्यों को बढ़ाने के लिये दबाव डालने हेतु वनस्पति के कारखानों का बन्द किया जाना

128. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति के मूल्य बढ़ाने के लिये सरकार पर दबाव डालने के विचार के लिये सरकार पर दबाव डालने के विचार से मई और जून, 1974 में वनस्पति बनाने वाले कारखाने बन्द कर दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या उनके बन्द होने से जनसाधारण को कठिनाई का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो सरकार ने ऐसे कारखानों को अपने नियंत्रण में लेने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं । मई और जून, 1974 के दौरान केवल एक वनस्पति फैक्ट्री के बन्द होने की नई वारदात हुई थी और यह फैक्टरी मजदूरों के संकट के कारण बन्द हुई थी ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

वर्ष 1974–75 में केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना

129. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या **शिक्षा. समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 के दौरान, राज्यवार, किन-किन स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या तत्सम्बन्धी राज्यों में ऐसे विद्यालय खोलने के लिये विभिन्न राज्यों के संसद सदस्यों के विचारों पर ध्यान दिया जा रहा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) और (ख). 1974-75 वर्ष के दौरान 16 नये केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं । इनमें से आठ सुरक्षा क्षेत्रों में, तीन सिविल क्षेत्रों में और पांच सार्वजनिक उपक्रम सेक्टरों में स्थापित किये गये हैं । उपक्रम के नाम और साथ में उनके स्थान संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

सुरक्षा क्षेत्रों में नये स्कूल खोलम के मामले में, सुरक्षा मंत्रालय के दृष्टिकोणों पर ध्यान दिया जाता है । सार्वजनिक उपक्रम सैक्टरों में खोले जाने वाले स्कूलों के सम्बन्ध में सार्वजनिक सैक्टरों के सम्बन्धित प्राधिकारियों के दृष्टिकोणों पर ध्यान दिया जाता है। केवल सिविल क्षत्रों में खोले जाने वाले स्कूलों के मामले में संसद् सदस्यों के दष्टिकोणों पर, यदि उपलब्ध हों, तो सामान्य तौर से ध्यान दिया जाता है ।

विवरण

1974–75 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं :—

आन्ध्र प्रदेश :

1. विशाखापटनम (सुरक्षा)
2. कंचन बाग (सुरक्षा)

अरुणाचल प्रदेश :

3. इटाह्-नगर (सिविल)

असम :

4. मसीमपुर (सुरक्षा)

बिहार :

5. सुर्दा (घाट शिला) (सार्वजनिक उपक्रम सैक्टर)
6. रांची (सार्वजनिक उपक्रम सैक्टर)

हरियाणा :

7. चन्दी मन्दिर (सुरक्षा)

कर्नाटक :

8. डोनीमैल कस्बा (सार्वजनिक उपक्रम सैक्टर)

उड़ीसा :

9. तलच्छर (सार्वजनिक उपक्रम सैक्टर)
10. प्रदीप पोर्ट (सार्वजनिक उपक्रम सैक्टर)

पंजाब :

11. पठानकोट (सुरक्षा)
12. राजपुरा (सुरक्षा)

उत्तर प्रदेश :

13. बरेली (सुरक्षा)
14. आजमगढ़ (सिविल)

पश्चिम बंगाल :

15. दुर्गापुर (सिविल)

चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र :

16. चण्डीगढ़, ए० एफ० (सुरक्षा)

उपरोक्त केन्द्रीय विद्यालयों के अलावा, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिये शिव-सागर (असम) में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है और औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है।

स्नातकोत्तर अध्ययन अनुसन्धान के लिये वृत्तिकाओं/छात्रवृत्तियों में वृद्धि के लिये अभ्यावेदन

130. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने स्नातकोत्तर अध्ययन-शोध के लिये विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्तियों/वृत्तिकाओं की दर में पिछला संशोधन कब किया था ;

(ख) प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत छात्रवृत्ति/वृत्तिकाओं में कितनी वृद्धि की गई थी ;

(ग) क्या सरकार के पास मूल्य वृद्धि के कारण छात्रवृत्तियों-वृत्तिकाओं में वृद्धि के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7090/74]

(ग) जी हां।

(घ) कुछ मामलों में छात्रवृत्ति की दरें परिशोधित की जा चुकी हैं, जैसे कि संलग्न विवरण में बताया गया है और अन्य मामलों में छात्रवृत्ति की दरों को परिशोधित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

पंजाब विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जाना

131. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में चलाने के लिये केन्द्र को सौंपने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव किस तिथि को किया गया था ; और

(ग) इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० नूरुल हसन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन

132. **श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिभाषा फार्मूले को भारत के सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र में पृथक पृथक कौन सी तीन भाषायें पढ़ाई जा रही हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव): (क) और (ख). विवरण संलग्न है। ग्रन्थालय में रखा गया [देखिये संख्या एल० टी० 7091/74]

केरल में नये राष्ट्रीय राजपथ

133. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केरल में वर्ष 1973–74 के दौरान राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिए मूलतः कितने धन की व्यवस्था की गई थी ,

(ख) अब तक कितने धन की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) कमी किये जाने के क्या कारण हैं, तथा इस बारे में व्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) से (ग). राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धनराशि की बजट व्यवस्था दो श्रेणियों के अन्तर्गत की जाती है, अर्थात् स्वीकृत कार्य और नये कार्य जिन्हें स्वीकृत किया जाना है। आरम्भ में, 1973–74 में केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों के लिए 322 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई/ इन में स्वीकृत कार्यों के लिए 260.50 लाख रुपये तथा स्वीकृत किये जाने वाले नये कार्यों के लिए 61.50 लाख रूपये शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आवंटन में की गई ग्राम कटौती के कारण केरल के लिए आवंटन में कमी करके 238 लाख रुपये कर दिया गया परन्तु अन्ततः यह राशि बढ़ाकर 273.95 लाख रुपये की गई और इस राशि में से कार्यवार आवंटन राज्य सरकार के प्रस्तावों के आधार पर किया गया। उन प्रस्तावों में केवल एक कार्य केरल/कर्नाटक सीमा के निकट मजेश्वर से चालीसेरी तक सड़क पर (वालीपत्तनम पुल) शामिल था जोकि चौथी योजना में उस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल किया गया केवल नया राष्ट्रीय राजमार्ग खंड है। उपरोक्त 273.95 लाख रुपये के आवंटन में वालीपत्तनम पुल के लिए 10 लाख पये शामिल था।

बहराइच उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों के लिये परियोजना

134. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के छोटे किसानों के लिये कोई योजना स्वीकार की गई है ; और

(ख) इस बारे में कौन सी अनुवर्ती कार्यवाहियां की गई हैं ?

कृषि मंत्रायलय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) :(क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लघु तथा सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिकों की 26 परियोजनाएं, जिनमें वर्तमान छः परियोजनाएं भी शामिल हैं, आवंटित की गई हैं। नई परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए जिलों का चयन विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भूमिगत जल

135. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी केन्द्रीय जल वैज्ञानिक द्वारा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के सिरसिया, जरनाबा और हरिहरपुर खण्डों के क्षेत्रों में भूमिगत जल की कोई जांच की गई है ;

(ख) क्या इस के बारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बी० पी० मौर्य):(क) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने जिला बहराइच के सिरसिया और जमुनहा (जरनाबा) खण्डों का बाकायदा जल-भू-वैज्ञानिक अन्वेषण पूरा कर लिया है। हरिहरपुर खण्ड में काम अभी हाथ में लिया जाना है ।

(ख) सिरसिया और जमुनहा (जरनाबा) खण्डों संबंधी रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा के किसानों को खरीफ की फसल के लिये उर्वरकों एवं बीजों की सप्लाई की व्यवस्था

136. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि उड़ीसा राज्य खाद्य संकट की ओर बढ़ रहा है क्योंकि किसानों को खरीफ की खेती के लिये उर्वरकों और बीजों की पर्याप्त सप्लाई नहीं की जा सकी है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) तथा (ख) खरीफ 1974 के उत्पादन कार्यक्रम की दृष्टि से उड़ीसा राज्य की इस मौसम के उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान जनवरी, 1974 में लगाया गया था। इन अनुमानित आवश्यकताओं के लिये सप्लाई आयातित और देशी दोनों प्रकार के उर्वरकों से की जा रही है। तथापि, देश में उर्वरकों की सामान्य कमी के कारण इस राज्य को उर्वरकों की सप्लाई में कुछ कमी हो सकती है। जहां तक बीजों का संबंध है । **राज्य सरकार ने इसके लिये पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। राज्य की सुधरे हुए बीजों की आवश्यकता की पूर्ति राष्ट्रीय बीज निगम और तराई विकास निगम जैसे अखिल भारतीय बीज निगमों द्वारा की जा रही है ।

**राज्य सरकार ही प्रमुख रूप से इनकी वसूली और वितरण के लिये जिम्मेवार है ।

अधिक उपज वाले राज्यों द्वारा अनाज की मांग की पूर्ति के लिये सहयोग

137. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक उपज वाले कुछ राज्यों ने अनाज की मांग को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहयोग का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं और अभी तक कितना अनाज केन्द्रीय सरकार को दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) अधिप्राप्त स्टाक में से केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल का राज्यवार दिया गया अंशदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जाता है ।

विवरण

(हजार मी० टन में)

राज्य	केन्द्रीय भंडार में अब तक दी गई प्राप्त मात्रा	
	1973-74 (नवम्बर अक्तूबर) में खरीफ विपणन मौसम में चावल	(रबी विपणन मौसम 1974–75 (अप्रैल-मार्च में गेहूं की अधि-प्राप्ति
आन्ध्र प्रदेश	300	—
बिहार . .	12	—
हरियाणा . . .	347	125
मध्य प्रदेश .	40	9
उड़ीसा .	40	—
पंजाब	886	545
राजस्थान . .	—	115
तमिलनाडु . . .	50	—
उत्तर प्रदेश . . .	190	57
जोड़ . . .	1865	851

सफदरजंग पुल का टूट जाने के बारे में रिपोर्ट

138. **श्री एस० ए० मुरुगन्तम :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1974 में नई दिल्ली स्थित सफदरजंग पुल के टूट जाने के बारे में जांच करने के लिये नियुक्त किये गये एक सदस्यीय जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

दिल्ल में साक्षरता में वृद्धि करने के लिये की गई कार्यवाही

139. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में साक्षरता में वृद्धि करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार साक्षरता में वृद्धि करने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. दिल्ली प्रशासन तथा स्थानीय नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार और अधिक स्कूल खोले गए हैं ।

2. सामाजिक शिक्षा कार्यकर्ताओं को आधुनिक साक्षरता पद्धतियों में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें उन गांवों/क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है जहां साक्षरता की प्रतिशतता कम है ।

3. नजफगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में साठ किसान कार्यात्मक साक्षरता केन्द्र खोले गए हैं ।

4. नेहरू युवक केन्द्र, अलीपुर द्वारा साक्षरता कक्षाएं खोली गई हैं ।

5. महिला पारस्परिक सहायता सोसायटी, राष्ट्रीय महिला संघ और दिल्ली प्रौढ़ शिक्षा संघ जैसे स्वैच्छिक संघटनों को नए साक्षरता केन्द्र खोलने के लिये सक्रिय सहयोग तथा मार्गदर्शन दिया गया है ।

जनवरी, 1973 से जून, 1974 तक गेहूं की वसूली और लेवी

140. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जनवरी 1973 से जून, 1974 तक, मासवार, कितने गेहूं की वसूली की है; और

(ख) उक्त अवधि में गहूं की लेवी कितनी थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जनवरी, 1973 से जून, 1974 तक प्रतिमास जितना गेहूं अधिप्राप्त किया गया और जो लेवी प्राप्त हुई उसे बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

गेहूं की अधिप्राप्ति तथा व प्राप्त लेवी

(जनवरी, 1973 से जून, 1974 तक)

(आंकड़े लाख मी० टन में)

माह	अधिप्राप्त (£) मात्रा	प्राप्त लेवी
रबी 1972—73		
जनवरी	—	—
फरवरी	—	—
मार्च	—	—
रबी 1973-74		
अप्रैल	4.70	*0.74
मई	25.80	*0.86
जून	10.93	*0.46
जुलाई	1.97	*0.06
अगस्त	0.73	*नग०
सितम्बर	0.87	*नग०
अक्तूबर	0.31	*नग०
नवम्बर	नग०	—
दिसम्बर	नग०	—
जनवरी, 1974	नग०	—
फरवरी	—	—
मार्च	—	—
रबी 1974-75 :		
अप्रैल	0.61	@0.39
मई	7.00	@6.60
जून	7.19	@4.15
	(इसमें राजस्थान का उत्पादक लेवी का 0.41 भी शामिल है)	

टिप्पणी : (£) इसमें व्यापारियों अथवा उत्पादकों से प्राप्त लेवी की मात्रा शामिल है। (स्तम्भ 3 में दिखाया गया है)

*मध्य प्रदेश और बिहार में उत्पादकों पर क्रमिक लेवी।

@थोक व्यापारियों द्वारा खुले बाजार में की गई खरीदारी पर 50 प्रतिशत की दर से व्यापारियों से लेवी।

यूगोस्लाविया से जहाजों की खरीद

141. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तय किये गये मूल्यों में दस प्रतिशत वृद्धि किये जाने के बावजूद यूगोस्लाविया से चार जहाज खरीद करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो ठेके की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इस बारे में भारत सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जहाज सीधे सरकार द्वारा नहीं खरीदे जाते, बल्कि उनकी खरीद शिपिंग कम्पनियां करती हैं। शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया ने हाल ही में एक बातचीत द्वारा वाणिज्यिक समझौता किया है। जिसमें उसके द्वारा स्प्लिट शिपयार्ड, यूगोस्लाविया को आर्डर दिए गए। चार जहाजों के मूल्य में लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि शामिल है। भारत सरकार ने इसका अनुमोदन कर दिया है।

(ख) संविदा और वाणिज्यिक समझौते की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :—

जहाजों का प्रकार	आकार (डी डब्लू टी)	संविदागत मूल्य 10 लाख यू० एस डालर	संविदागत सुपुर्दगी तारीख
खनिज खुला तेल वाहक	113,730	18.80	15–4–1973
खनिज खुला तेल वाहक	113,730	18.80	15–10–1973
तेल वाहक पोत	115,000	16.35+ 1.635	31–8–1974
तेल वाहक पोत	115,000	16.5+ 1.65	31–12–74

पहले दो जहाज के मूल्य में वृद्धि नहीं की जानी थी। अन्य दो जहाजों के मूल्य में पहले वृद्धि की जानी थी, परन्तु बाद में पारस्परिक समझौते द्वारा वृद्धि के बदले मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि करने पर सहमति हो गई। सुपुर्दगी में विलम्ब की अवस्था में जुर्माने की व्यवस्था थी। जिन मूल्य वृद्धियों पर सहमति हुई थी, वे निम्न प्रकार से हैं :

खनिज खुला तेल वाहक	13.25 लाख यू एस डालर
खनिज खुला तेल वाहक	18.10 लाख यू एस डालर
तेल वाहक पोत	19.90 लाख यू एस डालर
तेल वाहक पोत	18.75 लाख यू एस डालर

परन्तु ये बढ़े हुए मूल्य, इन जहाजों के चालू बाजार मूल्य से कम हैं।

मूल्यों में जिस वृद्धि पर सहमति हुई है वह, प्रत्येक जहाज की सुपुर्दगी के बाद पांच समान वार्षिक किस्तों में देय है। पहली किस्त, सुपुर्दगी के बाद और उसकी तारीख से 7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष दर पर ब्याज सहित 1 वर्ष में देय है। इन में से दो जहाजों की सुपुर्दगी कर दी गई है। शेष जहाजों की संशोधित सुपुर्दगी तारीखें निम्न प्रकार से हैं :—

	मौजूदा तारीख	संशोधित तारीख
तेल वाहक पोत	31-8-74	15-11-74
तेल वाहक पोत	31-12-74	31-3-75

संशोधित तारीखों के बाद शेष जहाजों की सुपुर्दगी में देरी होने पर दुगना जुर्माना होगा। शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया को सभी चारों जहाजों या उनमें से किसी के बारे में शेष रकमों को एक मुश्त अदा करने और बकाया रकम पर प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की कटौती प्राप्त करने का विकल्प होगा।

केरल में सड़क योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

142. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में केरल सरकार को गत वर्षों में सड़क योजनाओं के लिए योजनावार कुल कितनी सहायता दी;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है; और

(ग) योजनाओं की योजनावार अद्यतन क्या उपलब्धियां हैं।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) संलग्न तालिका में दी गई योजनाएं सभी चालू योजनाएं हैं और वे प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

आवंटित धन राशि/दिया गया ऋण

(रुपये लाखों में)

योजना का नाम	वर्ष 71-72	वर्ष 72-73	वर्ष 73-74	तीन वर्षों का योग
1. राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य, मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	135.75	355.00	273.95	764.70
2. अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कें	—	7.00	10.50	17.50
3. केन्द्रीय सड़क निधि योजनाएं	21.05	40.47	35.93	97.45
कुल	156.80	402.47	320.38	879.65

केरल में शारीरिक शिक्षा संस्थान

143. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के उन शारीरिक शिक्षा संस्थानों के नाम क्या हैं तथा कहां कहां स्थित हैं जिनको गत तीन वर्षों के दौरान अनुदान दिया गया था; और

(ख) संस्थान वार तथा वर्ष वार दिए गए अनुदान की राशि क्या है तथा अनुदान देने का उद्देश्य क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) पिछले तीन वर्षों में केरल के किसी भी शारीरिक शिक्षा संस्थान को अनुदान नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल को कृषि और लघु सिंचाई के लिये केन्द्रीय सहायता

144. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पिछले तीन वर्षों में कृषि तथा लघु सिंचाई के योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार केरल सरकार को कुल कितनी सहायता दी है;

(ख) सरकार ने राज्य की कौनसी योजनाओं को स्वीकार किया है ; और

(ग) इन योजनाओं की योजनावार अद्यतन उपलब्धियां क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

उत्तर प्रदेश की चीनी उद्योग विकास के लिये केन्द्र द्वारा सहायता

145. श्री डी० के० पंडा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश की चीनी उद्योग के व्यापक विकास के लिए सहायता देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). जी नहीं, सहकारी क्षेत्र में 14 चीनी मिलें और सरकारी क्षेत्र में एक चीनी मिल स्थापित करने के लिए 1974 में जो लाइसस दिए गये हैं उन्हें छोड़कर इनमें से प्रत्येक की गन्ना पेरने की दैनिक क्षमता 1250 मी० टन है ।

राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक कर्मचारी आवास योजना के अन्तर्गत आवासों के आवंटन के नियमों में संशोधन

146. श्री राजा कुलकर्णी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास महाराष्ट्र सरकार का राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक कर्मचारी आवास योजना के लिए 350 रुपये से निर्वाह लागत वृद्धि के अनुरूप वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव आया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रसातव के बारे में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सरकार 1952 में बनाए गए राज-सहायता प्राप्त आवास योजना के नियमों में संशोधन करने पर विचार करेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) :

(क) इस योजना के अन्तर्गत, पात्रता की आय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार तथा अन्य स्थानों से प्राप्त हुए थे ।

(ख) तथा (ग) : यह मामला मद्रास में मई-जुन, 1974 में हुए आवास तथा नगर विकास के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन के विचारार्थ रखा गया था। सम्मेलन ने सिफारिश की है कि विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत, जिस में यह योजना भी शामिल है,पात्रता आदि की आय सीमा बढ़ाने का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली मंत्रियों को एक उच्च स्तरीय समिति को विस्तृत अध्ययन हेतु सौपा जाए ताकि वे केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ सिफारिशें पेश करें। योजना में दी गई 350/–रुपये की मौजूदा आय सीमा को बढ़ाने का फिल हाल प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार के किसानों को खरीफ की फसल के लिये उर्वरकों एवं बीजों की सप्लाई की व्यवस्था

147. **श्री एस० एस० पुरती :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि बिहार राज्य एक और खाद्य संकट की ओर बढ़ रहा है क्योंकि कृषकों को खरीफ की खेती के लिये उर्वरकों एवं बीजों की सप्लाई अभी तक नहीं की जा सकी है ; और

(ख) यदि हां, केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) . खरीफ 1974 के उत्पादन कार्यक्रम की दृष्टि से बिहार राज्य की इस मौसम उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान जनवरी, 1974 में लगाया गया था। इन अनुमानित आवश्यकताओं के लिय सप्लाई आयातित और देशी दोनों प्रकार उर्वरकों से की जा रही है । तथापि, देश में उर्वरकों की सामान्य कमी के कारण इस राज्य को उर्वरकों की सप्लाई में कुछ कमी हो सकती है । जहां तक बीजों का संबंध है राज्य सरकार ही प्रमुख रूप से इनकी वसूली और वितरण के लिये जिम्मेदार है राज्य सरकार ने इसके लिये पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। राज्य की सुधरे हुए बीजों की आवश्यकता की पूर्ति राष्ट्रीय बीज निगम और तराई विकास निगम जैसे अखिल भारतीय बीज निगमों द्वारा की जा रही है ।

दिल्ली में कृषि संग्रहालयों को स्थापना के लिए भूमि का आवंटन

148. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संध राज्य क्षेत्र दिल्ली में कृषि संग्रहालय की स्थापना के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को भूमि अलाट कर दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली में किसी केन्द्रीय स्थान पर राष्ट्रीय कृषि संग्रहालय स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन के बारे में उप-राज्यपाल ने एक अनुरोध प्राप्त किया था । चूंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण की किसी केन्द्रीय स्थान में कोई भूमि नहीं थी अत: अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका :

सहकारी आवास के लिए किराये के रूप में भुगतान की जा रही उपलब्धियों की प्रतिशतता

150 श्री रेणुपद दास :
श्री वसन्त साठे :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी सेवा में सरकारी आवास के लिये अनेक आई० ए० एस० पी० एस० और प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की तुलना में चपरासी किराये के रूप में अपनी उपलब्धियों का अधिक प्रतिशतता में भुगतान करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) तथा (ख) : दिल्ली में टाईप 1 के लगभग 13,000 क्वार्टर हैं जिनमें से लगभग 3000 क्वार्टर पुराने हैं । टाईप 1 के क्वार्टरों की लाइसेंस फीस पूलित करने से, जो कि मुल/पूरक नियमों के अधीन अपेक्षित है, पुराने क्वार्टरों की मानक लाइसेंस फीस, 100 से 200 प्रतिशत तक बढ़ जाती जबकि नये क्वार्टरों के 10,000 दखलकारों को केवल नाममात्र को राहत मिलती । इन परिस्थितियों में, टाईप–1 के क्वार्टरों के बारे में मुल/पूरक नियमों के अनुसार मुल नियम–45 क के अधीन अथवा परिलब्धियों का $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत इनमें से जो भी कम हो लाइसेंस फीस वसूल करने के सिद्वान्त को जारी रखा गया है । लेकिन तथ्य यह है कि बहुत से कर्मचारी, अपने वेतनमानों के संशोधन के बाद, टाईप–1 के अपने क्वार्टरों के लिए अपनी परिलब्धियों के $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत से बहुत कम अदा करते हैं ।

2. उच्चतर टाईप के मकानों के लिए लाइसेंस फीस के रूप में दी जा रही परिलब्धियों की कम प्रतिशतता का दूसरा कारण यह है कि बहुत से कर्मचारी अपने पात्र टाईप से निचले टाईप के मकान में रह रहे हैं, इसलिए वे उस लाइसेंस फीस की अपेक्षा कम प्रतिशतता में दें रहे हैं जो उनसे तब वसूल की जाती यदि उन्हें उनके पात्र टाईप के क्वार्टर आवंटित किए जाते ।

शिक्षा नीति में मूलभूत परिवर्तन

151. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शिक्षा, नीति विशेषकर प्राथमिक स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) विवरण संलग्न [ग्रंथालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० 7092/74]

उत्पादन और वसूली की वैकल्पिक योजनाएं

152. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं नीति में ढील दिये जाने के बाद हुई बहुत कम वसूली को ध्यान में रखते हुये सरकार उत्पादन एवं वसूली की वैकल्पिक योजनाओं पर विचार कर रही है जिससे कि उत्पादन और वसूली कार्य में गति मिले तथा प्रक्रिया विद्यमान प्रक्रिया से सरल हो जाये, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य सरकारों के परामर्श से नीति और उसकी कार्यान्विति की निरन्तर समीक्षा की जाती है और उसके समुचे कार्य ढांचे में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति मूल्यों और उपलब्धता के बारे में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए यथावश्यक ऐसे उपाय किए जाते हैं ।

हरदयोल को गए भारत-न्यूजीलैंड महिला पर्वतारोही दल को दी गई सहायता

153. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गढ़वाल हिमालय में हरदयोल को गये भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त महिला पर्वतारोही दल के चार सदस्य मई, 1974 के तूफान के बाद से लापता हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन महिलाओं के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ऐसे लापता व्यक्तियों की खोज करने के लिये सहायता देती है और यदि हां, तो उक्त दल को कब और कितनी सहायता दी गई थी ; और

(घ) लापता व्यक्तियों में से कितने मिल गये थे और उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी दशा क्या है ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग के उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां, उनके तूफान में बह जाने की सम्भावना है ।

(ख) (1) कुमारी श्रीला वुम्ड्ु }भारत
(2) ,, विद्या रामचन्द्रन }भारत
(3) ,, जिल्ल ट्रेमेन }न्यूजीथैन्ड
(4) ,, विकी थामसन }न्यूजीथैन्ड

(ग) सभी पर्वतारोही अभियानों को, भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान के जरिए केन्द्रीय सरकारी सहायता दी जाती है, जो दुर्घटना के समय सभी सम्भव सहायता देता है । इस मामले में

भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान ने भा० वा० से० द्वारा कुछ हेलीकॉप्टर दलों तथा उक्त लापता पर्वतारोहियों की अवस्थापन व सहायता के लिये भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा खोज दलों की व्यवस्था की गई थी ।

(घ) चारों लापता व्यक्तियों में से किसी का भी पता न चल सका ।

प्रौढ़ निरक्षरता

154. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय निरक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या 1947 की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो प्रौढ़ निरक्षरता को दूर करने के लिये प्रभावशाली लेकिन अल्पावधि पाठ्यक्रमों का पता लगाने हेतु कोई प्रयास किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष 1947 के आंकड़ उपलब्ध नहीं हैं । जनगणना के आंकड़ों के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :—

	निरक्षरों की संख्या	कुल जनसंख्या के अनुपात में निरक्षरों की प्रतिशतता
1951*	2,97,490,668	83.4
1971	3,86,572,029	70.5

*1951 के आंकड़ों में, जम्मू और काश्मीर, गोवा, दमन तथा दीव, नेफा (अब अरुणाचल प्रदेश), पांडिचेरी तथा दादरा और नगरहवेली इसमें शामिल नहीं हैं ।

प्रौढ़ निरक्षरता को शीघ्र ही दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में 15–25 आयु वर्ग के लिए ।

प्रस्तावित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम तथा साथ ही 15–44 आयु-वर्ग के लिए कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम लागू करना शामिल है ।

विभिन्न विश्वविद्यालयों में रोजगार–प्रधान पाठ्यक्रम आरम्भ करना

155. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : क्या शिक्षा, **समाज कसयाण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विश्वविद्यालयों में इस शिक्षा वर्ष में रोजगार-प्रधान पाठ्यक्रम आरम्भ किए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) निम्नलिखित विश्वविद्यालयों ने चालू शिक्षा वर्ष के दौरान उनके सामने दिए गए रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायतार्थ अभी हाल ही में अनुरोध किया है :--

(I) जम्मू विश्वविद्यालय--डिप्लोमा पाठ्यक्रम

(1) कार्यालय प्रबन्ध तथा सचिवालय पद्धति ; और

(2) प्रयुक्त इलेक्ट्रोनिक्स

(II) बंगलौर विश्वविद्यालय--**निम्नलिखित में स्नातकोत्तर डिप्लोमा :**

(1) औद्योगिक प्रबन्ध;

(2) कार्मिक प्रबन्ध ;

(3) व्यापार संचालन; और

(4) साधन विनियोग ।

निम्नलिखित में अवर स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम :

(1) पुस्तक निर्माण

(2) विक्रय कला

(3) मुर्गी पालन

(4) जन सम्पर्क

(5) विपणन

(6) विज्ञापन;

(7) मुद्रण प्रौद्योगिकी

(8) मिट्टी विज्ञान

(9) लाक्षणिक रसायन-शास्त्र

(10) किण्वन प्रौद्योगिकी ।

(III) आन्ध्र विश्वविद्यालय--**संचार कला में डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम :**

(IV) सागर विश्वविद्यालय--**इलेक्ट्रोनिक्स में डिप्लोमा पाठ्यक्रम :**

जनवरी-अप्रैल, 1974 के दौरान बिहार को खाद्यान्न का आवंटन

156. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य को जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1974 के दौरान कितनी मात्रा में गेहूं तथा अन्य खाद्यन्नों का आवंटन किया गया ;

(ख) क्या उक्त आवंटन पूर्व महीनों की तुलना में कम थे ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० सिन्दे) :(क) से (ग) केन्द्रीय भण्डार में खाद्य न्नों की उपलब्धता, कमी वाले राज्यों की आवश्यकता, राज्यों के पास और खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रख कर, केन्द्रीय भण्डार से प्रति मास खाद्यान्नों के आवंटन किए जाते हैं ।

जनवरी से अप्रैल, 1974 तक की अवधि के दौरान बिहार सरकार को 130.0 हजार मी० टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था जब कि 1973 में उसी अवधि के दौरान 125.0 हजार मी० टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था ।

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण

157. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्नों के वितरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिससे कि निर्धन वर्गों को घोषित मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के के अन्दर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी राज्यसरकार/प्रशासन की होती है । राज्य सरकारों/प्रशासनों को यह सलाह दी गई थी कि वे ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रों की जनसंख्या के जरूरतमन्द तथा निर्धन वर्गों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किए जाने वाले खाद्यान्नों के सरकारी वितरण में सुधार करें । पता चला है कि राज्य सरकारों ने वितरण में सुधार करने के लिए, तदनुसार उपाय किये हैं ।

फूलपुर, उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयन्त्र की लागत तथा क्षमता

158. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फूलपुर, इलाहाबाद में प्रस्तावित उर्वरक संयंत्र की कुल लागत तथा क्षमता क्या है;

(ख) क्या सरकारी निवेश बोर्ड द्वारा इस संयंत्र के लिये मंजूरी दे दी गई है ;

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस संयंत्र का प्राथमिकता क्रम क्या है; और

(घ) स्थल पर कब तक काम शुरू हो जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क' प्रस्तावित संयंत्र की अनुमानित कुल लागत 121.5 करोड़ रुपए है । इसकी प्रस्तावित क्षमता प्रति दिन 900 मीटरी टन अमोनिया और प्रति दिन 1500 मीटरी टन यूरिया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) परियोजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ।

(घ) 1974 के अन्त तक ।

तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड का कार्यकरण

159. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ख) बोर्ड की क्या उपलब्धियां हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी०पी० यादव): (क) और (ख) आधुनिक धन सम्बन्धी पुस्तकों, वैज्ञानिक पुस्तकों, बाल साहित्य, संदर्भ पुस्तकों, बुनियादी पाठ्य पुस्तकों आदि सहित उर्दू में शैक्षिक साहित्य के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए जून, 1969 में तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड का गठन किया गया था। इस सन्दर्भ में उपलब्ध अनुभव को ध्यान में रखते हुए और विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध करने को सुप्रवाही बनाने की दृष्टि से सरकार ने एक पूर्णकालीन अध्यक्ष सहित बोर्ड का पुनर्गठन किया है।

इस बोर्ड मे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आधुनिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उर्दू जानकार 12 विशेषज्ञ और 4 अन्य सदस्य शामिल हैं। तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के अध्यक्ष अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति प्रो० अब्दुल अलीम हैं। अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू हिन्द के अध्यक्ष श्री ए० एन० मुल्ला संसद सदस्य को इस बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आशा है कि इन नए प्रबन्धों से बोर्ड के कार्यकरण में सुधार होगा।

बोर्ड ने अब तक 46 पुस्तकें प्रकाशित की हैं और आशा है कि 1974–75 के अन्त तक बोर्ड की लगभग 100 पुस्तकें प्रकाशित करनी होंगी। शब्दावली के क्षेत्र में बोर्ड ने लगभग 85000 उर्दू शब्दों को अन्तिम रूप दे दिया है। बोर्ड ने संदर्भ पुस्तकों को तैयार करने का काम भी अपने हाथ में ले लिया है, जिस में 12 खण्डों में एक उर्दू विश्वकोष, 5 खण्डों वाला एक उर्दू-उर्दू शब्दकोश और 4 खण्डों वाला एक अंग्रेजी-उर्दू शब्दकोश तैयार करना शामिल है। सुलेखकारों को प्रशिक्षण देने के लिए बोर्ड द्वारा दिल्ली और हैदराबाद में दो सुलेखन केन्द्रों को स्थापित किया गया है और एक अन्य केन्द्र को भी शीघ्र स्थापित किया जाना है। उर्दू इमला के मानकीकरण के क्षेत्र में बोर्ड ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी, जिसकी रिपोर्ट उन सभी व्यक्तियों को भेजी जा रही है जिनके इस कार्य में रुचि लेने की संभावना है।

'कल्याण सोन' गेहूं के बीजों का निर्यात

160. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार ने अपने सामूहिक फार्मों में भारतीय गेहूं "कल्याण सौन" के बीजों को बो का निश्चय किया है जो उनके बीजों की तुलना में अधिक उपज देते हैं ;

(ख) क्या भारत के पास अपने किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के बाद "कल्याण सोन" के बीच निर्यात के लिए फालतू है ;

(ग) यदि हां, तो इनकी कितनी मात्रा देश में प्रयोग के लिय रखी गई हैं और इनका कितने टन निर्यात किया जाएगा और उक्त निर्यात के क्या कारण है ; और

(घ) उक्त निर्यात से देश को कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) इस सम्बन्ध में कोई सरकारी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, समाचार पत्र की रिपोर्ट एवं रूस के गेहूं के वैज्ञानिकों द्वारा, जिन्होंने गेहूं सम्बन्धी भारत-रूस विचार-गोष्ठी में भाग लिया था, दी गई जानकारी के अनुसार वोल्गा क्षेत्र में कल्याण सोना का अच्छा उत्पादन हुआ है।

(ख) से (घ). राज्य के भीतर अच्छे बीजों की मांग पूरी करने के लिए व्यवस्था करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राष्ट्रीय बीज निगम, तराई विकास निगम, आदि अखिल भारतीय बीज उत्पादन संस्थाएं, प्रमाणित बीजों का उत्पादन एवं विपणन करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

देश में कल्याण सोना गेहूं के बीजों की कुल मांग का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है। तथापि अच्छी किस्म के गेहूं के बीजों की मांग प्रतिवर्ष बढ़ रही है और यह मांग देश में विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा पूरी की जाती है ? राष्ट्रीय कृषि आयोग ने देश की कल्याण सोना गेहूं के बीजों की कुल मांग की तुलना में निर्यात के लिये कल्याण सोना गेहूं के बीजों की बहुत कम मात्रा आरक्षित रखी है। निर्यात की जाने वाली मात्रा के अन्तिम निर्णय किए जाने पर कमाई जाने वाली विदेशी मुद्रा का अनुमान लगाया जाएगा।

तिलहन और तेल निगमों की स्थापना

161. **श्री रामकंवर बेरवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने वनस्पति तिलहन और तेल निगमों की स्थापना के बारे में कोई निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख). भारत सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि इस निगम की स्थापना के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है।

Scheme of Small Farmers for rearing of cows and buffaloes for milk production

162. **Shri G. P. Yadav:** Will the Minister of Agriculture be pleased to state:

(a) whether Government have approved any scheme for small and Medium farmers for rearing of cows and buffaloes of good breed for milk production; and

(b) if so, whether Government propose to cover the small and medium farmers of Katihar and North Bhagalpur Districts of Bihar State under this scheme?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya): (a) Under two Central Sector schemes viz. SFDA|MFAL, small farmers, marginal farmers and agricultural labourers who take up to animal husbandry programmes as subsidiary occupations are given subsidy at approved rates of 25 per cent to small farmers and 33-1|3 per cent to marginal farmers and agricultural labourers for purchase of milch cattle.

A scheme for assistance to small and marginal farmers on the lines of the recommendations of NCA for rearing crossbred heifer calves produced by them has been approved by the Planning Commission for the Fifth Plan.

(b) The two districts in question are not covered by the existing SFDA/MFAL projects. Selection of districts for implementation of the schemes in the Fifth Plan has not yet been finalised so far.

Danger to National Highway 31 due to river erosion in Bihar

†163. **Shri D. P. Yadav:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) Whether the National Highway No. 31 near Mansi and Kursaila in Bihar State has been endangered due to erosion by Ganga and Kosi rivers;

(b) Whether crores of rupees were spent to save it from erosion near Mansi only at the time of floods; and

(c) if so, whether Government propose to formulate any concrete scheme to conduct a survey well before the floods to save it at both the said places?

The Deputy Minister of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) Yes, as far as Ganga near Mansi is concerned. No, as far as Kosi near Kursela is concerned.

(b) & (c). In view of the repeated erosion by the river Ganga near Mansi, the State Government of Bihar constituted a technical Committee in October, 1973 to study the problem. This Committee has recommended remedial measures to be carried out in two phases.

Based on the above recommendations, the State Government have prepared a scheme for protection of the areas near Mansi from erosion by the Ganga. The Scheme which is yet to be finalised by the State Government for processing it with the Planning Commission has not been received by the Government of India.

A sum of Rs. 30.40 lakhs has so far been paid by this Ministry for the construction and maintenance of spurs at Mansi as a part of the anti-erosion measures earlier undertaken by the State Irrigation Department shared between the Railways, State Irrigation Department and this Ministry.

Supply of foodgrains to Bihar during May—August, 1974

164. Shri G. P. Yadav: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of foodgrains supplied by the Central Government to the Bihar State during May and June last;

(b) whether most of the fair price shops in Bihar State are not being supplied full quota of foodgrains;

(c) if so, whether the Central Government propose to increase the supply of foodgrains to the State during July and August; and

(d) the quantity thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (d). Allotments from the Central Pool are made each month keeping in view the availability of stocks in the Central Pool, the needs of deficit States and other relevant factors. Distribution of foodgrains within the State is the responsibility of State Governments. Bihar was supplied 38.0 thousand tonnes of foodgrains during May, 1974, and 35.1 thousand tonnes of foodgrains during June, 1974. The quantity allotted for the current month is 40 thousand tonnes. The allotment for August is likely to be the order of 40,000 tonnes.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खडगपुर, में कार्मिक सलाहकार के रूप में डॉ० ए० एम० शर्मा की नियुक्ति

165. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खडगपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के बिजीटर ने संस्थान में कार्मिक सलाह कार के रूप में डा० ए० एम० शर्मा की नियुक्ति का अनुरोध नहीं किया था ;

(ख) डा० शर्मा द्वारा बिना वैध मंजूरी के अपने पद के बतौर लिए गए वेतन तथा अन्य भत्तों को उनसे वापस वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अध्यक्ष ने डा० शर्मा की नियुक्ति करते समय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अधिनियम तथा विधानों के विरुद्ध कार्य किया था ;

(घ) यदि हां, तो मनमाने रूप से कार्य करने के लिए अध्यक्ष के विरूद्ध कार्यवाही की गई है ;

(ङ) क्या खडगपुर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अध्यक्ष को, जिसने इसके अधिनियम तथा विधानों का उल्लंधन किया था, अपना पद छोडने के लिए कहा जायेगा ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग). डा० ए० एम० शर्मा को विजिटर के अनुमोदन की शर्त पर शासी मण्डल द्वारा कार्मिक सलाहाकार के रूप में नियुक्त करने के लिए चुना गया था। विजटर ने यह निर्णय किया कि डा० ए० एम० शर्मा जो 1.2.74 को नियुक्त किए गए थे, की सेवाएं 9–6–74 से समाप्त कर दी जाएं। विजिटर के निर्णय का पालन किया गया।

(घ) से (च). प्रश्न नहीं उठता।

हल्दिया पत्तन में शिपयार्ड की स्थापना

166. श्री समर गुह : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पत्तन में शिपयार्ड स्थगित करने के बारे मैं सरकार ने अन्तिम निणय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण है ;

(घ) इस बारे में निर्णय को अन्तिम रूप कब तक दिया जाएगा ; और

(ङ) हल्दिया पत्तन में किस किस्म का तथा कितना बड़ा प्रस्तावित शिपयार्ड बनाने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग), (घ) और (ङ) : मामला विचाराधीन है और निर्णय यथा समय किया जाएगा ।

जिमखाना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को लेखा में वित्तीय अनियमितताएं

167. श्री समर गुह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़कपुर के भूतपूर्व निदेशक ने अध्यक्ष की मनमानी गतिविधियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा था ;

(ख) क्या अध्यक्ष के विरूद्ध इसी प्रकार की शिकायतों का पुनः उल्लेख करते हुए सीमेंट के सदस्यों को भी उन्होंने पत्र भेजा था ;

(ग) यदि हां, तो इन दोनों पत्रों के मूल पाठ का ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या उन्होंने इन दोनों पत्रों में छात्र जिमखाना के लेखा के बारे में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है ;

(ङ) क्या बोर्ड के एक सदस्य प्रो० एम० गुह, भूतपूर्व उप-कुलपति, जादवपुर विश्वविद्यालय ने भी छात्र जिमखाना के लेख के बारे में शिकायतें करते हुए अध्यक्ष को पत्र भेजा था ;

(च) यदि हां, तो प्रो० हेम गुहा द्वारा भेजा गए पत्रों के मूल पाठ का ब्यौरा क्या है; और

(छ) छात्र जिमखाना के लेखे के बारे में की गई कथित अनियमितताओं के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) भा० प्रो० सं० खड़गपुर के तत्कालिन निदेशक से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने शासी मण्डल के अध्यक्ष के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए थे।

(ख) यह बताया जाता है कि एक पत्र सीनेट के सदस्यों को संबोधित था :

उन पत्रों के सारांश अनुबद्ध है [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7093

(घ) यह (क) पर उल्लिखित निदेशक के पत्र में बताया गया है ;

(ड) और (च) सरकार को किसी ऐसे पत्र की जानकारी नहीं है ;

(छ) शासी मण्डल में इस प्रश्न की जांच की ओर निर्णय लिया। इस मामले पर और आगे की रिपोर्ट संख्या से प्राप्त कर ली गई है और उस पर जांच की जा रही है

कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित समिति

168. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित समिति ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन के निष्कर्ष तथा सिफारिशों के बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रतिवेदन की सिफारिशों की क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) समिति द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी रिपोर्ट शीघ्र पेश करने की आशा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में पी० जी० टी० ग्रेड में कार्य कर रहे टी० जी० टी० अध्यापकों को सलेक्शन ग्रेड से वंचित रखना :

169. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री 12 नवम्बर, 1973 के दिल्ली में पी० जी० टी० ग्रेड में कार्य कर रहे टी० जी० टी० अध्यापकों को सलेक्शन ग्रेड से वंचित रखने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 25 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई अपील पर इस बीच निर्णय हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अपील पर अन्तिम निर्णय की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ; और

(ग) उस अन्तिम निर्णय के सन्दर्भ में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से चावल का गायब होना

170. श्री बनमाली बाबू : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से 2.5 करोड़ रुपये मूल्य की कीमत से अधिक का चावल गायब हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं, लेकिन वर्ष 1971-72 में कोरापुट और बोलनगीर जिले में भारतीय खाद्य निगम के एजेंन्ट मिल मालिकों के विरुद्ध चूक के मामले हैं। इस कमियों की कुल देय राशि 78.40 लाख रुपए है।

(ख) करारों की शर्तों के अनुसार राशि वसूल करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों द्वारा दिल्ली में कब्जा की गई भूमि/अहातों का आवंटन

171. श्री डी० पी० जदेजा : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों द्वारा दिल्ली में 20 या 25 वर्षों से कब्जा की गई उस सम्पत्ति के बारे में सरकार की क्या नीति है जिसका गृह कर नियमित रूप से दिल्ली नगर निगम को दिया जा रहा है ;

(ख) क्या ऐसी भूमि/अहातों के कब्जाधारियों को मामूली धनराशि लेकर स्वामित्व प्रदान करने के बारे में सरकार ने इस बीच कोई अन्तिम निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग). दिल्ली में उस सही-सही क्षत्र के बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया है जहां यह सम्पत्ति स्थित है।

यदि इसका आशय उन विस्थातिप व्यक्तियों को पट्टाधारी की हैसियत देने से है जिन्होंने पुनर्वास मंत्रालय से अधिरचनाएं खरीदी है अथवा उन पट्टों के स्थलों पर मकान बनाने से है जो पहले निष्क्रान्त व्यक्तियों के कब्जे में थे, तो सरकार ने इस मामले पर अभी कोई निर्णय नहीं किया है।

कमी वाले राज्यों पर गेहूं सम्बन्धी नई नीति का प्रभाव

172. **श्री मधु दण्डवते :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेहूं सम्बन्धी नई नीति से, जिससे गेहूं के थोक व्यापारियों को व्यापार करने का पुनः अधिकार मिल गया है, महाराष्ट्र जैसे कमी वाले राज्यों के उपभोक्ताओं को अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कमी वाले राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कायवाही किये जाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). नई नीति के कार्यान्वियन से महाराष्ट्र जैसे कमी वाले राज्यों में गेहूं की उपलब्धता में सुधार हो गया है और बाजार में मूल्यों में भी गिरावट आई है जिससे खाद्यान्नों के अन्तर्राज्यीय मूल्य की असमानता में कमी हुई है। खाद्यान्नों की खले बाजार में उपलब्धता के अलावा, कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय तौर पर अधिप्राप्त और आयातित स्टाक में से की जाएगी।

फालतू गेहूं वाले राज्यों को राज्य स्तर पर अपने आरक्षित भण्डार बनाने की अनुमति

173. **श्री मधु दण्डवते :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा फालतू गेहूं वाले अन्य राज्यों ने यह अनुरोध किया है कि केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा उन्हें अपने राज्य की आवश्यकता के लिये राज्य स्तर पर गेहूं के आरक्षित भण्डार बनाये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का गेहूं लाइसेंस सम्बन्धी अपने उस आदेश को पुनरीक्षित करने का विचार है जिसके द्वारा केन्द्र ने राज्य स्तर पर गेहूं का कोई भण्डार बनाने पर वास्तव में प्रतिबन्ध लगा दिया था ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां। तथापि, केन्द्रीय भण्डार में उपलब्ध स्टाक से राज्य सरकारों की उपयुक्त आवश्यकता पूरी करने संबंधी नीति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) केन्द्रीय सरकार का कोई गेहूं-लाइसेंस सम्बन्धी आदेश नहीं है और इसलिए ऐसे किसी आदेश के संशोधन का प्रश्न ही नहीं उठता।

रबी की फालतू पैदावार वाले राज्यों को कमी वाले राज्यों के लिए शीघ्र खाद्यान्न भेजने का निदेश

174. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने रबी की फालतू पैदावार वाले राज्यों से यह अनुरोध किया है कि कमी वाले राज्यों में मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि को देखते हुए इन राज्यों को तुरन्त खाद्यान्न भेजे जाएं; और

(ख) यदि हां, तो फालतू उत्पादन वाले राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) मोटे अनाजों के अन्तर्राज्यीय संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, लेकिन निजी खाते में चावल के एक चावल जोन से दूसरे जोन में भेजने की इजाजत नहीं दी जाती है । 1974-75 के रबी मौसम के लिए अधिप्राप्ति और मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार, अधिशेष राज्यों से लेवी मुक्त गेहूं के व्यापारिक खाते में निर्यात की अनुमति परमिटों पर दी जाती है । पंजाब और हरियाणा के प्रमुख अधिशेष राज्यों को संचलन में तेजी लाने के लिए सभी आवश्यक पग उठाने की सलाह दी गई है ।

(ख) पंजाब और हरियाणा से कमी वाले राज्यों को लेवी मुक्त गेहूं की पर्याप्त मात्रा भेजी गई है ।

Suggestion of U.P. Chief Minister on Grow More Food Campaign

175. **Shri Genda Singh:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the suggestions given by the Chief Minister of Uttar Pradesh in the recent Chief Ministers Conference on accelerating Grow More Food Campaign; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) During the recent Conference with the Union Minister of Agriculture. the Chief Minister of U.P. suggested, *inter alia*, the increased allocation of funds to the State for Agriculture in the Fifth Plan; provision of fertilizers at least equal to the requirements of the State assessed last year and appointment of a Committee to look into the fertilizer requirements of the State; adequate availability of electric power and diesel for running of tube-wells; raising of sugarcane price and raising of procurement price of basmati for export and sharing of profits of S.T.C.

(b) The Ministry has agreed to set up a Committee for assessing the requirements of fertilizers of U.P. State. It was assured that adequate supply of diesel would be made available to the State for agricultural operations. As regards demand for additional funds the present decision is that such requirement for priority sector may be met by reappropriation from within the approved State plan outlay. The other suggestions made by the Chief Minister of U.P. are under consideration.

इण्डिया ऑफिस लायब्रेरी का अधिग्रहण

176. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन स्थित इण्डिया आफिस लायब्रेरी के अधिग्रहण की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) अधिग्रहण के मामले में अभी तक क्या कठिनाइयां विद्यमान हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किए जाने में कितना समय और लगेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग). पुस्तकालय सहित इंडिया आफिस बिल्डिंग तथा उसकी वस्तुओं के स्वामित्व के प्रश्न से संबंधित विभिन्न निहितार्थों पर संबंधित सरकारों द्वारा 1947 से निरन्तर जांच हो रही है । इंगलैंड की सरकार से 1968 में एक मध्यस्थता मसौदा करा प्राप्त हुआ था उस पर अभी भी विचार हो रहा है ।

रोजगार प्रधान शिक्षा

177. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा को रोजगार प्रधान बनाने अथवा तकनीकी शिक्षा पर आधारित करने के लिए क्या प्रस्ताव है ;

(ख) माध्यमिक विद्यालयों तथा अन्य संस्थानों में ऐसी योजनाएं शुरू करने की संभावनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों तथा राज्यों में ऐसी योजनाएं शुरू की जाएंगी; और

(घ) ऐसे प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ). केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को सिफारिशों के अनुसरण में, सभी राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के 10+2+3 के ढांचे में स्कूल शिक्षा में कार्य अनुभव और व्यावसायीकरण शुरू करने का विचार है । इस उद्देश्य के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं । जबकि कक्षा 1 से 10 तक में अधिकतर छात्रों को कार्य अनुभव के साथ सामान्य शिक्षा दी जाएगी, लगभग 20 प्रतिशत स्कूल छात्रों को माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराये जाएंगे । 11वीं तथा 12वीं कक्षाओं में दो तरह के पाठ्यक्रम, अर्थात् शैक्षिक तथा व्यावासयिक पाठ्यक्रम होंगे । 12वीं कक्षा के अन्त में परीक्षा में उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम वह सीमावर्ती स्तर होगा, जिससे छात्र अपना रोजगार पा सकेंगे । तथापि, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्र अपनी योग्यता के अनुसार विषयों को बदल सकते हैं जिससे यदि वे चाहते हों तो उच्च शिक्षा के पाठयक्रम जारी रख सकेंगे ।

नए गैर-इंजीनियरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने पर जोर दिया जाएगा जिससे पोलिटैक्निकों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा पहले से आयोजित किए जा रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पूरा किया जा सके । इन पाठ्यक्रमों में रोजगार अवसरों को ध्यान में रखते हुए दाखिले को नियमित किया जाएगा । स्वतः रोजगार को प्रोत्साहित किया जाएगा ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जम्मू तथा काश्मीर मंडल का उत्तर पश्चिम मंडल के साथ विलय

178. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जम्मू तथा काश्मीर मंडल का उत्तर पश्चिम मण्डल के साथ विलय करने का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस प्रकार का विलय काश्मीर, जम्मू तथा लद्दाख क्षेत्रों के स्मारकों के संरक्षण में कहां तक सहायक होगा; और

(घ) यह नया बनाया गया मंडल कहां पर स्थित होगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) भारत सरकार द्वारा 1965 में स्थापित पुरातत्व पुनरीक्षण समिति ने यह सिफारिश की थी कि सर्वेक्षण के मौजूदा मंडलों का पुनर्गठन किया जाना चाहिये । यह प्रस्ताव सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

(ख) वर्तमान सीमान्त मंडल का नाम बदल कर उत्तर पश्चिम मंडल रखा जाएगा तथा उसमें जम्मू और काश्मीर, पंजाब, हरियाणा (जिला गुड़गांव को छोड़ कर), हिमाचल प्रदेश और संघ शासित चण्डीगढ़ को शामिल किया जाएगा ।

(ग) पुनर्गठित मंडल के लिये प्रस्तावित अतिरिक्त कर्मचारियों से स्मारकों की देखभाल और अधिक अच्छे ढंग से हो सकेगी ।

(घ) इस प्रस्तावित मंडल का मुख्यालय श्रीनगर में ही रहेगा ।

वनस्पति तेलों की मांग पूरी करने के लिए की गई कार्यवाही

179. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वनस्पति तेलों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : सरकार ने देश में खाद्य तेलों की उपलब्धि में सुधार करने और उनके मूल्यों में होने वाली वृद्धि रोकने के लिए अनेक उपाय किए हैं । इनमें ये शामिल हैं—यथासम्भव विभिन्न तिलहनों, तेलों और चिकनाई के आयात के जरिए सप्लाई बढ़ाना, पारस्परिक और सोयाबीन तथा सूरजमुखी जैसे अपारम्परिक तिलहनों का उत्पादन बढ़ाना, बिनौले और चावल की भूसी के तेलों की अधिकाधिक पेराई को प्रोत्साहन देना, वृक्ष-मूलक गौण तिलहनों के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देना, वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयोग में आने वाले अन्य विभिन्न तेलों का प्रयोग करके मूंगफली और सरसों के तेलों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाना तथा बैंक ऋण और वादा व्यापार को नियंत्रित करना । राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे सट्टेबाजी और जमाखोरी रोकने के उपाय करें ।

राष्ट्रमण्डलीय तथा राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों के लिए चयन

180. **श्री एस० एम० सिद्दय्या :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आवेदकों की संख्या अलग-अलग क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1974-75 के लिए राष्ट्र-मण्डलीय तथा राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन किया था ; और

(ख) इसके लिए चुने गए आवेदकों के नाम क्या हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यताओं का ब्यौरा क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) वर्ष 1974-75 के लिए राष्ट्रमण्डलीय छात्रवृत्ति तथा शिक्षावृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या 2,335 है। वर्ष 1974-75 के लिए विदेश अध्ययन हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या 1,734 है।

(ख) राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्ति तथा शिक्षावृत्ति आयोजना (1974-75) के अन्तर्गत जिन आवेदनकर्ताओं का चयन किया गया है, उनकी शैक्षणिक अर्हताओं सहित उनके नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7094/74]** वर्ष 1974-75 के लिये विदेश अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत उम्मीदवारों के चयन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

नई दिल्ली में पंजीकृत अथवा अपंजीकृत एसोशियेशनों को सरकारी क्वार्टरों का आवंटन

181. **श्री एस० एम० सिद्दय्या :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पंजीकृत अथवा अपंजीकृत एसोशिएशनों अथवा संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें अब तक दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों का आवंटन किया गया है ;

(ख) क्या अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति (पंजीकृत), नई दिल्ली के संसदीय फोरम ने सरकारी बंगले के आवंटन हेतु आवेदन किया है ;

(ग) क्या उसको आवंटन कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता): (क) एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ). अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संसदीय फोरम का सरकारी बंगलों के आवंटन सम्बन्धी अनुरोध सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

उन पंजीकृत/अपंजीकृत संगठनों/संस्थानों के नामों का विवरण जिन्हें दिल्ली तथा नई दिल्ली में सरकारी मकानों का आवंटन किया गया है

1. अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ।
2. आन्ध्र एजुकेशन सोसायटी।
3. अरविन्द सोसायटी।
4. बाल विकास (पंजीकृत)।
5. भारत सेवक समाज।

6. भारत नाट्य संघ ।
7. भारत सरकार चथुर्थ श्रेणी कल्याण समिति (पंजीकृत) ।
8. स्वतन्त्रता रजत जयन्ती समारोह समिति ।
9. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार ।
10. केन्द्रीय सचिवालय कल्ब ।
11. क्लाईव स्क्वेयर मनोरंजन कल्ब (पंजीकृत) ।
12. संविधान तथा संसदीय अध्ययन संस्थान ।
13. भारत की अन्तर राज्य सांस्कृतिक लोग ।
14. जम्मू तथा कश्मीर मुस्लिम शिक्षा न्यास ।
15. काका नगर रेजिडेन्ट्स एसोसिएशन ।
16. मिन्टो रोड क्लब ।
17. चेवारत माताओं हेतु चलती-फिरती बाल-बाड़ियां ।
18. मोतीबाग पारस्परिक सहायता शक्षिक समिति (पंजीकृत) ।
19. पारस्परिक सहायता शैक्षिक समिति ।
20. मलाया मन्दिर ।
21. शारीरिक व्यवसायिक चिकित्सा संस्थान ।
22. रामचरित मानस चतु:शती राष्ट्रीय समिति ।
23. भारत की अनुसूचित जाति तथा समाज कल्याण संगठन (पंजीकृत) ।
24. शारीरिक रूप से अपंग तथा मन्द बुद्धि व्यक्तियों सम्बन्धी पुनर्वास समिति ।
25. त्रिवेणी कला संगम ।
26. विश्व स्वास्थ्य संगठन ।
27. महिला पारस्परिक सहायता समिति (पंजीकृत) ।
28. शाहजहां रोड रेजीडेन्ट्स क्लब ।

भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि दिलाने के लिए प्रत्येक राज्य के अनुदान

182. **श्री एस० एम० सिद्दय्या :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजनावधि के दौरान देश में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि दिलाने के लिए प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को कितना अनुदान दिया गया है ;

(ख) क्या यह योजना 1974–75 के दौरान केन्द्रीय योजना के रूप में चलाई जा रही है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसकें क्या कारण हैं ; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या है जो इस योजना को राज्य योजना के रूप में अपने धन से चला रहे हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल०** टी० 7095/74]

(ख) तथा (ग) जी, नहीं। यह योजना न्यूनतम आवश्यकताओं के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 1–4–74 से केन्द्रीय क्षेत्र से राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दी गई है। ऐसा अनुभव किया गया था कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के प्रति समेकित दृष्टिकोण तभी अनुभव किया जायगा यदि राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम के विभिन्न घटकों की समेकित आयोजना तथा समन्वित कार्यान्वियन का पूरा उत्तरदायित्व सौंप दिया जाए।

(घ) 1974–75 में यह योजना, राज्य प्लान के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कार्यान्वित की जानी है। वर्ष 1974–75 के दौरान, राज्य प्लान परिव्यय के एक भाग को विशेष तौर पर इस उद्देश्य के लिये निर्धारित भी कर दिया गया है। राज्यों के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्लान में, परिव्ययों की जो व्यवस्था की गयी है उससे यह प्रतीत होता है कि सिवाय मणिपुर तथा नागालैण्ड, के सभी राज्यों ने उस प्रयोजन के लिये आवश्यक व्यवस्था की है।

कोचीन शिपयार्ड

183. **श्री वयालार रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन शिपयार्ड के निर्माण कार्य की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रों में कितनी प्रगति हुई है और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस निर्माण कार्य में बाधक कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है तथा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुकर्जी) : (क) कोचीन शिपयार्ड परियोजना में कार्य आमतौर से कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

(ख) भूमि अधिग्रहण, बाड़ा, निर्माण स्थल की सफाई, इमारतों को गिराना, भूमि सुधार, परियोजना सड़कें, उपरी और भूमिगत जल संग्रह टैंक, निकासी व्यवस्था, अस्थायी जल आपूर्ति पद्धति, रंग का भंडार, तेल भंडार, प्रशिक्षण स्कूल समूह, कम्प्रेसर कक्ष, मुख्य बिजली ग्रहण केन्द्र, प्रयोगशाला, तुलापुल जैसे कार्य पूरे हो गये हैं। पोत निर्माण प्रभाग कार्यालय और ढ़ाचाघर, रखरखाव कार्यशाला, साजसमान भंडारघर जैसे कार्य पूरे होने वाले हैं। हल शाप, बिल्डिंग डाक, असेम्बली शाप, नं० 3 की, मरम्मत गोदी, की नं० 1 और 2, रेलवे साइडिंग गेट हाउस, स्थायी बिजली आपूर्ति पद्धति का निर्माण, जनरल स्टोर जैसे कार्य प्रगति पर हैं। मशीनों के भाग का 80% के लिये क्रयादेश जारी कर दिये गये हैं जिसमें आयात वाले 63 मद शामिल हैं। 73 देशी मशीनें और 37 आयातित मशीनें निर्माण स्थल पर पहले ही पहुंच चुकी हैं। आयातित उपस्करों की दूसरी खेप जहाजों से आ रही है। प्रयोगशाला के सभी उपस्कर लगा दिये गये हैं और चालू कर दिये गये हैं। कम्प्रेसर का लगाना शुरू कर दिया गया है।

(ग) गोदी में ठेकेदारों द्वारा पाइलिंग उपस्कर की प्राप्ति में विलम्ब के कारण कुछ रुकावट और नये उपस्करों की प्रारम्भिक समस्यायें सामने आई परन्तु गोदी कार्य में अब तेजी आ रही

है। सीमेन्ट और इस्पात की कमी का उपचार किया जा रहा है और मशीनों की सुपुर्दगी में होने वाले विलम्ब पर काबू पाने के लिये कार्यवाही शुरु कर दी गई है। कोई और कठिनाई सामने नहीं आई है।

थोक व्यापारियों द्वारा वनस्पति घी की जमाखोरी

184. श्री वसन्त साठे:
श्री धामनकर:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि व्यापारियों के लिये वनस्पति घी के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि किये जाने के पश्चात् भी देश में इसकी भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के लिये वनस्पति घी का वितरण और इसकी सप्लाई सामान्य करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या यह सच है कि थोक व्यापारियों ने आर्थिक लाभ के लिये बड़ी मात्रा में वनस्पति घी जमा कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो छिपाए गये माल को निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) पिछली मूल्य-वृद्धि के बाद, देशमें जून, 1974 के दूसरे पखवाड़े में वनस्पति का कुल उत्पादन 13,606 मी० टन हुआ था जबकि पहले पखवाड़े में 4,027 मी० टन उत्पादन हुआ था। आशा है कि यह प्रवृत्ति बनाई रखी जाएगी और अनुकूल मानसून और अगले वर्ष में बेहतर उत्पादन की सम्भावनाऐं होने से नये मूल्यों में गिरावट आएगी जिससे वनस्पति के उत्पादन और सफाई में और अधिक सुधार होगा।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से मांगी गई सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और उसे यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

छोटे किसानों को रियायती दर पर उर्वरक की सप्लाई

186. श्री धामनकर: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के मूल्य में भारी वृद्धि होने से छोटे किसानों का बहुत अहित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि छोटे किसान उर्वरक खरीद सकें तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिये वे उर्वरकों का उपयोग कर सकें ;

(ग) क्या छोटे किसानों को रियायती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) तथा (ख) छोटे किसानों और उनके साथ-साथ अन्य व्यक्तियों के हितों पर असर न केवल उर्वरकों के मूल्यों का पड़ता है, बल्कि इन पर कई अन्य बातो, जैसे कि कृषि उत्पादों मूल्यों की उनकी प्रति हैक्टर उपज और उर्वरकों की खरीद के लिए संस्थागत ऋण की उपलब्धि का भी पड़ता है। अतः यह कह सकना कठिन है कि हाल

में उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि से छोटे किसानों का बहुत अहित हुआ है। सरकार यह प्रयास कर रही है कि उर्वरकों का मूल्य ऐसे स्तर पर निर्धारित किया जाए कि किसान उनका प्रयोग करने से निरुत्साहित न हों। सरकार खासकर छोटे और सीमान्त किसानों के लाभ के लिए लघु कृषक विकास ऐजेंसी और सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक एजेंसियों जैसी कुछ योजनायें भी चला रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयातित उर्वरकों के लिए भंडार स्थान

187. **श्री ई० वी० विरवे पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक बन्दरगाह में उन गोदामों की कुल क्षमता कितनी है जिनका उपयोग उर्वरकों के लिये अन्तवर्ती भंडार स्थान के रूप में किया जा रहा है ;

(ख) क्या बम्बई और टूटीकोरिन में उर्वरकों के लिये गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) विभिन्न बन्दरगाहों पर पाइप लाइन/अन्तर्वर्ती भंडारण के लिए काम में लाए जाने वाले उर्वरक गोदामों की क्षमता इस प्रकार है :

(आंकड़े मीटरी टनों में)

बन्दरगाह का नाम	भंडारण क्षमता
बम्बई	20,150
कांडला	8,830
मद्रास	15,816
विशाखापत्तनम	17,662
कलकत्ता	28,000
भावनगर	9,712
मारमागोआ	6,788
नवलखी	5,323
तूतीकोरिन	12,339
पांडिचेरी	4,600
नागपत्तनम	4,956
काकीनाडा	2,500
मंगलौर	500
कुड्डालोर	3,050

(ख) बम्बई में बादला और तूतीकोरिन में उर्वरक गोदामों के निर्माण का काम केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पहले ही पूरा कर दिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलना

188. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।.

मद्यशाला के लिए कीटयुक्त आस्ट्रेलियाई पौधों के मंगाये जाने के बारे में जांच

189. श्री नवल किशोर शर्मा : : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 1974 के समाचार-पत्र में दिल्ली में जलाये गये आस्ट्रेलियायी कीटयुक्त पौधों के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उस मद्यशाला के मालिक के विरुद्ध जांच की गई है जिसने कीटयुक्त विदेशी पौधों का आयात किया था तथा क्या इस सम्बंध में कुछ गिरफ्तारियां की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) माननी सदस्य द्वारा उल्लेख किये गये दिनांक 5 जुलाई, 1974 के समाचार के सम्बन्ध में सरकार को पता है। इस मंत्रालय के वनस्पति रक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय के पालम हवाई अड्डा पर तैनात वनस्पति संगरोध एवं धूमन कर्मचारियों ने दिनांक 19 मई, 1974 को 12,000 जड़दार हाप कलमों को पकड़ा था। वनस्पति सामग्री के आकस्मिक नमूने लिये गये और इनकी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में जांच की गई। इनमें अनेक कृमि कोष नेमाटोड पाये गये। इनमें से कुछ कलमों में मूल विगलन रोगजनक कृमि भी पाये गये। यदि इन कृमियुक्त कलमों की रोपाई हो जाती तो मिट्टी में काफी 'इनोकुलम फैल जाता, जिसे समाप्त करना बड़ा कठिन होता। इस बात को दृष्टि में रखते हुए वनस्पति रक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय ने उस सारी सामग्री को जला दिया और उस सम्बन्ध में मेसर्स यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, बंगलौर को सूचित किया गया जिन्होंने आस्ट्रेलिया से इसके आयात की व्यवस्था की थी।

विनाशकारी कीट तथा कृमि अधिनियम एवं उसके अधीन जारी की गई अधिसूचना के अनुसार हमारे देश में आयात की जाने वाली किसी भी वनस्पति सामग्री के साथ मूल देश के वनस्पति संगरोध प्राधिकारियों से पादप-स्वच्छता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र होना चाहिए। इस विशेष मामले में ऐसा कोई प्रमाण-पत्र नहीं था। मैसर्स यूनाइटेड ब्रेवरिज लिमिटेड, बंगलौर के पास वनस्पति सामग्री के आयात के लिए आयात तथा निर्यात के महा नियंत्रक द्वारा जारी हुआ वैध-लाइसेंस मौजूद था अतः आयात-व्यापार नियंत्रण विनियमों का कोई उल्लघन नहीं किया गया। इस संबंध में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

मैदा उपलब्ध न होने के कारण ब्रिटेनिया ब्रैड की कमी

190. श्री वरके जार्ज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के अनुसार यह सच है कि मैदा की कमी के कारण दिल्ली में सोमवार 8 जुलाई 1974 से ब्रिटेनिया ब्रेड उपलब्ध नही है ;

(ख) क्या बैकरियों को न तो सरकारी परमिटों पर मैदा सप्लाई की गई और न ही वह बाजार में उपलब्ध थी जिससे 400 ग्राम की डबलरोटी का दैनिक सामान्य उत्पादन 1.5 लाख से घटकर लगभग एक लाख रह गया है ; और

(ग) क्या बेकरियों को नियमित रूप से मैदा सप्लाई करके सरकार का विचार दिल्ली को डबल रोटी के अकाल से बचाने का है ।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार बेकरी को सरकारी परमिट पर 8 जुलाई 1974 तक प्रयोग के लिए मैदा सप्लाई किया गया था और बाद में बेकरी को रोलर फ्लोर मिलों से उनके द्वारा खुले बाजार में खरीदी गई गेहूं से उत्पादित मेदे में से मैदा दिलाया गया था । बेकरी द्वारा 9 जुलाई, 1974 से पूर्व 3 या 4 दिन रोटियों का उत्पादन घटा कर लगभग एक लाख रोटियों कर दिया गया था ।

(ग) बेकारी अपनी जरूरतें रोलर फ्लोर मिलों से प्राप्त करेंगी ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

Regarding adjournment motion

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत से स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो विभिन्न विषयों पर हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) **:** अविश्वास प्रस्ताव का क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : आपने एक ही समय पर दो प्रस्ताव दिए हैं । आप किसको पहले लेना चाहते हैं अविश्वास प्रस्ताव अथवा स्थगन प्रस्ताव ?

श्री सेझियन : (कुम्भकोणम) **:** पहले स्थगन प्रस्ताव आता है और बाद में अविश्वास प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय : एक ही प्रस्ताव लिया जा सकता है । इस बात का फैसला आपको करना है कि कौन सा प्रस्ताव लिया जाए ?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): According to the procedure, whichever motion gets priority should be taken up.

Mr. Speaker: There are certain set conventions about this.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : कार्यवाही के अनुसार तो अविश्वास प्रस्ताव पहले आता है परन्तु स्थगन प्रस्ताव को पहले लेना व्यावहारिक होगा ।

Mr. Speaker: I have followed the direction.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : निर्देशानुसार, स्थगन प्रस्ताव पहले आता है । स्थगन प्रस्तावों को अविश्वास प्रस्ताव के बाद लिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अविश्वास प्रस्ताव पहले लेते हैं तो मैं स्थगन प्रस्तावों को अभी नहीं लूंगा ।

अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Paper Laid on the Table

संविधान के अनुच्छेद 123 (2) के (क) अधीन अध्यादेश

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया): मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्धों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए निम्न अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 22 जून, 1974 को प्रख्यापित आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का संख्या 2) ।

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 28 जून, 1974 को प्रख्यापित प्रेस परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का संख्या 3) ।

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 28 जून, 1974 को प्रख्यापित इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन अध्यादेश, 1974 (1974 का संख्या 4) ।

(चार) राष्ट्रपति द्वारा 28 जून, 1974 को प्रख्यापित एलकोक ऐशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) संशोधन अध्यादेश, 1974 (1974 का संख्या 5) ।

(पांच) राष्ट्रपति द्वारा 29 जून, 1974 को प्रख्यापित उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1974 (1974 का संख्या 6) ।

(छः) राष्ट्रपति द्वारा 6 जुलाई, 1974 को प्रख्यापित कम्पनी (लाभांश पर अस्थायी प्रतिबंध) अध्यादेश, 1974 (1974 का संख्या 7) ।

(सात) राष्ट्रपति द्वारा 6 जुलाई, 1974 को प्रख्यापित अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अध्यादेश, 1974 (1974 का संख्या 8) ।

(आठ) राष्ट्रपति द्वारा 15 जुलाई, 1974 को प्रख्यापित कम्पनी (लाभांश पर अस्थायी प्रतिबंध) संशोधन अध्यादेश, 1974 (1974 का संख्या 9) ।

1743(ai)LSD—9.

(नौ) राष्ट्रपति द्वारा 17 जुलाई, 1974 को प्रख्यापित अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाता) अध्यादेश, 1974 (1974 का संख्या 10)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 7066/74]

श्री इन्द्र जीत गुप्त (अलीपुर:) आपने इन अध्यादेशों को सभा पटल पर रखने के बारे में विरोध प्रकट करने की जो अनुमति दी है उसके लिए मैं आभारी हूं।

इस समय जो बात मैं उठाना चाह रहा हूं वह यह है कि अध्यादेश संसद का सत्र प्रारम्भ होने से कुछ ही दिन पहले जारी किए गए हैं। आपको शायद याद होगा कि आप ही ने नवम्बर, 1971 में इस बात का विरोध किया था। पुनः 1971 और 1973 में आपने कथनों का हवाला देते हुए सरकार की इस आदत की निन्दा की थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कथनों का कोई असर नहीं हुआ है। अनिवार्य जमा स्कीम (आयकर दाता) अध्यादेश, 1974 संसद का सत्र प्रारम्भ होने से केवल चार दिन पूर्व ही जारी किया गया है। अन्य अध्यादेश भी 6 जुलाई को लागू किए गए थे। इन अध्यादेशों का औचित्य तभी ठहराया जा सकता है जब यह अचम्भे के रूप में सामने आएं और इन मामलों में विलम्ब से बहुत अन्तर पड़ता है।

उदाहरणार्थ कम्पनियों के लाभांशों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अध्यादेश का कोई विशेष असर नहीं होगा क्योंकि 3000, में से केवल 200 ही ऐसी कम्पनियां हैं जो कि 12 प्रतिशत से अधिक लाभांश की घोषणा करती हैं। इसके अतिरिक्त इस अध्यादेश संबंधी जानकारी पहले ही मिल जाने से रहा सहा असर भी जाता रहा। अब पता चला है कि इस बात की जांच की जा रही है।

शेष दो अध्यादेशों में से एक तो वेतन भोगी लोगों पर सीधा प्रहार है। वे पहले से ही मुद्रास्फीति और मूल्यवृद्धि के शिकार हैं और उनकी असली आमदनी कम हो रही है और इस अध्यादेश का सीधा असर उन पर पड़ता है।

दूसरा अध्यादेश आयकर दाताओं के बारे में है। इस संबंध में यदि संसद में विधेयक लाया जाता तो क्या फर्क पड़ता। यह सब तो आपने उस बारे में किया जो आयकर देते हैं। परन्तु असली समस्या तो काले धन की है जिससे मुद्रास्फीति पैदा हो गई है। काले धन पर अकुंश लगाने और मूल्यवृद्धि रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया है। आपने इन अध्यादेशों को लाकर संसद के सम्मान को कायम नहीं रखा।

आपके पिछले कथनों को ध्यान में रखते, हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से और संसद का सत्रारम्भ होने से कुछ ही दिन पूर्व जो ये अध्यादेश लाये गये हैं, आप इस संबंध में अपना विरोध निश्चित रूप से व्यक्त करें।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Sir, This is not the first time that ordinances have been promulgated in this manner and just a few days before the commencement of the Parliament Session. There is no doubt that the constitution provides for it but there is a place for conventions in Democracy. This matter has been raised since the days of late Shri Mavalankar and Mr. Nahru also disapproved it when it happened for the first time.

You have already expressed yourself against this in the following words:

"I do not approve of an ordinance just at the time when the House is about to meet."

Now these ordinances have been issued and go on to prove Government's failure on economic front. This is also an act of embarrassment as is clear from the amendment pointed out by Shri Inderjit Gupta. They go on to show mental bankruptcy on the part of Government. Such ordinances shall shake the people's faith in Parliament which is abready eroding.

Sir, when you speak you do so on behalf of the entire House and if your ruling is ignored, it goes against the dignity of the House. You should express yourself strongly against the manner of bringing these ordinances. This should not happen in future. Government should regret in this regard and promise that this mistake shall not be repeated.

श्री सेझियान (कुम्भकोणम) : जिस प्रकार ये अध्यादेश जारी किये गये हैं, उस तरीके का मैं सख्त विरोध करता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): 17 तारीख को राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के समाचार से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सरकार संसद की कतई परवाह नहीं करती । सरकार को आपके विनिर्णय या अभिमत की भी कोई परवाह नहीं है ।

कार्य-सूची की मद सं० 6 में उल्लिखित अध्यादेशों के बारे में मुझे आपत्ति है, क्योंकि ये अध्यादेश जुलाई के महीने में ही जारी किये गये थे । एक अध्यादेश तो 6 जुलाई को ही जारी किया गया था । एक अध्यादेश लाभांश के बारे में है और एक अन्य अध्यादेश द्वारा गरीब श्रमिकों के वेतन और महंगाई भत्ते को स्थिर करके उन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया है । तीसरा संशोधन अध्यादेश था और चौथा अध्यादेश 6 जुलाई को जारी किये गये अध्यादेश के संशोधन के लिए जारी किया गया था । एक अन्य अध्यादेश 17 जुलाई को जारी किया गया था । मेरी मुख्य आपत्ति इस बात को लेकर है कि जब सत्र के लिए सम्मन जारी किये जा चुके थे और संसद का सत्र 22 जुलाई को आयोजित किया जाना निश्चित था, तो फिर सरकार द्वारा आपके विनिर्णयों और स्वर्गीय श्री मावलंकर के विनिर्णयों का उल्लंघन करने की क्या आवश्यकता थी ?

आप इसे सदन का अपमान करने का गम्भीर मामला मान कर विचार करें । प्रधान मंत्री सहित पूरे मंत्रिमण्डल के विरुद्ध सदन का अपमान करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए । प्रधान मंत्री इस समय भी यहां उपस्थित नहीं हैं । उन्हें यहां आकर हमारी आपत्तियों का उत्तर देना चाहिए ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अनेक सदस्यों ने सांविधिक संकल्पों के नोटिस दिये हैं और वे सांविधिक किस्म के तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सांविधिक संकल्पों पर कब विचार प्रारम्भ किया जायगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक अलग विषय है । इस समय सदस्य अध्यादेशों को सभा-पटल पर रखे जाते समय अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : लोक सभा के सत्र की तिथि निर्धारित हो जाने के बाद इन अध्यादेशों को जारी करने के लिए प्रधान मंत्री को मन्त्रिपरिषद की ओर से क्षमा याचना करनी चाहिए थी और खेद प्रकट करना चाहिए था ।

आप इसे सदन की मर्यादा भंग करने अथवा सदन का अपमान करने का मामला मान कर कार्यवाही करें । इस मामले को लेकर सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए था अथवा मैं आपको

आश्वस्त करना चाहता हूं कि संसदीय लोकतन्त्र की मर्यादा की रक्षा करने के लिए इस मामले पर मैं स्वयं त्यागपत्र दे दूंगा ।

श्री सेझियान : अध्यादेशों की भरमार कर दी गई है और अब उन्हें सदन में पेश किया जा रहा है । यह ऐसा पहला अवसर नहीं है । संसदीय लोकतन्त्र और इस सदन की मर्यादा तथा आपके विनिर्णयों की अवहेलना करके जिस प्रकार ये अध्यादेश जारी किए गए हैं, उस तरीके के प्रति मैं विरोध प्रकट करता हूं ।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : मैं इस बारे में अपना विरोध प्रकट करता हूं और अनुरोध करता हूं कि सभा के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रकट किये गये विरोध को कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल किया जाना चाहिए ।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur): We do not disobey your directions, similarly this Government should also not do so.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मुझे ऐसा कोई सत्र याद नहीं आता, जिसके पहले अध्यादेश जारी न किये गये हों। अध्यादेशों के माध्यम से शासन करना सैनिक 'जुन्टा' द्वारा शासन करने के समान है । भारी संख्या में अध्यादेशों का जारी किया जाना लोकतन्त्र और संसदीय प्रणाली की अवहेलना करना है ।

अध्यक्ष द्वारा बार-बार दिये गये विनिर्णयों का सरकार द्वारा बार-बार उल्लंघन करने पर दो ही विकल्प सामने आते हैं । अध्यक्ष महोदय अपने पहले दिये गये विनिर्णयों को या तो रद्द करें अथवा सरकार से इस बात का आग्रह करें कि भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही न की जाये । सरकार के लिये अध्यादेश जारी करना एक नियमित बात हो गई है । सरकार अपने आपको भारतीय संसद से भी अधिक शक्तिशाली समझती है, अन्यथा सत्र से कुछ समय पहले ही अध्यादेश जारी करने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : यही कारण हैं कि विरोधी पार्टी के नेताओं के साथ प्रधान मंत्री द्वारा आयोजित कल की बैठक का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बहिष्कार किया था ।

Mr. Speaker: You should have told it outside the House.

संसद्-कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा प्रकट की गई भावनाओं को मैं बड़े सम्मान के साथ सुना है । मैं उन्हें और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सदन और अध्यक्ष का सम्मान करने में सरकार किसी से पीछे नहीं है । ये अध्यादेश विशेष परिस्थितियों में जारी किये गये थे । उनसे सम्बद्ध मंत्री चर्चा के समय उन विशेष परिस्थितियों का ब्यौरा देंगे । तब तक आप अपने निर्णय को स्थगित रखें ।

Shri Madhu Limaye (Banka): I rise on a point of order. All these ordinances have been issued under Article 123 of the Constitution. The President of India must admit that it was very urgent to issue these ordinances. Therefore, an Explanatory Memorandum should be attached to each of the ordinances explaining the circumstances under which they were issued.

अध्यक्ष महोदय : मुख्य आपत्ति जुलाई में जारी किये गये अध्यदेशों के बारे में है । 6 जुलाई तक पर्याप्त समय था । मुख्य आपत्ति तो 15 और 17 जुलाई को जारी किये गये अध्यादेशों के बारे में है

मैं इस बात का अध्ययन कर रहा हूं कि जब सत्र 22 जुलाई, को प्रारम्भ होने जा रहा था, तो क्या तात्कालिक आवश्यकता थी ? मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि उन तथ्यों को मेरे समक्ष पेश किया जायेगा ।

Shri Madhu Limaye: Why is there no Explanatory Memorandum attached to each of them?

अध्यक्ष महोदय: हम भविष्य के लिये इस सुझाव पर विचार कर सकते हैं। हमारे विनिर्णय का अन्य भाग आपने नहीं पढ़ा। उस मामले पर यह कार्य एक या दो दिन पहले किया गया था। अब यह पांच दिन या एक सप्ताह है। मैं अभी निर्णय नहीं दे रहा हूं। मैं इस बात का अध्ययन करूंगा कि अध्यादेशों को तत्काल जारी करने की क्या विशेष परिस्थितियां थीं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये बाजार ऋणों के बारे में वक्तव्य, आयकर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1974 और अधिसूचनायें आदि

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

जुलाई, 1974 में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये बाजार ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 7067/74]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 14 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० आ० 291 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जन, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 528 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 जून, 1974 में अधिसूचना सा० सां० नि० 612 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 613 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 614 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 7068/74]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 227(ङ) से 234(ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 मई, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 243 (ङ) से जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 मई, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 476 जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 मई, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 477 जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 मई, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 502 और सा० सां० नि० 503 जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 मई, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० सां० नि० 504 जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 मई, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० सां० नि० 264(ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 जून, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० सां० नि० 616 जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 जून, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 7069/74]

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रयकर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली विक्रयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1974 जो दिल्ली राजपत्र दिनांक 19 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या एफ-4(27)/68-फिन (जनरल) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली विक्रय कर (छठा संशोधन) नियम, 1974 जो दिल्ली राजपत्र दिनांक 27 जून, 1974 में अधिसूचना संख्य एफ-3(182)/71-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 7070/74]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 220 (ङ) से 226 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 मई, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सा० नि० 500 जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 मई, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सा० नि० 501 जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 मई, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 271 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 जून, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 276 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 जून, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छ) सा० सां० नि० 306 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 जुलाई, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 7071/74]

(एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या (जी एच एन--255) जी एस टी--1074/(एस० 49)-31) टीएच की एक प्रति जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 25 अप्रैल, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या (जीएचएन-627) जीएसटी-1070 (एस-49) टीएच में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक फरवरी, 1974 को उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई मोटर स्पिरिट विक्रय कराधान अधिनियम, 1958 की धारा 36 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बम्बई मोटर स्पिरिट विक्रय कराधान (गुजरात) दूसरा संशोधन नियम, 1974 की एक प्रति जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 25 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या (जी एच एन-256) एम एन ए-1074 (21) टी एच में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल टी 7072/74]

गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 9 फरवरी, 1974 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई, मद्यनिषेध अधिनियम, 1949 की (धारा 143 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बम्बई, मद्यनिषेध औषधि परमिट) चिकित्सा बोर्ड (गुजरात संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो गुजरात सरकार

राजपत्र दिनांक 4 अप्रैल, 1974 से अधिसूचना संख्या जी एच; एस एच; 370 बी० पी०/ए० 1073/3872-पी० में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7073/74]

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Kindly refer to item No. 7. Hindi version of the notification issued by the President on 9th February, 1974 regarding the State of Gujarat has not been laid on the Table of the House. Under section 3 of the Official Languages Act all the resolutions, general orders, rules, notifications etc. should be brought out in both the languages, that is, Hindi and English. But Government have not been following the procedure laid down by Parliament itself since 1965 when section 3 was made effective. If there are certain practical difficulties Government should try to remove them. If they do not have adequate number of Hindi translators, they can recruit translators. Kindly ask the hon. Minister that from tomorrow Hindi version of the papers must be laid along with the English version otherwise we will not listen to any argument in this regard.

श्री के० आर० गणेश : गुजरात सरकार के पास इन अधिसूचनाओं को हिन्दी में अनुवाद कराने की व्यवस्था नहीं है। राजभाषा विधायी आयोग भी यह कार्य करने की स्थिति में नहीं था। यदि हिन्दी अनुवाद की प्रतीक्षा की जाती तो सभा पटल पर अधिसूचनाएं रखने में विलम्ब होता तथा उस स्थिति में भी यहां आपत्ति उठाई जाती।

Shri Atal Bihari Vajpayee: The notification was issued on 9th February by the President and not by Gujarat Government. From 9th February to 22nd July this notification could not be translated into Hindi. What kind of clarification is being given by Government?

अध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय शासन के अधीन होने पर राज्यों के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? क्या राज्य हिन्दी की प्रतियां भी भेजते हैं?

श्री के० आर० गणेश : हिन्दी भाषी राज्यों के मामले में तो कोई कठिनाई नहीं है। गुजरात सरकार ने हमें बताया है कि उनके पास हिन्दी अनुवाद की कोई व्यवस्था नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिये। मैं मंत्री महोदय की कठिनाई समझता हूं किन्तु श्री वाजपेयी की यह टिप्पणी भी उचित है कि संसद द्वारा निर्धारित कानूनों का पालन किया जाना चाहिये।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनायें और दो विवरण

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं सभापटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) चीनी (1973-74) के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण (चौथा संशोधन) आदेश, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 मई, 1974 में अधिसूचना हिन्दी सा० सां० नि० 250(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) चीनी (1973–74) के उत्पादन के लिये मूल्य निर्धारण पांचवां संशोधन आदेश, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक, 31 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल. टी.** 7074/74]

(2) (क) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 9 फरवरी, 1974 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 323 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात सरकार अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) गुजरात पंचायत सेवा सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1974 जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 20 अप्रल, 1974 में अधिसूचना संख्या के० पी० 95(74)/जी०पी०एफ/1073/2515 टी एच में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) गुजरात पंचायत सेवा (वर्गीकरण तथा भर्ती) (तीसरा, संशोधन) नियम, 1974 जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 18 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या के० पी० /122(74) पीआर०एन 1073/3303टी एच में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी।

(ख) उपयुक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखें जाने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मंत्रालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी 7075/74]

तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास तथा गुजरात कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड अहमदाबाद के क्रमश: वर्ष 1971–72 तथा वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(क) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1971–72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 7076/74]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 254(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जून, 1974 में प्रकाशित हुई थी। **ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 7077/74]**

वाणिज्य पोत परिवहन निगम, 1974, नाविक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1974 तथा मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत मार्मुगाव पत्तन न्यास के वार्षिक लेख

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुकर्जी): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (तेल से समुद्री प्रदूषण निवारण) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 516 में प्रकाशित हुए थे । **[संग्रालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 7678/74]**

(2) नाविक भविषय निधि अधिनियम, 1960 की धारा 24 के अन्तर्गत नाविक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 424 में प्रकाशित हुई थी । [ग्रंथालय में रखा गया **देखिये संख्या एल० टी० 7079/74]**

(3) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत वर्ष 1972-73 के लिये मारमुगाव पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे की एक प्रति । और उन पर लेखा, परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रंथालय में रखा गया (देखिये संख्या एल/टी 7080/74]**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling attention to a matter of urgent Public Importance.

"देश में चेचक के प्रकोप का समाचार"

डॉ० सरदीश राय (बोलपुर) : श्रीमान मैं स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री का ध्यान अविलम्बीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"देश में विशेषकर बिहार में चेचक के प्रकोप और उसके कारण 36,000 से भी अधिक व्यक्तियों का मृत्यु का समाचार"

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) :

1973 की पहली तिमाही में खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों में चेचक की घटनाओं में स्पष्ट रूप से वृद्धि दिखाई देने लगी । विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श से जुलाई, 1973 में चेचक उन्मूलन के लिए एक तीव्र अभियान चलाया गया । इन चार राज्यों में जहां पर यह रोग स्थानिकमारी के रूप में फला हुआ था और जहां पर रोगियों की संख्या कुल घटनाओं की

94 प्रतिशत थी वहां इस कार्यक्रम को चलाने की बात पर मुख्य रूप से बल दिया गया और इस अभियान का उद्देश्य चेचक के रोगियों का सक्रिय रूप से पता लगाना और जहां पर चेचक फैलने का पता लग चुका हो वहां इस रोग की रोकथाम करना था। 1973 के रिकार्ड के अनुसार 88069 व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हुए और इनमें से 15417 की मृत्यु हो गई। एक जनवरी, से 16 जुलाई, 1974 तक विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से चेचक को 1,43,166 घटनाएं तथा 22,556 व्यक्तियों को मृत्यु हो जाने की सूचना मिली हैं। इन घटनाओं में से 96 प्रतिशत घटनाएं विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में होने की सूचना मिली है। अकेले विहार में 65 प्रतिशत घटनाएे होने की सूचना मिली है 1974 में चेचक की अधिक घटनाएं होने के कारण प्राथमिक टीके न लगे हुए लोगों की सख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होते रहना, काफी दिनों से चले आ रहे अन्ध विश्वास के कारण कुछ लोगों द्वारा टीके का विरोध करना और जिन रोगियों का पता न चला हो उनका पता लगाने के लिए जैसे कदम इस समय देश भर में उठाये जा रहे हैं उसी प्रकार सक्रिय कदम न उठाना हो सकता है।

2. चेचक निरोधी तीव्र अभियान के अधीन राज्य सरकारों में जो स्वास्थ्य कार्यक्रमों को चलाने के लिए मुख्यतया उत्तरदायी हैं, रोगियों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य कार्मिकों को नियुक्त कर दिया है तथा परिवहन की सुविधायें भी दे दी है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों को सहायता देने के लिए शीघ्र उपाय बरते हैं ताकि वे वर्तमान स्थिति का मुकाबला कर सके। जिन राज्यों में यह रोग स्थानिकमारी के रूप में फैला हुआ हो वहां पर चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के लिए तैनात सामान्य कर्मचारियों के अतिरिक्त, वरिष्ठ महामारी विज्ञानिकों के अधीन निगरानी दलों की संख्या 22 से बढ़ा कर अब 73 कर दी गई है और जहां पिछले साल 15 निरोधी दल काम कर रहे थे अब 69 दल काम कर रहे हैं। सक्रिय रूप से रोकथाम कार्य सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित संख्या में इन दलों की काफी संख्या में अतिरिक्त गाड़ियां भी दी गई है। टीके और द्विशिष वाली सुइया और स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री पर्याप्त मात्रा में दी गई है और इनको पर्याप्त मात्रा हर समय रिजर्व रखी जाती है।

3. जहां तक बिहार का संबंध है इसके सभी 31 जिले इस रोग से प्रभावित हुए हैं और इस रोग से लगभग 4,000 व्यक्तियों का सक्रिय रूप से ग्रस्त होने का अनुमान है। वैसे, नवीनतम सूचना से पता चलता है कि इस रोग की घटनाओं में ह्रास होने लग गया है। मई में इस रोग से 35,626 व्यक्तियग्रस्त हुए और 5765 की मृत्यु हुई, जून में 14971 व्यक्तियों के पोड़ित होने तथा 26714 की मौत हो जाने की सूचना है और जुलाई के पहले सप्ताह में 2342 घटनाएं हुई और 539 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने की सूचना मिली है। सामान्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के अतिरिक्त, वरिष्ठ महामारी विज्ञानियों के अधीन 32 विशेष निगरानी दल और 29 रोग-निरोधी दल बिहार में काम करने के लिए नियुक्त किये गये हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 55 गाड़ियां दी है और शीघ्र ही 30 गाड़ियां बिहार को भेजी जा रही हैं। पटना और रांची में टीकों का पर्याप्त स्टाक रखा जा रहा है। मैं स्वयं पिछले सप्ताह पटना गया और राज्य अधिकारियों से विचार विमर्श किया, मेरे सहयोगी प्रो० अमिय कुमार किस्कू भी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल गये।

4. चेचक की हाल में हुई व्यापक घटनाओं के बारे में माननीय सदस्यों ने जो गहरी चिन्ता व्यक्त की है मैं स्वयं उसे भली भांति समझता हूं। इस प्रकार के प्रकोप के संबंध में किये गये उपचारात्मक उपायों से कोई हल निकलने में निःसन्देह कुछ समय तो लगेगा ही। किन्तु फिर भी, ऐसा लगता है कि जो विशेष उपाय बरते हैं तो उनसे निश्चय ही अनुकुल प्रभाव पड़ने लगे हैं। वैसे, जब तक इस रोग की पूर्ण रूप से रोकथाम नहीं कर ली जाती है तब तक हमें निरन्तर चौकसी बरतनी होगी और इस दिशा में अपने प्रयास काफी तेजी के साथ जारी रखने होंगे। मुझे पूरी आशा है कि जिन राज्यों में यह रोग स्थानि-

कमारी के रूप में फैला हुआ है वहां निकट भविष्य में काफी हद तक इसके प्रकोप को कम करना संभव हो जायेगा और साथ ही पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस भयानक रोग का पूर्णत : उन्मूलन कर देने के अपने लक्ष्य को भी हम पूरा कर लेंगे ।

डा० सरदीश राय : सरकार ने चेचक उन्मूलन कार्यक्रम 1962 में आरम्भ किया था । पिछले 12 वर्षों में चेचक के रोगियों की संख्या में हमने विश्व रिकार्ड कायम किया है । विश्व के चेचक रोगियों में से 80 प्रतिशत रोगी भारत में हैं तथा 60 प्रतिशत अकेले बिहार में । चेचक के रोग से ग्रस्त अधिकांशत : व्यक्ति आदिवासी और अनुसूचित जाति के हैं । मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया । 1967 में 83,940 व्यक्ति चेचक के रोगी थे, 1968 में 30,000 किन्तु 1972 में यह संख्या 27,407 तथा गत वर्ष यह संख्या 87,509 हो गई । गत वर्ष लगभग 15,348 व्यक्ति इस से मरे । लोक लेखा समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में चेचक के प्रकोप की आशंका व्यक्त की है । इसके अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी यह चेतावनी दी थी कि हमारे देश में चेचक के प्रकोप का खतरा है किन्तु सरकार ने इस दिशा में कोई व्यापक कार्यवाही नहीं की ।

इस समिति ने चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में भी यह टिप्पणी की थी कि राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया । समिति ने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया है कि इतनी अधिक धनराशि खर्च किये जाने पर भी भारत इस बीमारी का शिकार है ।

भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में भी यह बीमारी विद्यमान थी किन्तु उन्होंने इस पर काबू पा लिया है । चीन ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अपने देश से इस रोग का पूर्णत : उन्मूलन कर दिया है किन्तु हमारे देश में यह महामारी अब भी विद्यमान है । उक्त प्रतिवेदन में यह भी सुझाव दिया गया था कि चेचक उन्मूलन कार्यक्रम को व्यापक बनाया जाये तथा उसकी त्रुटियों का पता लगा कर उन्हें दूर किया जाये । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उसके पश्चात् क्या कार्यवाही की है ।

मेरे विचार से यदि जनता को चेचक के टीके लगाये गये होते तो यह बीमारी समूल नष्ट हो जाती । समिति के अनुसार 31 मार्च, 1969 तक लगभग 6.7 करोड़ व्यक्तियों को यह प्रारम्भिक टीका नहीं लगाया गया । कागजों में यह दिखाया गया है कि इस कार्य पर इतनी अधिक धनराशि खर्च की गई है किन्तु वास्तव में यह कार्यक्रम प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया ।

खेद का विषय है कि रोगियों की संख्या में वृद्धि होने के अवसर पर वेक्सीन के उत्पादन में कमी हो गई है । इसका उत्पादन लक्ष्य 15.6 करोड़ डोज था किन्तु 1973–74 में उत्पादन केवल 12.3 करोड़ रह गया । लोक लेखा समिति के अनुसार चेचक का प्रारम्भिक टीका लगाना तथा पुन : टीका लगाना अनिवार्य होना चाहिये । इसका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से प्रचार भी होना चाहिये किन्तु हमारे देश में स्वास्थ्य मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कोई समन्वय नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि 23,000 व्यक्तियों में से अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने व्यक्ति इसके शिकार हुए । इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार ने चेचक के रोगियों को अलग रखने के लिये क्या कार्यवाही की है जिससे अन्य व्यक्तियों में यह रोग न फैले ?

डा० कर्ण सिंह : माननीय सदस्य का यह कहना सच है कि चेचक का प्रारम्भिक टीका बहुत लोगों को नहीं लगा । यह शर्म की बात है कि अन्य देशों की भांति हम चेचक का उन्मूलन नहीं कर सके ।

इसके कई कारण हैं। कुछ मामलों में टीका लगाने वाले कर्मचारी ही नियुक्त नहीं किये गये तथा इससे आदिवासियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। मुझे रोगियों का ब्यौरा तो ज्ञात नहीं है किन्तु यह सच है कि इस रोग के शिकार आदिवासी ही अधिक हैं। इस देश से चेचक का उन्मूलन तभी हो सकता है। जब देश के प्रत्येक व्यक्ति और बच्चे को चेचक का टीका लगाया जाये। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिये।

जहां तक रोगियों की संख्या का प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन की 1972 की रिपोर्ट के अनुसार पांच प्रतिशत व्यक्तियों को चेचक का रोग था। यह आंकड़े पूरे विश्व के बारे में थे। यह सम्भव है कि गत वर्ष चेचक से अधिक व्यक्तियों की मत्यु हुई हो। किन्तु हमारा प्रयत्न है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाये तथा राज्यों को इसे प्राथमिकता देने के लिये राजी किया जाये। माननीय सदस्य का यह कहना सच नहीं है कि वैक्सीन का उत्पादन कम हुआ है। वास्तव में उसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में हमने 1974 में आत्म निर्भरता प्राप्त करली है तथा वैक्सीन की कोई कमी नहीं है।

जहां तक रोगी को पृथक रखने का सम्बन्ध है वर्तमान प्रक्रिया यह है कि जिस व्यक्ति को चेचक निकल आती है उसके पूरे परिवार को ही टीका नहीं लगाया जाता वरन आस-पास के तीस घरों में रहने वाले व्यक्तियों को टीका लगाया जाता है। उसके बाद पूरे गांव में टीके लगाये जाते हैं। जिस क्षेत्र में चेचक का प्रकोप होता है उस क्षेत्र में अध्ययन दल भेजा जाता है तथा उसके बाद वैक्सीन का टीका लगाने वाला दल भेजा जाता है। इसके साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति को टीका लगाने का कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है।

यह सच है कि लोक लेखा समिति ने हमें चेतावनी दी थी तभी हमने 1973 में व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया था। यह सच है कि गत 12 वर्षों में उतना कार्य नहीं किया जा सका जितना किया जाना चाहिये था।

Shri M. C. Daga (Pali): It is a matter of great concern that Thousands of Children have died of small pox. Who is responsible for it? Even after 25 years of our independence small pox could not be eradicated from our country. It is really very unfortunate. I would like to know how many persons belonging to scheduled Caste and Tribes have died of this?

I would like to point out that thousands of children have died in Santhal and Navada parganas. May I know the steps taken in those areas since 1971 to remove unhealthy conditions and starvation? I also want to know the amount allocated for the betterment of the people who are unable to get things necessary for good health?

Government have allocated an amount of Rs. 23.4 crores for this purpose. I would like to know state-wise break up of this amount. I would also like to know the amount spent on the staff and medicines.

May I also know the number of visits paid by the state Minister for Health and this employees of that Ministry to Santhal and Navada districts? May I also know whether some of them have been held responsible for this? How many children died in Bihar? Were they vaccinated or not? Is there any law in Bihar to the effect that persons without vaccination would be punished? I am sorry to observe that Health Ministry has not given special attention to backward areas resulting in large number of deaths.

Dr. Karan Singh: The hon. Member has rightly stated that one of the main reasons of the spread of small-pox epedemic is poverty. People live in dirty streets and in unhealthy conditions. As I have stated there is a huge backlog in respect of primary vaccination. Vaccination and re-vaccination programme

could not be carried out in most of the areas, especially tribal areas in Singhbhum district. It is also a fact that people living in tribal areas are affected very much. I personally feel that vaccination should be made compulsory. I have been informed by the doctors that the children of 10-15 day can be vaccinated and that it is more useful.

Certain States have implemented the National small-pox Eradication campaign successfully I congratulate them. Small-pox has been eradicated in the South and in Madhya Pradesh also. Unfortunately, Bihar could not check this epidemic. At present we are giving special attention to Bihar State. I hope we will be able to control.

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, Central Government have not considered this problem seriously. According to the figures available, more than 36,000 human lives have been lost. The hon. Minister went to Patna and had some talks with the officers there and came back. He should have studied the problem being faced by the persons engaged in this work and the World Health Organisation. I have visited several places and had discussions with persons of World Health Organiation. According to them, people there are superstitius.

They should be persuaded to get themselves vaccinated. But Bihar Government are only interested in crushing the agitating students rather than spending money on eradication of small-pox. According to the latest figures given by the World Health Organisation out of the total number of cases of small-pox in the world the percentage of such cases in Bihar is 50. In these circumstances I demand that Bihar Government should be asked to resign immediately. I also suggest that Government should utilise the services of the students there in eradicating small-pox.

The persons connected with the World Health Organisation have asked me to advise the Youth and the people to get vaccinated. Today the Government of Bihar is busy only in deploying police force at various places. They are spending money only on deploying Police Force. They are resorting to lathi charging and firing on the students. You have yourself said that Bihar Government is more responsible for these deaths W.H.O. officials have given me the statistics which indicate that 50 per cent cases out of the total small-pox cases in the world pertain to Bihar alone.

If you call Shri Jai Parkash Narain and the students to attend to this work, these would be no harm if they don't attend their colleges or universities for a year. Thus they would be helpful to you in this respect. I would request the Government to consider my suggestion.

The people of Bihar are not getting rice. This is the responsibility of Government to supply rice and other foodgrains to the people of Bihar so that they may be able to fight small-pox by building up their stamina.

Dr. Karan Singh: The Hon. Member has not asked for any clarification, but he has only given some suggestions. We have been very much worried in this regard since last year and the beginning of this year. Our experts have been in contact with the State Governments and the representatives of the W.H.O. Here the meeting of Central Council of Health was held in April last, which was, attended by the Health Minister of all the States and we had drawn their attention towards this and a resolution was also passed by them. We are making every possible effort in this regard.

The Hon. Member has reframed to the movement and the Police etc. in Bihar I respect Shri Jai Parkash Narain very much. I would suggest that instead of demanding the dissolution of the State Assembly if they help in the Campaign against the small-pox, everybody would be benefited.

श्रीमती विभाघोष गोस्वामी (नवद्वीप) : इस बात में दो मत नहीं हैं कि यह सरकार चेचक पर नियंत्रण करने में बुरी तरह असफल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई चेतावनी के बावजूद तथा इन सभी वर्षों में चेचक उन्मूलन कार्यक्रमों के बावजूद अप्रैल, 1973 में चेचक के 87,000 से अधिक मामले जिनमें में 1500 से अधिक व्यक्तियों की मौत हुई और 1974 में 1, 15, 000 लोगों को चेचक निकली जिसमें से 17,000 से अधिक लोगों की मौतें हुई और क्या कारण है कि सरकार स्थिति का सामना नहीं कर पायी है।

लोक लेखा समिति ने अपने 124वें प्रतिवेदन में कहा है कि उसे सरकार के काम को देख कर पूर्णतया निराशा हुई है।

देश में शिक्षित, अर्धशिक्षित और अशिक्षित लोग हैं। इसके अतिरिक्त शहरी जन संख्या अर्ध शहरी जन संख्या और ग्रामीण जन संख्या है। हमें यह बताया जाना चाहिये कि किन लोगों थे चेचक अधिक होती है।

वक्तव्य में कहा गया है कि लोगों में काफी अधिक अन्धविश्वास है यह अन्धविश्वास सामाजिक-आर्थिक कारणों से है। इस बारे में सरकार क्या कर रही है।

मैं माननीय मंत्री से यह जनना चाहती हूं कि वास्तविक स्थिति को बदलने के लिये वह क्या कर रहीं है? सब से महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सरकार का चेचक के पूर्ण उन्मूलन के लिये क्या करने का विचार है?

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य और पूर्व स्पष्टीकरण के उत्तर में बताने का प्रयास किया है, चेचक का अभियान पूरी तरह सफल न होने का मुख्य कारण प्राथमिक टीका सभी लोगों द्वारा न लगाया जाना है। हम देश के प्रत्येक व्यक्ति को इसे लगाने में समर्थ नहीं हो पाये हैं। हमें विशेषकर दुर्गम क्षेत्रों तथा समाज के अधिक कमजोर वर्गों की ओर ध्यान देना है।

आर्थिक तथा भाषायी पृथक आंकड़े भी प्राप्त हो जायगे। किन्तु इस में कुछ समय लगेगा। इस समय तो हमें इस भयंकर स्थिति का सामना करना है।

अन्धविश्वास को विधान द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। अन्धविश्वास केवल तभी दूर हो सकता है जब शिक्षा का प्रसार हो और लोक मत तैयार किया जाये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि समूचे देश के संसद-सदस्य तथा विधायक हमें सहायता दें तो शीध्र ही इस अन्धविश्वास को दूर किया जा सकता है।

भूमिगत आणविक विस्फोट परीक्षण के बारे में वक्तव्य

Statement Re. Underground Nuclear Explosion Experiment

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रोनिक्स मन्त्री तथा अंतरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि परमाणु ऊर्जा आयोग ने 18 मई, 1974 को प्रातः

8 बजकर 5 मिनट पर, राजस्थान के रेगिस्तान में 100 मीटर से भी ज्यादा की गहराई पर, भूमिगत परमाणु विस्फोट करने का एक परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। यह परीक्षण, उसी अनुसंधान एवं विकास कार्य का एक अंग था जो कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये करने के हमारे देश के लक्ष्य के अनुरूप हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किया जा रहा है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने 15 नवम्बर, 1972 को लोक सभा में कहा था कि "परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा उन परिस्थितियों का अध्ययन किया जा रहा है जिनमें शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये किये जाने वाले ऐसें भूमिगत परमाणु विस्फोट; जिनसे वायुमंडल दूषित न हो, भारत के लिये आर्थिक दृष्टि सें लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं।" उसके ठीक एक वर्ष बाद, 15 नवम्बर, 1973 को मैंने राज्य सभा के माननीय सदस्यों को सूचित किया था कि परमाणु ऊर्जा आयोग इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। मैंने यह भी बताया था कि विस्फोटों के परिणामस्वरूप वायुमंडल एवं जीवधारियों पर पड़ सकने वाले प्रभावों से उत्पन्न समस्याओं का संतोषजनक समाधान प्राप्त हो जाने के बाद, शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिये भूमिगत विस्फोट करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि 18 मई को किये गये सफल परीक्षण के परिणामस्वरूप कोई ऐसी रेडियो-सक्रियता उत्पन्न नहीं हुई जिससे वायुमंडल दूषित हुआ हो। रेडियो सक्रियता की मात्रा इतनी अच्छी तरह से नियन्त्रित रही कि विस्फोट के एक घंटे के भीतर ही वैज्ञानिकों का एक दल विस्फोट-स्थल के 30 मीटर ऊपर उड़ा था तथा भूमि पर भी, विस्फोट स्थल से 250 मीटर की दूरी तक पहुंचा। किन्तु इस दल ने किसी भी तरह का रेडियो-सक्रियता-जनित संदूषण नहीं पाया। परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा अब इस विस्फोट के परिणामों का अध्ययन किया जा रहा है। इस अध्ययन को पूरा करने में लगभग छः महीने का समय लगने की सम्भावना है। विज्ञान की परम्पराओं के अनुरूप ही, परमाणु ऊर्जा आयोग का यह विचार है कि इस परीक्षण के परिणामों को विज्ञान-जगत के लाभ के लिये प्रकाशित किया जाए।

इस परीक्षण में काम में लाई गई सारी सामग्री एवं सभी उपकरण भारत में ही तैयार की गई थी तथा इससे संबंधित सभी वैज्ञानिक भी भारतीय थे। भारत ने इस परीक्षण को करने में न तो किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून अथवा स्वामित्व तथा न ही किसी देश को दिए गये अपने वचन का उल्लंघन किया है।

इस परीक्षण की प्रतिक्रिया अलग-अलग देशों में अलग-अलग रही है। जबकि अधिकतर विकासशील देशों ने परमाणु ऊर्जा का उपयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये करने की दिशा में इस परीक्षण का स्वागत, इसे भारत द्वारा किये गये अनुसंधान एवं विकास कार्य के एक कदम के रूप में किया है, कुछ को छोड़ कर शेष विकसित देशों की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं रही है। संयुक्त राज्य अमरीका ने एक ओर तो इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण की सेफगार्ड-प्रणाली से सम्बंधित समझौतों का पालन किया है, तथा इस विस्फोट में अमरीका से प्राप्त सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है, तो दूसरी ओर उसने यह भी दोहराया है कि उसकी सरकार की नीति आणविक अस्त्रों के विस्तार के विरुद्ध है। रूस की प्रक्रिया यह रही है कि भारत ने आणविक विस्फोटों का उपयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये करने की टैकनोलौजी के क्षेत्र में विश्व के अन्य देशों के स्तर पर रहने के एक अनुसंधान-कार्यक्रम को चलाया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष को इस परीक्षण की सफलता के लिए फ्रांस के परमाणु ऊर्जा आयोग से बधाई-संदेश प्राप्त हुआ है। विस्फोट की सूचना चीन ने सरकारी

तौर पर बिना किसी टिप्पणी के दी है तथा जापान की सरकार ने विस्फोट पर अपना अफसोस जाहिर किया है ।

कनाडा तथा हमारे पड़ोसी देश, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया इस बारे में तीव्र रही है । कनाडा इस बात से तो संतुष्ट है कि भारत ने दोनों देशों के मध्य विद्यमान किसी समझौते का उल्लंघन नहीं किया है, किन्तु उसके विदेशी मामलों के राज्य मंत्री ने यह कहा है कि सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों को बन्द करने तथा परमाणु विस्फोट करने की टैक्नोलौजी का प्रसार रोकने के लिये अन्तराष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को इस परीक्षण से जबरदस्त धक्का पहुंचा है ।

कनाडा सरकार के प्रतिनिधियों ने इस बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे भारत सरकार सहमत नहीं है । मैंने बारम्बार निश्चित रूप से कहा है कि हमारी नीति परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए करने की है । मैंने यह बात भी खासतौर से कही है कि परमाणु अस्त्रों का विकास करने का हमारा बिल्कुल इरादा नहीं है । भारत सरकार को इस बात की पूरी आशा है कि कनाडा की सरकार इस परीक्षण की पृष्ठभूमि से सहमत होगी तथा उसे समझेगी । मैंने इस वक्तव्य में ही पहले इस तथ्य का उल्लेख किया है कि इस टैक्नोलौजी में हुई प्रगति का पुनरीक्षण हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा सैद्धान्तिक एवं परीक्षणात्मक दृष्टियों से किया जा रहा है । हमने अपने इस इरादे को छिपा कर नहीं रखा था तथा सारी दुनिया को जाहिर कर दिया था । अगर इसका मतलब समझने में कनाडा की सरकार और भारत सरकार के बीच कोई मतभेद पैदा हो गये हैं तो भारत सरकार को यह आशा है कि यह सभी मतभेद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच चल रही बातचीत के द्वारा संतोषजनक रूप से दूर कर लिए जायेंगे ।

पाकिस्तान की सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा बार-बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह भारत सरकार की समझ में नहीं आता है । मैंने इस परीक्षण के शान्तिपूर्ण स्वरूप तथा आर्थिक उद्देश्यों को प्रधान मंत्री श्री भुट्टो को लिखे अपने पत्रों में स्पष्ट कर दिया है । मैंने यह भी कहा है कि अगर आपसी समझ और विश्वास का समुचित वातावरण तैयार कर लिया जाता है तो भारत आणविक क्षेत्र में अपनी टैक्नोलौजी में पाकिस्तान को भी उसी प्रकार से साझीदार बनाना चाहता है जिस प्रकार से अन्य देशों को । मैं इस आश्वासन को एक बार फिर से दोहराना चाहती हूं तथा आशा करती हूं कि पाकिस्तान की सरकार इस सम्बंध में भारत सरकार की स्थिति को स्वीकार करेगी ।

पाकिस्तान की सरकार ने यह भी दोष लगाया है कि रेडियो-सक्रियता उसके देश तक पहुंची है । इस बारे में मैं यह बताना चाहती हूं कि ऐसा होना एक असम्भव बात थी तथा इसका कारण यह था कि न तो रेडियो-सक्रियता वायुमंडल तक पहुंच पाई थी तथा न ही रेडियो-सक्रियता से युक्त कोई बादल उठा था । इसके अलावा, जैसाकि वर्ष के इस मौसम में आम तौर पर होता है, हवा विपरीत दिशा में बह रही थी और सिद्धान्त रूप से भी किसी तरह की भी रेडियो-सक्रियता पाकिस्तान तक कभी नहीं पहुंच सकती थी । यह बात विशेष रूप से जोर देकर कहना चाहती हूं कि 18 मई, 1974 को हवा दक्षिण से पश्चिम की तरफ बह रही थी ।

शान्तिपूर्ण परमाणु परीक्षणों के सम्भावित उपयोगों के बारे में प्रगतिशील देशों के वैज्ञानिकों द्वारा अनेक रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी हैं । अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण ने परमाणु विस्फोटों के शान्तिपूर्ण उपयोगों के बारे में 1970, 1971 तथा 1972 में पैनल मीटिंगों का आयोजन किया था तथा पैनल के एक सदस्य के रूप में भारत इन सभी मीटिंगों में उपस्थित हुआ था । शान्तिपूर्ण परमाणु

1743(ai)LSD—10.

विस्फोटों से सम्बन्धित घटना क्रिया-विज्ञान एवं स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदन, 1970 की भूमिका में ऐसी परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है जिनके लिये शान्तिपूर्ण विस्फोटों को काम में लाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यहां निम्नलिखित उद्धरण देना पर्याप्त रहेगा :—

> "पूर्णत: नियन्त्रित परमाणु विस्फोट (ऐसे विस्फोट जो कि भूमि की सतह से बाहर नहीं होते) बहुत सी परियोजनाओं के लिये प्रयुक्त किये जा सकते हैं। औद्योगिक स्तर पर, गैस तथा तेल प्राप्त करने के लिये प्रायोगिक स्तर पर परीक्षण किये गये हैं तथा उन परीक्षणों के परिणाम संतोषजनक रहे हैं। इसके अलावा, जो ऐसे परीक्षणों के परिणामस्वरूप गड्ढे बन जाते हैं, वे भूमिगत गैस तथा तेल का संग्रह करने, परमाणु बिजली-घरों तथा रासायनिक संयंत्रों से निकलने वाले रेडियो-सक्रियता युक्त अपशिष्ट पदार्थों को भण्डारित करने, शिला-तेलों के भण्डारों से वहीं पर तेल अलग करने, तथा विस्फोटों के परिणामस्वरूप टूटे कम ग्रेड के धातुकों की लीचिंग वहीं पर करने आदि जैसी परियोजनायें चलाने के लिये भविष्य में आर्थिक महत्व के सिद्ध हो सकते हैं। इन परियोजनाओं में से अन्तिम परियोजना एक सदस्य राष्ट्र, भारत के लिये विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है तथा वह देश इस तरीके से बहुत कम ग्रेड वाली अलोह धातुओं के भण्डारों का उपयोग कर सकता है और इस तरह से वह इन धातुओं के आयात के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बन सकता है और अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है।"

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमने यह परीक्षण हाल ही में किया है तथा हमें इसके परिणाम छः महीने बाद प्राप्त होंगे, किसी भी खास स्थान पर इस टैक्नोलौजी का कोई खास उपयोग कर सकने की बात करने का समय अभी नहीं आया है। इस प्रकार की किसी भी परियोजना को आर्थिक दृष्टि से उपयोगी तथा सम्भव बनाने के लिए, परीक्षण सम्बन्धी और आंकड़े प्राप्त करना जरूरी है।

माननीय सदस्य इस बात पर गौर करेंगे कि ऊपर मैंने जिन पैनल मीटिंगों का उल्लेख किया है उनमें अधिकांश विकसित देशों ने भाग लिया है तथा उन मीटिंगों में हुए विचार-विमर्श में इस बात पर बल दिया गया था कि शान्तिपूर्ण परमाणु विस्फोटों के क्षेत्र में किया जाने वाला कार्य निश्चित रूप से ही अनुसंधान तथा विकास-कार्यक्रमों की श्रेणी में आता है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए भारत की समझ में यह बात नहीं आती है कि हमारे देश की आलोचना यह कह कर क्यों की जाती है कि शान्तिपूर्ण विस्फोटों के लिये आवश्यक टैक्नोलौजी और हथियार बनाने के कार्यक्रम के लिये आवश्यक टैक्नोलौजी में कोई अन्तर नहीं है।

कोई भी टैक्नोलौजी अपने आप में बुरी नहीं होती है; किस भी टैक्नोलौजी की अच्छाई या बुराई इस बात पर निर्भर करती है कि उसका प्रयोग राष्ट्रों द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। भारत किसी भी मामले में भेदभाव करने के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करता तथा टैक्नोलौजी भी इसका अपवाद नहीं है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरी प्रार्थना है कि इस वक्तव्य पर चर्चा की जाये। सामान्य बजट पर चर्चा करते समय परमाणु ऊर्जा के विषय पर चर्चा कभी भी नहीं की जाती। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस पर चर्चा की जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। अतः श्री स्वर्ण सिंह

भूमि के सीमांकन के बारे में भारत और बंगलादेश के बीच हुए समझौते के बारे में वक्तव्य

Statement Re. Agreement on Boundary Demarcation between India and Bangladesh

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जैसा कि सदन को मालूम है बंगलादेश से लगी हमारी सीमा के कुछ भागों की सीमांकन बाकी रह गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेडक्लिफ तथा अन्य दूसरे परिनिर्णयों की व्याख्या और सीमांकन संबंधी अलग मसलों पर पाकिस्तान सरकार से मतभेद हो गए थे। प्रभुता सम्पन्न बंगलादेश सरकार के आविर्भाव के बाद बंगलादेश तथा हमारी दोनों ही सरकारों का ध्यान सीमांकन को पूरा करने पर गया है।

2. सद्भाव और मेल-मिलाप की भावना से, जो मित्र बंगलादेश सरकार के साथ हमारे संबंधों की विशेषता है, हमने सीमांकन में बाधा डालने वाले सभी मसलों को हल कर लिया है और 16 मई, 1974 को भारत-बंगलादेश स्थल सीमा के सीमांकन के संबंध में एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बंगलादेश के साथ की पूरी सीमा के सीमांकन को पूरा करने का रास्ता साफ हो गया है, हालांकि सीमांकन की वास्तविक प्रक्रिया में कुछ समय लगना स्वाभाविक है।

3. यदि मैं करार की मुख्य बातों पर थोड़ा विचार करूं तो मालूम होगा कि हमने मुहरी और फैनी नदियों के पानी के प्रयोग को भारत और बंगलादेश—दोनों देशों के राष्ट्रिकों के लिए सुनिश्चित कर दिया है और असालांग क्षेत्र में बंगलादेश की स्थिति को स्वीकार करते हुए बेलोनिया नगर के लिए जल आपूर्ति की व्यवस्था भी कर ली है। पूरा बेरूबारी भारत के पास रहेगा जबकि दहग्राम और अंगारपोटा के अन्त:क्षेत्र उस देश के पास रहेंगे। दोनों देशों के अन्य अन्त:क्षेत्रों की अदला-बदली होगी। हम बंगलादेश को एक क्षेत्र पट्टा पर देंगे जो दहग्राम और अंगारपोटा के अन्त:क्षेत्रों को जोड़ेगा लेकिन यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस क्षेत्र से आने-जाने की सुविधा हमारे राष्ट्रिकों को बराबर बनी रहेगी। जब सीमांकन कार्य शुरू होगा तो ऐसे क्षेत्रों का पता चलेगा जो एक या दूसरे देश के गलत अधिकार में हैं। इन क्षेत्रों की अदला-बदली होगी ; और हम इस पर सहमत हैं कि स्थानान्तरित किये जाने वाले क्षेत्रों के लोगों को जहां वे हैं वहीं उस राज्य के राष्ट्रिक के रूप में, जिस राज्य को वे क्षेत्र स्थानान्तरित किए जायेंगे, रहने का अधिकार होगा।

4. मुझे पूरा विश्वास है कि सदन इसे महत्वपूर्ण मानेगा कि यह हमारे ही हित में है कि हम यह सुनिश्चित करें कि करार के अनुरूप सीमा का निर्विघ्न सीमांकन हो क्योंकि मैत्रीपूर्ण वातावरण के परिणामस्वरूप दोनों देशों को जो लाभ होगा वह किसी क्षेत्र के प्रतीयमान असंतोष से अधिक श्रेयस्कर होगा। अनिर्धारित सीमाओं के बने रहने से समस्याएं पैदा होती हैं। इस करार के परिणामस्वरूप ऐसी समस्याओं के उठने क कोई कारण नहीं होना चाहिये।

5. मैं सदन की मेज पर करार की एक प्रति रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 7082/74]**

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGE

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा न्यु फ्रैण्डस कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रेसीडेन्ट श्री जगजीत सिंह द्वारा 7 मई, 1974 को दिल्ली के उपयपाल कों लिखे

[डा० हेनरी आस्टिन]

गये पत्र, जिसमें संसद् पर कथित आक्षेप किये गये हैं, के बारे में उनके विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न सम्बन्धी विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा न्यु फ्रैण्ड्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रेसीडेन्ट श्री जगजीत सिंह द्वारा 7 मई, 1974 को दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखे गये पत्र, जिसमें संसद पर कथित आक्षेप किये गये हैं, के बारे में उनके विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न सम्बन्धी विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

मंत्री-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : मुझे मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं। प्रथम सूचना यह है....

प्रो० मधु दण्डवते (राजपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे विशेषाधिकार संबंधी प्रस्ताव के बारे में क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर रहा हूं और मैंने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं।

अब, यह पहली सूचना श्री ज्योतिर्मय बसु से प्राप्त हुई है। दूसरी सूचना सर्वश्री एस०एम० बनर्जी, सरजू पांडे तथा झारखंडे राय से प्राप्त हुई। ये दो भिन्न-भिन्न सूचनायें हैं। एक सूचना श्री बनर्जी, श्री ज्योतिर्मय बसु तथा दूसरी सूचना श्री बनर्जी तथा दो अन्य सदस्यों द्वारा भेजी गयी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी(ग्वालियर) : व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूं कि भारतीय साम्यवादी दल के प्रस्ताव पर विचार किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): प्रथय प्रस्ताव पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसके कारण बताये हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया उन्हें पढ़ दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : दिये गये कारण हैं :

बड़े पैमाने पर रेल कर्मचारियों के प्रति बदले की कार्यवाही करके उन्हें परेशान किया जाना;

मूल्य स्थिर किये बिना मजूरी स्थिरीकरण अध्यादेश का जारी किया जाना ;

न केवल अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि को रोकने में असफल रहना जो एक महीने में अत्यधिक बढ़ गयी है, अपितु साथ-साथ दैनिक आवश्यकता की विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि किया जाना;

देश के विभिन्न भागों में पुलिस के दमनकारी एवं अमानवीयलोकतंत्र विरोधी कार्य; और

सरकारी तंत्र के सर्वोच्च तथा अन्य स्तरों पर भ्रष्टाचार आदि।

मैं उन माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं जो इस प्रस्ताव पर विचार किये जाने की अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं, वे अपने स्थानों पर खड़े हो जायें। मेरे विचार में अपेक्षित संख्या से अधिक सदस्य इसके पक्ष में हैं और इस लिये इस पर विचार किये जाने की अनुमति दी जाती है.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : मेरा सुझाव है कि इस प्रस्ताव पर कल विचार किया जाये। गुजरात के बजट को पास किया जाना है। हमें आशा है कि इसे आज पास कर दिया जायेगा। यदि इस पर कुछ अधिक समय लग जाये, तो गुजरात बजट के पास किये जाने के पश्चात अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस प्रस्ताव के लिये 3 बजे म०प०का समय निश्चित किया जा सकता है

श्री पीलू मोदी (गोधरा): यदि आप अविश्वास प्रस्ताव पर कल विचार करते हैं, तो इस का अभिप्राय यह है कि हमें आज सरकार के प्रति विश्वास है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: We want that Gujarat Budget may be passed before the no-Confidence motion.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): आप कृपया 4 अथवा 5 बजे म० प० का समय इसके लिये निर्धारित कर दें।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये कितना समय दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखुंगा कि कितना समय दिया जा सकता है।

श्री सेझियान : पिछली बार उसी दिन ही उस पर चर्चा की गयी थी।

श्री के० रघुरामैया : इसके लिये वास्तविक समय का निर्णय कार्य मंत्रणा समिति द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए इसकी बैठक बुलायी जा सकती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसकी बैठक आज ही बुलायी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपति नहीं है। हम कल इसके बारे में निर्णय करेंगे। मैं इसकी बैठक कल बुलाऊंगा। क्या आप सब दोपहर के भोजन के लिये सभा को स्थगित करना चाहते हैं? मुझे खेद है कि आप को कुछ समय और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि श्री बरूआ द्वारा कोई गुप्त विधेयक पेश किया जाना है ....

श्री बयालार रवि [चिरयिन्कील] :

[* * * * *]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइये। वह मेरी अनुमति के बिना क्यों बोल रहे हैं ?

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : [**]

अध्यक्ष महोदय : उनके अपने मंत्री एक विधेयक को पुर: स्थापित करने जा रहे हैं, किन्तु वे सभा से अपनी बात जबरदस्ती मनवाना चाहते हैं । इस मामले को इस तरह नहीं उठाया जाना चाहिये। उन्हें कृपा करके बैठ जाना चाहिये। वे सभी आदरणीय तथा जिम्मेदार सदस्य हैं। वे इस तरह व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? कई और तरीकों द्वारा भी तो इस मामले को उठाया जा सकता है ।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन): मैंने भी नियम 377 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी। चुंकि आप ने उन्हें अनुमति दे दी है इस लिये आप मुझे भी अनुमति दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें भी अनुमति नहीं दे रहा हूं।.जिन सदस्यों को में अनुमति नहीं दे रहा हूं, उनके कथन को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरूआ) : यह एक सरल सा विधेयक है । मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक बोर्ड की स्थापना करने की व्यवस्था हेतु विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

श्री सेझियान : यह मद **कार्यसूची** में नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व श्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा एक अन्य विधेयक पुर:स्थापित किया जाना है। जब पहली मद समाप्त हो जायेगी और उनकी बारी आयेगी, तब उन्हें उठना चाहिये।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मैं तो उठा था, किन्तु आपने श्री देवकान्त बरूआ को बुला लिया था।

मुख्य पत्तन न्यास संशोधन विधेयक

MAJOR PORT TRUSTS (AMENDMENT) BILL

श्री कमलापति त्रिपाठी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख्य पत्तन यास अधिनियम, 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

"कि मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

---

[*] कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[*]Not recorded.

Shri Madhu Limaye (Banka): I want to raise one important matter in this regard. The Bombay Port Trust has reclaimed 1300 acres of land from the sea and now the Government of Maharashtra has formulated a scheme in this regard and there is a dispute about the question of ownership of land under the sea. Under Article 297 of the Constitution, this land belongs to the Government of India. But the part of this land is being sold by the State Government. A specific provision should be made in the Bill in this regard so that such kind of transaction in respect of reclaimed land can be stopped.

अध्यक्ष महोदय : कल इस प्रश्न को पहले उठा चुके हैं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा): मैंने बम्बई उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र सरकार को इस भूमि के, जो इसकी नहीं है, बेचने से रोकने के लिये एक रिट याचिका दायर की हुई है।

Shri Kamlapati Tripathi: This matter could have been raised at the consideration stage. Anyway it has been provided in the Bill that there would be no construction whatsoever on the land between low water-mark and high water-mark unless it is approved by the Government of India although it is in the possession of Government of India. The old Act about Port Trust is being repealed entirely.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री कमलापति त्रिपाठी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

तेल उद्योग (विकास) विधेयक, 1974

OIL INDUSTRY (DEVELOPMENT) BILL, 1974

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 13(क) में एक अन्य मद है। मैंने पैट्रोलियम और रसायन मंत्री के अनुरोध पर इस विधेयक की प्रतियां वितरित कराने से पूर्व इसे एक गोपनीय विधेयक के रूप में पुरःस्थापित करने की अनुमति दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : किस प्रक्रिया नियम के अधीन ?

अध्यक्ष महोदय : अपने स्वविवेक के आधार पर। मंत्री महोदय विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये प्रस्ताव करें। उसकी स्वीकृति के पश्चात् इस विधेयक की प्रतियां माननीय सदस्य पब्लिकेशन काऊंटर से प्राप्त कर सकेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): How can one oppose it if one so desires?

श्री मधु लिमये (बांका) : यह तो नियम 72 का उल्लंघन है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: According to rules this Bill should have come later. I want to oppose the very introduction but how can I do so when I do not know what it is. In case you are waving or suspending any rule for that you need the permission of this House.

Mr. Speaker: You may refer to rule 19(b). It says:

> "No Bill shall be included for introduction in the list of business for a day until after copies thereof have been made available for the use of members for at least two days before the day on which the Bill is proposed to be introduced.
>
> Provided that Appropriation Bills, Finance Bills and such secret Bills as are not put down in the list of business may be introduced without prior circulation of copies to members."

Shri Shyam Nandan Mishra (Begusarai): I have got a point of order. The rule referred to by you may exempt from prior circulation, but it is not that that there would not be a simultaneous circulation also. We do not know what is being introduced.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इसकी प्रतियां पब्लिकेशन काऊंटर से प्राप्त कर सकते हैं । अब इसमें गोपनीयता कहां रह गई है ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : इस विधेयक का सीधा सादा अभिप्राय देश में उत्पादित कच्चे तेल पर 60 रुपये प्रति टन शुल्क लगाना है ताकि तेल उद्योग के विकास तथा विशेष रूप से तेल की खोज के काम के लिये राजस्व प्राप्त हो सके । यह केवल घोषणा द्वारा ही किया जाना पड़ा और इस विधेयक को सभा में पुरःस्थापित होते ही उसी दिन वह शुल्क देय हो जायेगा । हमें अपने तेल क्षेत्रों के विकास तथा तेल की खोज के कार्यों एवम् अन्य विकास कार्यों के लिये अधिक धन की आवश्यकता है । कच्चे तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 11.65 डालर होने पर भी हमारे देश में इसका मूल्य 3.50 डालर है । ये 60 रुपये पेट्रोलियम उत्पादों पर नहीं लगाये जायेंगे इसलिये कच्चे तेल के मूल्य नहीं बढ़ेंगे ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इससे पूर्व यह इतनी धनराशि कहां जा रही थी क्योंकि आप तो पेट्रोल सस्ता नहीं देते रहे हैं ? यह 8.50 डालर का अन्तर कौन प्राप्त करता रहा ? यह तो धोखा है ।

श्री देवकान्त बरुआ : हमने यह एकत्रित नहीं किया । हम तो अब 60 रु० प्रति टन का शुल्क लगाने जा रहे हैं । श्री मोदी जी को पूरी जानकारी नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 11.65 डालर है जबकि हमने केवल 3.5 डालर वसूल किया है । इस प्रकार 8.50 डालर का फर्क रहा है । अब सीधी सी बात है कि ज्योंही आप मुझे इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति देंगे उसी समय से हम यह राशि वसूल करना शुरू कर देंगे। समस्या यही है कि हमें पैट्रोलियम उद्योग के विकास तथा खोज कार्यों के लिये अधिक धन चाहिये । और हम उसे अपने ही संसाधनों से एकत्रित करना चाहते हैं ।

श्री पीलू मोदी : हम तो यह पूछ रहे थे कि इस से पहले इस राशि को कौन वसूल कर रहा था ?

Shri Atal Bihari Vajpayee: I have to raise a point of procedure. Sir, did you think it proper to allow this Bill in this manner—as if it were a secret Bill—and that the proviso in this behalf should have been exploited? Could the Government not announce it at the time of adjournment today that they had taken a decision like that, and later they could have introduced that Bill? It is simply increasing the excise duty.

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो मैं अपना निर्णय देने से पूर्व गहराई से सोचूंगा ।

श्री पीलू मोदी : पैट्रोलियम मंत्री को कर में वृद्धि का अधिकार कहां से आया ? यह अधिकार तो वित्त मंत्री को है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : क्योंकि यह एक गोपनीय विधेयक है अतः कृपया हमें बतायें कि हम इसका विरोध खुले आम करें या गोपनीय ढंग से करें ?

श्री सेझियान (कुम्बकोणम्) : मैं इस विधेयक का विरोध दो कारणों से करता हूं । एक तो है प्रक्रिया के आधार पर । निर्देश 19 बी के पहले परन्तुक में कहा गया है :—

"बशर्तें कि विनियोजन विधेयक, वित्त विधेयक तथा ऐसे गोपनीय विधेयक जिन्हें कार्य-सूची में नहीं रखा गया है........ ।"

हम एक गोपनीय विधेयक की परिभाषा जानना चाहते हैं । यह विधेयक तो एक कराधान विधेयक है तथा एक गोपनीय विधेयक नहीं हो सकता । मुझे बतायें कि यह विधेयक गोपनीय विधेयक कैसे बनता हैं । क्या आप ईस की गोपनीयता से सन्तुष्ट हैं ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या मंत्री महोदय ने आप को विश्वास में लिया ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने निम्नलिखित पत्र मुझे भेजा था :—

"Regarding the oil industry development, you know, the Bill could not be introduced on the 10th May, Now, we propose to bring forward a Bill for introduction on the first day of the session.

The Bill, inter alia, relates to levying a cess which is in the form of taxation and contains declaration under the provision of collection of taxes...."

श्री सेझियान : शुल्क लगने वाला विधेयक एक गोपनीय विधेयक कैसे हो सकता है ? आप तो इसे एक गोपनीय विधेयक के रूप में पुरःस्थापित करने की अनुमति दे रहे हैं । हम चाहते हैं कि आप ही इसकी भली प्रकार जांच करें । प्रतियां बांटे बिना ही यह पहले कह सकते थे कि यह एक गोपनीय विधेयक है और इसे पुरःस्थापित कर देते । परन्तु हम नहीं चाहते कि कोई अस्वस्थ परम्परा यहां बनाई जायें । इस लिये हमें आप बतायें कि किस आधार पर आपने इसे एक गोपनीय विधेयक के रूप में स्वीकार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो बस यही सोचा था कि केवल मेरी अनुमति के बिना सरकार को हानि नहीं होनी चाहिये । मुझे आश्चर्य है कि आप इसे एक गोपनीय विधेयक कैसे मानते हैं । मैं भी अपनी अज्ञानता स्वीकार करता हूं । मैंने सोचा था कि इसमें जरूर कोई गोपनीयता होगी । आपने तो खामखा झमेला खड़ा कर दिया ।

श्री देवकान्त बरुग्रा : नियमों के बारे में तो ग्राप ही सर्वोच्च विज्ञ हैं श्रीमन्।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप गल्ती पर हैं। मैं सर्वोच्च विज्ञ नहीं हूं ग्रगर हूं भी तो भी नियम मुझे इसकी ग्रनुमति नहीं देंगे।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि क्या यह बात मंत्री महोदय के कहने पर ग्राप मान लेते हैं याकि स्वयं ग्रध्यक्षपीठ का भी कोई निर्णय होता है। यदि एक मंत्री एक विधेयक को गोपनीय विधेयक कहता है तो ग्राप उसे उनके कहने मात्र से ही मान लेंगे ? ग्रौर फिर हमें इस विधेयक की प्रतियों से वंचित रखगे ? एक तो इस का निर्णय करें कि ग्राप किसी परिभाषा के ग्रनुसार विधेयक वर्गीकरण करेंगे याकि मंत्री महोदय के कहने मात्र से मान लेंगे कि ग्रमुक विधेयक एक गोपनीय विधेयक है।

दूसरा निर्णय ग्राप यह करेंगे कि इस विधेयक को पुरस्थापित करने दिया जाये ग्रथवा नहीं, हालांकि नियमों के ग्रनुसार एक मंत्री विधेयक की प्रतियां बांटने से पूर्व विधेयक पेश कर सकता है परन्तु इसका यह ग्रर्थ तो नहीं है कि पुरःस्थापित करने के समय भी प्रतियां नहीं बांटी जा सकती। ग्रब भी प्रतियां नहीं बांटी गई हैं।

ग्रब मैं कैसे निश्चय करूं कि मुझे इस विधेयक का विरोध करना चाहिये ग्रथवा समर्थन ?

ग्रध्यक्ष महोदय : यह सच है कि ऐसे नियम नहीं हैं जिनके ग्राधार पर मैं यह निर्णय कर सकूं कि कोई विधेयक गोपनीय है ग्रथवा नहीं। बस मंत्री महोदय ने मुझे कहा कि यह विधेयक गोपनीय है ग्रौर मैंने विश्वास कर लिया। ग्रब यदि ग्राप नियमों की बात का खुलासा चाहें तो मैं इसे नियम समिति के पास भेज देता हूं। परन्तु तत्सम्बन्धी प्रक्रिया बड़ी ग्रस्पष्ट रही है। मैंने तो सद्भावना से इसे स्वीकार किया था। हां प्रतियों का वितरण करा दिया जायेगा।

Shri Madhu Limaye: I have got a point of order, Sir, you don't allow the oppositions of a Finance Bill at the introduction stage since the same is never circulated in advance. So, is it a Finance Bill? First you satisfy yourself whether it is a Finance Bill and it would be introduced like a Finance Bill.

Mr. Speaker: It is the same question.

श्री ज्योतिर्मय बसु : दो बातें हैं। एक तो यह कि यदि इस विधेयक की गोपनीयता खुल जाती है तो राजकोष को हानि पहुंचती है... **(व्यवधान)** इसमें काफी समय तो पहले ही गुजर गया है। ग्राखिर यहां के टेलीफोन तो बन्द नहीं पड़े हैं। मंत्री महोदय बतायें कि यदि इसकी गोपनीयता बाहर निकल गई तो लोग किस किस ढंग से इस कर से बच सकेंगे ? दूसरे यह शुल्क वस्तुतः किस को देनी पड़ेगी ग्रौर इस समय तथा इससे पूर्व इसे कौन ग्रदा करता रहा है।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पहले तो ग्राप निर्णय करें कि क्या यह एक गोपनीय विधेयक है या नहीं। यह सभा देश का एक खुला मंच है ग्रौर इसमें किसी गोपनीय प्रक्रिया हम नहीं रख सकते परन्तु ग्राज हमारे ऊपर एक गोपनीय विधेयक थोप दिया गया है। ग्रापने जो निर्देश हमें पढ़कर

सुनाये हैं उनके अनुसार एक गोपनीय विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति तो है परन्तु ऐसा लगता है कि आप स्वयं इस विधेयक की गोपनीयता के बारे में आश्वस्त नहीं हैं और आप मंत्री महोदय को माननीय सदस्यों के उत्तर देने को कह रहे हैं जबकि इस समय मंत्री महोदय का कोई दखल नहीं है हमारे प्रश्न तो आपसे हैं । अतः मेरा सुझाव है कि आप कुछ देर अपने कक्ष में बैठकर इस पर गहराई से विचार कर लें और बाद में हमें बतादें ।

श्री पीलू मोदी : बड़ी विचित्र बात है कि परमाणु विस्फोट का वक्तव्य तो इस प्रकार खुल्लम खुल्ला दिया गया और इस विधेयक को गोपनीय बताया जा रहा है ।

श्री देवकान्त बरुआ : श्री बसु ने कहा.......

श्री एच० एन० मुखर्जी : व्यवस्था के प्रश्न पर । मंत्री महोदय तब तक किसी सदस्य के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते जब तक कि आप इस बारे में प्रक्रिया निश्चित न कर दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने निर्देश संख्या 19(बी) के पहले परन्तुक के अनुसार कार्यवाही चलानी है और इसका आधार मंत्री महोदय से प्राप्त वह पत्र है जिनमें उन्होंने इसे एक कराधान विधेयक बताया है तथा कहा है कि यदि इसकी सूचना पहले मिल गई तो कुछ कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी । मैंने वह आपके सामने पढ़ दिया है और मेरे विचार से वह सही है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: When the hon. Minister told you that that was secret Bill, you should have first satisfied yourself about it and also about the right procedure to be followed. You should have then declare that before the hon. Minister could rise to move. What is the procedure in regard to a secret Bill?

Mr. Speaker: That we would see later. Moreover I have allowed it under 19 (b).

श्री सेझियान : मैं देखता हूं कि यह विधेयक पुरःस्थापित हो चुका है और मुझे एक प्रति मिल गई है ।

अध्यक्ष महोदय : फिर इस में गोपनीयता क्या रह गई है ?

श्री सेझियान : इस विधेयक पर सरकार ने अनुच्छेद 117 के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति "विशिष्ट उपबन्धों वाले वित्त विधेयक" के रूप में दी है इस सिफारिश के साथ यह विधेयक पेश किया गया है । इसका अर्थ है कि यह एक गोपनीय विधेयक न होकर एक वित्त विधेयक है और इसलिये सरकार सभा को तथा अध्यक्ष महोदय को गुमराह कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं गुमराह नहीं हो रहा हूं । उन्होंने मुझे बता दिया था ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम आधा घण्टा इस चर्चा पर व्यय कर चुके हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आप चलते रहिये । हम लोग मध्याह्न भोजन काल नहीं रखेंगे । मैं जानता हूं कि आप तो जाते ही हैं परन्तु मुझ को बैठना ही पड़ेगा ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : विपक्ष के मित्र अकारण ही गोपनीय विधेयक शब्द पर जोर डाले जा रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बताया नहीं जाता। इस विधेयक में कुछ वित्त संबंधी बातें हैं जिनको गुप्त रखना था इसीलिये इस विधेयक की प्रतियां वितरित नहीं की गई। इसी आधार पर यह एक गोपनीय विधेयक है। श्रीमान नियम 19(बी) के अधीन आप यह बात स्पष्ट कर चुके हैं। इस प्रकार इसमें किसी नियम का उल्लंघन नहीं है।

श्री देवकान्त बरुआ : मैं भी यही बात कहना चाहता था जोकि मेरे मित्र श्री गोस्वामी जी ने कही है। यह मामला एक शुल्क के बारे में और मैंने सोचा कि इसको बांटने से पूर्व सभा के समक्ष रखना चाहता था। फिर मैं तो केवल पुरःस्थापित करने की अनुमति मांग रहा हूं फिर इस पर चर्चा तो होगी ही। बस समय बचाने की बात थी।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह तो एक घटिया किस्म की नाटकीयता है। सरकार द्वारा जारी किये गये सारे अध्यादेशों को देखकर ऐसा लगता है कि वह देश को यह जताना चाहती है कि वह इस आर्थिक संकट पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। यह सब भोंड़ी नाटकीयता होती है। और इस विधेयक को गोपनीय कहना...

श्री देव कान्त बरुआ : यदि इसे गोपनीय कहें या स्पष्ट यह नियमों को अनुसार पेश हुआ है। इसे पेश करने का मेरा पूरा अधिकार है और इसे गोपनीय रूप में रखने का भी। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात बस इतनी है कि यदि यह विधेयक इसी समय पुरस्थापित हो तो हमें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया जोकि क्रमशः 45 लाख, 30 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं उनसे 60 रुपये प्रतिटन की दर से शुल्क अभी से ही प्राप्त कर सकेंगे इन कम्पनियों में 50 प्रतिशत स्वामित्व ब्रिटिश कम्पनी का है...

श्री ज्योतिर्मय बसु : शायद इसीलिये आपने यह सब किया है। मगर इस बीच तो उन्होंने अपने स्टाक की स्थिति ही बदल दी होगी। फिर उत्पाद शुल्क अधिकारियों को भी अपने फील्डस्टाफ को तैनात करने के लिये समय चाहिये।

श्री देवकान्त बरुआ : इसी लिये तो कहता हूं कि अभी आप इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दें और इसी समय से हम शुल्क वसूल कर लेंगे। इसमें एक क्षण का भी विलम्ब नहीं होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : कृपया विधेयक पुरःस्थापित कीजिये।

श्री देवकान्त बरुआ : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि तेल उद्योग (विकास) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि तेल उद्योग (विकास) विधेयक 1974 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री देवकान्त बरुआ : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

कम्पनी (लाभांश पर अस्थाई प्रतिबन्ध) अध्यादेश 1974 को भेद खुल जाने का समाचार

अध्यक्ष महोदय : यह मामला अध्यादेश का भेद खुल जाने के बारे में है। श्री बनर्जी, श्री मधु लिमये तथा प्रो० मधु दण्डवते इनमें सबसे पहले नाम श्री बनर्जी का है। अत: केवल वही बोल सकेंगे। क्या हम इस मामले पर दोपहर बाद विचार करें। श्री बनर्जी का नाम पहले अत: केवल वही बोलेंगे। श्री बनर्जी !

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : जुलाई, 1974 में जारी किये गये इस विधेयक का पहले ही भेद खुल गया था। इस में महंगाई भत्ते के एक भाग को जमा कराने का आशय था। अपने 16 जुलाई के पत्र में प्रधान मन्त्री ने मुझे बताया था कि यह अध्यादेश केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही नहीं बल्कि संयोजित क्षेत्र के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा और ये कुछ ऐसे आर्थिक मामले हैं जिन पर संयुक्त सलाहकार समिति व्यवस्था में चर्चा नहीं की जा सकती थी।

अब प्रश्न यह है कि सरकार ने राज्य सरकारों से लाखों दुखी लोगों तथा यहां तक कि केन्द्रीय कर्मचारी महासंघों के प्रतिनिधियों से भी मन्त्रणा क्यों नहीं की ?

यह अध्यादेश 13 जुलाई से लागू हो गया परन्तु इसका भेद संसद की सलाहकार समिति के कुछ सदस्यों को पता लग गया था। मैं नहीं जानता कैसे यह भेद खुला। मैं तो सरकार को ही इसका दोषी ठहराऊंगा। इसका भेद खोलने वाले एक केन्द्रीय मन्त्री ही हैं क्योंकि इसका कि मन्त्रीगण इस अध्यादेश के विरुद्ध हैं। कुछ को तो मालूम भी नहीं था कि यह अध्यादेश है क्या फिर मैं तो स्वयं मन्त्री महोदय को ही इस भेद के खुल जाने का दोषी कहूंगा। या तो उन्होंने स्वयं या फिर उनके सहयोगियों ने ही इस का भेद खोला। उस बैठक में विभिन्न विभागों के साथ वे भी थे। हो सकता है उनमें से किसी ने यह बात खोल दी हो।

कुछ भी हो यह एक गम्भीर मामला है। यह सही है कि मांग की जा रही है परन्तु मेरा अनुरोध है कि इस भेद के खुलने की मांग करने के लिये एक संसदीय समिति गठित की जाये। जहां तक दूसरे अध्यादेश का प्रश्न है वह क्योंकि गरीब सरकारी कर्मचारियों के लिये था अत: इसका भेद खुल जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भेद तो उस अध्यादेश का खुलना था जिसका प्रभाव व्यापारियों तथा एकाधिकार गृहों पर पड़ना था।

सरकार इसके लिये दोषी है। मेरा अनुरोध है कि सदस्यों की एक समिति इस बारे में जांच करने के लिये गठित की जाये।

Mr. Speaker (When Shri Madhu Limaye got up): The practice, however, is that only the first of the three should speak.

Shri Madhu Limaye (Banka): I want to give (some) information to the House.

M|s. Century Aenka's 10,000 shares had already been sold out a day earlier than this Ordinance concerning Dividends of the Companies was notified in the Press. In fact, this ordinance had leaked out even a few days earlier. I would therefore

(Shri Madhu Limaye)

like to know as to who drafted the Ordinance, then to whom it was sent, and a full list should be prepared and there should be thorough investigation.

According to my information a person named Jagdish Kapadia had got at this secret quite earlier and as a result thereof, there was a large scale speculative transactions of the shares in the names of the Gujarat Fertilisers century Mills, Atul Products, Baroda Rayons etc—which are known as Blue Chips, Jagdish Kapàdia thus earned Rs. 50 lakhs and how those who did the job of purchases are now refusing to pay. It has been agreed in the Board to pay 8 percent everyday.

So I want to know how Shri Jagdish Kapadia came to know all that? Only the Officials of the Ministry of Finance are responsible for this leakage, this matter should be investigated into and the guilty persons should be shunted out. Let Shri K. R. Ganesh give a reply to it.

अध्यक्ष महोदय : इस समय दलील करने की जरूरत नहीं है। कृपया बैठ जाइये ।

श्री के० आर० गणेश : मुझे इसके लिये सूचना नहीं दी गई ।

अध्यक्ष महोदय : अब तो उन्हें मिल गई है।

Shri Madhu Limaye: Everything is being treated very lightly. Rs. 50 lakhs is not a small amount. We had given the notice at 10 O'clock.

Mr. Speaker: How can you expect a reply just now? He says that he would inquire into all that.

We will take up the next item 14, after lunch.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये पौने चार बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then, adjourned for lunch till a quarter to sixteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद तीन बजकर उन्नचास मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at forty-nine minutes past fifteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।

Mr. Deputy Speaker in the Chair.

कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) विधेयक—जारी

COAL MINES (CONSERVATION AND DEVELOPMENT) BILL—Contd.

खण्ड 5 से 19 तथा खण्ड 1

अध्यक्ष महोदय : पिछले अवसर पर हमने चार खण्ड स्वीकार किये थे। खण्ड 5 श्री रामावतार शास्त्री का एक संशोधन है ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपना संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Ram Avtar Shastri: The intentions of my amendment is that the coopera- tion of Labour Unions should invariably be taken so as to enable the schemes

to come out successful. It is also necessary so that the management of the coal mines do not indulge in high headedness and misappropriating the stocks. The unions of the workers would give their suggestions in removing certain deficiencies and defects in the working of the coalmines. The Government have also been talking tall of giving to the labourers due representatives in the management and also rights in the administration. My amendment asks for only the same thing, and, therefore, the hon. Minister should not have any objection in accepting my amendment. Quite a number of my friends in the ruling party also share my views but they would vote in Government's favour. Let there be any Union, I am insisting on the rights for all the Unions of the workers. The Government should, therefore, declare that you would associate the workers in management and administration. This would certainly help in augmenting the productive and also developing good labour relations.

My amendment should, therefore, be accepted.

The Minister of Steel and Mines (Shri K. D. Malaviya): The hon. member is aware that I give much regard to his opinion and it is quite true that the work of conservation and development cannot progress without the cooperation and advice of the workers in the coal mines. But I think that such an amendment in clause 5 would not suffice. It is matter of policy and we are following that. We want to assure that labourers in the coal mines and also elsewhere, would be fully consulted. We are doing that at present also. The hon. Member would be glad to know that the decisions taken recently have been taken in consultation with the representatives of the workers.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 13 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 13 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 was added to the Bill.

खण्ड 6

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) मैं संशोधन संख्या 14 तथा 15 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 14 तथा 15 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

Amendments No. 14 and 15 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7 तथा 8 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 7 and 8 were added to the Bill.

खण्ड 9

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 16 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 16 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 9 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 9 was added to the Bill.

खण्ड 10

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 17 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 17 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 10, 11 से 14 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 10, 11 से 14 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 10, 11 to 14 were added to the Bill.

खण्ड 15 तथा 16

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी उपस्थित नहीं हैं अत: उनके संशोधन प्रस्तुत नहीं हो सकते। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 तथा 16 विधेयक का अंग बनें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 17 was added to the Bill.

खण्ड 18

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 18 से 21 प्रस्तुत करता हूं।

Government should give exemplary punishment to those who put hinderences in the work of development and preservation of coal mines. My amendment is regarding the extension of term of imprisonment from three months to six months and amount of fine from two thousand to five thousand rupees. The penalty as provided in the Bill would not serve the purpose. A more severe punishment should be given to those found guilty of such offences. I hope that the hon. Minister will accept my amendments.

Minister of Steel and Mines (Shri K. D. Malviya): Mr. Deputy Speaker, Sir, the background under which the hon. Member has given his suggestion has changed.

I know there are certain malpractices but stringent action is being taken to do away with such things. Action has been taken against 40 to 50 officers. They have been either dismissed or transferred.

The amendments put by hon. Member will not serve the purpose. We are getting full cooperation from workers. We are trying to remove difficulties. It may take some more time.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 18 से 21 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

Amendment Nos. 18 to 21 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 18 तथा 19, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 18 तथा 19, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 18 and 19, clause 1, Enacting Formula, and the Title were added to the Bill.

श्री के० डी० मालवीय : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक पारित किया जाए"।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): Sir, provision of stringent punishment should be made. I do not know why the hon. Minister is hesitating in making such

1743(ai)LSD—11.

a provision. He has said that certain transfers have been made but that is not enough. Instead of raising the amount of fine, Government should raise the duration of imprisonment.

Coal mines have been taken over but there is no improvement in the situation. Even domestic demands of coal are not being met. There have been reports of mismanagement. Duration of imprisonment should be increased and I am sure this step will bring improvement in the situation.

Prof. S. L. Saksena (Maharajganj): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the Bill. The late Shri Kumaramanglam had given an assurance that Gorakhpur Labour Depot would not be closed. But this depot has been closed down due to which 18 thousand workers have been rendered out of employment. This will also affect production. Therefore, I would request to revive the depot.

Shri K. D. Malviya: Merely increasing the term of imprisonment will not solve the problem. Certain steps have been taken to make improvement in arrangements for the conservation and development of coal mines, I assure the House that with the help of Trade Union Workers efforts would be made to tone up the administration.

So far as the question of Gorakhpur depot is concerned, this is a complicated question. This depot is part of an old set up and this set up required to be changed now. We are giving serious thought to the matter and we hope that some solution to the problem will definitely come out.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुदानों की मांगें (गुजरात) 1974–75

DEMANDS FOR GRANTS (GUJARAT), 1974-75

गुजरात बजट अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौटी की राशि
1	2	3	4	5
3	1	श्री पी० जी० मावलंकर	गुजरात में नई विधान सभा के लिये यथाशीघ्र तारीख को नये चुनाव कराने की आवश्यकता ताकि गुजरात के लोगों को पुनः लोकप्रिय सरकार का लाभ मिल सके ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं ।

1	2	3	4	5
5	2	श्री पी० जी० मावलंकर	राज्य के भूतपूर्व मंत्रियों और अन्य उच्चाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये एकस्वतन्त्र न्यायाधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं।
,,	3	,,	संविधान में निहित और सुस्थापित परम्पराओं से संरक्षित नागरिकों के विभिन्न अधिकारों के संरक्षण के लिये एक 'ओमबड्समैन' या 'लोकायुक्त' करने की आवश्यकता।	,,
,,	4	,,	प्रशासन में कुशलता और कार्य की गति बढ़ाने के लिये सुधार की आवश्यकता।	,,
,,	5	,,	गुजरात में मंत्रियों और सिविल कर्मचारियों के बीच उपयुक्त संबन्ध स्थापित करके प्रशासन को क्रियाशील, खरा, ईमानदार तथा सुगठित बनाने की आवश्यकता।	,,
9	6	,,	गुजराती भाषा के शीघ्र और बेहतर विकास के लिये प्रतिष्ठित तथा सुस्थापित साहित्य संस्थाओं को बिना किसी शर्त के पर्याप्त वित्तीय सहायता और अनुदान देने की आवश्यकता।	,,
10	7	,,	राज्य में विभिन्न अकादमियों के प्रबन्ध को पूरी तरह सुधारने और उनके ढांचे में परिवर्तन करने की आवश्यकता ताकि कुशल कलाकार और रचनात्मक कार्य करने वाले व्यक्ति उत्साहित होकर राज्य तथा देश की सांस्कृतिक समृद्धि में अपना भरपूर योगदान कर सकें।	,,
13	8	,,	राज्य की पचवर्षीय योजना के लिये अधिक संसाधनों के परिव्यय की आवश्यकता।	,,
,,	9	,,	श्री श्रीमन्नारायण के राज्यपाल होने के समय राज्य के लिये तैयार की गई और प्रकाशित की गई प्रस्तावित योजना में निहित कारगार और सूझ-बूझ पूर्ण सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
33	10	श्री पी० जी० मावलंकर	पी० एन० भगवती समिति की सिफारिशों के अनुसार गुजरात में निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता देने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं।
34	11	,,	सभी वर्तमान राज्य विधियों के उचित और शीघ्र मूल्यांकन की आवश्यकता।	,,
40	12	,,	केन्द्रीय कोटे में से गुजरात को अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं अधिक मात्रा में देने की आवश्यकता ताकि नगरीय और ग्रामीण समाज के निर्धन तथा दुर्बल व्यक्तियों को पर्याप्त संरक्षण दिया जा सके और उनकी उचित देखभाल की जा सके।	,,
40	13	,,	गुजरात में मूंगफली के उत्पादन और निर्यात तथा मूंगफली के तेल के उचित मूल्य और वितरण के संबंध में उपयुक्त, सूझ-बूझपूर्ण तथा न्याय संगत नीति निर्धारित करने की आवश्यकता।	
52	14	,,	गुजरात राज्य उर्वरक निगम द्वारा उतपादित उर्वरकों के आवंटन को गुजरात में पुनः 54 प्रतिशत से 70 प्रतिशत करने की आवश्यकता।	
52	15	,,	नये और विकासशील गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के निर्माणकारी और चुनौतीभरे काल में उसे अधिक तथा सुनियोजित वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।	
52	16	,,	कृषि शिक्षा को संकुचित राजनीतिक और संकीर्ण विचारों से दूर रखने के उद्देश्य से गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर तथा अन्य परिसरों को स्थापित करने के स्थान के प्रश्न पर पुर्नविचार की आवश्यकता।	

1	2	3	4	5
57	17	श्री पी० जी० मावलंकर	पशुओं को राज्य से बाहर अन्य स्थानों पर निर्बाध रूप से ले जाने पर प्रतिबन्ध की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं।
66	18	,,	गुजरात में उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी और अर्थपूर्ण परिवर्तन करने तथा उसे दृढ़तापूर्वक क्रियान्वित करने की आवश्यकता।	,,
69	19	,,	शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में मध्यम और निम्न-मध्यम वर्गों के लिए अतिरिक्त आवासीय सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता।	,,
69	20	,,	अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग तथा अन्य औद्योगिक श्रमिकों के लिए पर्याप्त आवासीय व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
76	21	,,	राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम तथा भारत रक्षा नियम जैसे अधिनियमों के अन्तर्गत जेल में बन्द करने की बजाय जमाखोरों, मनाफाखोरों, काला बाजारी करने वालों, तस्करी करने वालों तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों को गिरफ्तार करने की आवश्यकता।	,,
76	22	,,	वर्ष 1974 के प्रथम चार महीनों के दौरान राज्य के विभिन्न भागों में पुलिस द्वारा गोलियां चलाने के कम से कम गम्भीर मामलों की न्यायिक जांच करने की आवश्यकता।	,,
77	23	,,	पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों के सम्बन्ध में किसी स्वतन्त्र एजेन्सी द्वारा जांच कराने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
77	24	श्री पी० जी० मावलंकर	प्रदर्शनकारियों तथा उतेजित भीड़ के विरोध प्रदर्शन और चुनौती का सामना करने के लिये पुलिस के विभिन्न कार्मिकों को उचित तथा वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
81	25	,,	सरकार और जनता के बीच सूचना आदान-प्रदान करने के प्रयोजन से सूचना निदेशालय को एक प्रभावशाली तथा सशक्त माध्यम बनाने की आवश्यकता।	,,
84	26	,,	पर्यटक आकर्षण तथा महत्व के कुछ वर्तमान केन्द्रों तथा नये केन्द्रों के विकास की आवश्यकता।	,,
84	27	,,	भारत तथा विदेशी पर्यटकों के लिये गिर शेर वन क्षेत्र को और अधिक आकर्षक बनाने की दृष्टि से इसका सुधार करने की आवश्यकता।	,,
90	28	,,	बिजली की बार-बार कटौती की स्थिति को समाप्त करने तथा राज्य में विभिन्न कृषि तथा औद्योगिक एककों को लगातार तथा अधिक मात्रा में बिजली सप्लाई करने की आवश्यकता।	,,
94	29	,,	खानों से औद्योगिक कारखानों को कोयला ले जाने के लिये रेल के डिब्बों का अधिक न्यायसंगत और निष्पक्ष रूप से आवंटन करके विभिन्न औद्योगिक कारखानों को कोयले की सप्लाई बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
101	30	,,	न्यायाधिकरण द्वारा लम्बे समय से चले आ रहे नर्मदा जल विवाद के निष्पक्ष रूप से और शीघ्र हल करने की आवश्यकता, ताकि राष्ट्रीय हित और अर्थव्यवस्था को हानि न होती रहे।	,,
109	31	,,	कच्छ जिले में अभावग्रस्त और अर्ध अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल की सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
110	32	श्री पी० जी० मावलंकर	शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्ती सफाई परियोजनाओं की ओर अधिक ध्यान देने और उन पर अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता।	,,

श्री पी० एम० मेहता : मुझे पत्र आज प्रातः ही मिले हैं मैंने कटौती प्रस्ताव की सूचना दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कटौती प्रस्ताव आज प्रातः ही दिये हैं। इन्हें पहले भेजा जाना चाहिए था। तथापि आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : गुजरात विधान सभा भंग किये जाने के बाद बुलाई गई परामर्शदात्री समिति की बैठक में मैं उपस्थित था। गुजरात में आन्दोलन भ्रष्ट अधिकारियों एवं मंत्रियों के विरुद्ध शुरू हुआ था। आन्दोलन राज्य भर में फैल गया। एक मुख्य मंत्री को हटाया गया और दूसरे की बारी आयी। भ्रष्ट अधिकारी अभी भी बने हुए हैं।

क्या कारण था कि गुजरात में कांग्रेस का बहुमत होते हुए भी विधान सभा भंग करनी पड़ी?

पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए श्री वांचू की नियुक्ति की घोषणा की गई है। ऐसा समय शीघ्र आता जा रहा है कि जनता भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगी। सरकार को भ्रष्टाचार समाप्त करना ही चाहिए। इस उद्देश्य के लिये भ्रष्टाचार के लिये उत्तरदायी अधिकारियों को हटाईये। श्री मालवीय के कटौती प्रस्ताव से स्पष्ट है कि गुजरात के गांवों में विशेषतः निचले वर्ग के लोगों को पर्याप्त अनाज नहीं दिया गया था। इन लोगों को अनाज मिल पाये यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मीठापुर में टाटाओं के उर्वरक सन्यन्त्र के विस्तार की अनुमति दी गई है जबकि सरकार की नीति इस उद्योग को सरकारी प्रतिष्ठानों तक ही सीमित रखने की रही है।

श्री शाह नवाज खां : टाटा का कोई उर्वरक सन्यन्त्र नहीं है। उन्हें केवल आशय-पत्र जारी किया गया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच नहीं है कि टाटा को मीठापुर, गुजरात में उर्वरक सन्यन्त्र लगाने का लाइसेंस दिया गया है?

श्री शाह नवाज खां : उन्हें केवल आशय-पत्र दिया गया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : पहले आप आशय-पत्र ही देते हैं बाद में लाइसेंस दिया जाता है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : टाटा को लइसेंस देने में क्या हानि है?

श्री शाह नवाज खां : उर्वरक का आयात करने से तो देश में ही उसके निर्माण की अनुमति देना अच्छा है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं आयात के पूर्णतः विरुद्ध हूं ।

दूसरे में आवास समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । मुझे प्रसन्नता है कि श्री मावलंकर ने औद्योगिक कार्मिकों, कपड़ा मिलों के मजदूरों की आवास समस्या के बारे में कटौती प्रस्ताव दिया है।

मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि वे गुजरात में निर्वाचन कब करवा रही है। वहां के लोगों को अपना राष्ट्रपति चुनने के अधिकार से भी वंचित रखा जा रहा है। गुजरात में पुलिस की ज्यादतियों के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। भारत के किसी भी अन्य भाग में इतने अधिक स्थानों में कर्फ्यू नहीं लगाया जाता जितना गुजरात में लगाया जाता है। विधान सभा भंग किये जाने के पश्चात् वहां केन्द्र का शासन है। इसलिये पुलिस के अत्याचारों की निष्पक्ष जांच करायी जानी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि प्रशासन से भ्रष्टाचार नहीं हटाया गया तथा लोगों को अनाज और आवास नहीं दिया गया तो जनता ऐसे लोगों को सत्ता से हटा देगी ।

डा० महिपत राय मेहता (कच्छ) : यह सही है कि गुजरात में आज विधान सभा नहीं है। इसीलिए वहां के बजट पर यहां चर्चा की जा रही है। मैं पहले अपने निर्वाचन-क्षेत्र के बारे में बोलूंगा और बाद में समग्र रूप से गुजरात राज्य के बारे में ।

कच्छ में 200 वर्ष पुराने भारत का चित्र मिल सकता है। कच्छ का क्षेत्रफल 17,000-18,000 वर्ग मील है जो कि पूरे गुजरात राज्य का एक चौथाई है। यह पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर स्थित है। लोगों का ध्यान इस क्षेत्र की ओर पाकिस्तानी आक्रमण के पश्चात् ही गया था। 1948 में इसका विलय शेष भारत के साथ हुआ था उस समय श्री जवाहरलाल नेहरु ने इस क्षेत्र की समृद्धि की कामना की थी ।

पहली योजना में कच्छ के लिए तीन करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। दूसरी योजना में आठ करोड़ का आवंटन किया गया ।

1960 में जब गुजरात राज्य का निर्माण हुआ तो हमें गेंद की तरह एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर धकेल दिया गया । तीसरी योजना में पूरे देश में प्रति व्यक्ति योजना व्यय दुगुना कर दिया गया, जबकि हमारे आवंटन को घटा कर आधा कर दिया गया। गत आठ वर्षों से हमें लगातार 7 बार सूखे का सामना करना पड़ता आ रहा है जिसके फलस्वरूप लोगों को विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ।

वर्ष 1971-72 के दौरान कुछ राहत कार्य शुरू किये गये थे लेकिन इनमें भी बाद में कटौती की गयी। लोगों को अन्न जुटाने के लिये सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तान जाना पड़ा।

गुजरात के 'बन्नी' क्षेत्र की स्थिति आज़ादी के इन 27 वर्षों के बाद भी नहीं सुधरी है। उन्हें अब भी वर्षा के लिये आकाश की ओर ताकना पड़ता है। इन लोगों की समस्याओं का समाधान करना क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है ? इस क्षेत्र के लोग सरकार से धन की इतनी मांग नहीं करते जितने सिंचाई और पेयजल की करते हैं। लोग सरकार से कोई ऐश्वर्य की वस्तु नहीं बल्कि आवश्यकता की वस्तु की मांग करते हैं। किसी भी शहर व गांव में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है।

1956 में सीमा आयोग तथा संसद् की संयुक्त प्रवर समिति ने इस प्रकार के क्षेत्र के लिये एक संसदीय बोर्ड की सिफारिश की थी। लेकिन सरकार ने उस सिफारिश पर कोई भी कार्यवाही नहीं

की है। आप हिंसा की भाषा सुनने के अभ्यस्त हैं। हम उस भाषा को नहीं बोल रहे। सरकार को यह सिफारिश कार्यान्वित करनी चाहिये और यहां के लिये एक विकास बोर्ड की स्थापना करनी चाहिये।

कच्छ क्षेत्र के लिये संसद् से एक प्रतिनिधि मण्डल भेजा जाना चाहिये। नर्मदा से भी कच्छ की आवश्यकता के लिये पूरा पानी जाना चाहिये। उसी दशा में यह क्षेत्र अन्न के मामले में आत्म-निर्भर हो सकता है।

कच्छ के विकासहेतु सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। अतः इस क्षेत्र के लिये विकास बोर्ड की स्थापना की जाय।

Shri Bharat Singh Chowhan (Dhar): It is regretted that elections to State Assembly have not so far been conducted in Gujarat. Thus the people of that State will be denied the opportunity of participating in the election of the President.

There has been a demand for headquarters of Western Railway being located in Gujarat which has not so far been accepted. The headquarters of the Western Railway should be located in Gujarat.

The headquarters of the Oil and Natural Gas Commission are in Dehradun while oil and gas is produced in Gujarat. The headquarters of this Commission should also be shifted to Gujarat.

Kutch area has strategic importance. Adequate attention should be paid to the development of that area. Atrocities are being committed on Harijans in Gujarat. This is a blot on the fair name of that state. It is really regrettable that these atrocities are being committed at a time when the state is under President's rule.

Narmada water dispute is hanging in fire for a long time. This dispute should be resolved soon so that Gujarat and the neighbouring states are benefited.

श्री के० एस० चवड़ा (पाटन) : गुजरात राज्य में हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। सार्वजनिक कूएँ से पानी भरने के लिए एक गांव में 2 हरिजन मारे गए तथा अनेक घायल हुए। यही नहीं हरिजनों की सम्पति भी लूटी गयी। लगभग दस दिन तक दोषियों को तो जेल में डाला गया और न हथकडियां डाली गयी। 28 मई से 22 जून तक पुलिस का कोई भी आदमी वहां नहीं गया। सरकार ने सामाजविरोधी तत्वों के विरुद्ध कोई उचित कार्यवाही नहीं की जिसके फलस्वरूप उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है। इस दौरान जिन दो हरिजनों की मृत्यू हुई उनके परिवारों को केवल एक एक हजार रुपए दिए गए जबकि सरकार ने 2000रु० की घोषणा की थी और जिनकी सम्पत्ति लूटी गई उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। इस प्रकार के अत्याचार हमारे देश तथा प्रजातंत्र के नाम पर धब्बा है।

सेवाओं में हरिजनों के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए हरिजनों को जमीन की काश्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि सवण जाति के लोग अनेक बाधायें डालते हैं। उनके लिये पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके विपरीत जिन लोगों ने हत्या की, उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है। सरपंच और उसकी पत्नी ने उपद्रवकारियों का नेतृत्व किया था। उन्हें भी जमानत पर छोड़ दिया गया। ऐसा होने पर भी उन्हें सरपंच पद से नहीं हटाया गया। यदि सरपंच तथा तल्लूका पंचायत के प्रधान को हटाया जाये तो इससे एक अच्छा आदर्श स्थापित होगा तथा हरिजनों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस राज्य में यथाशीघ्र चुनाव कराये जाने चाहिए।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढ़का) : गुजरात के रणमलपुर नामक स्थान पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। वहां हरिजनों पर अत्याचार हुए है। इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाये जाने चाहिए। लेकिन जिस ढंग से गुजरात सरकार ने इस स्थिति को निपटाया है वह ठीक नहीं था।

नर्मदा पर एक नया पुल बन रहा है। इस वर्ष इस पुल के प्रावधान में काफी कटौती की गई है। बम्बई और अहमदाबाद के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात शायद सार्वधिक है। इस पुल का निर्माण यथा शीघ्र होना चाहिए। अपर्याप्त प्रावधान के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब होगा जो शायद दो या तीन वर्ष का हो सकता है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

तटीय राजमार्ग का निर्माण कार्य भी धीमी गति से चल रहा है। इस हेतु पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए और इस परियोजना को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कांडला पत्तन का रख-रखाव एक बड़े पत्तन की तरह नहीं किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप जलयानों को काफी अधिक समय तक बाहर खड़ा रहना पड़ता है। जिसपर बहुत अधिक व्यय होता है। इससे भी बुरी बात यह है कि जलयानों से माल उतारने के पश्चात् भी उस माल को काफी समय तक पत्तन से अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचाया जाता।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होते ही गुजरात को कुछ हद तक बिजली की काफी कमी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो परियोजनाएं तैयार की गई थीं, वे अभी निर्माणाधीन है। जान पड़ता है कि ये परियोजनाएं पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ही पूरी होंगी।

प्रश्न यह उठता है कि इस राज्य की छटी योजना में बिजली की आवश्यकता के सम्बन्ध में क्या स्थिति होगी ? इस बारे में अभी बातचीत हो रही है और अनुरोध किया जा रहा है कि एक परमाणु बिजली-घर गुजरात राज्य में स्थापित किया जाए। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय कर लिया जाएगा। महत्व की बात तो यह है कि छटी योजना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और क्या परियोजनाएं ली जाएं।

आशा है कि नर्मदा योजना शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। इससे राज्य के गांवों की पेयजल की समस्या कुछ हद तक हल हो जाएगी। इससे जल मिलने में दस वर्ष लग जायेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि नर्मदा परियोजना से जल मिलने की प्रतीक्षा की जाए। इसलिए अलग परियोजना पर विचार करना होगा ताकि अधिकाधिक देहातों को पानी मुहैया किया जा सके। एक निशिचत योजना बनाकर उसे शी पूरा किया जाए ताकि आगामी पांच वर्षों में राज्य के प्रत्येक गांव में पेय-जल की व्यवस्था की जा सके।

कृषि उत्पादन की दिशा में यह राज्य बहुत प्रगतिशील रहा है। परन्तु उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ वहां की आवश्यताएं पूरी नहीं हो पायी हैं। केन्द्रीय सरकार को राज्य की खाद्यान्नों की कमी के समय पर पूरा करना चाहिए।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : गुजरात की समस्याओं पर अनेक माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाल दिया है। इसलिए मैं उन समस्याओं को नहीं दोहराऊंगा। गुजरात राज्य जहां के लोगों ने भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फैंकने और विधान सभाको भंग कराया, की समस्याओं का राष्ट्रपति के शासनकाल में हल नहीं किया गया है। गुजरात में ठीक प्रकार से कार्य करने का वातारण नहीं दिखायी देता शैशिक्षणिक संस्थायें सुव्यवस्थित ढंग से कार्य नहीं कर रही है। अनेक विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिला और जिनको मिला है वे भी संतुष्ट नहीं है। अध्यापक, खेलने के मैदान, आवश्यक सुविधायें और प्रयोगशालाएं वहां के विद्यालयों में नहीं हैं। ऐसी हालत में एक ऐसा जन आन्दोलन उठ खड़ा हो सकता है जो गत आन्दोलन से भी भंयकर होगा जो समूचे देश को अपनी लपेट में ले लेगा। भारत सरकार को राष्ट्रीय दृष्टि से इस पर उचित ढंग से विचार करना चाहिए।

उस राज्य में यथाशीघ्र लोकप्रिय सरकार स्थापित की जानी चाहिए। विधान सभा न होने के कारण वहां के विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। शीघ्र ही नये चुनाव कराए जाने चाहिए ।

नर्मदा का मामला पुनः न्यायाधिकरण को सौंपा गया है यह अच्छी बात है। आशा है कि न्यायाधिकरण तकनीकी जानकारी के आधार पर अपना निर्णय देगा।

नर्मदा पुल के लिए इस वर्ष किया गया नियतन बहुत कम है। यदि भारत सरकार ने 163.50 लाख रुपये और न दिये तो कार्य की गति धीमी पड़ जाएगी। आशा है कि केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त धन देगी ताकि नर्मदा का पुल समय पर पूरा हो सके और राष्ट्रीय राजपथ पर भारी यातायात के लिए समुचित प्रबन्ध किया जा सके।

हरिजनों के उद्धार के लिए आपको अधिक धन की व्यवस्था करनी होगी सरकार को स्वयं सेवी संस्थाओं को भी अधिक धन देना चाहिए। ताकि वह लोगों को शिक्षा देकर हरिजनों के सम्बन्ध में उनकी धारणा को बदल सके। प्रश्न मनोधारणा को बदलने का है। स्वर्ण हिन्दुओं के मन में हरिजनों के सम्बन्ध में सदियों से जो धारणा चली आ रही है उसे आप केवल अधिनियम आदि लाने से परिवर्तित नहीं कर सकते। हरिजन सेवक संघ आदि संस्थानों को कुछ धन दिया जाए जिससे वे लोगों को शिक्षित करने की ओर अधिक ध्यान दे सकें ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हों।

गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के अध्यापकों और प्रोफेसरों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान दिए जाए। केन्द्रीय सरकार इस नये विश्वविद्यालय को अनुसंधान के लिए और अधिक धन दे। कृषि विश्वविद्यालय के शीघ्र और बेहतर विकास की दृष्टि से विश्वविद्यालय परिसर को आनंद में ही रहने दिया जाए।

अहमदाबाद में आवास की समस्या भी बहुत जटिल है पिछले शनिवार मैं पुरानी चम्पारन आवास कालोनी में गया जोकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र का अंग है। उस स्थान पर अहमदाबाद सूती कपड़ा मिलों के कर्मचारियों के 340 परिवार रहते हैं। उन्हें यह मकान गुजरात आवास बोर्ड से मिले हुए हैं। उन मकानों के ऊपर हाई टेंशन ग्रिड के तार हैं इसलिए मानसून के मौसम में हर समय दुर्घटना, विस्फोट, तार कटने और शार्ट-सर्किट का डर बना रहता हैं। कुछ महीने पहले बिजली का तार गिरने से दो बच्चों की मृत्यु हो गई थी जब वह कर्मचारी इस सिलसिले में गुजरात आवास बोर्ड और नगर निगम प्राधिकारियों के पास गए तो उन्होंने कहा कि वे वहां से घर हटा लें परन्तु तार नहीं हटाए जा सकते क्योंकि तार पहले के लगे हुए थे। क्या गुजरात आवास बोर्ड तथा नगर निगम को पहले यह बात नहीं सोचनी चाहिऐ थी कि उस स्थान पर ऐसे तार है वहां मकान नहीं बनाए जाने चाहिए। सरकार को तारों के सम्बन्ध में कुछ करना चाहिए था वह कर्मचारियों को अपनी लागत पर भूमि तथा आवास की सुविधाएं दें।

अहमदाबाद और राजकोट, भावनगर, जामनगर, बड़ौदा, सूरत और नडियाड में गंदी बस्तियों की संख्या बढ़ रही है। इन बस्तियों में दलित लोग रहते हैं कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएं। यह केवल गुजरात राज्य की समस्या नहीं है। अपितु सारे देश की समस्या है इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए।

गुजरात में लोग पुलिस की ज्यादतियों से भी तंग है। यह प्रसन्नता का विषय है कि "गोरे" समिति की पुलिस प्रशिक्षण के सम्बन्ध में दी गई रिपोर्ट मेरे राज्य में लागू की जा रही है। मैं चाहता हूं कि यह प्रयोग सारे देश में किया जाए। पुलिस को यह बताया जाए कि जनता के साथ विशेष कर आन्दोलन कारियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : उपाध्यक्ष महोदय, म मंत्री महोदय द्वारा गुजरात राज्य के सम्बन्ध में रखी गयी मांगों का स्वागत करता हूं ।

गुजरात राज्य के खाद्य तथा सिविल सप्लाई विभाग को लगभग 83.40 करोड़ रुपये दिये गये । हमने 22 मार्च, 1974 को 41.17 करोड़ रुपये की मंजूरी ले ली है। मैं यह कहना चाहता हूं कि 2.25 करोड़ जनसंख्या वाले गुजरात राज्य में खाद्य तथा अन्य आवश्यकताओं का यदि आवंटित पूंजी के हिसाब से औसत निकाला जाए तो वह पूरे वर्ष के लिए 60 रुपये प्रति व्यक्ति के करीब बैठता है। इसके बावजूद गरीब लोगों को समुचित राशन नहीं मिल रहा है । यह शर्म की बात है कि युवक आंदोलन, जन आंदोलन और नवनिर्माण समिति का जिक्र किया गया है। हमारा विचार था कि चिमनभाई पटेल मंत्रिमण्डल के समाप्त होने पर युवकों की नवनिर्माण समिति कुछ कार्य करेगी और कोई ठोस प्रस्ताव रखने में समर्थ होगी परन्तु हमने देखा है कि यह आंदोलन एक सुव्यवस्थित व्यवस्था को समाप्त करने के लिए था। यदि यह आंदोलन इसी उद्देश्य से किया गया था तो भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वह गुजरात की वर्तमान स्थिति के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कराए।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi): Mr. Deputy Speaker, Sir, first of all I would like to say that the President's rule in the State of Gujarat should be revoked, elections to Gujarat Assembly and also to the local bodies should be held as early as possible so that the democratic Government can be set up there.

Steps should be taken to impose ceiling on land and the surplus land should be distributed to Harijans and landless labour.

Every effrot should be made to minimise unemployment. This can be done by setting up small and medium industries in the State.

Education is becoming very expansive these days the poor cannot afford it. Measures should be taken to reduce the expense on education so that the poor students are not deprived of it.

There should be provision of summary trials to eradicate corruption. Corruption should be eradicated from the top. Corruption had seeped into every sphere of our social and political life. This has to be fought with determination and courage. The problem of black-marketing, hoarding and adulteration should also be tackled at a warfooting.

The Harijans have become aware of their rights therefore caste Hindus are committing more and more atrocities on them. They should be given legal protection.

The Gujarat agitation was unprecedented. Seventy lives were lost. It had the appearance of the agitation of 1972. It had two-fold objects—to remove the Government and dissolve the assembly. Their principal demands were the eradication of corruption removal of unemployment and checking price-rise. If this matter is not settled at the national level such movements are likely to start in other states as well.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तुपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। माननीय सदस्य श्री पटेल ने

हरिजनों के सम्बन्ध में गुजरात के राज्यपाल द्वारा की गई कार्यवाही की आलोचना की है। श्री पटेल की सहानुभुति उन थोड़े से लोगों के प्रति है जिन्हें मामूली सा जुर्माना भरना पड़ा है। किन्तु उनका हृदय उस विशेष समुदाय के प्रति नहीं पिघला जिस पर अत्याचार किया गया, जिसे तंग किया गया, जिसे लुटा गया और जिसके लोगों की हत्या की गई। मैं गुजरात के राज्यपाल को बधाई देता हूं कि उन्होंने उस गांव के एक सम्प्रदाय द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति का बहुत शीघ्रता और उत्साह से सामना किया है।

जिस प्रकार की घटना उस गांव में हुई वह निश्चय ही बड़ी दुःखद है किन्तु यह कोई नई घटना नहीं है। देश भर के हरिजनों के साथ ऐसी घटनाएं घटित होतीं हैं, मुख्य प्रश्न तो स्थिति को सम्भालने का है, केवल कानूनी संरक्षण से कुछ नहीं होता। यदि किसी जाति के लोग अचानक हरिजनों के क्षेत्र पर धावा बोलकर उनके घर जला दें, उनका माल लूट कर चलते बनें तो उस स्थिति में हरिजन अपनी रक्षा हेतु इधर-उधर के क्षेत्रों में शरण लेने जाएंगे ही। मेरा सुझाव है कि सरकार ऐसी स्थिति में मामले की जांच कराकर अपराधियों को दण्ड दिलाए।

हमें यह देखना है कि उस गांव के हरिजन समुदाय को सांत्वना देने और उनमें विश्वास की भावना उत्पन्न करने के लिए क्या तुरन्त उपाय किए जाने चाहिए। जिससे उन्हें यह महसूस हो कि उनके साथ न्याय किया जा रहा है और राज्य की शक्ति उनसे अधिक शक्तिशाली समुदाय से उनकी रक्षा करेगी।

गांव के विरुद्ध की गई दण्डात्मक कार्यवाही बम्बई पुलिस अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत की गई है। इस अधिनियम की धारा 50 और 51 में कहा गया है कि यदि किसी गांव विशेष में दंगे-फसाद के कारण अतिरिक्त पुलिस को बुलाना पड़ता है तो उसका खर्चा उसी गांव के लोगों को भरना पड़ेगा। अतः जो कुछ कार्यवाही की गई वह पूर्णतः यायोचित है।

जहां तक कालाबाजारी और जमाखोरी का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में संवैधानिक उपबन्धों की कमी नहीं है तो क्रियान्वयन अभिकरणों में अधिकारियों में इस बात की इच्छा ही नहीं कि वह इसे रोकें और इसके विरुद्ध लड़ें। यदि यदि उनमें इसे रोकने की भावना हो तो इसे दूर करने के उपाय भी हैं, तरीके भी हैं, गुजरात की स्थिति के सम्बन्ध में यह कहा जा रहा है कि चुनाव से ही समस्या को हल किया जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया कब तक चल सकती है पुनः चुनाव होने पर यदि मेरे दल, जिसे कि 'भ्रष्टाचारी दल' कहा गया है, को बहमत मिले तो फिर उसे हराने के लिए आंदोलन होगा। अतः उनका तर्क यह है कि यदि स्वतन्त्र दल को बहुमत मिलता है तो ठीक है नहीं तो निर्वाचित उम्मीदवार को बाहर निकाला जाएगा। ऐसा करने से समस्या कभी हल नहीं होगी।

***श्री जे० माता गौडर** (नीलगिरी) : उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में गुजरात में बढ़ती हुई कीमतों, अत्यावश्यक वस्तुओं के अभाव, जमाखोरी, चोरबाजारी तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ है उससे आप अनभिज्ञ नहीं हैं। इस आंदोलन को दबाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सेना, केन्द्रीय रिजर्व पुशिस और राज्य पुलिस की सहायता

***तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर**
Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Tamil.

लेनी पड़ी थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या इनमें से किसी ने भी चोर बाजारी तस्करी या कदाचार करने वाले एक भी व्यक्ति को पकड़ा है?

सत्तारूढ़ दल ऐसे जमाखोरों और तस्करों के साथ मिला हुआ है। सरकार लोकप्रिय आंदोलनों को दबाने के लिए तो बल का प्रयोग कर सकती है किन्तु उसमें चोरबाजारी और जमाखोरी करने वालों को छूने का भी साहस नहीं है क्योंकि कांग्रेस दल चुनाव के लिए चन्दा लेने के लिए उन्हीं पर आश्रित है। वह तो उल्टा इन असामाजिक तत्वों को सहायता देती है।

इस सन्दर्भ में, मैं राष्ट्रपति द्वारा 6 जुलाई 1974 लाभांश के सम्बन्ध में जारी किए गए अध्यादेश का उल्लेख करना चाहता हूं....

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

इससे पूर्व कि सभा स्थगित हो कार्य की दो मदें, जिनके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने अपनी सहमति प्रदान की है हमें उन्हें निपटाना है।

वित्त (संख्या 2) विधेयक के पुरःस्थापन के बारे में वक्तव्य

Statement Re. introduction of finance (No. 2) Bill.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : वित्त मन्त्री 31 जुलाई, 1974 को मध्याह्न पश्चात् 5 बजे वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1974 पुरःस्थापित करेंगे।

इस घोषणा से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कतिपय अनुगामी कदम उठाने में सरकार को सुविधा होगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

Papers laid on the Table—contd.

ऊनी धागे पर प्रशुल्क की प्रभावी दरों के परिवर्तन के बारे में अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं सभा पटल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 310 (ङ) और 311 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 जुलाई, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ की मद क्रमशः 18ख और 18ङ के अन्तर्गत आने वाले ऊनी धागे पर प्रशुल्क की प्रभावी दरों में परिवर्तन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 708/74]**

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 23 जुलाई, 1974/1 श्रावण, 1896 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, July 23, 1974/Sravana 1, 1896 (Saka)